



## भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए  
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा  
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार  
वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या-2



**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का**  
**31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**

**सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन**

**बिहार सरकार**  
**वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या—2**



## विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्रस्तावना	-	v
विहंगावलोकन	-	vii-xiv
<b>परिचय</b>		
<b>सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप</b>		
सामान्य	1-2	1-2
उत्तरदायित्व रूपरेखा	3-4	2-3
सांक्षेतिक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	5-6	3-4
बिहार सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सांक्षेतिक्रमों में निवेश	7-9	4-5
<b>भाग—I</b>		
<b>अध्याय—I</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप</b>		
परिचय	1.1-1.2	7-8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.3	8
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश	1.4	8-9
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता	1.5	9-10
बिहार सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	1.6	10-11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	1.7	11
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन	1.8-1.21	12-20
उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता	1.22	20-22
ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	1.23	22-23
निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं	1.24	23
बी०एस०ई०बी० द्वारा देय लेखापरीक्षा शुल्क	1.25	23
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.26-1.28	23-24
<b>अध्याय—II</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा</b>		
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
“बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1-2.18	25-57

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
<b>अध्याय—III</b>		
<b>ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण</b>		
साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
भार वृद्धि में विलम्ब	3.1	59-60
नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड		
संविदा माँग में अनियमित कमी	3.2	60-62
<b>भाग—II</b>		
<b>अध्याय—IV</b>		
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप</b>		
परिचय	4.1-4.2	63-64
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश	4.3-4.4	64-65
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	4.5	65
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता	4.6	66-67
बिहार सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान	4.7	67
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	4.8	67-69
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव	4.9	69
अकार्यशील राज्य सा०क्षे०उ० का समापन	4.10	69-70
सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण	4.11	70-71
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन	4.12-4.23	71-79
राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ	4.24-4.25	79-80
अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं	4.26	80
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुर्वती कार्यवाही	4.27-4.29	80-81

विषय	सन्दर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं०
<b>अध्याय-V</b>		
<b>राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण</b>		
<b>बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड</b>		
पटना में निर्मित किए जा रहे फ्लाईओवर पर दीर्घ प्रारूप कंडिका	5.1	83-88
<b>बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड</b>		
आय कर का परिहार्य भुगतान	5.2	88-89
ब्याज की हानि	5.3	89-90
कम ब्याज दर वाले सावधि जमाओं में निवेश से हानि	5.4	91-92
<b>बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड</b>		
अपने स्रोतों से सेवाकर का परिहार्य भुगतान	5.5	92-94
<b>बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड</b>		
खाद्य सब्सिडी प्राप्त न होना	5.6	94-95
<b>बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड</b>		
संवेदक को अनुचित लाभ	5.7	96-97
ब्याज की हानि	5.8	97-99

### परिशिष्ट

परिशिष्ट सं०	विषय	सन्दर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं०
1.1	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे नवीनतम वर्ष के लिए अन्तिमीकृत किये गये हैं, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	1.8 एवं 1.10	101-102
1.2	31 मार्च 2019 को राज्य ऊर्जा क्षेत्र के साझेदारों से सम्बन्धित पूँजी तथा बकाये ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	1.8	103
2.1	31 मार्च 2019 को आर०ए०पी०डी०आर०पी० (भाग-बी) योजना की भौतिक स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1 (अ)	104
2.2	आर०ए०पी०डी०आर०पी० की स्थिति को दर्शाती विवरणी भाग अ भाग ब	2.1 (अ) एवं 2.13.2	105
2.3	31 मार्च 2019 को आई०पी०डी०एस० योजना की भौतिक स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1 (ब) एवं 2.14	106-107
2.4	31 मार्च 2019 को बी०पी०एस०आई०पी० योजना (ए०डी०बी० द्वारा वित्त प्रदत्त) की भौतिक स्थिति को दर्शाती विवरणी	2.1 (स) एवं 2.15	108

परिशिष्ट सं०	विषय	सन्दर्भ	
		कंडिका	पृष्ठ सं०
2.5	एन०बी०पी०डी०सी०एल० के आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहरों में वर्ष के दौरान ए० टी० एण्ड सी० हानि और विपत्रीकरण दक्षता को दर्शाती विवरणी	2.11.1 एवं 2.11.2	109-110
2.6	एस०बी०पी०डी०सी०एल० के आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहरों में वर्ष के दौरान ए० टी० एण्ड सी० हानि और विपत्रीकरण दक्षता को दर्शाती विवरणी	2.11.1 एवं 2.11.2	111-112
2.7	(अ) एन०बी०पी०डी०सी०एल० की उच्चतम माँग, डी०टी० / पी०टी० की क्षमता एवं क्षमता संवर्द्धन को दर्शाने वाली विवरणी	2.12.2	113-116
	(ब) एस०बी०पी०डी०सी०एल० की उच्चतम माँग, डी०टी० / पी०टी० की क्षमता एवं क्षमता संवर्द्धन को दर्शाने वाली विवरणी		117-120
4.1	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष के अन्तिमीकृत लेखों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	4.1 एवं 4.13.1	121-123
4.2	राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जो इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं है, का विवरण	4.1 एवं 4.9	124-127
4.3	31 मार्च 2019 को राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी	4.3 एवं 4.12	128-130
4.4	31 मार्च 2019 को राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के संबंध में पूँजी, ऋण तथा गारंटियों के अधिशेष तथा बिहार सरकार के वित्त लेखों में अन्तर को दर्शाती विवरणी	4.7	131-136
4.5	राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाये में थे, में बकाये की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश को दर्शाती विवरणी	4.8.1	137-139
4.6	2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के द्वारा निवेश को दर्शाती विवरणी	4.15	140-146
5.1	2013–14 से 2017–18 के दौरान उन लागत घटकों पर सेंटेज आय की गणना, जो सेंटेज की गणना के लिए योग्य नहीं थे, को दर्शाती विवरणी	5.2	147
5.2	बचत बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा का लाभ न ले पाने के कारण हुए ब्याज की हानि को दर्शाती विवरणी	5.3	148
5.3	ब्याज की हानि को दर्शाती विवरणी	5.4	149

## प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों (कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मानद सरकारी कम्पनियाँ सहित) के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) द्वारा की जाती है। कम्पनी अधिनियम के तहत सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों (सनदी लेखाकारों) द्वारा प्रमाणित लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा की जाती है जिस पर सी0ए0जी0 अपनी टिप्पणी देते हैं अथवा सांविधिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदनों का अनुपूरण करते हैं। इसके अतिरिक्त, सी0ए0जी0 द्वारा इन कम्पनियाँ की नमूना लेखापरीक्षा भी की जा सकती है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा—क के अन्तर्गत सी0ए0जी0, बिहार विधानमंडल के पटल पर उपस्थापित करने हेतु, सरकारी कम्पनी या निगम के लेखाओं के सम्बन्ध में प्रतिवेदन सरकार को सुपुर्द करती है।

इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2018–19 के दौरान नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये और साथ—साथ वे मामले भी हैं जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2018–19 के उपरान्त की अवधि के मामले भी, जहाँ सम्बन्धित तथा आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गए हैं।

लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित की गई है।



**विहंगावलोकन**



## विहंगावलोकन

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के द्वारा शासित होता है। सरकारी कम्पनियों के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। ये वित्तीय विवरण सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के अधीन आते हैं। वैधानिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित कानून द्वारा शासित होती है।

31 मार्च 2019 को बिहार में 79 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सा0क्षे0उ0), जिसमें तीन सांविधिक निगमें एवं 76 सरकारी कम्पनियाँ (42 अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ सहित) शामिल थे, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत थे। इस प्रतिवेदन में शामिल सा0क्षे0उ0 ने अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 16,627.36 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया था। यह टर्नओवर वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (₹ 5,15,634.00 करोड़) के 3.22 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2019 को 79 सा0क्षे0उ0 में निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालिक ऋण) ₹ 44,922.71 करोड़ था, उसमें से 90.10 प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्र के सा0क्षे0उ0 में था।

#### 1. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

31 मार्च 2019 को, बिहार में नौ राज्य ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम थे। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों<sup>1</sup> ने 2018–19 के दौरान अपने नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 15,093.67 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर बिहार के जी0एस0डी0पी0 के 2.93 प्रतिशत के बराबर था, जो कि राज्य के ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा राज्य के अर्थव्यवस्था में निभाई गई एक महत्वपूर्ण भूमिका का संकेत देता है।

#### बिहार सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2019 तक नौ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 40,473.20 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 87.48 प्रतिशत एवं दीर्घकालिक ऋण 12.52 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक ऋण, 26.87 प्रतिशत (₹ 1,362.12 करोड़) था, जबकि 73.13 प्रतिशत (₹ 3,706.43 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

#### ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों का निष्पादन

इस प्रतिवेदन के दायरे में शामिल ऊर्जा क्षेत्र की छ: कम्पनियों ने वर्ष 2014–15 के ₹ 966.27 करोड़ की हानि के विरुद्ध 2018–19 में ₹ 2,535.73 करोड़ की हानि वहन की थी। इस प्रतिवेदन में शामिल ऊर्जा क्षेत्र के छ: कम्पनियों के वर्ष 2018–19 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार दो सा0क्षे0उ0 ने ₹ 172.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया था एवं तीन सा0क्षे0उ0 ने ₹ 2,707.85 करोड़ की हानि वहन की थी। लाभ अर्जित करने वाली कम्पनियों में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 147.28 करोड़) एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (₹ 24.84 करोड़) थी। शीर्ष हानि वहन करने वाली कम्पनियों में बिहार

<sup>1</sup> इस प्रतिवेदन में तीन सा0क्षे0उ0 (बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड एवं पीरपेंटी बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड) जिनके लेखे तीन वर्ष या उससे अधिक से बकाया में थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, शामिल नहीं हैं।

स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 299.12 करोड़), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,813.09 करोड़) एवं नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 595.64 करोड़) थी। 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र की छ: कम्पनियों में ₹ 35,305.59 करोड़ के पूँजी निवेश के विरुद्ध संचित हानियाँ ₹ 15,568.49 करोड़ थीं।

31 मार्च 2019 को एक सा०क्षे०उ० यथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड की निवल परिसंपत्तियाँ ₹ 531.88 करोड़ (₹ 4,812.96 करोड़ निवेश के 11.05 प्रतिशत) थीं। 31 मार्च 2019 को एक सा०क्षे०उ०, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की प्रदत्त पूँजी<sup>2</sup> इसके निवल परिसंपत्ति के एक चौथाई से भी कम थी।

### **उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अन्तर्गत डिस्कॉम्स का वित्तीय पुनरुद्धार**

उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के तहत, राज्य डिस्कॉम्स को उनके परिचालन एवं वित्तीय पुनरुद्धार में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, बिहार सरकार एवं सम्बन्धित राज्य डिस्कॉम्स (अर्थात् एस०बी०पी०डी०सी०एल० एवं एन०बी०पी०डी०सी०एल०) के मध्य त्रिपक्षीय सहमति ज्ञापन (एम०ओ०य००) पर हस्ताक्षर (22 फरवरी 2016) किए गए। उदय योजना एवं एम०ओ०य०० के प्रावधानों के अनुसार, 30 सितम्बर 2015 को दो राज्य डिस्कॉम्स से सम्बन्धित कुल बकाया ऋण (₹ 3,109.06 करोड़) में से बिहार सरकार ने 2016–17 के दौरान ₹ 2,331.78 करोड़ के ऋण का अधिग्रहण कर लिया था। शेष ऋण को केनरा बैंक के द्वारा पुनर्निधारित किया गया।

लेखापरीक्षा ने देखा कि उदय योजना के तहत निर्धारित किए गए परिचालन मापदंडों के विरुद्ध डिस्कॉम्स का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। डिस्कॉम्स ने ग्रामीण फीडर की लेखापरीक्षा एवं ग्रामीण क्षेत्रों में डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर मीटरिंग के लिए कार्यवाही शुरू नहीं की थी। उन्होंने स्मार्ट मीटरिंग के क्षेत्र में भी खराब प्रदर्शन किया था। इसके अलावा, प्रगति की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, डिस्कॉम्स द्वारा 31 मार्च 2020 तक ए० टी० एण्ड सी० हानि को घटाकर 15 प्रतिशत तक करने के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना भी मुश्किल होगा।

### **लेखाओं की गुणवत्ता**

ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। 01 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 के दौरान अंतिमीकृत किए गए 14 लेखाओं में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 13 लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिया था। ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा 10 लेखाओं में लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करने के 61 प्रकरण थे।

<sup>2</sup> ₹ 11,014.59 करोड़ के प्रदत्त पूँजी के विरुद्ध निवल परिसम्पत्ति ₹ 2,724.84 करोड़ थी।

## 2. “बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए0 टी0 एण्ड सी0) हानि की सतत कमी, सटीक आधारभूत ऑकड़ों के निरंतर संग्रह के लिए विश्वसनीय और स्वचालित प्रणालियों की स्थापना और ऊर्जा लेखांकन और नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने हेतु, भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए दिसम्बर 2008 में रिस्ट्रक्चर्ड एक्सीलरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफॉर्म परियोजना (आर0ए0पी0डी0आर0पी0) और दिसम्बर 2014 में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट परियोजना (आई0पी0डी0एस0) की शुरुआत की। इसके अलावा, ए0डी0बी0 की वित्तीय मदद से, बिहार के सात शहरों में संचरण, उप-संचरण और वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए एक और योजना बिहार पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स (बी0पी0एस0आई0पी0) भी लागू किया गया था।

वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा किए जा रहे “बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण” पर निष्पादन लेखापरीक्षा चुने गये नौ नमूना शहरों में आयोजित किया गया था जो कि उनकी जनसंख्या परिवर्तन, ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि, उच्चतम माँग और परियोजना लागत को देखते हुए स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना चयन के माध्यम से चयनित की गई थी। लेखापरीक्षा 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिए की गई थी।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना, जिसका उद्देश्य स्थायी आधार पर ए0 टी0 एण्ड सी0 हानियों को 15 प्रतिशत से कम करना था, के तहत केवल दो शहर ही 15 प्रतिशत से कम वांछित ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि के लक्ष्य को प्राप्त कर सके थे। उच्च ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारणों में से एक ऊर्जा का अपर्याप्त विपत्रीकरण था क्योंकि 67 में से 13 शहरों, में 2015–16 की तुलना में 2018–19 में विपत्रीकरण दक्षता में कमी का रुझान था। चयनित चार शहरों में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि प्रमंडल अपने 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण कर रहे थे, तब भी उनकी विपत्रीकरण दक्षता 50 प्रतिशत से कम थी जो संभावित चोरी या उच्च तकनीकी हानि को दर्शाता है।

ऊर्जा लेखांकन एवं लेखापरीक्षा के क्षेत्र में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि फीडर/डी0टी0/एच0टी0 मीटरों द्वारा ऑकड़ों के खराब संचार और जी0आई0एस0 ऑकड़ों और इंडेक्सिंग को अद्यतन न करने के कारण, डिस्कॉम्स द्वारा ऊर्जा लेखांकन स्वचालित रूप से नहीं किया जा सका था जैसा कि परियोजना में परिकल्पित था। इसके अलावा, कई स्थानों पर ये मीटर खराब पाए गए थे। आई0पी0डी0एस0 के तहत, मार्च 2020 तक आई0टी0 एवं ई0आर0पी0 भाग के निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। इसके कारण पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पी0एफ0सी0) द्वारा आई0 टी0 एवं ई0आर0पी0 परियोजना को रद्द कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.95 करोड़ के अनुदान का नुकसान हुआ।

विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन के लिए, योजनाओं (आर0ए0पी0डी0आर0पी0 और आई0पी0डी0एस0) में पी0एफ0सी0 के दिशानिर्देशों के अनुरूप सिस्टम प्लानिंग, डिजाइनिंग और इंजीनियरिंग शामिल थी। तथापि, डिस्कॉम्स ने मात्रा का आकलन वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना अपेक्षित जनसंख्या वृद्धि और मौजूदा अवसंरचना की क्षमता के अनुसार किया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदकों द्वारा कार्यान्वयन के समय सर्वेक्षण किया गया था, जिससे विभिन्न तरह की अड़चनें जैसे की आर0ओ0डब्ल्यू0, पावर सब-स्टेशनों (पी0एस0एस0) के लिए भूमि अधिग्रहण आदि की पहले से पहचान नहीं की जा सकी थी और योजना के पूर्ण होने में देरी हुई। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए मौजूदा पी0एस0एस0 के साथ-साथ वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी0टी0) के क्षमता संवर्धन की आवश्यकता का भी ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप कुछ शहरों

में पी0एस0एस0 / डी0टी0 के उपलब्ध भार क्षमता का कम प्रयोग किया गया था, जबकि कुछ शहरों में भार इनकी क्षमता से काफी अधिक था।

आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत आई0टी0 सक्षम परियोजना का कार्य पी0एफ0सी0 द्वारा परियोजना की मंजूरी के 42 महीने की देरी से आवंटित किया गया था, जिससे इसके पूर्ण होने में निर्धारित समय से पाँच से 17 महीने की देरी हुई थी। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत सुदृढ़ीकरण और सर्वधृति करने के मामले में, डिस्कॉम्स ने आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के लिए पुरानी दरों पर निविदा आमंत्रित की, जिसके परिणामस्वरूप अंततः पुनर्निविदा आमंत्रित की गई और परियोजना की मंजूरी से कार्य आवंटित करने में सात से 17 महीने की देरी हुई। आई0पी0डी0एस0 की निर्धारित समाप्ति जून 2020 तक औपबंधिक रूप से विस्तारित की गई थी। समय विस्तार के बावजूद कार्य की प्रगति बहुत खराब थी और कुल प्रगति केवल 44.51 प्रतिशत (मार्च 2019) थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि विलम्ब का मुख्य कारण कार्यान्वयन के दौरान आर0ओ0डब्ल्यू0, भूमि अधिग्रहण और एन0ओ0सी0 जैसी अड़चनें थी, क्योंकि योजना बनाने के समय सर्वेक्षण नहीं किया गया था। रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन काफी विलम्ब से किया गया था और यहाँ तक कि कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि समाप्त होने के बाद पी0एस0एस0 के लिए भूमि अधिगृहित की गई थी क्योंकि कार्य शुरू करने के पहले इन्हें चिह्नित नहीं किया गया था।

आई0पी0डी0एस0 परियोजना के क्रियान्वयन में परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी0एम0ए0) के लिए निर्धारित अधिकतम व्ययसीमा के भीतर निविदा निस्तारीकरण में विफल रहने, विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित अधिकतम दर का प्रयोग नहीं करने, और बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) जो कि ऊर्जा विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में ऐसे कार्यों के लिए एक विशेष सरकारी नोडल एजेंसी है, के माध्यम से सौर पैनलों का कार्यान्वयन नहीं करने के कारण डिस्कॉम्स ने ₹ 114.64 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

ए0डी0बी0 वित्त पोषित बी0पी0एस0आई0पी0, जिसे दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014 की निर्धारित अवधि तक पूर्ण किया जाना था, के तहत यह देखा गया कि बी0पी0एस0आई0पी0 की खराब प्रगति के कारण नवम्बर 2016 में संवेदक का अनुबंध रद्द कर दिया गया था। इसके बावजूद भी डिस्कॉम (एस0बी0पी0डी0सी0एल0) उनकी बैंक प्रत्याभूति का नकदीकरण करने में विफल रहा। इसके अलावा, एक अन्य संवेदक द्वारा भी सौंपे गए काम को पाँच वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया था।

कम्पनियों के वित्तीय विवरणों के निरीक्षण में, यह देखा गया कि डिस्कॉम्स आपूर्ति की लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहे थे। इसके अलावा डिस्कॉम्स सभी पूँजीगत व्यय के लिए सरकार के अनुदान पर पूरी तरह से निर्भर थे और विद्युत क्रय के लिए राजस्व अनुदान भी प्राप्त कर रहे थे फिर भी वे नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल दे रहे थे। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने ₹ 17,892.44 करोड़ अंश पूँजी के अलावा पूँजी अनुदान (₹ 8,264.58 करोड़) और अनुदान (₹ 17,259.98 करोड़) भी प्रदान किया था। उदय योजना के तहत वित्तीय पुनर्गठन के लिए भी डिस्कॉम्स ने राज्य सरकार से ₹ 2,331.78 करोड़ प्राप्त किया था फिर भी उदय के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था। इन निधियों के निवेश के बावजूद भी कम्पनी की वित्तीय स्थिति दयनीय थी और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान उन्होंने ₹ 8,433.14 करोड़ की हानि वहन की थी। बी0ई0आर0सी0 द्वारा निर्धारित वितरण घाटे के लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने के परिणामस्वरूप 2014–15 से 2018–19 की अवधि के लिए डिस्कॉम्स द्वारा क्रय की गई ₹ 9,030.63 करोड़ की अतिरिक्त बिजली को अस्वीकृत कर दिया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वितरण सुधार समिति (आई०पी०डी०एस० / आर०ए०पी०डी०आर०पी०) के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित) की बैठके कार्य की प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण एवं स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए नियमित रूप से आयोजित नहीं की जा रही थी।

डिस्कॉम्स की अक्षमता के कारण हुई हानियों एवं अतिरिक्त/परिहार्य व्यय को नीचे वर्णित किया गया है:

क्र० सं०	विवरणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	डिस्कॉम्स के द्वारा स्थापित डी०टी० मीटरों द्वारा आँकड़ों का सम्प्रेषण नहीं किये जाने के कारण किए गए व्यय के समग्र उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होना। <i>(कंडिका सं० 2.11.3.2)</i>	41.42
2.	आई०पी०डी०एस० शहरों में डिस्कॉम्स के आई०टी० और ई०आर०पी० परियोजना को पी०एफ०सी० द्वारा निरस्त करने के फलस्वरूप अनुदान की हानि। <i>(कंडिका सं० 2.11.3.4)</i>	40.95
3.	डिस्कॉम्स द्वारा स्वीकृत व्यय के अंदर निविदा का निस्तारीकरण एवं परियोजना को निर्धारित अवधि में पूरा करने में असफल रहने के कारण पी०एम०ए० पर अतिरिक्त व्यय। <i>(कंडिका सं० 2.14.2)</i>	52.04
4.	निर्धारित सामग्रियों के दरों को सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप सीमित नहीं किये जाने के कारण अतिरिक्त व्यय। <i>(कंडिका सं० 2.14.3)</i>	26.03
5.	सोलर पैनल के कार्य को ब्रेडा को नहीं सौंपे जाने के फलस्वरूप बिहार सरकार के आदेश की अवहेलना एवं अतिरिक्त व्यय। <i>(कंडिका सं० 2.14.4)</i>	36.57
6.	बी०पी०एस०आई०पी० योजना के अंतर्गत निष्पादन बैंक गारंटी को नहीं भुनाने के कारण वित्तीय हानि। <i>(कंडिका सं० 2.15.1)</i>	4.90
7.	सी०एल०टी०डी० सुविधा के साथ बैंक खाता खोलने के संबंध में आई०पी०डी०एस० के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के कारण ब्याज की हानि। <i>(कंडिका सं० 2.16.4)</i>	1.62

### 3. ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में रही कमियों को उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े।

लेखापरीक्षा प्रेक्षण का सार नीचे दिया गया है :

भार वृद्धि में विलंब के कारण साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड ₹ 2.10 करोड़ की आय प्राप्त करने में असफल रही।

*(कंडिका 3.1)*

संविदा माँग के अल्प-निर्धारण के कारण नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को मई 2016 से दिसम्बर 2019 की अवधि में ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

*(कंडिका 3.2)*

#### 4. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

31 मार्च 2019 को बिहार में 70 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) थे, जिसमें 25 कार्यशील कम्पनियाँ, तीन कार्यरत सांविधिक निगमें एवं 42 अकार्यशील सा०क्षे०उ० (समस्त कम्पनियाँ) थी। इस दौरान दो<sup>3</sup> सरकारी कम्पनियाँ निगमित हुईं। वर्ष 2018–19 के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार सा०क्षे०उ०<sup>4</sup> ने ₹ 1,533.69 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया था। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 0.30 प्रतिशत के बराबर था, जो इन सा०क्षे०उ० द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में निभाई गई भूमिका को दर्शाता है।

##### बिहार सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2019 को इन 70 सा०क्षे०उ० में कुल निवेश (अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 4,449.51 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 16.13 प्रतिशत और दीर्घकालिक ऋण 83.87 प्रतिशत सम्मिलित थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त दीर्घकालिक ऋण 93.73 प्रतिशत (₹ 3,497.84 करोड़) था, जबकि कुल दीर्घकालिक ऋणों का 6.27 प्रतिशत (₹ 234.12 करोड़) केन्द्र सरकार एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिया गया था।

##### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का कार्य निष्पादन

इस प्रतिवेदन में शामिल 12 सा०क्षे०उ० में से आठ सा०क्षे०उ० ने लाभ अर्जित किया (₹ 138.86 करोड़) जिनमें से सभी को या तो एकाधिकार का लाभ हो रहा था या बजटीय सहायता, सेंटेज कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज आदि से सुनिश्चित आय हो रही थी। वर्ष 2018–19 में लाभ कमाने वाली शीर्ष कम्पनियाँ, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 48.95 करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 37.99 करोड़), बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (₹ 12.74 करोड़) और बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 14.95 करोड़) थीं।

अग्रेतर, 2018–19 के दौरान प्रतिरप्ती माहौल में काम करने वाले तीन सा०क्षे०उ०<sup>5</sup> में से दो सा०क्षे०उ० ने ₹ 46.42 करोड़ की हानि वहन की थी। इन सा०क्षे०उ० को 2016–17 से 2018–19 के दौरान लगातार हानि वहन करना पड़ा था और इनकी संचित हानियां 2016–17 के ₹ 454.29 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में ₹ 500.17 करोड़ हो गई थीं। 31 मार्च 2019 तक ₹ 86.40 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के मुकाबले इन तीन सार्वजनिक उपक्रमों की निवल परिसंपत्तियां पूरी तरह से समाप्त हो गयी थीं और यह (–) ₹ 580.97 करोड़ थीं।

##### लेखाओं की गुणवत्ता

सा०क्षे०उ० के लेखाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019 तक अंतिमीकृत किए गए 16 कार्यशील सा०क्षे०उ० के सभी 49 लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों ने मर्यादित प्रमाण पत्र दिया था। सा०क्षे०उ० द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करने के नौ प्रकरण थे। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के लेखाओं का अंतिमीकरण वर्ष 2002–03 तक ही किया गया था और सी०ए०जी० ने वर्ष 1999–2000 से 2002–03 तक के चार लेखाओं के संबंध में गंभीर कमियों को देखते

<sup>3</sup> बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन।

<sup>4</sup> इस प्रतिवेदन में 58 सा०क्षे०उ० (**परिशिष्ट 4.2**) शामिल नहीं हैं जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया में थे या वे मृतप्राय/परिसमापन के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

<sup>5</sup> बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एण्ड फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य वित्तीय निगम।

हुए मंतव्य देने से भी मना कर दिया। इसी तरह की स्थिति बिहार राज्य भण्डारण निगम के वर्ष 2012–13 के लेखे के साथ भी थी।

#### **लेखाओं के बकाया एवं कम्पनियों का समापन**

31 मार्च 2019 को 24 कार्यशील सा०क्षे०उ० के 98 लेखे बकाया थे। अकार्यशील सा०क्षे०उ० के अंतर्गत, 42 सा०क्षे०उ० के 1,184 लेखे बकाया थे। यह जवाबदेही और पारदर्शिता में गंभीर कमियों को दर्शाता है। सरकार को अकार्यशील सा०क्षे०उ० को बंद किये जाने के संबंध में शीघ्र उचित निर्णय लेना आवश्यक है।

#### **5. राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण**

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षण सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा पटना में बनाए जा रहे फ्लाईओवर का विश्लेषण किया गया है, अवलोकन वृहत् तौर पर निम्नलिखित प्रकृति के है :

कम्पनी द्वारा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए न केवल निविदाओं का आमंत्रण तथा फ्लाईओवर के कार्यों की शुरूआत की गई बल्कि तकनीकी स्वीकृति से पहले संवेदकों को ₹ 66.25 करोड़ का भुगतान भी किया गया।

#### **(कंडिका 5.1.2)**

कम्पनी द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन कर अनुबंध किये बिना मेसर्स फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, आई०आई०टी० दिल्ली (एफ०आई०टी०टी०) को ₹ 4.08 करोड़ का भुगतान किया गया।

#### **(कंडिका 5.1.3)**

कम्पनी ने बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर एकल-स्रोत से चयन हेतु पूर्ण औचित्य दर्ज किए बिना, जो कि नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, नामांकन के आधार पर मेसर्स प्लानिन इनोवेशन एवं कंसल्टेंसी सर्विसेस (पिक्स) को नियुक्त किया।

#### **(कंडिका 5.1.4)**

लोहिया पथ चक्र परियोजना के लिए कम्पनी द्वारा ₹ 16.90 करोड़ (डिजाइन के लिए ₹ 6.04 करोड़ और पर्यवेक्षण सलाहकार के लिए ₹ 10.86 करोड़) परियोजना निधि पर गलत तरीके से भारित (दिसम्बर 2019) किया गया तथा उसपर ₹ 1.52 करोड़ सेन्टेज के रूप में दर्ज किया गया जिसके फलस्वरूप राजकोष पर ₹ 18.42 करोड़ का भार पड़ा।

#### **(कंडिका 5.1.5)**

अन्य सा०क्षे०उ० के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रेक्षणों का सार नीचे दिया गया है :

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अस्वीकार्य मदों पर सेन्टेज प्रभारित करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 23.97 करोड़ के अतिरिक्त आय कर का भुगतान करना पड़ा बल्कि राजकोष पर कुल ₹ 61.73 करोड़ का भार भी पड़ा।

#### **(कंडिका 5.2)**

कम मूल्यवर्ग के सावधि जमाओं में निवेश न करने के कारण **बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड** ने ₹ 1.34 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।

(कंडिका 5.4)

बिना त्वरित आवश्यकता के बैंक ड्राफ्ट बनाकर तथा उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से खर्च मानकर **बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड** ने वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जिसके कारण ₹ 1.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

(कंडिका 5.8)

## परिचय

### सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

#### सामान्य

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सा०क्षे०उ०) में राज्य सरकार की कम्पनियाँ एवं सांविधिक निगमें सम्मिलित हैं। 31 मार्च 2019 तक, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत बिहार में 79 सा०क्षे०उ० थे, जिनमें तीन<sup>1</sup> सांविधिक निगमें एवं 76 सरकारी कम्पनियाँ (42 अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ<sup>2</sup> सहित) थीं। इनमें से कोई भी सरकारी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2018–19 के दौरान कोई भी सा०क्षे०उ० अपने होल्डिंग कम्पनी के साथ एकीकृत नहीं की गई थी।

2. सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की प्रकृति एवं लेखाओं की स्थिति नीचे दी गई तालिका में दर्शाई गई है:

**तालिका 1 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की प्रकृति**

सा०क्षे०उ० की प्रकृति	कुल संख्या	सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे प्रतिवेदित अवधि के दौरान प्राप्त हुए				सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2019 को बकाया (बकाया कुल लेखे) थे
		2018–19 तक के लेखे	2017–18 तक के लेखे	2016–17 तक के लेखे	कुल	
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ <sup>3</sup>	34	4	10	2	16	30 (120)
सांविधिक निगमें	3	0	1	0	1	3 (17)
<b>कुल कार्यशील सा०क्षे०उ०</b>	<b>37</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>33 (137)</b>
अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ	42	0	1	0	1	42 (1,184)
अकार्यशील सांविधिक निगमें	—	—	—	—	—	—
<b>कुल अकार्यशील सा०क्षे०उ०</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>42 (1,184)</b>
<b>कुल</b>	<b>79</b>	<b>4</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>75 (1,321)</b>

इस प्रतिवेदन में उन 18 सा०क्षे०उ० (एक सांविधिक निगम सहित) के वित्तीय प्रदर्शन शामिल किये गये हैं, जिन्होंने 31 दिसम्बर 2019 तक, 2016–17 या उसके बाद के वर्षों के अपने लेखे जमा किए थे। इस प्रतिवेदन में शामिल सा०क्षे०उ० ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 16,627.36 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया था। यह टर्नओवर वर्ष 2018–19 के राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (₹ 5,15,634 करोड़) के 3.22 प्रतिशत के बराबर था। इन 18 सा०क्षे०उ० में से 10 सा०क्षे०उ० ने अपने अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार ₹ 310.98 करोड़ का लाभ अर्जित किया था तथा सात सा०क्षे०उ० ने ₹ 2,778.54 करोड़ का हानि वहन की थी। एक

<sup>1</sup> बिहार राज्य वित्तीय निगम, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम एवं बिहार राज्य भण्डारण निगम।

<sup>2</sup> अकार्यशील सा०क्षे०उ० वह हैं, जिन्होंने कार्य करना बंद कर दिया है।

<sup>3</sup> सरकारी सा०क्षे०उ० में कम्पनी अधिनियम 2013 के धारा 139 (5) तथा 139 (7) में संदर्भित सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ सम्मिलित हैं।

सा०क्षे०उ०<sup>4</sup> में कोई लाभ/हानि नहीं था। मार्च 2019 तक इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य सा०क्षे०उ० में 12,767 कर्मचारी कार्यरत थे।

इस प्रतिवेदन में 61 सा०क्षे०उ०<sup>5</sup> (सरकार द्वारा नियंत्रित तीन कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों सहित) को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया थे या प्रथम लेखे जमा नहीं किए थे या देय नहीं थे या मृतप्राय/परिसमापन के अधीन थे। इन 61 सा०क्षे०उ० में ₹ 4,626.28 करोड़ का निवेश अंश पूँजी (₹ 646.26 करोड़) तथा दीर्घकालिक ऋणों (₹ 3,980.02 करोड़) के रूप में था। यह गंभीर विषय का क्षेत्र है, क्योंकि अकार्यशील सा०क्षे०उ० में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते रहे हैं।

### उत्तरदायित्व रूपरेखा

3. सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा, कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 के द्वारा अधिशासित है। अधिनियम की धारा 2 (45) के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है, जिसमें प्रदत्त पूँजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित हो एवं इसमें वैसी कम्पनी भी सम्मिलित है जो किसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा, या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के स्वामित्व या नियंत्रित, किसी अन्य कम्पनी<sup>6</sup> को इस प्रतिवेदन में सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों के रूप में संदर्भित किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०) द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) एवं (7) के अंतर्गत सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति की जाती है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सी०ए०जी० द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के एक सौ अस्सी दिनों के अंदर की जानी चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (7) के अनुसार सरकारी कम्पनियों एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियों में सी०ए०जी० द्वारा प्रथम लेखापरीक्षक की नियुक्ति कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से साठ दिनों के अंदर की जानी चाहिए एवं यदि सी०ए०जी० द्वारा उल्लेखित अवधि में इस तरह के लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की जाती है तो कम्पनी के निदेशक मण्डल अथवा कम्पनी के सदस्यों द्वारा इस प्रकार के लेखापरीक्षक की नियुक्ति की जायेगी।

अग्रेतर, धारा 139 की उप-धारा (5) या (7) के अंतर्गत आने वाली किसी भी कम्पनी के प्रकरण में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी०ए०जी०), यदि आवश्यक समझें, तो एक

<sup>4</sup> बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड।

<sup>5</sup> तीन ऊर्जा क्षेत्र के सा०क्षे०उ० का संदर्भ अध्याय I के फुटनोट 6 तथा 58 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त के सा०क्षे०उ० का संदर्भ **परिशिष्ट 4.2** में है।

<sup>6</sup> भारत सरकार के कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कम्पनी (कठिनाइयों को दूर करना) सातवां आदेश 2014 दिनांक 4 सितंबर 2014।

आदेश द्वारा, ऐसी कम्पनी के लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा करवा सकते हैं तथा नमूना लेखापरीक्षा के प्रतिवेदन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सी0ए0जी0 द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। कम्पनी के 31 मार्च 2014 अथवा उससे पूर्व शुरू होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

### **सांविधिक लेखापरीक्षा**

4. सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है, जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) या (7) के प्रावधानों के अनुसार सी0ए0जी0 द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के तहत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सी0ए0जी0 को प्रस्तुत करते हैं। ये वित्तीय विवरण, अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों के अंदर सी0ए0जी0 द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सी0ए0जी0 एक मात्र लेखापरीक्षक है। बिहार राज्य भंडारण निगम तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम के प्रकरण में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सी0ए0जी0 द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

### **सी0ए0जी0 द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण**

#### **5. समय पर अंतिमीकरण एवं प्रस्तुतीकरण की आवश्यकता**

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 394 एवं 395 के अनुसार, एक सरकारी कम्पनी के कार्य एवं मामलों पर वार्षिक प्रतिवेदन, इसकी वार्षिक आम बैठक (ए0जी0एम0) के तीन महीने के भीतर तैयार की जाएगी एवं इसके बाद जितना जल्दी हो सके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति एवं सी0ए0जी0 द्वारा बनाई गई लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पूरक या किसी भी टिप्पणी के साथ सदन या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों में रखी जाएगी। लगभग इसी तरह के प्रावधान संबंधित सांविधिक निगमों को विनियमित करने के लिये बनाए गए विधानों में भी निहित है। यह तंत्र राज्य के समेकित कोष से कम्पनियों में निवेश किए गए सार्वजनिक धन के उपयोग पर आवश्यक विधायी नियंत्रण प्रदान करता है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुसार प्रत्येक कम्पनी को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार अंशधारकों की ए0जी0एम0 करनी होती है। यह भी निहित है कि दो ए0जी0एम0 के बीच 15 महीनों से ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 यह निर्धारित करती है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त ए0जी0एम0 में उनके विचार करने

के लिए रखा जाना चाहिए। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के गैर अनुपालन के लिए कम्पनी के निदेशकों सहित जिम्मेदार व्यक्तियों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (7) में जुर्माना एवं कारावास का प्रावधान है।

### सरकार एवं विधान मंडल की भूमिका

6. राज्य सरकार संबंधित प्रशासकीय विभागों के द्वारा इन सांकेतिकों के मामलों पर नियंत्रण रखती है। मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक मंडल के निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मंडल सांकेतिकों में सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोग की निगरानी करता है। इसके लिए राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन एवं सीएओजी० की टिप्पणियों के साथ वार्षिक प्रतिवेदन एवं सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जैसा कि अधिनियम 2013 की धारा 394 के अंतर्गत या संबंधित अधिनियमों में निर्धारित किया गया है, राज्य विधान मंडल के सामने रखी जाती है। सीएओजी० के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सीएओजी० की (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के तहत सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

### बिहार सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सांकेतिकों) में निवेश

7. सांकेतिकों में बिहार सरकार की उच्च वित्तीय भागीदारी है। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है :

- अंश पूँजी एवं ऋण:** अंश पूँजी के अंशदान के अतिरिक्त बिहार सरकार सांकेतिकों को समय—समय पर ऋण के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है।
- विशिष्ट वित्तीय सहायता—** बिहार सरकार सांकेतिकों को आवश्यकता पड़ने पर अनुदान एवं अर्थसाहाय्य के रूप में बजटीय सहायता प्रदान करती है।
- गारंटीयाँ—** बिहार सरकार सांकेतिकों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों एवं उनके व्याज के पुनर्भुगतान के लिए गारंटीयाँ भी प्रदान करती है।

8. 31 मार्च 2019 को सांकेतिकों में निवेश का क्षेत्रवार संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

**तालिका 2 : सांकेतिकों में क्षेत्रवार निवेश**

(₹ करोड़ में)


क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियाँ				कुल	निवेश		
	कार्यशील	अकार्यशील	कार्यशील	अकार्यशील		अंश	दीर्घकालिक ऋण	कुल
ऊर्जा	9	—	—	—	9	35,404.65	5,068.55	40,473.20
ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त	वित्त	5	4	1	10	309.06	849.80	1,158.86
	सेवा	3	1	2	6	126.71	2,359.70	2,486.41
	आधारभूत संरचना	11	1	—	12	73.75	3.38	77.13
	अन्य	6	36	—	42	208.03	519.08	727.11
<b>कुल</b>	<b>34</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>—</b>	<b>79</b>	<b>36,122.20</b>	<b>8,800.51</b>	<b>44,922.71</b>

स्रोत : सांकेतिकों से प्राप्त जानकारी तथा सांकेतिकों के वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

सालों में किये गये निवेश का प्रतिबल मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र में था जिसमें ₹ 44,922.71 करोड़ के कुल निवेश में से 90.10 प्रतिशत का निवेश था।

9. 31 मार्च 2017 एवं 31 मार्च 2019 के अंत में ऊर्जा क्षेत्र तथा ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य सालों में निवेश नीचे दिए गए आरेख में दर्शाया गया है:

आरेख 1 : सालों में क्षेत्रवार निवेश



ऊर्जा क्षेत्र में भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रतिवेदन के भाग I<sup>7</sup> में छ: ऊर्जा क्षेत्र सालों के एवं प्रतिवेदन के भाग II<sup>8</sup> में 12 सालों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा के परिणाम प्रस्तुत कर रहे हैं।

<sup>7</sup> भाग I में अध्याय I (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप), अध्याय II (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा) तथा अध्याय III (ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा)।

<sup>8</sup> भाग II में अध्याय IV (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सालों उपक्रमों के क्रियाकलाप) तथा अध्याय V (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सालों उपक्रमों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा)।



# **भाग-I**

## **ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम**



## **अध्याय-I**

**ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप**



## अध्याय I

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के क्रियाकलाप

#### 1. परिचय

1.1 ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना प्रदान करने के अतिरिक्त, यह क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदान प्रदान करता है। ऊर्जा क्षेत्र के साझेहोउ0 के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में इन साझेहोउ0 की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पाँच वर्षों की अवधि के लिए ऊर्जा क्षेत्र के साझेहोउ0 के टर्नओवर एवं बिहार के जी०एस०डी०पी० का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

**तालिका 1.1 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी०एस०डी०पी का विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
टर्नओवर	7,999.54	10,574.59	11,188.95	11,607.25	15,093.67
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	—	32.19	5.81	3.74	30.04
बिहार का जी०एस०डी०पी०	3,42,951.00	3,69,469.00	4,25,888.00	4,87,628.00	5,15,634.00
जी०एस०डी०पी० में पिछले वर्ष के जी०एस०डी०पी० की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	—	7.73	15.27	14.50	5.74
टर्नओवर का बिहार के जी०एस०डी०पी० से प्रतिशत	2.33	2.86	2.63	2.38	2.93

स्रोत : बिहार सरकार के 2018–19 की आर्थिक समीक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर के आंकड़ों के आधार पर।

ऊर्जा क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की टर्नओवर में निरंतर वृद्धि दर्ज की गई है तथा 2014–19 की अवधि के दौरान यह 3.74 प्रतिशत एवं 32.19 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में बिहार के जी०एस०डी०पी० में वृद्धि 5.74 प्रतिशत एवं 15.27 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले चार वर्षों के दौरान जी०एस०डी०पी० का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर<sup>1</sup> 10.73 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जी०एस०डी०पी० के 10.73 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरुद्ध ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में पिछले चार वर्षों के दौरान 17.20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर दर्ज की गई। इससे जी०एस०डी०पी० में इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर की हिस्सेदारी 2014–15 में 2.33 प्रतिशत से बढ़कर 2018–19 में 2.93 प्रतिशत हो गई।

#### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का गठन

1.2 बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (बी०एस०ई०बी०) के विघटन तथा बी०एस०ई०बी० की संपत्तियाँ, परिसंपत्तियाँ, दायित्वों, कार्यवाही तथा मानवशक्ति होल्डिंग कम्पनी सहित पांच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों {यथा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०), साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०), बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड

<sup>1</sup> चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर [ {(2018-19 का मान /2014-15 का मान )^(1/4 वर्ष)} -1]\*100.

(बी०एस०पी०जी०सी०एल०) तथा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०टी०सी०एल०)} में वितरित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य विद्युत सुधार अन्तरण स्कीम 2012 (बी०पी०एस०आर०टी० योजना 2012) तैयार किया (30 अक्टूबर 2012)।

ऊर्जा क्षेत्र की ये पांच कम्पनियाँ 1 नवम्बर 2012 से अस्तित्व में आई तथा बी०एस०ई०बी० की सारी संपत्तियों एवं दायित्वों (अंश पूँजी के ₹ 8,923.26 करोड़ सहित) को बी०पी०एस०आर०टी० योजना 2012 के प्रावधानों के अनुसार इन कम्पनियों में बांटा गया।

दो ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों यथा लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (एल०बी०सी०पी०एल०) तथा पीरपेंती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (पी०बी०सी०पी०एल०) मई 2007 में निगमित हुई तथा बाद में मई 2013 में बी०एस०पी०जी०सी०एल० की अनुषंगी कम्पनी बनी। एक अन्य कम्पनी जिसका नाम बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड है, जनवरी 2013 में बी०एस०पी०एच०सी०एल० तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी०जी०सी०आई०एल०) के संयुक्त उपक्रम के तौर पर निगमित हुई। हालांकि, राज्य सरकार ने इन कम्पनियों में 2018–19 तक कुछ भी पूँजी का निवेश नहीं किया था।

इन आठ कम्पनियों के अतिरिक्त जल विद्युत से ऊर्जा के उत्पादन हेतु ऊर्जा क्षेत्र की एक अन्य कम्पनी<sup>2</sup> 31 मार्च 1982 को ₹ 80 करोड़ की पूँजी के साथ निगमित हुई। अतः, 31 मार्च 2019 को राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की नौ कम्पनियाँ थीं। इन नौ ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में से दो<sup>3</sup> कम्पनियों ने 2018–19 तक व्यावसायिक गतिविधियाँ प्रारंभ नहीं की थीं।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

**1.3** इस अवधि के दौरान बिहार राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कोई भी विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं हुआ था।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश

**1.4** 31 मार्च 2019 को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का गतिविधि—वार सारांश नीचे दिया गया है:

**तालिका 1.2 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में गतिविधि—वार निवेश**

गतिविधि	सरकारी उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)		
		पूँजी	दीर्घकालीन ऋण	कुल
विद्युत का उत्पादन	1	4,812.96	—	4,812.96
विद्युत का संचरण	2	7,932.60	1,596.97	9,529.57
विद्युत का वितरण	2	21,412.61	2,525.06	23,937.67
अन्य <sup>4</sup>	1	1,147.42	438.50	1,585.92
<b>कुल</b>	<b>6</b>	<b>35,305.59<sup>5</sup></b>	<b>4,560.53</b>	<b>39,866.12</b>
सा०क्षे०उ० जो इस प्रतिवेदन <sup>6</sup> में शामिल नहीं है	3	99.06	508.02	607.08
<b>योग कुल</b>	<b>9</b>	<b>35,404.65</b>	<b>5,068.55</b>	<b>40,473.20</b>

**स्रोत :** सा०क्षे०उ० के वार्षिक लेखे तथा सा०क्षे०उ० द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर संकलित।

<sup>2</sup> बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी०एस०एच०पी०सी०एल०)

<sup>3</sup> लखीसराय बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड तथा पीरपेंती बिजली कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड।

<sup>4</sup> बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड। [परिशिष्ट 1.1 का क्रम सं० 6 तथा क्रम सं० 3 (₹ 975.73 करोड़ + (₹ 343.37 करोड़ का 1/2))]

<sup>5</sup> अंश पूँजी में ₹ 35,133.90 करोड़ बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड में किया गया निवेश सम्मिलित है और इसमें इसकी चार अनुषंगी कम्पनियों तथा एक संयुक्त उपक्रम में किया गया पुर्णनिवेश शामिल नहीं है।

<sup>6</sup> इस प्रतिवेदन में तीन सा०क्षे०उ० शामिल नहीं है (बी०एस०एच०पी०सी०एल०, एल०बी०सी०पी०एल० तथा पी०बी०सी०पी०एल०) जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया में थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे।

31 मार्च 2019 तक इस प्रतिवेदन में शामिल छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश (अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) ₹ 39,866.12 करोड़ था। इस निवेश का 88.56 प्रतिशत पूँजी में तथा 11.44 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में था।

राज्य सरकार द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 24.64 प्रतिशत (₹ 1,123.77 करोड़) था, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा दिए गए दीर्घावधि ऋण कुल दीर्घावधि ऋणों का 75.36 प्रतिशत (₹ 3,436.76 करोड़) था। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016–17 के दौरान, राज्य सरकार ने उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना<sup>7</sup> (उदय) के अंतर्गत डिस्कॉम्स के 30 सितम्बर 2015 के कुल बकाया ऋणों (₹ 3,109.06 करोड़) में से ₹ 2,331.78 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया था।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को बजटीय सहायता

**1.5** बिहार सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण तथा शेयर पूँजी में परिवर्तित ऋणों के बजटीय व्यय का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैः—

#### तालिका 1.3 : वर्षों के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों को प्रदत्त बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>8</sup>	2016–17		2017–18		2018–19	
	सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि	सा०क्षे०उ० की संख्या	राशि	सा०क्षे०उ० की संख्या <sup>9</sup>	राशि
अंश पूँजी का बहिर्गमन (i)	1	5,272.04	1	8,970.63	1	5,035.36
दिए गए ऋण (ii)	3	227.24	1	20.75	4	440.78
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	4	6,494.66	3	2,650.49	3	7,521.42
कुल बहिर्गमन (i)+(ii)+(iii)	5	11,993.94	5	11,641.87	5	12,997.56
ऋण का अपलेखन/पुनर्भुगतान	—	—	—	—	—	—
ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन	1	1,197.60	—	—	1	340.55
बकाया गारंटियाँ	3	3,235.63	3	6,011.76	3	3,360.85
गारंटी प्रतिबद्धता	4	8,885.85	4	9,764.69	3	6,200.70

स्रोत : सा०क्षे०उ० के वार्षिक लेखे तथा सा०क्षे०उ० द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर संकलित।


मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय बहिर्गमन का विवरण निम्नलिखित आरेख में दिया गया हैः

<sup>7</sup> डिस्कॉम्स के वित्तीय एवं प्रचालन पुनरुद्धार के लिए ऊर्जा मंत्रालय एवं भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई योजना।

<sup>8</sup> यह राशि केवल राज्य के बजट से निर्गमन दर्शाती है।

<sup>9</sup> बिहार सरकार ने दो डिस्कॉम्स तथा दो अनुषंगियों को उनके होल्डिंग कम्पनी यथा बी०एस०पी०एच०सी०एल० की ओर से प्रत्यक्ष पूँजी जारी की जिसके विरुद्ध इन अनुषंगियों ने अपनी होल्डिंग कम्पनी को अंश जारी किए। अतः जारी की गई सरकारी निधि के लिए, अनुषंगियों की ओर से केवल होल्डिंग कम्पनी को विचारित किया गया है। शेष एक ऊर्जा क्षेत्र का उपक्रम एक संयुक्त उपक्रम है।

### आरेख 1.1 : पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में बजटीय सहायता



वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, इन सार्वजनिक उपक्रमों को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 11,993.94 करोड़ एवं ₹ 12,997.56 करोड़ के बीच थी। वर्ष 2018–19 के दौरान प्राप्त ₹ 12,997.56 करोड़ की बजटीय सहायता में अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी के रूप में क्रमशः ₹ 5,035.36 करोड़, ₹ 440.78 करोड़ तथा ₹ 7,521.42 करोड़ शामिल थे।

इसके अलावा, ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के प्रचालन एवं वित्तीय पुनरुद्धार के लिए उदय योजना प्रारंभ (20 नवम्बर 2015) की। उदय योजना के प्रावधानों एवं दो डिस्कॉम्स के द्वारा योजना के क्रियान्वयन की स्थिति की चर्चा इस अध्याय के कंडिका 1.22 के अंतर्गत की गई है। 2016–17 के दौरान, राज्य सरकार ने 30 सितम्बर 2015 तक डिस्कॉम्स के बकाया ऋणों (₹ 3,109.06 करोड़) में से ₹ 2,331.78 करोड़ (75 प्रतिशत) का अधिग्रहण कर लिया था। अंश पूँजी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पूँजी निवेश तथा विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन था।

सा०क्षें०३० को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी देती है, जिसके लिए गारंटी शुल्क भारित की जाती है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक 05 जुलाई 1974 के अनुसार, अगर गारंटी की रकम ₹ 10 लाख से ज्यादा हो तो सा०क्षें०३० को गारंटी राशि का 1/8 प्रतिशत वार्षिक गारंटी शुल्क देना होता है। तीन सा०क्षें०३०<sup>10</sup> के संबंध में, 31 मार्च 2019 को बकाया गारंटी की राशि ₹ 3,360.85 करोड़ थी। हालांकि, 31 मार्च 2019 तक किसी भी सा०क्षें०३० ने गारंटी शुल्क अदा नहीं की थी।

#### बिहार सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

**1.6** अंश पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य सा०क्षें०३० के अभिलेखों के आंकड़े बिहार सरकार के वित्त लेखे में दर्शाए गए सभी नौ राज्य ऊर्जा क्षेत्र के सा०क्षें०३० के आंकड़ों से मिलने चाहिए। यदि आंकड़े नहीं मिलते हैं, तो संबंधित सा०क्षें०३० एवं वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संदर्भ में 31 मार्च 2019 की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

<sup>10</sup> नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड तथा बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।

**तालिका 1.4 : वित्त लेखों एवं ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार शेयर पूँजी, ऋण तथा बकाया गारंटियां**

(₹ करोड़ में)

निवेश का प्रकार	वित्त लेखों के अनुसार	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार	अंतर
पूँजी	35,597.55	35,232.94	364.61
ऋण	2,209.68	1,362.12	847.56
गारंटियां	3,717.26	3,360.85	356.41

स्रोत : वित्त लेखे एवं सा०क्षे०उ० से प्राप्त सूचना के आधार पर संकलित।

आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से चल रही है। इस अंतर का मिलान करने हेतु समय-समय पर सा०क्षे०उ० / विभागों के समक्ष इस बात को उठाया गया है। अतः हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार तथा सा०क्षे०उ० को इन अंतरों का समाशोधन समयबद्ध तरीके से कर लेना चाहिए।

**ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण**

**ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता**

**1.7** 31 मार्च 2019 तक सी०ए०जी० के लेखापरीक्षा के दायरे में नौ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम थे। 31 दिसम्बर 2019 तक चार कार्यशील सा०क्षे०उ० ने वर्ष 2018–19 का वार्षिक लेखा जमा किया था। 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 दिसम्बर को ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण नीचे दिया गया है:

**तालिका 1.5 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को प्रस्तुत करने की स्थिति**

क्र० सं०	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1.	सा०क्षे०उ० की संख्या	9	9	9	9	9
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	6	6	11	6	14
3.	चालू वर्ष के दौरान लेखाओं को अंतिम रूप देने वाले सा०क्षे०उ० की संख्या	5	1	6	1	4 <sup>11</sup>
4.	पिछले वर्ष के लेखाओं की संख्या जिनके लेखे चालू वर्ष में अंतिम रूप दिया गया	1	5	5	5	10
5.	सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे बकाया थे	4	8	3	8	5
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	23	26	24	27	22
7.	बकाया की अवधि	एक से 14 वर्ष	एक से 15 वर्ष	चार से 16 वर्ष	एक से 12 वर्ष	छ: से आठ वर्ष

स्रोत : 31 दिसम्बर 2019 तक प्राप्त सा०क्षे०उ० के लेखाओं के आधार पर संकलित

<sup>11</sup> ऊर्जा क्षेत्र के दो उपक्रमों यथा बिहार स्टेट पावर होलिडंग कम्पनी लिमिटेड तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 2018–19 के लेखे प्रस्तुत कर दिए थे। हालांकि, समग्र वित्तीय विवरण तैयार न होने के कारण इनके लेखे लौटा दिए गए थे।


### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निष्पादन

**1.8** ऊर्जा क्षेत्र की छः कम्पनियों की वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम का विवरण 31 दिसम्बर 2019 तक के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं<sup>12</sup> के अनुसार **परिशिष्ट 1.1** में दिए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से राज्य सरकार द्वारा इन उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्रदान करना अपेक्षित है। 31 मार्च 2019 तक इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार तथा अन्य के द्वारा कुल निवेश ₹ 39,866.12 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी के रूप में ₹ 35,305.59 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में ₹ 4,560.53 करोड़ थे, जिनका विवरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है। इसमें से, बिहार सरकार ने छः ऊर्जा क्षेत्र के साठें<sup>13</sup> में ₹ 36,257.67 करोड़ का निवेश किया था, जिसमें पूँजी के रूप में ₹ 35,133.90 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के रूप में ₹ 1,123.77 करोड़ थे।

बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान वर्षवार संचयी स्थिति, नीचे दी गई हैः—

**आरेख 1.2 : बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में कुल निवेश**



पारम्परिक रूप से कम्पनी की लाभदायकता निवेश पर प्रतिफल, अंश पूँजी पर प्रतिफल एवं नियोजित पूँजी पर प्रतिफल से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि के अनुपात में विभाजित कर की जाती है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है, जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी कार्यरत पूँजी से मापता है एवं उसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित करके की जाती है। अंश पूँजी पर प्रतिफल निष्पादन का माप है, जिसकी गणना करों के पश्चात हुई शुद्ध लाभों को अंश धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है।

<sup>12</sup> दिसम्बर 2019 तक 2018–19 तक के वर्ष के लेखाओं पर अंतिमीकृत।

<sup>13</sup> बिहार सरकार, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड को उसके अनुषंगियों की ओर से अंश पूँजी जारी किया था। अतः सरकारी निधि प्रदान करने के उद्देश्य से अनुषंगियों के तरफ से केवल होल्डिंग कम्पनी को विचारित किया गया है। शेष पांच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम, अनुषंगियाँ तथा संयुक्त उपक्रम हैं।

### निवेश पर प्रतिफल

**1.9** निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि पर कुल निवेश का प्रतिशत है। 2014–15 से 2018–19 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के साथैसाथौद्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानियां की समग्र स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:


**तालिका 1.6 : लाभ अर्जित/हानियां वहन करने वाले ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम**

वित्तीय वर्ष	ऊर्जा क्षेत्र में कुल साथैसाथौद्वारा अर्जित करने वाले साथैसाथौद्वारा लाभ/हानियां की संख्या	वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले साथैसाथौद्वारा लाभ/हानियां की संख्या	वर्ष के दौरान हानि वहन करने वाले साथैसाथौद्वारा लाभ/हानियां की संख्या	वर्ष के दौरान साथैसाथौद्वारा लाभ/हानि नहीं थे की संख्या जिनके कोई लाभ/हानि नहीं थे
2014–15	6	1	2	3
2015–16	6	1	2	3
2016–17	6	1	4	1
2017–18	6	2	4	—
2018–19	6	2	3	1

### निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर

**1.10** निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर कुल निवेश के वर्तमान मूल्य (पी०भी०) के लाभ या हानि की प्रतिशतता है। 2014–15 से 2018–19 के दौरान सभी ऊर्जा क्षेत्र के साथैसाथौद्वारा लाभ/हानि अर्जित/वहन<sup>14</sup> करने की समग्र स्थिति निम्न आरेख 1.3 में दर्शाया गया है:

**आरेख 1.3 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अर्जित/वहन की गई लाभ/हानि**



इन साथैसाथौद्वारा को 2014–15 में हुई ₹ 966.27 करोड़ की हानि बढ़कर 2018–19 में ₹ 2,535.73 करोड़ हो गई। इस प्रतिवेदन में सम्मिलित साथैसाथौद्वारा के नवीनतम अंतिमीकृत आंकड़ों के अनुसार, दो साथैसाथौद्वारा ने ₹ 172.12 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा तीन साथैसाथौद्वारा को ₹ 2,707.85 करोड़ की हानि हुई तथा एक साथैसाथौद्वारा को कोई लाभ/हानि नहीं हुई (परिशिष्ट 1.1)।

सर्वाधिक लाभ अर्जित करने वाले साथैसाथौद्वारा में बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 147.28 करोड़) एवं बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (₹ 24.84 करोड़) थे। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,813.09 करोड़), नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 595.64 करोड़) तथा बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (₹ 299.12 करोड़) को काफी हानि वहन करनी पड़ी थी।

<sup>14</sup> आंकड़े संबंधित वर्षों के नवीनतम अंतिमीकृत लेखाओं पर आधारित हैं।

### (अ) निवेश के ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल की दर

**1.11** वास्तविक प्रतिफल के दर की गणना, इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में बिहार सरकार, भारत सरकार तथा अन्य द्वारा किये गये कुल निवेश की गणना, अंश पूँजी में ब्याज मुक्त ऋणों का जोड़ तथा प्रति वर्ष के ब्याज मुक्त ऋणों जो बाद में पूँजी/ब्याज वाले ऋणों में बदल दिए गए से घटाकर तथा अनुदान, संचालन तथा मैनेजमेंट व्ययों पर दी गई सब्सिडियों में से विनिवेश को समायोजित कर की गई है।

पूँजी तथा ऋण के रूप में कुल निवेश केवल बिहार सरकार द्वारा किया गया था। 2014–15 से 2018–19 की अवधि का ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर निवेश के वास्तविक प्रतिफल की दर को नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका 1.7 : ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर निवेश के वास्तविक प्रतिफल की दर**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर बिहार सरकार द्वारा पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण तथा अनुदान, सब्सिडी के रूप में किया गया निवेश	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर भारत सरकार द्वारा अनुदान, सब्सिडी के रूप में किया गया निवेश	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर अन्य द्वारा पूँजी तथा अनुदान, सब्सिडी के रूप में किया गया निवेश	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर पूँजी, ब्याज मुक्त ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में कुल निवेश	वर्ष के दौरान कुल आय/हानि	निवेश के वास्तविक प्रतिफल की दर (प्रतिशत में)
2014–15	8,370.18	0	0	8,370.18	−966.27	−11.54
2015–16	15,855.87	0	0	15,855.87	−1,064.07	−6.71
2016–17	21,127.91	0	0	21,127.91	−1,421.18	−6.73
2017–18	30,098.54	0	0	30,098.54	−7,818.40	−25.98
2018–19	35,133.90	0	0	35,133.90	−2,535.73	−7.22

तालिका दर्शाती है कि विगत पाँच वर्षों अर्थात् 2014–15 से 2018–19 के दौरान ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर निवेश के वास्तविक प्रतिफल की दर लगातार ऋणात्मक ही रही है।

### (ब) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर वास्तविक प्रतिफल

**1.12** बिहार सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र की छ: कम्पनियों में अत्यधिक निवेश को देखते हुए राज्य सरकार के दृष्टिकोण से ऐसे निवेश पर प्रतिफल प्राप्त होना आवश्यक है। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण यह निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना में निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अतः, निवेश पर प्रतिफल की गणना निवेशित राशि के वर्तमान मूल्य (पी0भी0) को ध्यान में रखकर की गई है, ताकि बिहार सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता लगाया जा सके। राज्य सरकार के निवेश के पी0भी0 की गणना 31 मार्च 2019 तक की गई, जहां तत्कालीन बिजली बोर्ड के विघटन (2012) के बाद गठित कम्पनियों में अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/दीर्घावधि ऋणों के भुगतान में चूक और पूँजी अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश के पी0भी0 की गणना निम्नलिखित धारणाओं से की गई है:

- ब्याज मुक्त/दीर्घावधि ऋणों के भुगतान में चूक तथा पूँजी अनुदान को राज्य सरकार द्वारा निवेश माना गया है। आगे, उन प्रकरणों में जिनमें सा0क्षे0उ0 को दिए गए ब्याज मुक्त ऋणों को बाद में पूँजी में परिवर्तित किया गया है, को पूँजी

में परिवर्तित ऋण का मूल्य ब्याज मुक्त/डिफाल्टेड ऋण के मूल्य में से घटाकर उस वर्ष की पूँजी में जोड़ा गया है। उदय योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान को छोड़कर राजस्व अनुदानों और सब्सिडियों के रूप में दिए गए धन को निवेश नहीं माना गया है।

- पी0भी0 की गणना हेतु संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>15</sup> के लिए सरकारी ऋणों पर ब्याज की औसत दर को कम्पाउन्ड दर माना गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए गए राशि पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है।

**1.13** ऊर्जा क्षेत्र की छ: कम्पनियों में पूँजी, ब्याज मुक्त/दीर्घावधि ऋणों के भुगतान में चूक तथा पूँजी अनुदान के तौर पर राज्य सरकार के निवेश की स्थिति, कम्पनियों के निगमन से 31 मार्च 2019 तक तथा राज्य सरकार द्वारा इनमें निवेश की 2012–13 से 31 मार्च 2019 तक की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

**तालिका 1.8 : 2012–13 से 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षवार ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई गई अंश पूँजी अनुदान	कुल ब्याज मुक्त/डिफाल्टेड ऋण तथा पूँजी अनुदान	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार के ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल आय <sup>16</sup>
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii=vii* (1+vi/100)	ix=vii* vi/100	x
2012-13	0.00	8,923.96	1,575.29	10,499.25	5.79	10,499.25	11,107.16	607.91	-148.45
2013-14	11,107.16	0.00	3,181.36	3,181.36	6.68	14,288.52	15,242.99	954.47	-367.14
2014-15	15,242.99	0.00	1,221.57	1,221.57	6.59	16,464.56	17,549.57	1,085.01	-966.27
2015-16	17,549.57	6,931.91	1,423.14	8,355.05	6.58	25,904.62	27,609.15	1,704.52	-1,064.07
2016-17	27,609.15	5,272.04	5,218.41	10,490.45	6.42	38,099.60	40,545.59	2,445.99	-1,421.18
2017-18	40,545.59	8,970.63	222.89	9,193.52	6.13	49,739.11	52,788.12	3,049.01	-7,818.40
2018-19	52,788.12	5,035.36	3,077.41	8,112.77	6.18	60,900.89	64,664.57	3,763.68	-2,535.73
<b>कुल</b>	<b>1,64,842.58</b>	<b>35,133.90</b>	<b>15,920.07</b>	<b>51,053.97</b>					

वर्ष के अंत में राज्य सरकार द्वारा इन ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों में निवेशित धन राशि 2012–13 के ₹ 10,499.25 करोड़ से बढ़कर 2018–19 के अंत में ₹ 51,053.97 करोड़ हो गया था, क्योंकि राज्य सरकार ने अंश पूँजी (₹ 26,209.94 करोड़), ऋण (₹ 649.98 करोड़), पूँजी अनुदान (₹ 11,363.02 करोड़) तथा उदय अनुदान (₹ 2,331.78 करोड़) के रूप में अग्रेतर निवेश किया था। राज्य सरकार द्वारा की गई निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 को ₹ 64,664.57 करोड़ हो गया है।

<sup>15</sup> सरकारी उधार पर ब्याज के औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (बिहार सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर की गणना = ब्याज भुगतान/ [(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]\*100.

<sup>16</sup> वर्ष के लिए कुल आय संबंधित वर्ष के शुद्ध आय (लाभ/हानि) को दर्शाता है जो ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित हैं जिनमें पूँजी राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई थी।

यह देखा जा सकता है कि इन सांकेतिकों की कुल आय 2012–13 से 2018–19 के दौरान ऋणात्मक रही, जो यह दर्शाता है कि कम्पनियां निवेशित धन राशि पर प्रतिफल अर्जित करने के स्थान पर सरकार द्वारा निवेशित राशि की लागत को भी वसूल नहीं कर पाई थी। साथ ही, इन वर्षों के दौरान इन्होंने भारी हानियां वहन की है, जो इन्हें व्यावसायिक रूप से अलाभकारी बनाती है। जब ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियां हानि वहन करती हैं, तो निष्पादन को मापने का उचित तरीका इन हानियों के कारण निवल मूल्य में क्षरण है। कम्पनी के निवल मूल्य में क्षरण के बारे में कंडिका 1.14 में बताया गया है।

### **निवल मूल्य का क्षरण**

**1.14** प्रदत्त पूँजी तथा मुक्त कोषों एवं संचित लाभ में से संचित हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय घटाने पर प्राप्त कुल योग निवल मूल्य होता है। वास्तव में यह माप यह बताता है कि क्या एक उपक्रम स्वामियों के लिए मूल्यवान है। एक ऋणात्मक निवल मूल्य यह मापने/जानने का तरीका है कि स्वामियों का समस्त निवेश संचित हानियों एवं स्थगित राजस्व व्यय के द्वारा लुप्त हो गया है।

31 मार्च 2019 को, तीन सांकेतिकों की संचित हानियां ₹ 15,934.17 करोड़ थीं। सभी तीन सांकेतिकों ने वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 2,707.85 करोड़ की हानि वहन की थी। कोई भी सांकेतिकों समापन/बंदी/परिसमापन/सामरिक विनिवेश के अंतर्गत नहीं थे।

2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान हानि वहन करने वाली ऊर्जा क्षेत्र की उपक्रमों (जिनमें बिहार सरकार द्वारा निवेश किया गया था) के प्रदत्त पूँजी, संचित लाभ/हानियां तथा निवल मूल्य को दर्शाने वाली तालिका नीचे दी गई है:

**तालिका 1.9 : 2014–15 से 2018–19 के दौरान हानि वहन करने वाली ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सांकेतिकों की संख्या	वर्ष के अंत में चुकता पूँजी	वर्ष के अंत में संचित लाभ (+)/हानियां (-)	स्थगित राजस्व व्यय	निवल मूल्य
2014-15	2	3,520.17	-3,182.75	-	337.42
2015-16	2	8,013.41	-4,256.36	-	3,757.05
2016-17	4	14,307.16	-5,679.07	-	8,628.09
2017-18	4	23,325.56	-14,791.01	-	8,534.55
2018-19	3	26,225.57	-15,934.17	-	10,291.40

हालांकि, पर्याप्त पूँजी डालने के बावजूद भी, इन ऊर्जा क्षेत्र के सांकेतिकों 2014–15 में ₹ 3,182.75 करोड़ से 2018–19 में बढ़कर ₹ 15,934.17 करोड़ हो गई।

### **लाभांश का भुगतान**

**1.15** राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं की थी, जिसके तहत सभी लाभ अर्जित करने वाले सांकेतिकों को न्यूनतम प्रतिफल देना आवश्यक हो। अपने नवीनतम अंतिमीकृत आंकड़ों के अनुसार, छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में से, दो सांकेतिकों ने 2018–19 के दौरान ₹ 172.12 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया था, पर इनमें से किसी ने लाभांश की घोषणा नहीं की थी। 2014–15 से 2018–19 के दौरान बिहार सरकार द्वारा जिन छ: ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश किया गया था, उनके द्वारा लाभांश के भुगतान की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 1.10 : 2014–15 से 2018–19 के दौरान छः ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल साठेहाई जिनमें बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी का निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले साठेहाई		साठेहाई जिन्होंने वर्ष के दौरान लाभांश का घोषणा /भुगतान किया		लाभांश भुगतान अनुपात (%)
	साठेहाई की संख्या	बिहार सरकार द्वारा निवेशित अंश पूँजी	लाभ अर्जित करने वाले साठेहाई की संख्या	अर्जित लाभ	साठेहाई की संख्या	साठेहाई द्वारा लाभांश घोषणा /भुगतान	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2014-15	6	8,370.18	1	78.07	-	-	-
2015-16	6	15,855.87	1	9.54	-	-	-
2016-17	6	21,127.91	1	1.53	-	-	-
2017-18	6	30,098.54	2	287.94	-	-	-
2018-19	6	35,133.90	2	172.12	-	-	-

2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान, लाभ अर्जित करने वाले साठेहाई की संख्या एक से दो के मध्य थी, पर किसी भी साठेहाई ने बिहार सरकार को लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं की थी। अग्रेतर विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि इन कम्पनियों में से किसी ने भी अपने आरंभ से ही लाभांश की घोषणा/भुगतान नहीं की थी।

#### अंश पूँजी पर प्रतिफल

**1.16** अंश पूँजी पर प्रतिफल (आरोडोई) <sup>17</sup> वित्तीय निष्पादन का माप है, जिससे यह मूल्यांकन किया जाता है कि प्रबंधन द्वारा कम्पनी के संपत्तियों का उपयोग लाभ के सृजन करने हेतु कितने प्रभाव से किया गया। इसकी गणना शुद्ध आय (अर्थात् करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को अंशधारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है तथा इसको प्रतिशत में दर्शाया जाता है। आरोडोई की गणना उन साठेहाई के लिए की गई है, जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया था तथा अंशधारकों की निधि संबंधित वर्षों में धनात्मक थी।

2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान इन ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों<sup>18</sup> के अंशधारकों की निधि तथा आरोडोई का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

**तालिका 1.11 : ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों जिनमें बिहार सरकार द्वारा निवेश किया गया है से संबंधित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष	साठेहाई की संख्या	वर्ष <sup>19</sup> के लिए शुद्ध आय/कुल अर्जित आय (₹ करोड़ में)	अंशधारकों की निधि (₹ करोड़ में)	आरोडोई (प्रतिशत में)
2014-15	5	-218.72	6,939.14	-3.15
2015-16	6	-1,064.07	11,706.09	-9.09
2016-17	6	-1,421.18	15,664.56	-9.07
2017-18	5	-2,786.67	15,573.15	-17.89
2018-19	6	-2,535.73	19,737.08	-12.85

<sup>17</sup> अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर तथा अधिमान लाभांश के बाद कुल लाभ/शेयर पूँजी)\*100 जहां अंश पूँजी = प्रदत्त पूँजी + मुक्त संचय – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।

<sup>18</sup> 2016–17 और 2018–19 के दौरान, आरोडोई की गणना इस प्रतिवेदन में शामिल सभी छः ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लिए की गई है, क्योंकि इन वर्षों के दौरान उनकी अंशधारक निधि धनात्मक थी। 2017–18 के लिए, आरोडोई की गणना बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड को छोड़कर अन्य पांच ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लिए की गई है, क्योंकि उस कम्पनी की अंशधारक निधि के साथ–साथ कुल आय वर्ष के दौरान ऋणात्मक थी।

<sup>19</sup> संबंधित वर्षों के वार्षिक लेखाओं के अनुसार।

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, आरोड़०५० राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों के हानियों में वृद्धि के कारण ऋणात्मक रही थी।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**1.17** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आरोड़००सी०५०) एक अनुपात है, जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है।

आरोड़००सी०५० की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व की आय (ई०बी०आई०टी०) को नियोजित पूँजी<sup>20</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान, इस प्रतिवेदन में शामिल सा०क्षे०उ० के आरोड़००सी०५० का विवरण नीचे तालिका में दी गई है:

**तालिका 1.12 : नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्ष	सा०क्षे०उ० की संख्या	ई०बी०आई०टी० (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	आरोड़००सी०५० (%)
2014-15	3	-706.54	9,353.83	-7.41
2015-16	3	-589.38	16,599.83	-3.55
2016-17	5	-956.32	22,334.80	-4.28
2017-18	6	-7,374.88	22,277.51	-33.10
2018-19	5	-1,643.13	24,297.61	-6.76

2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों का आरोड़००सी०५० –4.28 प्रतिशत से –33.10 प्रतिशत के मध्य रहा क्योंकि तीन सा०क्षे०उ० की ब्याज एवं करों से पूर्व की आय ऋणात्मक थी।

### कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

**1.18** 2014–15 से 2018–19 के दौरान कम्पनियों के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों को चुकाने के लिए कम्पनियों की क्षमता का मूल्यांकन करने हेतु किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया गया है।

### ब्याज व्याप्ति अनुपात

**1.19** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी कम्पनी के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना कम्पनी की ब्याज एवं करों के पूर्व की आय (ई०बी०आई०टी०) को उसी अवधि के ब्याज के खर्चों से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, कम्पनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही थी। 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान प्रतिवेदन में शामिल सा०क्षे०उ० जिनके पास बकाया ऋण थे, के ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

<sup>20</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय एवं अधिशेष + दीर्घावधि ऋण – संचित हानियां – स्थगित राजस्व व्यय। आंकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं, जहां सा०क्षे०उ० के लेखे अंतिमीकृत हैं।

तालिका 1.13 : ब्याज व्याप्ति अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (ई०बी०आई०टी०) (₹ करोड़ में)	सा०क्षे०उ० की संख्या जिनमें सरकार, बैंक एवं वित्तीय संस्थान के ऋण का दायित्व था	सा०क्षे०उ० की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक था	सा०क्षे०उ० की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम था
2014-15	241.21	-803.13	2	0	2
2015-16	472.00	-589.38	3	1	2
2016-17	461.70	-954.50	4	2	2
2017-18	378.37	-2,343.15	5	2	3
2018-19	392.64	-1,344.01	4	2	2

जैसा कि तालिका सं 1.13 के कॉलम 4 तथा 5 में दर्शाया गया है, 2014-15 से 2018-19 के दौरान, ब्याज वाले ऋणों के दायित्व वाले ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या दो से पाँच के बीच में थी जबकि एक से अधिक ब्याज व्याप्ति अनुपात वाले कम्पनियों की संख्या एक से दो के बीच में थी।

2018-19 के दौरान, छ: सा०क्षे०उ० में से चार पर ब्याज वाले ऋणों का दायित्व था, जिनमें से दो<sup>21</sup> सा०क्षे०उ० की ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक थी तथा दो सा०क्षे०उ० के ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक/एक से कम थी। यह दर्शाता है कि ये सा०क्षे०उ० उक्त अवधि के दौरान अपने ब्याज के खर्चे को पूरा करने हेतु जरूरी राजस्व नहीं जुटा सके थे।

#### ऋण—आवर्त्त अनुपात

**1.20** नौ ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के आवर्त्त (टर्नओवर) तथा ऋणों में विगत चार वर्षों में क्रमशः 17.20 प्रतिशत तथा 2.74 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। अतः, ऋण—आवर्त्त अनुपात 2014-15 के 0.51 से 2018-19 में 0.30 हो गया था जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 1.14 : ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित ऋण आवर्त्त अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार/बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से प्राप्त आवर्त्त	4,092.31	5,092.98	6,670.22	6,979.43	4,560.53
आवर्त्त	7,999.54	10,574.59	11,188.95	11,607.25	15,093.67
ऋण आवर्त्त अनुपात	0.51: 1	0.48 : 1	0.60 : 1	0.60 : 1	0.30 : 1

स्रोत : सा०क्षे०उ० से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित

#### राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार विश्लेषण

**1.21** 31 मार्च 2019 को, बिहार सरकार द्वारा चार सा०क्षे०उ० को दिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 177.93 करोड़ का ब्याज बकाया था। बिहार सरकार द्वारा दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार व्यौरा तालिका 1.15 में दर्शाया गया है:

<sup>21</sup> बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड तथा बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड।

### तालिका 1.15 : राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	साझोउ का नाम	ऋण पर बकाया ब्याज (₹ करोड़ में)	एक वर्ष से कम बकाया	एक से तीन वर्ष का बकाया	तीन वर्ष से ज्यादा का बकाया
1	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	121.45	-	121.45	-
2	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	18.75	4.58	14.17	-
3	नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	37.73	21.32	16.41	-
	<b>कुल</b>	<b>177.93</b>	<b>25.90</b>	<b>152.03</b>	<b>-</b>

### उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के अंतर्गत सहायता

1.22 ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम्स) के संचालन एवं वित्तीय पुनरुद्धार के लिए उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना) प्रारंभ (20 नवम्बर 2015) की थी। उदय योजना के प्रावधानों के अनुसार, भाग लेने वाले राज्यों को डिस्कॉम्स के संचालन एवं वित्तीय पुनरुद्धार के लिए निम्नलिखित उपाय करने थे:

#### संचालन क्षमता में सुधार के लिए योजना:

1.22.1 भागीदार राज्यों को विभिन्न लक्षित गतिविधियों जैसे फीडर एवं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर (डी0टी0) की अनिवार्य मीटिंग, कंज्यूमर इंडेक्सिंग एवं हानियों की जी0आई0एस0 मैपिंग, ट्रांसफार्मरों एवं मीटरों का उन्नयन या बदलाव, प्रति माह 200 यूनिट से अधिक उपभोग करने वाले सभी उपभोक्ताओं की स्मार्ट मीटिंग, ऊर्जा कुशल उपकरणों के माध्यम से मांग पक्ष का प्रबंधन, दरों की तिमाही पुनरीक्षण, बिजली की चोरी को रोकने के लिए व्यापक सूचना, शिक्षा एवं संचार अभियान, उन क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति में वृद्धि का आश्वासन जहां संचालन क्षमता में सुधार के लिए ए0टी0 एण्ड सी0 घाटे को कम किया गया है, आदि करना था। इन लक्षित गतिविधियों जैसे फीडर एवं डी0टी0 स्तर पर हानियों को चिन्हित करने की क्षमता, हानि वाले क्षेत्रों की पहचान, तकनीकी नुकसान एवं कटौतियों को कम करना, विद्युत की चोरी को कम करना एवं चोरी को कम करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना, उच्चतम लोड एवं ऊर्जा के उपभोग को कम करना आदि के लिए निर्धारित समयावधि का भी पालन किया जाना आवश्यक था, ताकि लक्षित लाभ की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। परिचालन सुधारों के परिणाम संकेतकों जैसे कि वर्ष 2019–20 में ऊर्जा मंत्रालय एवं राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए हानियों की सीमा के अनुसार ए0टी0 एण्ड सी0 हानि को 15 प्रतिशत तक कम करना, आपूर्ति की औसत लागत एवं औसत राजस्व के बीच के अंतर में कमी करके 2019–20 तक शून्य करने के माध्यम से मापे जाने थे।

#### वित्तीय पुनरुद्धार के लिए योजना

1.22.2 भागीदार राज्यों को 30 सितंबर 2018 तक डिस्कॉम के 75 प्रतिशत ऋणों का अधिग्रहण करने की आवश्यकता थी यथा 2015–16 में 50 प्रतिशत एवं 2016–17 में 25 प्रतिशत। वित्तीय पुनरुद्धार के लिए योजना में अन्य बातों के साथ प्रावधान था कि:

- राज्य “गैर वैधानिक तरलता अनुपात (गैर एस०एल०आर०) ऋणपत्र” जारी करेंगे एवं ऐसे ऋणपत्रों के जारी होने से प्राप्त आय को डिस्कॉम्स को स्थानांतरित कर दिया जाएगा, जो कि बदले में समान राशि के बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त ऋण की राशि का भुगतान कर देंगे। जारी किए गए ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 10–15 वर्ष होगी, जिसमें पाँच वर्ष तक मूलधन पुनर्भुगतान नहीं करने की छूट होगी।
- डिस्कॉम्स का पहले से देय ऋण का अधिग्रहण प्राथमिकता में किया जाएगा तथा इसके बाद उच्च लागत वाले ऋणों का अधिग्रहण किया जाएगा।
- 2015–16 एवं 2016–17 में राज्य द्वारा डिस्कॉम्स को राशि के हस्तांतरण अनुदान के रूप में किया जाएगा। शेष हस्तांतरण को राज्य ऋण के रूप में करते हुए उसे तीन वर्षों तक विस्तारित कर सकते हैं। असाधारण मामलों में, 25 प्रतिशत अनुदान अंश पूँजी के रूप में दिया जा सकता है।

### उदय योजना का कार्यान्वयन

**1.22.3** उदय योजना के कार्यान्वयन की स्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

#### A. परिचालन मापदंडों की उपलब्धि:

उदय योजना के तहत दो राज्य डिस्कॉम्स से संबंधित विभिन्न परिचालन मापदंडों के तहत लक्ष्यों के साथ उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

**तालिका 1.16 : मापदंडवार लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के बारे में 31 दिसम्बर 2019 तक संचालन निष्पादन**

मापदंड	लक्ष्य		उपलब्धि		उपलब्धि (प्रतिशत में)	
	एन०बी०पी०डी० सी०एल०	एस०बी०पी०डी० सी०एल०	एन०बी०पी०डी० सी०एल०	एस०बी०पी०डी० सी०एल०	एन०बी०पी०डी० सी०एल०	एस०बी०पी०डी० सी०एल०
संचालन :						
फीडर मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	1,122	1,041	1,122	1,041	हासिल	हासिल
फीडर मीटरिंग (शहरी) (संख्या में)	217	374	217	374	हासिल	हासिल
वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	34,229	28,693	0	0	0	0
वितरण ट्रांसफॉर्मर्स की मीटरिंग (ग्रामीण) (संख्या में)	3,919	10,523	3,919	11,249	हासिल	हासिल
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	679	667	0	0	0	0
फीडर पृथक्करण (संख्या में)	747	565	688	398	92.10	70.44
200 के०डब्ल्य०एच० से ऊपर स्मार्ट मीटरिंग (संख्या में)	71,566	4,62,288	4,716	1,803	0.07	0.004
असंबंध घरों में विद्युत उपलब्धता (लाख में)	46.01	47.80	51.96	49.02	हासिल	हासिल
उजाला योजना के अंतर्गत एल०ई०डी० का वितरण (लाख में)	39.30	68	85.59	112.01	हासिल	हासिल
वित्तीय :						
बिहार सरकार द्वारा लिया गया ऋण (₹ करोड़ में)	1,826.54	1,282.51	1,826.54	1,282.51	हासिल	हासिल
ए०टी०एंड०सी० हानियों <sup>22</sup> में कमी (प्रतिशत में)	15	15	34.70	34.04	हासिल नहीं	हासिल नहीं
ए०सी०एस०— ए०आर०आर० में अंतर (₹ प्रति यूनिट)	0.07	0.24	0.34	0.78	हासिल	हासिल नहीं
संसमय टैरिफ पुनरीक्षण	संसमय टैरिफ याचिका दाखिल करना					

स्रोत : डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर

<sup>22</sup> कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के तहत तकनीकी हानियों के रूप में संचरण एवं वितरण हानि एवं वाणिज्यिक हानियों में बिल राशि की वसूली न होना तथा वसूली दक्षता की कमी सम्मिलित है।

डिस्कॉम्स ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर मीटरिंग तथा ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा के लिए कार्यवाही प्रारंभ नहीं की है। जबकि शहरी क्षेत्रों में डी0टी0 मीटर उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सके क्योंकि डी0टी0 स्तर पर ऊर्जा खपत का लेखा नहीं किया जा सका। स्मार्ट मीटरिंग के क्षेत्र में भी इनका प्रदर्शन निम्नतर रहा है। 30 सितम्बर 2015 तक यद्यपि बिहार सरकार ने डिस्कॉम्स के 75 प्रतिशत ऋण यथा ₹ 3,109.05 करोड़ (₹ 1,826.54 करोड़ + ₹ 1,282.51 करोड़) का अधिग्रहण कर लिया था, तथापि डिस्कॉम्स का समग्र ऋण ₹ 3,109.05 करोड़ से बढ़कर ₹ 6,856.66 करोड़ (₹ 3,732.01 करोड़ + ₹ 3,124.65 करोड़) हो गया। अग्रेतर, वर्तमान प्रगति की प्रवृत्ति को देखते हुए डिस्कॉम्स द्वारा 31 मार्च 2020 तक ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को 15 प्रतिशत तक कम करने के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करना कठिन होगा।

यह 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स के निष्पादन से भी स्पष्ट हो जाता है जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

**तालिका 1.17 : 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स का प्रदर्शन**

वर्ष	ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में कमी (प्रतिशत में)				विपत्रीकरण दक्षता (प्रतिशत में)		अंतर <sup>23</sup> (ए0सी0एस0– ए0आर0आर0) (₹ प्रति यूनिट)				लाभ / हानि (₹ करोड़ में)	
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0		एस0बी0पी0डी0सी0एल0		एन0बी0पी0	एस0बी0पी0	एन0बी0पी0डी0सी0एल0		एस0बी0पी0डी0सी0एल0		एन0बी0पी0	एस0बी0पी0
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	डी0सी0एल0	डी0सी0एल0	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	डी0सी0एल0	डी0सी0एल0
2014-15	-	35.34	-	45.83	70.50	54.93	-	0.42	-	0.72	-296.81	-747.54
2015-16	40.00	32.98	44.00	46.22	72.61	56.09	1.79	0.38	2.00	0.58	-339.42	-734.17
2016-17	34.00	32.87	38.00	42.75	74.38	64.41	1.25	0.53	1.39	0.68	-294.96	-962.01
2017-18	28.00	34.34	30.00	38.35	79.62	65.20	0.83	0.09	0.85	0.37	-362.22	-2,287.28
2018-19	20.00	27.35	22.00	32.61	76.08	67.71	0.48	0.25	0.34	0.66	-595.63	-1,813.09

स्रोत : उदय डैशबोर्ड तथा डिस्कॉम्स के वार्षिक लेखे

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि डिस्कॉम्स ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में कमी के लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहे। 2018–19 में, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 तथा एस0बी0पी0डी0सी0एल0 20 प्रतिशत तथा 22 प्रतिशत के ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों के लक्ष्य के विरुद्ध क्रमशः 27.35 प्रतिशत तथा 32.61 प्रतिशत ही प्राप्त कर पाये थे। अग्रेतर यह भी प्रेक्षण किया गया कि निम्न विपत्रीकरण दक्षता के कारण डिस्कॉम्स ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में कमी के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। इसके परिणामस्वरूप, 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान डिस्कॉम्स की हानि में वृद्धि हुई।

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं पर टिप्पणियाँ

**1.23** सात ऊर्जा क्षेत्र की कम्पनियों ने 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान अपने 14 लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रधान महालेखाकार को अग्रेषित किया। सभी 14 लेखाओं को अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी0ए0जी0 द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन दर्शाती है कि लेखाओं की गुणवत्ता में सारभूत सुधार करने की आवश्यकता है। 2016–19 के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के सकल मौद्रिक मूल्य का विवरण इस प्रकार है:

<sup>23</sup> अंतर = आपूर्ति की औसत लागत – औसत वसूली राजस्व

आपूर्ति की औसत लागत = कुल व्यय / कुल इनपुट ऊर्जा (इकाईयों में)

औसत वसूली राजस्व = ऊर्जा विक्रय से राजस्व / कुल इनपुट ऊर्जा (इकाईयों में)

**तालिका 1.18 : लेखापरीक्षा टिप्पणियों का ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रभाव  
(₹ करोड़ में)**

क्र० सं०	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1	लाभ में कमी	-	-	1	8.72	1	271.15
2	लाभ में वृद्धि	-	-	1	191.75	1	0.15
3	हानि में वृद्धि	3	112.92	2	15.96	1	87.62
4	हानि में कमी	-	-	1	700.84	-	-
5	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	3	93.42	1	277.96	2	285.92
6	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	2	25.38	1	4.24	1	12.50

स्रोत : सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी0ए0जी0 की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2018–19 के दौरान, वैधानिक लेखापरीक्षकों ने 13 लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सा0क्षे0ज्ञ0 द्वारा लेखा मानकों का अनुपालन कम रहा, क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 10 लेखाओं पर लेखा मानकों के अनुपालन न करने के 61 मामलों का उल्लेख किया था। सी0ए0जी0 ने लेखाओं में गंभीर कमियों के कारण बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 2006–07 से 2009–10, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2017–18 तथा नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 2017–18 के बारे में मंतव्य देने से मना कर दिया था।

**निष्पादन लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं**

**1.24** 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रतिवेदन के भाग—I के लिए, ‘बिहार में शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमों से संबंधित दो अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव को छ: सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी की गई थी। केवल निष्पादन लेखापरीक्षा का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त (नवम्बर 2020) हुआ हैं एवं उसे प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित कर लिया गया हैं। निष्पादन लेखापरीक्षा तथा अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 270.72 करोड़ है।

**बी0एस0ई0बी0 द्वारा देय लेखापरीक्षा शुल्क**

**1.25** विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के खंड 69(2) के प्रावधानों के अनुसार बी0एस0ई0बी0 द्वारा सी0ए0जी0 को देय संचित लेखापरीक्षा शुल्क ₹ 26.28 करोड़ बकाया थी।

**लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही**

**1.26** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाए। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि के अंदर, लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किए बिना प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं/निष्पादन

लेखापरीक्षा का उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करने का निर्देश जारी किया (अप्रैल 2015) था।

#### **कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

1.27 दिसम्बर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा0क्षे0उ0) में ऊर्जा क्षेत्रों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

**तालिका 1.19 : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं दिसम्बर 2019 तक चर्चा किए गए निष्पादन लेखापरीक्षा /कंडिकाएं**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं /कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिकाएं जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएं	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएं
2015-16	02	09	-	-
2016-17	-	03	-	-
<b>कुल</b>	<b>02</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

स्रोत : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू की चर्चा के आधार पर संकलित

#### **कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन**

1.28 दिसम्बर 2013 से नवम्बर 2016 के मध्य राज्य विधायिका में प्रस्तुत की गई कोपू के नौ प्रतिवेदनों में सम्मिलित तीन कंडिकाओं से संबंधित कार्यवाही टिप्पणियाँ (ए0टी0एन0) अप्राप्त (दिसम्बर 2019) थे, जिसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 1.20 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन**

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदन पर कुल अनुशंसाओं की संख्या	अनुशंसाएँ की संख्या जिन पर ए0टी0एन0 अप्राप्त थी
2012-13	-	-	-
2013-14	01	01	01
2014-15	-	-	-
2015-16	01	01	01
2016-17	05	01	01
2017-18	01	-	-
2018-19	01	-	-
2019-20	-	-	-
<b>कुल</b>	<b>09</b>	<b>03</b>	<b>03</b>

स्रोत : बिहार सरकार के संबंधित विभागों से कोपू के अनुशंसाओं पर प्राप्त ए0टी0एन0 के आधार पर संकलित।

कोपू की उपर्युक्त प्रतिवेदनों में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से संबंधित कंडिकाओं पर अनुशंसाएं भारत के सी0ए0जी0 के वर्ष 2005-06, 2008-09 तथा 2009-10 के प्रतिवेदनों में सम्मिलित थीं।

## **अध्याय-II**

### **ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा**



## अध्याय II

### ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

#### 2. “बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण”

##### परिचय

**2.1** विद्युत त्वरित आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है और राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बिहार में 2014–15 तक 20 लाख शहरी उपभोक्ता थे, जो 2018–19 में बढ़कर 31 लाख हो गए थे। इस अवधि के दौरान शहरी उपभोक्ता<sup>1</sup> कुल विद्युत का 28.15 प्रतिशत से 33.25 प्रतिशत तक उपभोग कर रहे थे। ग्राहक आधार में वृद्धि, जीवनशैली में बदलाव और खपत पैटर्न के कारण बिजली की माँग में, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके बिजली वितरण हेतु बुनियादी ढाँचे के निरंतर उन्नयन और निर्माण की आवश्यकता है।

शहरी क्षेत्रों में बिजली वितरण हेतु विद्युत अवसंरचना के उन्नयन और निर्माण के लिए भारत सरकार ने बिजली क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की शुरूआत की। इस संबंध में 2014–15 से 2018–19 की अवधि में भारत सरकार द्वारा दिसम्बर 2008 में आर०ए०पी०डी०आर०पी० और दिसम्बर 2014 में आई०पी०डी०एस० की शुरूआत करना एक महत्वपूर्ण पहल थी।

बिहार राज्य बिजली बोर्ड के पाँच कम्पनियों में विघटित होने के उपरांत, दो डिस्कॉम, अर्थात्, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०) और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०) द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों (एन०बी०पी०डी०सी०एल०–21 जिलों और एस०बी०पी०डी०सी०एल०–17 जिलों) को नवम्बर 2012 से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

बिहार के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए डिस्कॉम्स ने विशेष रूप से निम्नलिखित परियोजनाएँ शुरू की हैं :

**अ. रिस्ट्रक्चर्ड एक्सलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफॉर्म्स प्रोग्राम (आर०ए०पी०डी०आर०पी०)**— भारत सरकार ने, 30,000 से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों (कस्बों/शहरों) के लिए दिसम्बर 2008 में आर०ए०पी०डी०आर०पी० का शुभारंभ किया। योजना का उद्देश्य सकल तकनीकी और वाणिज्यिक (ए०टी० एण्ड सी०)<sup>2</sup> घाटे में स्थायी कमी, सटीक आधारभूत डेटा के निरंतर संग्रह के लिए विश्वसनीय और स्वचालित प्रणालियों की स्थापना तथा ऊर्जा लेखांकन और नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना था। सभी बिजली वितरण परिसंपत्तियों को नक्शांकित करना, सूचकांक बनाना और सभी उपभोक्ताओं को मीटरीकृत करना भी योजना का उद्देश्य था ताकि अंतिम उपभोक्ता तक आपूर्ति

<sup>1</sup> उपभोक्ता की श्रेणी : डी०एस०-II शहरी क्षेत्रों की घरेलू सेवाएँ, एन०डी०एस०-II शहरी क्षेत्रों की गैर-घरेलू सेवाएँ, एस०एस०-स्ट्रीट लाईट सेवाएँ एवं एल०टी०आई०एस०-II निम्न विभव औद्योगिक सेवा।

<sup>2</sup> कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों के तहत तकनीकी हानियों के रूप में संचरण एवं वितरण हानि एवं वाणिज्यिक हानियों में बिल राशि की वसूली न होना तथा वसूली दक्षता की कमी सम्मिलित है।

की गई बिजली का पता लगाना सुनिश्चित किया जा सके, जिससे विपत्रीकरण दक्षता बेहतर हो।

इस योजना को दो भागों में विभाजित किया गया था:

- भाग अ का लक्ष्य ऊर्जा लेखांकन / लेखापरीक्षा और आई0टी0 आधारित उपभोक्ता सेवा केन्द्रों के लिए आद्यारभूत डेटा और आई0टी0 अनुप्रयोगों की स्थापना था।
- भाग ब में वितरण नेटवर्क के नियमित सुदृढ़ीकरण को लक्षित किया गया था। दोनों डिस्कॉम्स के लिए, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत कुल अनुमोदित परियोजना लागत ₹ 1,371.81 करोड़ थी। डिस्कॉम्स ने (नवम्बर 2013 – सितम्बर 2014) आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत नौ संवेदकों<sup>3</sup> (11 कार्य आवंटन पत्र अर्थात् एल0ओ0ए0 शामिल) को टर्न–की आधार पर कार्यावंटन की तिथि से 18 महीने की कार्यावधि (अप्रैल 2015 से अप्रैल 2016) में पूर्ण करने के साथ कार्य आवंटित किया था। यह परियोजना मार्च 2017 तक एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में पूरी हो गई थी, जबकि एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में इसे फरवरी 2018 तक पूरा किया गया था। निष्पादित कार्यमदों में व्यापक भिन्नता थी, जो एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में कुछ मामलों<sup>4</sup> में 48,334 प्रतिशत और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के मामले<sup>5</sup> में 3,143 प्रतिशत के बीच थी जिसका विवरण **परिशिष्ट 2.1 एवं 2.2** में दिया गया है।

**ब. इन्टिग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0)** – भारत सरकार ने दिसम्बर 2014 में एक नई योजना ‘इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम’ (आई0पी0डी0एस0) का शुभारंभ किया था जिसमें आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना के वितरण प्रक्षेत्र की आई0टी0 सक्षमता और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण को अलग घटक के रूप में शामिल कर लिया गया था। इस योजना का उद्देश्य ए0टी0 एण्ड सी0 घाटे में कमी, आई0टी0–सक्षम ऊर्जा लेखांकन / लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना, मीटरीकृत खपत के आधार पर ऊर्जा बिल का सुधार और संग्रहन दक्षता में सुधार करना था। इस योजना को बिहार के 139 सांविधिक शहरों में लागू किया जाना था। एस0बी0पी0डी0सी0एल0 और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के लिए अनुमोदित परियोजना लागत क्रमशः ₹ 1,042.50 करोड़ और ₹ 1,057.99 करोड़ थी। मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति **परिशिष्ट 2.3** में विस्तृत है। 31 मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में 49.09 प्रतिशत और एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में 44.51 प्रतिशत थी।

**स. बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स (बी0पी0एस0आई0पी0)** – सात शहरों में ₹ 177.94 करोड़ की लागत से उप संचरण और वितरण प्रणाली की सुदृढ़ीकरण करना इस परियोजना के तहत एक घटक के रूप में समिलित था। एशियन डेवलपमेंट बैंक (ए0डी0बी0) ने अक्टूबर 2010 में उक्त परियोजना को मंजूरी दी और बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स के तहत संचरण और वितरण प्रणाली सुधार के लिए बिहार सरकार और बिहार राज्य बिजली बोर्ड (बी0एस0ई0बी0) (दो डिस्कॉम के पूर्ववर्ती) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर (जून 2011) किया। मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति **परिशिष्ट 2.4** में विस्तृत है।

<sup>3</sup> एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में कुल टी0के�0सी0 : सात (दो संयुक्त रूप से) एवं एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में कुल टी0के�0सी0 : चार (दो संयुक्त रूप से)।


<sup>4</sup> 11 कें0वी0 लाईन : संवर्धन/पुनर्निर्माण।

<sup>5</sup> फीडर पुनर्निर्माण एवं संवर्द्धन।

### आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० के तहत गतिविधि प्रक्रिया

**2.2** योजना के निर्माण, अनुमोदन और कार्यान्वयन में विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाएँ नीचे दिये गये आरेख में दिखाया गया है :

#### आरेख 2.1 : आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० के तहत गतिविधि प्रक्रिया का कार्य प्रवाह



### परियोजना वित्तपोषण तंत्र

**2.3** आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना के भाग अ को भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत ऋण के साथ वित्तपोषित किया जाना था। इस योजना के भाग ब को भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत ऋण के साथ वित्तपोषित किया जाना था और शेष धनराशि को वित्तीय संस्थानों यानि पी०एफ०सी०/बहु-पार्श्व वित्तीय संस्थानों और/या अपने संसाधनों से जुटाना था।

आई०पी०डी०एस० का वित्तपोषण 60 प्रतिशत राज्य सरकार को भारत सरकार से अनुदान के द्वारा, 10 प्रतिशत डिस्कॉम/राज्य सरकार द्वारा और 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों या स्वयं के निधियों से ऋण के रूप में किया जाना था।

बी०पी०एस०आई०पी० योजना का वित्तपोषण ए०डी०बी० द्वारा बिहार राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड (बी०एस०पी०एच०सी०एल०) को 86 प्रतिशत ऋण के रूप में विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सीधे भुगतान करके तथा 14 प्रतिशत बिहार सरकार द्वारा बी०एस०पी०एच०सी०एल० को ऋण के रूप में देकर किया जाना था।

### संगठनात्मक स्थापना

**2.4** बी०ए०पी०ए०च०सी०ए०ल० दोनों डिस्कॉम की होल्डिंग कम्पनी है जो ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। बी०ए०पी०ए०च०सी०ए०ल० और डिस्कॉम्स का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संबंधित निदेशक मंडल, अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक (बी०ए०पी०ए०च०सी०ए०ल०) और प्रबंध निदेशक (डिस्कॉम्स) में निहित हैं। दिन-प्रतिदिन के कार्यों का संचालन प्रबंध निदेशक, जो डिस्कॉम्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, द्वारा किया जाता है जिन्हें निदेशक (परियोजना), मुख्य अभियंता, कार्यकारी अधीक्षण अभियंता परियोजना (मुख्यालय) और मुख्य अभियंता (एरिया बोर्ड), अधीक्षण अभियंता और कार्यपालक अभियंताओं जो डिस्कॉम्स मुख्यालय और क्षेत्र इकाइयों में तैनात हैं, द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

### राज्य सरकार की भूमिका

**2.5** आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना के कार्यान्वयन के लिए 09 मार्च 2010 को भारत सरकार, पी०एफ०सी०, बिहार सरकार और पूर्ववर्ती बी०ए०स०ई०बी० के बीच एक चतुष्पक्षीय समझौता किया गया था।

- भारत सरकार को योजना के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल एजेंसी नामित करना, नोडल एजेंसी के माध्यम से यूटिलिटीज के लिए धन प्रदान करना, परियोजनाओं को सूत्रीकरण करने/लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करना और आर०ए०पी०डी०आर०पी० के क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एम०ओ०पी०/संचालन समिति के माध्यम से विभिन्न अनुमोदन प्रदान करना था।
- पी०ए०फ०सी० को नोडल एजेंसी के रूप में आर०ए०पी०डी०आर०पी० के तहत एकल-खिड़की सेवा के रूप में तेजी से और समय पर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए नामित किया गया था और इस प्रकार इसे नुकसान कम करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यूटिलिटीज को सहायता प्रदान करना था।
- यूटिलिटी (डिस्कॉम्स) को भाग अ परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, भाग ब परियोजनाओं का डी०पी०आर० तैयार करना और टर्न-की आधार पर इसे क्रियान्वित करना था।
- राज्य सरकार को यह दायित्व लेना था कि यूटिलिटी द्वारा चूक के मामले में, यूटिलिटी के सभी बकाये राज्य को देय केन्द्रीय योजना सहायता से वसूल लिये जाने हेतु उत्तरदायी होंगे।

आई०पी०डी०ए०स० के लिये पी०ए०फ०सी०, राज्य सरकार और दोनों डिस्कॉम्स के बीच अलग-अलग 11 दिसम्बर 2015 को दो त्रिपक्षीय समझौते किये गये थे। त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार राज्य सरकार को योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार अंशदान के साथ-साथ ऋणदाताओं से ऋण के लिए डिस्कॉम्स को सुविधा प्रदान करना था। सब-स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि प्रदान करना और अन्य अनिवार्य मंजूरी प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करना था।

चतुष्पक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुसार, बिहार सरकार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक वितरण सुधार समिति (समिति) का गठन किया जाना था। समिति को डिस्कॉम द्वारा तैयार किए गए डी०पी०आर० को आर०ए०पी०डी०आर०पी०/आई०पी०डी०ए०स० के लिए संवीक्षा करके दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा तैयार की गई परियोजनाओं की सिफारिश करना था।

राज्य योजना के लिए, राज्य और बी०ए०स०ई०बी० को ए०डी०बी० के ऋण अनुबंध में निर्धारित दायित्वों, जहां तक वो राज्य और बी०ए०स०ई०बी० पर लागू हों, का निष्पादन करना था। राज्य और बी०ए०स०ई०बी० को आवश्यकतानुसार शीघ्र परियोजना को

पूरा करने के लिए ऋण की उपलब्धता के अलावा, आवश्यक धन, सुविधाएँ, सेवाएँ, उपकरण, भूमि और अन्य संसाधन उपलब्ध कराने थे।

### लेखापरीक्षा उद्देश्य

**2.6** निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या :

- बिहार के शहरी क्षेत्र में केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण करने का समग्र उद्देश्य प्राप्त किया गया था;
- योजनाओं / कार्यों का क्रियान्वयन कुशल, आर्थिक और प्रभावी तरीके से किया गया था;
- वित्तीय प्रबंधन और योजनाओं के तहत धन का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों के पालन में किया गया था, और डिस्कॉम की संपोषणीयता के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन मौजूद था तथा;
- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी निगरानी और नियंत्रण तंत्र मौजूद था।

### लेखापरीक्षा मापदंड

**2.7** लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के आकलन हेतु निम्नलिखित लेखापरीक्षा मापदंड पर विचार किया गया था :

- आर०ए०पी०डी०आर०पी० / आई०पी०डी०एस० / बी०पी०एस०आई०पी० के लिए कार्यालय ज्ञापन और दिशा-निर्देश;
- बिहार वित्त नियमावली 2005 और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश;
- टैरिक आदेश और बी०ई०आर०सी० द्वारा जारी अन्य विनियमन;
- भारत सरकार / पी०एफ०सी० / राज्य सरकार और पी०एफ०सी० द्वारा जारी दिशा-निर्देश / निर्देश / परिपत्र, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच निष्पादित त्रिपक्षीय समझौते;
- डिस्कॉम की खरीद / मरम्मत और रख-रखाव नीति;
- संवेदकों के साथ कार्य आवंटन / समझौते का पत्र;
- डिस्कॉम के निदेशक मंडल (बी०ओ०डी०) की बैठकों के एजेंडा नोट और कार्यवृत्त; तथा
- इन योजनाओं के काम के संबंध में वितरण सुधार समिति और जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक के कार्यवृत्त।

### लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं कार्यपद्धति

**2.8** यह निष्पादन लेखापरीक्षा अक्टूबर 2019 से जनवरी 2020 तक योजनाओं की संकल्पना और क्रियान्वयन एवं निश्चित किए गये उद्देश्यों के संदर्भ में इसकी उपलब्धियों के निष्पादन के आकलन के दृष्टि से किया गया था। डिस्कॉम्स मुख्यालय, उनके क्षेत्र इकाइयों और ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार में उपलब्ध दस्तावेजों / सूचनाओं की जाँच के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014–15 से 2018–19 की अवधि को समाविष्ट किया गया था।

कार्यपद्धति में, 15 अक्टूबर 2019 को आयोजित प्रवेश सम्मेलन जिसमें प्रबंधन को लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को बताना, रिकॉर्ड और संबंधित दस्तावेजों की जाँच, प्रारम्भिक लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जारी करना, स्थल निरीक्षण, लाभार्थी सर्वेक्षण और प्रबंधन के साथ चर्चा करने के उपरांत 12 अगस्त 2020 को प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार और प्रबंध निदेशक के साथ एक निकास सम्मेलन आयोजित करना शामिल था।

### प्रतिचयन

**2.9** शहरी क्षेत्रों के वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण की योजना यानी आर0ए0पी0डी0आर0पी0 और आई0पी0डी0एस0 16 विद्युत आपूर्ति अंचल (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में नौ और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में सात) के 139 शहरों में लागू किया गया था। शहरों का प्रतिचयन 2001 से 2011 की जनगणना से जनसंख्या के अंतर, ए0 टी0 एण्ड सी0 हानि, परियोजना लागत और शहरों के औसत भार के आधार पर किया गया था। स्तरीकृत यादृच्छिक प्रतिचयन हेतु शहरों को तीन स्तरों में स्तरीकृत किया गया था और प्रत्येक स्तर से तीन शहरों को यादृच्छिक तरीके से यानी कुल नौ शहरों को चुना गया था। इन शहरों के विद्युत अंचल और विद्युत प्रमंडल को लेखापरीक्षा के लिए चुना गया था। राज्य योजना<sup>6</sup> के अलावा आर0ए0पी0डी0आर0पी0 और आई0पी0डी0एस0 के क्रियान्वयन के आकलन के लिए नौ शहरों (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में पाँच और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में चार), सात विद्युत आपूर्ति अंचल (एस0बी0पी0डी0सी0एल0 में चार और एन0बी0पी0डी0सी0एल0 में तीन) और नौ विद्युत आपूर्ति प्रमंडल का चयन किया गया है।

सात विद्युत आपूर्ति अंचलों के इन नौ शहरों में उक्त तीन योजनाओं के तहत ₹ 1,578.70 करोड़ (₹ 3,650.24 करोड़ की कुल अनुमोदित डी0पी0आर0 लागत का 43.25 प्रतिशत) की अनुमोदित डी0पी0आर0 लागत की परियोजनाएँ थीं।

प्रत्येक चयनित अंचल से एक/दो शहरों और प्रत्येक चयनित शहर से पच्चीस लाभार्थियों को लाभार्थी सर्वेक्षण के लिए चुना गया था। योजनाओं के तहत प्रत्येक चयनित शहर में निर्मित एक पावर सब-स्टेशन को परिचालन पहलू के अध्ययन के लिए भी चुना गया था।

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार, डिस्कॉम्स के मुख्यालय कार्यालयों, विद्युत अधीक्षण अभियंता (ई0एस0ई0) के संबंधित अंचलों और विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालयों में योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा के दौरान देखे गये थे।

### अभिस्वीकृति

**2.10** लेखापरीक्षा डिस्कॉम्स और उनके अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता हेतु आभार प्रकट करता है।

### लेखापरीक्षा परिणाम

**2.11** लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

### उद्देश्यों के परिप्रेक्ष्य में समग्र उपलब्धि


सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियाँ

**2.11.1** सकल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (ए0टी0 एण्ड सी0) हानियाँ ऊर्जा हानियों (तकनीकी हानियाँ, चोरी और विपत्रीकरण की अक्षमता) और वाणिज्यिक हानियों (भुगतान में चूक और संग्रहण में अक्षमता) का योग है। ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में कमी आर0ए0पी0डी0आर0पी0 और आई0पी0डी0एस0 योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक थी। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना का उद्देश्य स्थायी तौर पर ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को 15 प्रतिशत से कम करना था।

<sup>6</sup> बी0पी0एस0आई0पी0 योजना को प्रत्येक डिस्कॉम्स के दो अंचलों जिनमें एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के तीन और एन0बी0डी0सी0एल0 के चार शहर शामिल थे, में कार्यान्वित किया गया था।

एन०बी०पी०डी०सी०एल० और एस०बी०पी०डी०सी०एल० के 67 आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहरों में 2015–16 से 2018–19 के दौरान ए०टी० एण्ड सी० हानियों की वर्षवार स्थिति का विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 2.5 एवं 2.6** में दर्शाया गया है। 67 शहरों में 2018–19 के दौरान ए०टी० एण्ड सी० हानियों को नीचे आरेख में दर्शाया गया है :

#### आरेख 2.2: आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहरों में ए०टी० एण्ड सी० हानियाँ



स्रोत : डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त आँकड़े

उपरोक्त आरेख से, यह स्पष्ट है कि एस०बी०पी०डी०सी०एल० के केवल दो शहर 2018–19 तक ए०टी० एण्ड सी० हानि के बांछित लक्ष्य अर्थात् 15 प्रतिशत से नीचे के स्तर को प्राप्त कर पाये थे। एस०बी०पी०डी०सी०एल० के 22 शहरों में ए०टी० एण्ड सी० हानियाँ 30 प्रतिशत से अधिक थीं।

यद्यपि एन०बी०पी०डी०सी०एल० का कोई भी शहर ए०टी० एण्ड सी० हानियों के अपेक्षित स्तर को प्राप्त नहीं कर पाया था और इसके 10 शहरों की ए०टी० एण्ड सी० हानियाँ 30 प्रतिशत से अधिक थीं। एस०बी०पी०डी०सी०एल० का प्रदर्शन एन०बी०पी०डी०सी०एल० की तुलना में खराब था। इसका कारण 15 शहरों (जहाँ कि छः शहरों में ए०टी० एण्ड सी० हानियाँ 45 प्रतिशत से अधिक थीं) में आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना का पूरा न होना और एस०बी०पी०डी०सी०एल० के शेष शहरों में आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना का विलम्बित क्रियान्वयन था। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि एस०बी०पी०डी०सी०एल० के छः शहरों में आधारभूत आंकड़ों की तुलना में ए०टी० एण्ड सी० हानियों में वृद्धि दर्ज की गयी थी (**परिशिष्ट 2.6**)।

इन छः शहरों में से, एक शहर (बड़हिया) लेखापरीक्षा के प्रतिचयन में था। इस शहर की विपत्रीकरण दक्षता केवल 25.61 प्रतिशत थी। लेखापरीक्षा ने भौतिक सत्यापन में आर०ए०पी०डी०आर०पी० के क्रियान्वयन के पश्चात भी भौतिक संरचना की खराब स्थिति, टोका फंसाने की घटनायें (अनाधिकृत टैपिंग को दर्शाते) पायीं, जैसा कि नीचे चित्र में दिखाया गया है :



लखीसराय शहर में आर०ए०पी०डी०आर०पी० योजना के क्रियान्वयन के बाद तारों एवं सर्विस वायर की स्थिति

विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, लखीसराय के सामने टोका फंसाने का दृष्टांत

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2020) कि शहरी क्षेत्रों के लिए आर0ए0पी0डी0आर0पी0 योजना बनाते समय, यह दिशानिर्देशों में भाग अ के पहली परियोजना की समाप्ति के एक वर्ष बाद से प्रत्येक वर्ष के लिए सम्पूर्ण डिस्कॉम्स स्तर पर ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में कमी के लिए निम्न लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्णित किया गया है। संगठन ने वर्ष 2016 में भाग अ परियोजना को पूरा किया है।

- 30 प्रतिशत से अधिक ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों वाले डिस्कॉम : प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की कमी
- 30 प्रतिशत से कम ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों वाले डिस्कॉम : प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत की कमी

इसके अलावा, बिहार के विभिन्न शहरों में उच्च ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों का मूल कारण सघन आबादी वाले क्षेत्रों और संकरी गलियों में पुराने जीर्ण शीर्ण तारों और एल0 टी0 लाइन में नंगे तारों के होने के कारण सीधे टोका फंसाने/सीधे टैपिंग से बिजली की चोरी की अधिक प्रवृत्ति होना था।

विभाग को ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को 15 प्रतिशत से कम करने के अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कदम उठाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा, डिस्कॉम के ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में कमी, परियोजना शहरों के ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों पर निर्भर करती है, जिसमें खराब उपलब्धि दिखाई देती थी। कुछ शहरों के मामले में, आधारभूत आंकड़ों की तुलना में ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों में वृद्धि दर्ज हुई, जिनके गहन जाँच की आवश्यकता थी। जहाँ तक पुराने जीर्ण शीर्ण तारों और एल0टी0 लाइन के नंगे तारों के कारण उच्च तकनीकी नुकसान की बात है, इसके लिए योजना निर्माण के चरण में ही इनकी परिकल्पना किया जाना आवश्यक था और इसके लिए परियोजना में पहले स्थान पर इसके लिए व्यवस्था करने की आवश्यकता थी।

### खराब विपत्रीकरण दक्षता

**2.11.2** उच्च कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक<sup>7</sup> हानियों के प्रमुख कारणों में से एक आपूर्ति की गयी ऊर्जा का अदक्ष विपत्रीकरण था। 2015–16 से 2018–19 की अवधि के दौरान 67 आर0ए0पी0डी0आर0पी0 शहरों के विपत्रीकरण दक्षता की स्थिति को **परिशिष्ट 2.5 एवं 2.6** में दर्शाया गया है। 2018–19 के दौरान आर0ए0पी0डी0आर0पी0 शहरों की विपत्रीकरण दक्षता नीचे दी गई है :

**तालिका 2.1 : आर0ए0पी0डी0आर0पी0 शहरों की विपत्रीकरण दक्षता**

डिस्कॉम	2018–19 के दौरान विपत्रीकरण दक्षता				
	50% से कम	50% से 70%	70% से 90%	90% से ज्यादा	कुल
एस0बी0पी0डी0सी0एल0	4	17	13	1	35
एन0बी0पी0डी0सी0एल0	1	9	22	0	32
कुल	5	26	35	1	67

स्रोत : डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त आंकड़े

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 67 शहरों में से केवल एक शहर में विपत्रीकरण दक्षता 90 प्रतिशत से ऊपर थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों को कम करने के लिए विपत्रीकरण दक्षता बढ़ाने के बजाय, डिस्कॉम्स का प्रदर्शन और अधिक खराब हो गया था क्योंकि 67 में से 13 शहरों में 2015–16 की तुलना में 2018–19 में विपत्रीकरण दक्षता में कमी का रुझान दिखा था (**परिशिष्ट 2.5 एवं 2.6**)। इस प्रकार, डिस्कॉम्स उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई कुल ऊर्जा का विपत्र देने में विफल रहे थे, जिसे शहरी क्षेत्रों के उच्च ए0टी0 एण्ड सी0 हानियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

<sup>7</sup> वाणिज्यिक हानि = विपत्रीकरण दक्षता × संग्रहण दक्षता

लेखा परीक्षा ने 50 प्रतिशत से अधिक ₹०८० एण्ड सी० हानियों वाले पाँच चयनित शहरों के विपत्रीकरण आँकड़ों से पाया कि चार शहरों (बड़हिया, बिहारशरीफ, सासाराम, नरकटियागंज) में, जहाँ प्रमंडल अपने 80 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण कर रहे थे, विपत्रीकरण दक्षता 50 प्रतिशत से कम थी (विशेष रूप से बड़हिया जहाँ विपत्रीकरण दक्षता केवल 25 प्रतिशत थी)। यह बिजली की चोरी के उच्च खतरे का संकेत था क्योंकि विपत्रीकृत उपभोक्ताओं का दायरा बहुत कम नहीं था। अग्रेतर और अधिक उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण की गुंजाइश भी कम है और इस कारण से विभाग को मामले की गहन जाँच करने की आवश्यकता है ताकि इन शहरों में न्यून विपत्रीकरण दक्षता की समस्या को सुलझाया जा सके। एक शहर (बिक्रम गंज) में जहाँ उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण 50 प्रतिशत से कम पाया गया, उसमें सुधार की आवश्यकता है।

विभाग ने अपने उत्तर में कहा कि दोनों डिस्कॉम्स ने पिछले तीन से चार वर्षों में विपत्रीकरण दक्षता बढ़ाने में प्रगति दिखाई है। दोनों डिस्कॉम्स भविष्य में विपत्रीकरण दक्षता 90 प्रतिशत पर बनाए रखने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं।

हालाँकि 67 में से 31 शहरों में विपत्रीकरण दक्षता अभी भी 70 प्रतिशत से कम है और 67 में से 13 शहरों के विपत्रीकरण दक्षता में कमी का रुख देखा गया है। विभाग को उन शहरों पर ध्यान देना चाहिए जहाँ अधिकांश उपभोक्ताओं के विपत्रीकरण के बावजूद उच्च ₹०८० एण्ड सी० हानियाँ थीं।

**उच्च ₹० टी० एण्ड सी० हानियाँ डिस्कॉम्स के भारी हानियाँ वहन करने का मुख्य कारण हैं।** लेखा परीक्षा ने पाया कि खराब विपत्रीकरण दक्षता डिस्कॉम्स के ₹० टी० एण्ड सी० हानियों में मुख्य रूप से योगदान करते हैं। लेखा परीक्षा ने पाया कि ऐसे क्षेत्र थे जहाँ विपत्रीकरण दक्षता, कम्पनी द्वारा अधिकांश उपभोक्ताओं का विपत्रीकरण करने के बावजूद, खराब थी जोकि इन क्षेत्रों में चोरी की बड़ी संभावना को दर्शाते हैं। डिस्कॉम्स को ऐसे क्षेत्रों में विपत्रीकरण दक्षता को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।

### सूचना प्रौद्योगिकी-सक्षम ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना

**2.11.3** ऊर्जा लेखांकन और नियमित वितरण सुदृढ़ीकरण के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाना आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० योजना के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा नहीं किये जा रहे थे। यह पाया गया कि ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा नहीं किये जाने का मुख्य कारण मीटरिंग का अभाव, फीडर/डी०टी०/एच०टी० मीटर द्वारा आंकड़ों का गैर-संचार और जी०आई०एस० आंकड़ों एवं इंडेक्सिंग का अद्यतन न होना था। ऊर्जा लेखांकन और लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक विभिन्न घटकों की स्थिति आगे प्रस्तुत की गई है:

#### स्मार्ट मीटर की स्थापना न होना

**2.11.3.1** आई०पी०डी०एस० के दिशानिर्देशों के अनुसार, सरकारी प्रतिष्ठानों और ऐसे शहरों, जहाँ आर०ए०पी०डी०आर०पी० के तहत स्काडा लागू किया गया था, के उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर प्रदान करने की आवश्यकता थी। डिस्कॉम ने आई०पी०डी०एस० योजना के तहत बिहार में 18 लाख स्मार्ट मीटर (प्रीपेड मोड पर) के स्मार्ट मीटरिंग समाधान के क्रियान्वयन के लिए रुचि की अभिव्यक्ति (ई०ओ०आई०) आमंत्रित की (दिसम्बर 2017)। बाद में, कृषि उपभोक्ताओं के लिए इसके दायरे को 5.50 लाख स्मार्ट मीटर से बढ़ा दिया गया।

एनर्जी इफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ई०ई०एस०एल०) और डिस्कॉम्स के बीच स्मार्ट मीटरिंग समाधान के क्रियान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

गए (अगस्त 2018)। तत्पश्चात, ई०ई०एस०एल० को सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से, समझौते पर हस्ताक्षर करने की तारीख से चरणबद्ध तरीके से 18 महीने के भीतर स्मार्ट मीटिंग समाधान (ए०एम०आई०) को क्रियान्वित करना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के 29 माह बीतने के पश्चात जनवरी 2021 में ई०ई०एस०एल० के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

प्रेक्षण को स्वीकार करते हुए, ऊर्जा विभाग ने कहा (सितम्बर 2020) कि परियोजना में देरी हुई क्योंकि बिहार सरकार ने प्रीपेड मोड पर पूरे राज्य में स्मार्ट मीटिंग समाधान को लागू करने का निर्णय लिया था।

### **फीडर/डी०टी०/एच०टी० मीटर द्वारा आंकड़ों का संचार न करना**

**2.11.3.2** आई०टी० सक्षमता से संबंधित आर०ए०पी०डी०आर०पी० भाग अ के प्रणाली के लिए आवश्यक विशिष्टीकरण (एस०आर०एस०) दस्तावेजों के अनुसार, ऊर्जा लेखांकन और लेखापरीक्षा प्रतिवेदन बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वचालित तरीके से बनाये जाने थे। इसके अतिरिक्त, प्रणाली द्वारा ए०टी० एण्ड सी० हानियों, उच्च विभव (एच०टी०) हानियों, बस-बार हानियों, सब-स्टेशन हानियों, वितरण ट्रांसफार्मर हानियों की गणना भी की जानी थी।

मार्च 2019 के दौरान विभिन्न मीटरों द्वारा आंकड़ों के संचार की स्थिति निम्न प्रकार थी:

#### **तालिका 2.2 : विभिन्न मीटरों द्वारा आंकड़ों के संचार की स्थिति**

डिस्कॉम	विवरण	33 के०भी० फीडर	11 के०भी० फीडर	डी०टी० मीटर	एच०टी० मीटर
एस०बी०पी०डी०सी०एल०	मीटरों की कुल संख्या	140	364	4,857	460
	आंकड़ों का संचार कर रहे थे	33	63	149	370
	प्रतिशतता	23.57 %	17.31 %	3.07 %	80.43 %
एन०बी०पी०डी०सी०एल०	मीटरों की कुल संख्या	62	213	3,235	180
	आंकड़ों का संचार कर रहे थे	9	33	318	122
	प्रतिशतता	14.52 %	15.49 %	9.83 %	67.78 %

स्रोत : डिस्कॉम्स द्वारा प्रदत्त आंकड़े

उपरोक्त तालिका यह दर्शाती है कि फीडर और डी०टी० मीटरों द्वारा आंकड़ों के संचार की स्थिति बहुत खराब थी। मॉडम द्वारा आंकड़ों का संचरण न होने के कारण न तो ऊर्जा का लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन स्वचालित तरीके से उत्पन्न हो पा रही थी, न ही इन हानियों की गणना स्वचालित तरीके से की जा सकी थी और न ही ए०टी० एण्ड सी० हानियों की गणना के लिए इनका उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा, वितरण ट्रांसफॉर्मरों को उपभोक्ताओं के साथ सम्बद्ध किए जाने की आवश्यकता थी ताकि डी०टी० स्तर पर ऊर्जा लेखांकन किया जा सके। यह डिस्कॉम्स को नुकसान वाले क्षेत्रों की पहचान में भी सहायता करती।

लेखापरीक्षा द्वारा नमूना में चयनित शहरों में पाया गया कि कई स्थानों पर डी०टी० मीटर खराब थे उदाहरण के तौर पर बांका शहर में 72 डी०टी० मीटरों में से नौ, पटना सिटी में 260 में से 144 और मुंगेर शहर के 280 में से 279 बिना मोडेम के थे। डी०टी० में ऊर्जा आगमन और निर्गमन को रिकॉर्ड करने के लिए कोई स्वचालित या मानवीय व्यवस्था नहीं थी। यह भौतिक निरीक्षण से भी साबित हुआ जैसा कि आगे दिये गये चित्रों में दिखाया गया है। इसके अलावा, चूँकि उपभोक्ताओं को डी०टी० के साथ सम्बद्ध नहीं किया गया था, डी०टी० स्तर पर ऊर्जा लेखांकन नहीं किया जा सका, भले ही प्रत्येक डी०टी० का मीटर पठन मानवीय रूप से लिया गया हो। इस प्रकार, डी०टी० द्वारा आंकड़ों के संचार की कमी, डी०टी० के साथ उपभोक्ताओं का सम्बद्ध न होने के कारण ऊर्जा का लेखांकन/लेखा परीक्षा नहीं किया जा सकता था और नुकसान/चोरी बाहुल्य क्षेत्रों की पहचान नहीं की जा सकी थी। इस कारण से, डी०टी० मीटर स्थापित करने का उद्देश्य ₹ 41.42 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं किया जा सका।



डी०टी० मीटर, मीटरिंग इकाई और उनके मॉडेम की स्थिति, बड़हिया शहर

विभाग ने अपने उत्तर में कहा (सितम्बर 2020) कि उनके मीटर डेटा एकवीजिशन सिस्टम (एम०डी०ए०एस०) भागीदार के साथ एक आंतरिक मुद्दे के कारण सैडी/सैफी<sup>8</sup> और मीटर संचार प्रतिवेदन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ था। यह भी कहा गया कि एम०डी०ए०एस० के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सलाहकार से कई बार अनुरोध किया गया था, लेकिन वे इसके लिए एक टीम तैनात करने में विफल रहे। इस कारण से, परियोजना के वित्तीय समापन के समय एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 58 लाख और एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 2.96 करोड़ की राशि रोक ली गई थी। इसके अलावा कहा गया कि एस०आर०एस० (नोडल एजेंसी, पी०एफ०सी०, द्वारा जारी) में एक प्रावधान उल्लिखित है, जिसके अनुसार मीटर डेटा प्रबंधन के लिए आंकड़ों का संचार न होने की स्थिति में मानवीय रूप से मीटर के आंकड़े को दर्ज किया जा सकता है। सत्यापित फीडर मीटर आंकड़े क्षेत्र में पदस्थापित अधिकारियों द्वारा ई—मेल द्वारा भेजा जाता है जिसे मानवीय रूप से दर्ज किया जाता है।

विभाग का जवाब स्वयं पुष्टि करता है कि मीटर से आंकड़ों का संचार खराब था और आंकड़े मानवीय रूप से दर्ज किए जा रहे थे। इस प्रकार आई०टी० सक्षम स्वचालित आंकड़े संग्रह करने और तदुपरांत ए० टी० एण्ड सी० हानियों की गणना द्वारा प्रभावी निगरानी एवं उन्हें कम करने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।

ए० टी० एण्ड सी० हानियों को कम करने के लिए डिस्कॉम्स को 100 प्रतिशत डी०टी० मीटरिंग, डी०टी० के साथ उपभोक्ताओं के टैगिंग करना, डी०टी० स्तर तक ऊर्जा की लेखा परीक्षा, क्षेत्र कार्यालयों के लिए हानियों को कम करने के लक्ष्य को निर्धारित करना, अभियान चलाना, स्मार्ट मीटर लगाना इत्यादि महत्वपूर्ण कदम उठाने की आवश्यकता थी। तथापि, आज तक डिस्कॉम्स इन उपायों को पूरी तरह से लागू करने में विफल रहे हैं।

### **जी०आई०एस०—आधारित डाटाबेस के साथ नई परिसम्पत्तियों/उपभोक्ताओं का एकीकृत न होना**

**2.11.3.3** एस०आर०एस० के अनुसार, एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी०आई०एस०) आधारित सूचकांक डाटाबेस होनी चाहिए जिसमें ग्राहकों की जानकारी ढंग से संरक्षित हो जिसके लिए उपभोक्ताओं को कोडित और 11 के०भी० फीडरवार, वितरण ट्रांसफॉर्मरवार और 33 / 11 के०वी० सब स्टेशनवार अलग—अलग करने की आवश्यकता है ताकि ऊर्जा लेखांकन में कोई समस्या न हो।

इसके अलावा, यह सुनिश्चित करने के लिए सम्पत्ति और उपभोक्ताओं के जी०आई०एस० संग्रह आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहरों में योजना के क्रियान्वयन के पश्चात भी अद्यतन बने रहे, डिस्कॉम्स को एक तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता थी ताकि प्रणाली में नियमित बदलाव को शामिल किया जा सके। इसके लिए डिस्कॉम्स को अपनी सुविधानुसार या तो अपने स्रोतों से या फिर बाह्य स्रोतों से यह कार्य करना था।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डिस्कॉम ने जी०आई०एस० डेटाबेस (जो कि अंतिम बार आर०ए०पी०डी०आर०पी० के भाग अ की समाप्ति के समय जून 2016 में अद्यतन हुई थी) के अद्यतन के लिए कोई तंत्र विकसित नहीं किया था। आई०पी०डी०एस० और अन्य विद्युतीकरण योजनाओं के तहत लगायी गई नई परिसम्पत्तियाँ प्रणाली में एकीकृत नहीं

<sup>8</sup> औसत प्रणाली व्यवधान की अवधि/आवृत्ति सूची।

हुई थीं। यह देखा गया कि पटना में आई०पी०डी०एस० के तहत नवनिर्मित सात पावर सब स्टेशन (पी०एस०एस०) स्काडा के साथ एकीकृत नहीं हुए थे। इस प्रकार, स्काडा के लाभ, जैसे गुणवत्तापूर्ण बिजली की आपूर्ति और दोषों की त्वरित पहचान और बिजली की त्वरित बहाली जैसे लाभ नए पी०एस०एस० के क्षेत्रों तक नहीं पहुंचाये जा सके थे। इस प्रकार नई परिसम्पत्तियों के एकीकृत नहीं होने के कारण आई०टी० प्रणाली के क्रियान्वयन के उद्देश्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे थे।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2020) कि परियोजना के कार्यक्षेत्र के अनुसार आई०टी० सलाहकार ने एक बार परिसम्पत्तियों का मानचित्रण और उपभोक्ताओं को सूचीबद्ध किया था। आगे यह कहा गया कि फीडर और डी०टी० स्तर पर ए०टी० एण्ड सी० हानियों के सटीक आंकलन के लिए जी०आई०एस० के माध्यम से नेटवर्क का अद्यतन होना आवश्यक है। इस बिंदु को डिस्कॉम्स द्वारा उठाया गया है और आई०पी०डी०एस० योजना के तहत आई०पी०डी०एस० शहरों में विद्युत नेटवर्क के लिए जी०आई०एस० लागू करने का प्रावधान किया गया है।

### **आई०पी०डी०एस० शहरों में ई०आर०पी० और आई०टी० अनुप्रयोग**

**2.11.3.4** आई०पी०डी०एस० शहरों में आई० टी० अनुप्रयोग<sup>9</sup>, आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत आई०टी० सक्षम ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा प्रणाली का एक प्रमुख घटक था। आई०टी० क्रियान्वयन के तहत एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए कुल 40 शहरों और एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए 23 शहरों का चयन किया गया था। आई०पी०डी०एस० योजना के अन्तर्गत ई०आर०पी० और आई०टी० अनुप्रयोग के विरुद्ध उपलब्ध शून्य थी क्योंकि इसको लागू करने के लिए एन०आई०टी० को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी था। परिणामस्वरूप, डिस्कॉम आई०पी०डी०एस० शहरों में भी आई०टी० सक्षम ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित करने में विफल रहे। इसके अलावा, ई०आर०पी० और आई०टी० अनुप्रयोग के कार्य के दायरे की अनिश्चितता के कारण डिस्कॉम मार्च 2020 तक एल०ओ०ए० जारी करने में भी विफल रहे। इस कारण पी०एफ०सी० ने डिस्कॉम की आई०टी० एवं ई०आर०पी० परियोजना को रद्द कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 40.95 करोड़ के अनुदान का नुकसान हुआ।

विभाग ने (सितम्बर 2020) लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा कि पहले किए गए आई०टी० और ई०आर०पी० निविदाओं को रद्द कर दिया गया था और बाद में ई०आर०पी०, जी०आई०एस० और क्षेत्र कार्यालयों और आंकड़ा संग्रहण केन्द्र के लिए हार्डवेयर क्रय के लिए अलग-अलग निविदा आमंत्रित किये गये थे और आई०टी० सक्षम भाग के लिए क्रय हेतु कार्यावंटन सितम्बर 2020 में किये गये हालाँकि ई०आर०पी० और जी०आई०एस० के क्रियान्वयन के लिए कार्य का आवंटन होना अभी भी बाकी है।

**अनुशंसाएँ :**

**डिस्कॉम्स को :**

- उचित ऊर्जा लेखांकन सुनिश्चित करने के लिए मीटरों द्वारा आंकड़ों के गैर-संचार के संबंध में सुधारात्मक कार्रवाई करना चाहिए, और
- हानि वाले क्षेत्रों की पहचान के लिए विश्वसनीय और गंभीर प्रयास करना चाहिए और विपत्रीकरण दक्षता को बढ़ाकर ए०टी० एण्ड सी० हानियों को कम करना चाहिए।

### **विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में कमी**

**2.12** उपरोक्त के अलावा, ए०टी० एण्ड सी० हानियों में वांछित कमी न होने का एक कारण विद्युत अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना और

<sup>9</sup> शहरों में ई०आर०पी० क्रियान्वयन एवं अतिरिक्त हार्डवेयर, परिसम्पत्तियों का जी०पी०एस० आधारित जी०आई०एस० सर्वेक्षण और डी०सी०/डी०आर० एवं ग्राहक सेवा केन्द्र के साथ एकीकरण इत्यादि शामिल है।

कार्यान्वयन में कमियाँ भी थी। आगे के अनुच्छेद में परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन में पायी गई कमियों पर चर्चा की गई है।


### योजना निर्माण में खामियाँ

**2.12.1** डिस्कॉम्स अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले जिलों में परियोजनाओं के सूत्रीकरण, विकास एवं क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी थे। योजनाओं (आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस०) में पी०एफ०सी० के दिशा-निर्देशों, विशिष्टिकरण, निर्माण मानकों के अनुरूप प्रणाली योजना, निरूपण और अभियंत्रिकी और स्वीकृत बोली प्रक्रिया के अनुसार क्रय शामिल था। डिस्कॉम्स ने आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० योजना के कार्यान्वयन के लिए कमशः डी०पी०आर० और आवश्यकता आकलन दस्तावेज (एन०ए०डी०) तैयार किया था।

आई०पी०डी०एस० के क्रियान्वयन हेतु डिस्कॉम्स को उप संचरण और वितरण नेटवर्क के कुशल प्रबंधन के लिए उपभोक्ता मिश्रण, खपत पैटर्न, वोल्टेज विनियमन, ए०टी० एण्ड सी० हानि स्तर, उच्च विभव और निम्न विभव अनुपात, ट्रांसफॉर्मर और फीडर/तार पर अनुकूलतम भार, प्रतिक्रियाशील शक्ति प्रबंधन, पावर फैक्टर सुधार, निष्पादन का मानक इत्यादि और अन्य कार्यरत योजनाओं जैसे प्रासंगिक मानकों पर विचार कर महत्वपूर्ण अंतर/कमियों की पहचान करना था। आगे, दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्य कार्यों के अलावा, डिस्कॉम्स को चोरी बाहुल्य इलाकों में एरियल बंच केबुल लगाना था। पी०एफ०सी० द्वारा विधिमान्य कार्य के व्यापक दायरे के आधार पर, डिस्कॉम्स को विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और कार्य के विभिन्न मदों हेतु नवीनतम दरों की अनुसूची के आधार पर विश्वसनीय डी०पी०आर० तैयार करना था।

डिस्कॉम्स ने आवश्यकता आकलन दस्तावेज तैयार किया और उसे पी०एफ०सी० की मंजूरी के लिए प्रस्तुत (फरवरी 2015) किया। पी०एफ०सी० की सिफारिशों के आधार पर, डी०पी०आर० तैयार किया गया जिसकी जाँच राज्य वितरण सुधार समिति (जून 2015) द्वारा की गई थी। इसकी स्वीकृति पी०एफ०सी० द्वारा दी गई (जुलाई 2015)। इसकी प्रक्रिया को नीचे चित्रित किया गया है :

आरेख 2.3 : आई०पी०डी०एस० कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य प्रवाह



इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिस्कॉम ने वास्तविक सर्वेक्षण किए बिना लगाने वाली वस्तुओं की मात्रा का आकलन प्रत्याशित जनसंख्या वृद्धि के कारण अपेक्षित आधारभूत संरचना के वृद्धि में से उपलब्ध आधारभूत संरचना को कम कर किया था। जैसा कि ऊपर के कार्यप्रवाह चित्र में दिखाया गया है कि वास्तविक सर्वेक्षण कार्य निष्पादन से ठीक पहले संवेदक द्वारा किया गया था। चूँकि सर्वेक्षण डिस्कॉम्स द्वारा नहीं किया गया था, इसलिए कार्यान्वयन का सही स्थान डी०पी०आर० में वर्णित नहीं था और इसे डिस्कॉम्स के अंचल/प्रमंडल कार्यालयों और टर्न—की संवेदकों के विवेक पर छोड़ दिया गया था। चूँकि स्थापित किए जाने वाले विद्युत अवसंरचना के स्थानों का पता नहीं था इसलिए अनापत्ति प्रमाण पत्र, भूमि अधिग्रहण आदि के रूप में आने वाली अड़चनों का पता काम के निष्पादन के दौरान चल सका था। इस वजह से योजना के क्रियान्वयन में देरी हुई थी।

जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, टर्न—की संवेदकों को, कार्य में उल्लिखित मदों के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करना था। टी०के०सी० द्वारा कार्य की मात्रा का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण के आधार पर डिस्कॉम्स को कार्यान्वित होने वाली प्रत्येक वस्तु की मात्रा को निर्धारित (फ्रिज) करना था। लेखापरीक्षा ने डिस्कॉम्स के दस्तावेजों में पाया कि कार्य की जाने वाली मात्रा को टर्नकी संवेदक के आवश्यकतानुसार कई बार निर्धारित किया गया था; जो वस्तुओं की मात्रा में, डी०पी०आर० मात्रा से भिन्नता का कारण बना और जिसके कारण एक से पाँच महीने तक की देरी हुई। एस०बी०पी०डी०सी०एल० को कार्यान्वित किए जाने वाले कार्य की वास्तविक मात्रा को निर्धारित करना अभी तक बाकी था।

इससे यह पता चलता है कि डी०पी०आर० केवल लागत का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए बनाया गया था क्योंकि कार्यान्वित की जाने वाली मदों का निर्धारण डिस्कॉम्स द्वारा केवल कार्यान्वयन के समय किया गया था और अनुबंध हेतु मदों का दर संवेदकों द्वारा दी गई बोली के अनुसार ली गई थी, क्योंकि इसे एक टर्न—की संविदा<sup>10</sup> के माध्यम से कार्यान्वित किया गया था। अतः कार्यान्वयन के लिए न हीं डी०पी०आर० में दर्ज मात्रा और न हीं दर का प्रयोग किया गया था।

चूँकि योजना निर्माण के समय सर्वेक्षण नहीं किया गया था और स्थानों की प्राथमिकता तय नहीं की गई थी, मुंगेर और लखीसराय शहरों में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि एरियल बंच केबुल बिछाने के कार्य को मनमाने ढंग से किया गया था। जैसे कि दरभंगा, मुंगेर, जमालपुर और लखीसराय के चोरी बाहुल्य इलाकों में एरियल बंच केबुल बिछाने का कार्य नहीं किया गया था, जिसे नीचे चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार एन०ए०डी०/डी०पी०आर० को तैयार करने के लिए अपनायी गई कार्य प्रणाली कुशल नहीं थी जिसके कारण संसाधनों का अदक्ष प्रयोग हुआ।



दरभंगा और मुंगेर के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में एरियल बंच केबुल का कार्यान्वयन नहीं किया जाना

<sup>10</sup> कार्य के निष्पादन के लिए पूर्ण रूप से एक अनुबंध किया गया था और संवेदक द्वारा दिए गए निर्दिष्ट दर का प्रयोग किए गए कार्य के भुगतान के लिए किया गया।



जमालपुर और लखीसराय के सघन आबादी वाले क्षेत्रों में एरियल बंच के बुल का कार्यान्वयन नहीं किया जाना।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2020) कि क्षेत्रों का सर्वेक्षण शहर तक ही सीमित था और क्षेत्र में तैनात सभी विद्युत आपूर्ति अधिकारी अतिभारित डी०टी०, फीडर और चोरी बाहुल्य क्षेत्र से पूरी तरह से अवगत थे। इसलिए क्षेत्र सर्वेक्षण की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं थी।

विभाग ने अपने संशोधित उत्तर (नवम्बर 2020) में कहा कि एक पी०एफ०सी० द्वारा विशेष टेम्प्लेट जारी किया गया था जिसमें स्थान वर्णित करने का प्रावधान नहीं था। वितरण प्रणाली की गतिशील प्रकृति और काम के वास्तविक निष्पादन में देरी के कारण, कार्य निष्पादन के दिन जो भी जमीनी हकीकत व्यवहारिक रूप से अस्तित्व में हो, के अनुसार स्थान/स्थल और किए जाने वाले कार्य के मार्ग (Route) की पहचान कर उसका अंतिमीकरण किए जाने हेतु समझौते में व्यापक सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया था।

विभाग का जवाब मान्य नहीं है। योजना निर्माण स्तर पर आवश्यक सर्वेक्षण का अभाव, स्थलों का पहले पहचान नहीं करना, मदों की मात्राओं को बारम्बार निर्धारित करना आदि परिहार्य विलंब और योजना के जैसे-तैसे कियान्वयन में परिणत हुआ जैसा कि आगे की अनुच्छेदों में बताया गया है।

### अनियोजित क्षमता वृद्धि

**2.12.2** आर०ए०पी०डी०आर०पी० के क्रियान्वयन के बाद की आवश्यकताएँ यह निर्दिष्ट करती है कि वितरण ट्रांसफॉर्मर (डी०टी०) जिनकी क्षमता का उपयोग 30 प्रतिशत से कम हो, की क्षमता में कमी किया जाना चाहिए था जबकि अतिभारित वितरण ट्रांसफॉर्मर/फीडर (80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत अतिभारित) के भार को स्थानांतरित किया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने टांसफार्मरों की वितरण भार और उसके अनुरूप आवश्यक आधारभूत संरचना की जाँच की। 31 मार्च 2020 तक की अधिकतम माँग, वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का उपयोग और पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता का विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दी गई है। डिस्कॉम्स द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑकड़ों की जाँच में पाया गया कि डिस्कॉम्स उपलब्ध वितरण नेटवर्क के क्षमता में समीक्षात्मक अंतरों की पहचान करने में विफल रहे। नतीजतन अतिरिक्त क्षमता का निर्माण बेमेल था जिसकी चर्चा नीचे की गई है :

(i) इस तथ्य के बावजूद कि 131 में से 99 शहरों में सुदृढ़ीकरण (अप्रैल 2014) से पहले की विद्युत अवसंरचना 2019–20 की अधिकतम माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त (80 प्रतिशत भार से नीचे) थी, 1,346.95 एम०भी०ए० पावर ट्रांसफॉर्मर की अतिरिक्त क्षमता का निर्माण इन शहरों के लिए किया गया (**परिशिष्ट 2.7**)। इसी प्रकार, 42 शहरों में सुदृढ़ीकरण (अप्रैल 2014) से पहले वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 2019–20 की चरम माँग को पूरा करने के लिए पर्याप्त (80 प्रतिशत भार से नीचे)

थी, फिर भी इन शहरों के लिए 444.40 एम०भी०ए० वितरण ट्रांसफॉर्मर के अतिरिक्त क्षमता का निर्माण किया गया था।

(ii) 131 शहरों में से 75 शहरों में आधारभूत संरचना का कम उपयोग हो रहा था। 10 शहरों में विद्युत ट्रांसफॉर्मर पर अधिकतम भार 10 प्रतिशत से कम था (मधुबन में 5.50 प्रतिशत से कम) जबकि 65 शहरों में यह 10 से 30 प्रतिशत के बीच था। इसी तरह, 28 शहरों में वितरण ट्रांसफॉर्मर पर भार, अधिकतम भार के 30 प्रतिशत से कम था।

(iii) यह भी देखा गया कि 31 मार्च 2020 को 10 शहरों में वितरण ट्रांसफॉर्मर अपनी क्षमता से 80 प्रतिशत (गोगरी जमालपुर) से लेकर 298 प्रतिशत (बिहट) तक अधिक भारित थे। 31 मार्च 2020 को इसी प्रकार चार शहरों में पावर ट्रांसफॉर्मर पर क्षमता का 80 प्रतिशत से अधिक भार (बिहट और खुसरूपुर में 105 प्रतिशत) था (परिशिष्ट 2.7)।

(iv) पावर ट्रांसफॉर्मर (पी०टी०) और वितरण ट्रांसफॉर्मर (वी०टी०) की क्षमता के बीच मेल नहीं था। 46 शहरों में वितरण ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता, पावर ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता के 50 प्रतिशत (मधुबन में यह 12 प्रतिशत तक) से कम था, जबकि 32 शहरों में वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता पावर ट्रांसफॉर्मर की क्षमता से अधिक (372 प्रतिशत तक बिहटा में) था।

इस प्रकार मौजूदा पावर सब—स्टेशनों के साथ वितरण ट्रांसफॉर्मरों की क्षमता का ठीक से विश्लेषण नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कुछ शहरों में विद्युत अवसंरचना की क्षमता का कम इस्तेमाल हो रहा था और उसी समय कुछ अन्य शहरों में विद्युत अवसंरचना पर ज्यादा भार था। यह अनियोजित क्षमता सृजन तथा संसाधनों के आदर्श उपयोग में कमी को दर्शाता है।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2020) में कहा कि आई०पी०डी०ए० से के तहत शहरों को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था : अ) प्रमंडलीय शहर, ब) जिला शहर और स) अन्य शहर। प्रमंडलीय शहरों के लिए आवश्यकताओं का आकलन करते समय दोनों प्राथमिकता यानि गुणवत्ता और विश्वसनीयता के साथ—साथ निर्बाध बिजली की आपूर्ति को ध्यान में रखा गया था। अतः सब—स्टेशन में पर्याप्त क्षमता का प्रावधान इस बात का ध्यान रखते हुए किया गया था कि उसी सब—स्टेशन के अन्य ट्रांसफॉर्मर के रख—रखाव/दोष के समय निर्बाध बिजली की आपूर्ति जारी रखी जा सके। एक अन्य मापदण्ड जिसको ध्यान में रखा गया था, वह था 11 के०वी० स्तर पर रिंग—मेन<sup>11</sup> प्रणाली को लचीला रखना। इन उद्देश्यों तथा तीन से चार वर्षों के अनुमानित भार वृद्धि के साथ, विद्युत उप—स्टेशनों की क्षमता की योजना बनायी गयी थी। बिहार के प्रधान शहरों के आस पास वाणिज्यिक गतिविधियाँ बढ़ने की उम्मीद है और इन बुनियादी ढाँचे के माध्यम से संबंधित भार वृद्धि को अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है।

विभाग का उत्तर काम करने के बाद विचार कर दिया हुआ प्रतीत होता है क्योंकि डी०पी०आर० में प्रमंडलीय शहरों या जिला स्तरीय शहरों के लिए ऐसा कोई भेद वर्णित नहीं था। आगे, आँकड़ों से पता चलता है कि डी०टी०/पी०टी० और अधिकतम विद्युत मांग के अनुसार बेगुसराय और खगड़िया जैसे शहरों में डी०टी०/पी०टी० पर भार उसकी क्षमता से अधिक था। जबकि निकटवर्ती शहरों में डी०टी०/पी०टी० की क्षमता का उपयोग 10 प्रतिशत से कम था।

<sup>11</sup> ब्रेक डाउन के मामले में भार को रिंग मेन बनाने वाले अन्य 11 के०वी० फीडर पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

जहाँ तक रिंग-मैन प्रणाली का सवाल है, हालाँकि यह प्रणाली वांछनीय है लेकिन उस प्रणाली को काम करने के लिए पावर सब-स्टेशन में अतिरिक्त क्षमता होना चाहिए ताकि एक क्षेत्र के सब-स्टेशन की विफलता की स्थिति में इसका भार दूसरे सब-स्टेशन पर स्थानांतरित किया जा सके। हालाँकि उन मामलों में जहाँ सब-स्टेशन का पी0टी0 पहले से ही अतिभारित थे, एक क्षेत्र के भार को दूसरे में स्थानांतरित करना संभव नहीं था।

**क्षमतावृद्धि की वजह से अतिरिक्त हुई सम्पत्तियों के उपयोग हेतु कोई योजना नहीं होना**

**2.12.3** बिहार वित्तीय नियमावली 2005, के नियम 131 टी में यह प्रावधान है कि विभाग नई खरीद करते समय मौजूदा पुरानी सम्पत्तियों का व्यापार कर सकता है। इसके अलावा, सामान्य वित्तीय विवेक के अनुसार, अन्य स्थानों के लिए नई खरीद के स्थान पर क्षमतावृद्धि के कारण अतिरिक्त हुए सम्पत्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि शहरी क्षेत्रों में विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण संबंधी योजनाओं के तहत क्षमतावृद्धि के कारण अतिरिक्त हुए इन सम्पत्तियों के उपयोग/निस्तारण के लिए डिस्कॉम्स द्वारा कोई योजना नहीं बनाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत वितरण ट्रांसफॉर्मरों (डी0टी0) के क्षमतावृद्धि के कारण 200 के0भी0ए0 क्षमता के 2,038 डी0टी0 और 100 के0भी0ए0 क्षमता के 1,504 डी0टी0 अतिरिक्त हो गये थे। फिर भी, आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत डिस्कॉम्स ने ₹ 45.67 करोड़ की लागत से 200 के0भी0ए0 क्षमता का 2,195 डी0टी0 और 100 के0भी0ए0 क्षमता का 703 डी0टी0 खरीदा और विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया। यदि कम्पनी ने क्षमतावृद्धि के कारण अतिरिक्त सम्पत्तियों के उपयोग/निपटान हेतु कोई योजना तैयार किया होता तो अतिरिक्त क्रय से बचा जा सकता था। भौतिक निरीक्षण के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि अतिरिक्त बचे हुए पावर ट्रांसफॉर्मर प्रमंडल कार्यालयों में एक साल से अधिक से निष्क्रिय पड़े हुए थे जैसा कि नीचे दिये गये चित्रों में दिखाया गया है :

	
<p>मुंगेर के बिन्दवारा पी0एस0एस0 से 5 एम0भी0ए0 का पावर ट्रांसफॉर्मर हटाया गया पर उसे स्टोर में स्थानांतरित नहीं किया गया और दो साल से अधिक समय तक वहीं सड़ जाने के लिए छोड़ दिया गया था।</p>	<p>लखीसराय के कार्यानन्द पी0एस0एस0 में 5 एम0भी0ए0 का हटाया गया पावर ट्रांसफॉर्मर नवम्बर 2018 से निष्क्रिय पड़ा हुआ था।</p>

विभाग ने अपने उत्तर में (नवम्बर 2020) कहा कि चूँकि क्षमतावृद्धि के बाद अतिरिक्त हुआ ट्रांसफॉर्मर पहले से ही चालू स्थिति में थे, इसलिए इनका उपयोग खराब हुए ट्रांसफॉर्मर के स्थान पर किया जाता है, जो अंततः ट्रांसफॉर्मर की खरीद/मरम्मत पर होने वाले खर्च के बोझ को कम करता है। आम तौर पर इसे निपटान हेतु रद्दी (स्क्रैप) नहीं माना जाता है। यह डिस्कॉम्स के दिन-प्रतिदिन के काम काज का हिस्सा रहा है, तथापि लेखापरीक्षा द्वारा किए गए टिप्पणियों के प्रकाश में, वितरण कम्पनी इस नैत्यक कामकाज को लिखित रूप से अपने नीति के रूप में शामिल करेगी।

उत्तर पुष्टि करता है कि कम्पनी ने क्षमतावृद्धि के कारण अतिरिक्त हुई सम्पत्तियों के उपयोग के लिए कोई योजना नहीं बनायी थी। इसके अलावा, चूँकि ये अतिरिक्त सम्पत्तियाँ सरकारी अनुदान से बनायी गई थीं, इसलिए इन सम्पत्तियों के विरुद्ध कोई मूल्य ह्रास (परिसम्पत्तियों के प्रतिस्थापन के लिए) प्रदान नहीं किया जाना था। इसलिए सरकार और कम्पनी के लिए यह आवश्यक है कि इन सम्पत्तियों के उचित उपयोग, निपटान और प्रतिस्थापन के लिए योजना बनाने पर विचार करें।

#### अनुशंसाएँ :

##### डिस्कॉम्स को

1. प्रत्येक शहर के लिए, उस शहर के माँग और तत्कालीन अवसंरचना की क्षमता को ध्यान में रखते हुए विद्युत अवसंरचना की क्षमता में वृद्धि/कमी करना चाहिए;
2. सरकारी अनुदान से प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों के उचित उपयोग, निपटान और प्रतिस्थापन हेतु मामले को सरकार के साथ उठाना चाहिए;
3. सामान्य परिपाठी में वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर डी०पी०आर० तैयार करना चाहिए ताकि आनेवाली कठिनाईयों और किये जाने वाले कार्य की मदों का निर्धारण वास्तविक कार्यान्वयन के पहले किया जा सके; तथा
4. जैसे—तैसे फैले नंगे तारों के जाल से उत्पन्न होने वाले जोखिम हेतु सुरक्षा अंकेक्षण कराना चाहिए।

#### परियोजना प्रबंधन

**2.13** डिस्कॉम्स के मुख्यालय में अभिलेखों की जाँच और कार्य के निष्पादन के दौरान पायी गई कमियों की चर्चा नीचे की गई है :

##### आर०ए०पी०डी०आर०पी० परियोजनाओं का कार्यान्वयन

**2.13.1** डिस्कॉम्स ने आर०ए०पी०डी०आर०पी० के तहत नौ टर्न-की संवेदकों<sup>12</sup> (11 कार्य आवंटन पत्र) को टर्न-की आधार पर ₹ 1,371.81 करोड़ की लागत पर कार्य आवंटित किया (दिसम्बर 2012–सितम्बर 2014)। कार्य आवंटन पत्र (एल०ओ०ए०) के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय 18 महीने अर्थात् जून 2014 से अप्रैल 2016 तक था।

भाग—अ परियोजना (आई०टी० सक्षमता) को पी०एफ०सी० द्वारा मंजूरी से 42 महीने की देरी से आवंटित किया गया था। इसे पूरा होने में, निर्धारित तिथि से पाँच से 17 महीने तक की देरी हुई थी।

भाग—ब परियोजना (प्रणाली सुदृढ़ीकरण) को परियोजना की मंजूरी से सात से 17 महीने तक की देरी से आवंटित किया गया था। इसके अलावा, इसे पूरा होने में, निर्धारित तिथि से 19 से 32 महीने तक की देरी हुई थी।

##### भाग ब के तहत कार्यों के कार्यान्वयन में विलंब

**2.13.2** भाग ब के तहत परियोजनाओं को अक्टूबर 2011 से अगस्त 2012 तक स्वीकृति दी गई थी। कार्यावंटन का विवरण, उनके पूरा होने की नियत तिथि और विलंब को **परिशिष्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

<sup>12</sup> एस०बी०पी०डी०सी०एल० में टर्न-की संवेदक : सात (दो समान) एन०बी०पी०डी०सी०एल० में टर्न-की संवेदक : चार (दो समान)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदकों की नियुक्ति और आगे संवेदकों द्वारा कार्य की धीमी प्रगति/अक्रियान्वयन के कारण परियोजना विलंबित थी, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

### (i) निविदा निस्तारण में विलंब

पी0एफ0सी0 (फरवरी 2013) के अनुसार, भाग ब के तहत कार्यों का आवंटन मार्च 2013 तक पूरा होना था। आगे, दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्राक्कलन वर्तमान दरों पर आधारित होना चाहिए था। आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के लिए डी0पी0आर0 2011–12 में पुरानी दरों पर तैयार किया गया था (विभागीय उत्तर)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पटना शहर के लिए निविदा अक्टूबर 2012 में और अन्य शहरों के लिए निविदाएँ दिसम्बर 2012 में आमंत्रित की गई थीं। हालाँकि, निविदाओं<sup>13</sup> को रद्द (अप्रैल 2013) कर दिया गया क्योंकि, निम्नतम निविदादाता का उद्धृत दर प्राक्कलित मूल्य से 35.40 प्रतिशत से 106.93 प्रतिशत अधिक था। डिस्कॉम्स द्वारा निविदा से पूर्व लागत अनुमानों के लिए उस समय कोई भी दरों की अनुसूची तैयार नहीं की गयी थी।

डिस्कॉम्स ने जुलाई 2013 में नए सिरे से निविदा आमंत्रित किया। केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (सी0ई0एस0ए0)<sup>14</sup> और मगध विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (एम0ई0एस0ए0)<sup>15</sup> के मामले में उच्च दरों<sup>16</sup> के कारण (मई 2014) निविदा पुनः आमंत्रित किया गया था। सी0ई0एस0ए0 और एम0ई0एस0ए0 के संयुक्त शहरों के लिए निविदाओं को सितम्बर 2014 में अंतिम रूप दिया जा सका था। इस प्रकार, भाग ब परियोजनाओं के लिए कार्यान्वयन एजेंसी की नियुक्ति की निविदा को पी0एफ0सी0 द्वारा निर्धारित अवधि से सात से 17 महीने के अंतराल के बाद निस्तारित किया गया था।

इसके अलावा, **परिशिष्ट 2.2** में यह देखा जा सकता है कि भाग ब के तहत परियोजनाएँ 19 महीने से 32 महीने तक की देरी से पूरी हुई थी। सी0ई0एस0ए0 और एम0ई0एस0ए0 के तहत 20 शहरों का कार्य मेसर्स प्रवीण इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा (सितम्बर 2014) गया था। हालाँकि, निर्धारित अवधि पूरा होने की तारीख से 26 महीने की देरी के बावजूद 15 शहरों में कार्य पूरा नहीं हुआ था क्योंकि संवेदक वित्तीय संकट के कारण कार्य करने में विफल रहा था। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य निष्पादन/गैर-निष्पादन के कारण, अनुबंध रद्द कर दिया गया था।

विभाग ने संपुष्ट किया (सितम्बर 2020) कि निविदादाताओं द्वारा उद्धृत उच्च दरों के कारण निविदाओं के निस्तारीकरण में देरी हुई थी। उच्च दरों पर आवंटन मुख्य रूप से इस कारण था कि निविदाओं का निस्तारीकरण डी0पी0आर0, जो कि 2011–12 में पुरानी दरों पर तैयार किया गया था, के तैयार होने के दो से तीन साल बाद किया गया था।

विभाग को प्रणालीगत मुद्दों को निराकरण करना चाहिए, क्योंकि प्राक्कलन (डी0पी0आर0) पुरानी दरों पर तैयार किए गए थे और निविदाओं को वर्ष 2013 में डी0पी0आर0 की तिथि से दो साल की देरी से आमंत्रित किया गया था। इसलिए, विभाग को प्राक्कलित दर की तर्कसंगतता से खुद को आश्वस्त कर लेना चाहिए था और अद्यतन दरों के आधार पर एक दरों की अनुसूची तैयार करनी चाहिए थी।

<sup>13</sup> तिरहुत विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (छपरा, हाजीपुर, सीतामढी और सिवान), कोसी विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (अररिया, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, पूर्णियाँ और सहरसा), मिथिला विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (दरभंगा और मधुबनी) पेसु क्षेत्र, पटना।

<sup>14</sup> केन्द्रीय विद्युत आपूर्ति क्षेत्र।

<sup>15</sup> मगध विद्युत आपूर्ति क्षेत्र।

<sup>16</sup> सी0ई0एस0ए0 के मामले में एल 1 को अनुमानित लागत से 57.86 प्रतिशत अधिक पाया गया जबकि एम0ई0एस0ए0 में एल 1 ने गुंजाइश न होने के कारण काम करने से इनकार कर दिया।

## आई०पी०डी०एस० योजना का कार्यान्वयन

**2.14** डिस्कॉम्स ने आई०पी०डी०एस० के तहत 11 टर्न-की संवेदकों<sup>17</sup> को टर्न-की आधार पर कुल ₹ 1,917.16 करोड़ की लागत पर कार्य आवंटित किया था (जनवरी 2017 से मार्च 2017)। परियोजनाओं को पूरा करने का निर्धारित समय लेटर ऑफ इन्टेंट जारी करने से 24 महीने अर्थात् दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक था। मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति को परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है।

### आई०पी०डी०एस० परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी

**2.14.1** मार्च 2019 तक योजना की भौतिक प्रगति का विवरण परिशिष्ट 2.3 में देखा जा सकता है। परियोजना के पूरा होने की अवधि औपबंधिक रूप से जून 2020 तक बढ़ा दी गई थी। अवधि विस्तार के बावजूद, कार्य की प्रगति बहुत खराब थी और की गई कार्य की कुल प्रगति एन०बी०पी०डी०सी०एल० में 49.09 प्रतिशत और एस०बी०पी०डी०सी०एल० में 44.51 प्रतिशत (मार्च 2019 तक) थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चूंकि संवेदकों के साथ एकारानामें के निष्पादन से पहले सर्वेक्षण नहीं किया गया था, इसलिए कम्पनी द्वारा व्यवधानों से निपटने की योजना नहीं बनाई जा सकी थी जिससे कार्यान्वयन में देरी हुई। इसका विवरण नीचे दिया गया है :

- 40 मामलों में रेलवे से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन कार्यावंटन के सात महीने से 41 महीने तक की विलंब से दिया गया था, यानी कार्य पूरा होने की निर्धारित तिथि के भी बाद।
- कार्य के पूरा होने की निर्धारित अवधि के दो से आठ महीने तक की देरी से पावर सब-स्टेशन (पी०एस०एस०) के लिए भूमि संवेदकों को सौंपी गई थी, क्योंकि योजना निर्माण के समय डिस्कॉम्स ने 12 पी०एस०एस० के लिए स्थानों का निर्धारण नहीं किया था। सहरसा शहर के मामले में, पी०एस०एस० के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण लेखापरीक्षा की अवधि तक आगे के विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया जा सका था।
- डिस्कॉम्स को टी०के०सी० द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर निष्पादित की जाने वाली कार्य की मात्रा को अनेकों बार निर्धारित करना पड़ा था क्योंकि वास्तविक निष्पादन के लिए स्थल/स्थान की पहचान योजना निर्माण के समय नहीं की गई थी।

उपरोक्त कारणों से परियोजना के कार्यान्वयन में देरी हुई। विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को (सितम्बर 2020) स्वीकार किया।

### निष्पादन कार्य में विलम्ब के कारण पी०एस०ए० पर अतिरिक्त व्यय

**2.14.2** आई०पी०डी०एस० के दिशा-निर्देशों के अनुसार, परियोजना प्रबंधन में डिस्कॉम्स की सहायता करने और परियोजना का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पी०एस०ए०)/सलाहकार की नियुक्ति प्रत्येक डिस्कॉम के लिए अलग अलग की जानी थी। स्वीकृत परियोजना लागत के 0.50 प्रतिशत (क्रमशः ₹ 5.22 करोड़ एस०बी०पी०डी०सी०एल० और ₹ 5.29

<sup>17</sup> टर्न-की संवेदक 1) मेसर्स एल० एण्ड टी० लिमिटेड – पटना (पश्चिम) और मुजफ्फरपुर, 2) मे० टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड पटना (पूर्वी) और गया, 3) मे० सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड – पटना, 4) मे० शिरडी साई इलेक्ट्रीकलस लिमिटेड – मुंगेर और मोतिहारी, 5) मे० बजाज इलेक्ट्रीकलस लिमिटेड – भागलपुर और पूर्णियाँ, 6) मे० के०आर०वाई०एफ०एस० पावर कम्पॉनेंट लिमिटेड – नालन्दा, 7) अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड – सासाराम, 8) मे० विंध्या टेलीलिंक लिमिटेड – छपरा, 9) मे० ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज लिमिटेड – सहरसा, 10) मे० एस०एम०एस० लिमिटेड – समस्तीपुर और 11) मे० इस्ट इंडिया उद्योग लिमिटेड – भोजपुर और दरभंगा अंचल। (एस०बी०पी०डी०सी०एल० नौ अंचलों में आठ टर्न-की संवेदक और एन०बी०पी०डी०सी०एल० सात अंचलों में सात टर्न-की संवेदक)।

करोड़ एन०बी०पी०डी०सी०एल०) तक पी०एम०ए० पर किए गए व्यय के लिए 100 प्रतिशत अनुदान भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाना था। पी०एम०ए० की तैनाती पर 0.50 प्रतिशत से अधिक की अतिरिक्त लागत, यदि हो तो, को अपने स्वयं के संसाधनों से डिस्कॉम्स को वहन करना था।

अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि डिस्कॉम्स ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु पी०एम०ए० की नियुक्ति के लिए निविदा आमंत्रित (अगस्त 2015) की थी। निविदा मूल्यांकन समिति<sup>18</sup> ने अपनी पहली बैठक (02 नवम्बर 2015) में सभी फर्मों को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। अंततः, मेसर्स रोडिक कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹ 24.43 करोड़ और ₹ 23.77 करोड़ की लागत से क्रमशः एन०बी०पी०डी०सी०एल० और एस०बी०पी०डी०सी०एल० हेतु कार्यादेश (जनवरी 2016) जारी किया गया था। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि :

(i) मेसर्स आर०ई०सी० पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, जो कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है, की निविदा को संयुक्त उपक्रम समझौता को प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिहार में निविदा के आमंत्रण से पहले, आठ डिस्कॉम्स<sup>19</sup> में इसे पी०एम०ए० के रूप में चयन किया जा चुका था और बिहार में निविदा के आमंत्रण के बाद सात<sup>20</sup> और डिस्कॉम्स में भी इसका चयन किया गया था। इसके अलावा, यह आर०ई०सी० की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी है। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि मेसर्स आर०ई०सी० पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को अतिरिक्त जानकारी के लिए जारी पत्र (नवम्बर 2015) में संयुक्त उपक्रम समझौते की आवश्यकता का उल्लेख नहीं किया गया था। अतः संयुक्त उपक्रम समझौते को प्रस्तुत न करने के आधार पर बोली को अस्वीकार करना अनुचित था।

विभाग ने अपने उत्तर में (सितम्बर 2020) कहा कि मेसर्स आर०ई०सी० पॉवर डिस्ट्रिब्यूशन कम्पनी लिमिटेड से आवश्यक स्पष्टीकरण/दस्तावेज प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसका तात्पर्य संयुक्त उपक्रम समझौता भी था। निविदा को वाक्य 7(i) और संयुक्त उपक्रम समझौतों के तहत आवश्यक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण खारिज कर दिया गया था।

विभाग का उत्तर सही नहीं है क्योंकि संबंधित पक्ष के साथ किए गए पत्राचार में संयुक्त उपक्रम समझौते को प्रस्तुत करने का उल्लेख नहीं था। इसके अलावा, उपवाक्य 7(i) के प्रकाश में अस्वीकृति का औचित्य भी सही नहीं था क्योंकि टी०ई०सी० ने सिफारिश की थी कि उपवाक्य 7(i) के तहत आवश्यक न्यूनतम वार्षिक औसत टर्न-ओवर (एम०ए०ए०टी०), तरल सम्पत्ति (एल०ए०) और नेट वर्थ के प्रमाण पत्र यद्यपि प्रस्तुत नहीं किए गए थे, तब भी इसे लेखापरीक्षित वार्षिक लेखा विवरण से भी प्राप्त किया जा सकता है।

(ii) आई०पी०डी०एस० परियोजना के तहत वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण और वितरण क्षेत्र की आई०टी० सक्षमता का कार्य दिसम्बर 2018 से फरवरी 2019 तक पूरा करना निर्धारित था। हालाँकि, निर्धारित अवधि (दिसम्बर 2019) से एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी परियोजना पूरी नहीं हुई थी। परियोजना के

<sup>18</sup> एन०बी०पी०डी०सी०एल०

<sup>19</sup> सी०एस०डी०पी०एल० (छत्तीसगढ़), कर्नाटक की पांच डिस्कॉम यानि बेसकॉम, सेसकॉम, जेसकॉम, हेसकॉम, मेसकॉम, एम०पी०एम०केमी०भी०सी०एल०-सी० (मध्यप्रदेश), और पी०ए०भी०भी०एन०एल० (उत्तरप्रदेश) (स्रोत: आइ०पी०डी०एस० वेब साइट)।

<sup>20</sup> ए०ए०-डिस्कॉम (अंडमान एवं निकोबार), अरुणाचल-पी०डी०, मणिपुर-पी०डी०, मेघालय पी०डी०सी०एल, तेलंगाना का दो डिस्कॉम यानि टी०एस०एन०पी०डी०सी०एल०, और टी०एस०एस०पी०डी०सी०एल०, और केसको (उत्तर प्रदेश) (स्रोत: आइ०पी०डी०एस० वेब साइट।)

कार्यान्वयन में देरी के कारण कार्य आवंटन पत्र की राशि ₹ 48.20 करोड़ से बढ़कर ₹ 62.55 करोड़ (एस०बी०पी०डी०सी०एल० ₹ 30.81 करोड़ और एन०बी०पी०डी०सी०एल० ₹ 31.74 करोड़) हो गयी थी। इस प्रकार, दिशा-निर्देशों में निर्धारित सीमा के भीतर निविदा निस्तारीकरण और निर्धारित समय सीमा के अंदर परियोजना को पूरा करने में डिस्कॉम्स की विफलता के परिणामस्वरूप राजकोष पर ₹ 52.04 करोड़<sup>21</sup> का अतिरिक्त लागत बोझ पड़ा। लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि बिहार सरकार ने (फरवरी 2019) डिस्कॉम्स को ₹ 52.04 करोड़ की अतिरिक्त लागत बोझ को मंजूर कर दिया था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए ऊर्जा विभाग (सितम्बर 2020) ने कहा कि पी०एम०ए० को समय विस्तार प्रदान किया गया था क्योंकि आई०पी०डी०एस० परियोजना को विभिन्न कारणों जैसे शहरी क्षेत्रों में शटडाउन, आर०ओ०डब्ल्यू० आदि के कारण निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सका था। विभाग का जवाब सकारात्मक है, हालाँकि, काम शुरू करने से पहले बाधाओं को हल करने की आवश्यकता थी।

#### सरकारी दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण अत्यधिक व्यय

**2.14.3** विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने वितरण ट्रांसफॉर्मर, पावर ट्रांसफॉर्मर, कंडक्टर और केबुल की दरों हेतु एक अधिकतम दर सीमा, जो कि एम०ओ०एम० (जून 2016) में तय किया गया था, को परिचालित (जुलाई 2016) किया था।

ऐसे शहरों जो पहले फ्रेंचाइजी क्षेत्र के अन्दर थे और मौजूदा आई०पी०डी०एस० योजना के तहत आच्छादित नहीं थे, के वितरण प्रणाली की सुदृढ़ीकरण हेतु भागलपुर और गया (एस०बी०पी०डी०सी०एल०) के लिए ₹ 326.92 करोड़ और मुजफ्फरपुर (एन०बी०पी०डी०सी०एल०) फ्रेंचाइजी क्षेत्र के लिए ₹ 179.43 करोड़ की एक परियोजना बाद में स्वीकृत की गई थी (दिसम्बर 2018)। इसके अलावा दोनों डिस्कॉम्स में विभिन्न स्थानों पर कुल 14 जी०आई०एस० और छ: ई-हाउस की स्थापना के लिए ₹ 179.80 करोड़ (एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 107.88 करोड़ और एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए ₹ 71.92 करोड़) की स्वीकृति भी दी गई थी। इस स्वीकृति पर आई०पी०डी०एस० योजना के सभी नियम और शर्तें लागू थीं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एन०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा मुजफ्फरपुर और कांटी शहरों में वितरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण और संबंधित लाइनों के साथ छ: जी०आई०एस० के कार्यों के लिए कार्य आवंटन पत्र जारी (मार्च 2019) किया गया था। एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने भी वितरण प्रणाली के सुदृढ़िकरण हेतु आपूर्ति और निर्माण कार्यों को करने तथा संबंधित लाइनों के साथ आठ 33/11 के०वी० जी०आई०एस० पी०एस०एस० का निर्माण करने के लिए ₹ 355.29 करोड़<sup>22</sup> का एल०ओ०ए० जारी किया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विद्युत मंत्रालय द्वारा परिचालित दरों की अधिकतम सीमा को इन एल०ओ०ए० (मार्च 2019) में लागू नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, इन वस्तुओं के लिए दरें निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक थीं। उन वस्तुओं का दर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर के मामले में 78 प्रतिशत, ए०बी० केबुलों के मामलें में 66.70 प्रतिशत, और वुल्फ कंडक्टरों के मामले में 20 प्रतिशत तक निर्धारित अधिकतम दरों से अधिक था। चूंकि आई०पी०डी०एस० के तहत प्रणाली के सुदृढ़ीकरण कायों को कार्यान्वित करने हेतु एल०ओ०ए० जारी किया गया था, इसलिए निर्धारित दरों की अधिकतम सीमा को भी लागू किया जाना चाहिए था। उक्त वस्तुओं पर निर्धारित

<sup>21</sup> एल०ओ०ए० लागत ₹ 62.55 करोड़ - अनुमोदित लागत ₹ 10.51 करोड़

<sup>22</sup> भागलपुर और कहलगांव शहरों के लिए ₹ 207.64 करोड़ और गया और बोधगया शहरों के लिए ₹ 147.65 करोड़।

दरों की अधिकतम सीमा लागू नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप ₹ 26.03 करोड़<sup>23</sup> का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभाग ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2020) कि वस्तुओं पर दरों की निर्धारित अधिकतम सीमा की वैधता अगस्त 2016 तक हीं लागू थी और चूंकि नया अनुबंध अक्टूबर 2018 के दौरान किया गया था इसलिए उस समय निर्धारित दरों की अधिकतम सीमा के प्रावधान लागू नहीं थे।

विभाग का जवाब तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है क्योंकि भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी पत्र (जुलाई 2016) में वैधता अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। इसके अलावा, इस जवाब के समर्थन में डिस्कॉम्स द्वारा प्रस्तुत आर0ई0सी0 का पत्र भी विद्युत मंत्रालय के उक्त निर्देश पर लागू नहीं है क्योंकि यह (मई 2016) दर संबंधी निर्देशों की तिथि से पहले जारी किया गया था। इसलिए, यह सरकार के निर्देश से संबंधित नहीं है।

**सौर पैनल के कार्य को बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को नहीं सौंपा जाना**

**2.14.4** भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम (आई0पी0डी0एस0) का शुभारंभ किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ सौर पैनल लगाने का प्रावधान भी शामिल था।

वित्त विभाग, बिहार सरकार ने सौर ऊर्जा उपकरणों की खरीद और स्थापना के लिए बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) को राज्य के विशिष्ट एजेंसी के रूप में ऊर्जा विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के तहत एक सरकारी एजेंसी, नामित (सितम्बर 2012) किया है। हालाँकि यह देखा गया कि ब्रेडा को सौर पैनलों की स्थापना के काम का आवंटन करने के बजाय, डिस्कॉम्स ने टर्न-की संवेदकों (टी0के0सी0) को ही कार्य का आवंटन कर दिया था। रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना के लिए प्राप्त अंतिम मूल्यों में ₹ 0.19 लाख प्रति किलोवाट पीक<sup>24</sup> से लेकर ₹ 9.06 लाख प्रति किलोवाट पीक तक का व्यापक अंतर था, जबकि ब्रेडा (एम0एन0आर0ई0) का मूल्य ₹ 0.65 लाख प्रति किलोवाट पीक था। डिस्कॉम्स ने यदि सौर पैनल की स्थापना का कार्य टर्न-की संवेदकों को न देकर ब्रेडा को दिया होता तो ₹ 47.42 करोड़ व्यय करने के बजाय केवल ₹ 10.85 करोड़ का ही व्यय होता। इस प्रकार, ब्रेडा के माध्यम से कार्य करवाने में डिस्कॉम्स की विफलता से न केवल बिहार सरकार के आदेश की अवहेलना हुई थी, बल्कि सौर ऊर्जा उपकरणों की स्थापना कार्य पर संवेदकों को की गई भुगतान की तुलना में ₹ 36.57 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ था।

विभाग ने अपने उत्तर (सितम्बर 2020) में कहा कि सरकारी भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर पैनल की स्थापना की योजना आई0पी0डी0एस0 के तहत स्वीकृत योजना का एक छोटा घटक था और परियोजना का कार्यान्वयन टर्न-की अनुबंध के तहत, जहाँ पूरे पैकेज दर को मूल्यांकन हेतु विचारित किया गया था, किया था। इसलिए डिस्कॉम्स ने इस कार्य को टर्न-की अनुबंध के तहत कार्यान्वयित करने का निर्णय लिया था। रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना के लिए दरें टर्न-की अनुबंध के माध्यम से प्राप्त की गई थी। टर्न-की अनुबंधों में पूरे पैकेज दर को मूल्यांकन हेतु विचार किया जाता है।

<sup>23</sup> एन0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 13.03 करोड़, एस0बी0पी0डी0सी0एल0: ₹ 13.00 करोड़।

<sup>24</sup> सोलर विद्युत प्रणाली को किलोवाट पीक में मूल्यांकन किया जाता है। अनिवार्य रूप से यह वह दर है जिस पर उच्चतम प्रदर्शन के समय यह विद्युत उत्पन्न करता है जैसे कि दोपहर की खिली धूप में।

उत्तर संतोषप्रद नहीं था, क्योंकि ब्रेडा इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी है और ब्रेडा को सोलर पैनलों की स्थापना के कार्य का आवंटन आर्थिक रूप से भी लाभकारी था। जिस तरह डिस्कॉम्स ने मीटरिंग का कार्य टर्न-की संवेदकों को न देकर स्वयं किया था, उसी तरह सोलर पैनलों की स्थापना का क्रियान्वयन ब्रेडा को आवंटित किया जा सकता था।

### **बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना का कार्यान्वयन (बी०पी०एस०आई०पी०)**

**2.15** बिहार पावर सिस्टम इम्प्रूवमेंट परियोजना (बी०पी०एस०आई०पी०) के तहत विद्युत संचरण और वितरण प्रणालियों के सुधार और विस्तार के लिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, बिहार सरकार और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड (डिस्कॉम का पूर्ववर्ती) के बीच त्रिपक्षीय समझौता (जून 2011) किया गया था।

परियोजना के घटकों में से एक के तहत बिहार के सात शहरों (एस०बी०पी०डी०सी०एल० में तीन और एन०बी०पी०डी०सी०एल० में चार) में ₹ 177.94 करोड़ की लागत से वितरण प्रणाली का पुनर्निर्माण और आधुनिकीकरण का क्रियान्वयन किया जाना था।

यह कार्य चार पैकेजों में विभाजित किया गया था। मार्च 2012 और जून 2012 में दो संवेदकों (पहले<sup>25</sup> तीन पैकेज में पाँच शहर और दूसरे<sup>26</sup> पैकेज में दो शहर सम्मिलित) को कार्य आवंटन की सूचना संबंधी पत्र निर्गत किये गये थे। कार्य पूरा करने की निर्धारित तिथि दिसम्बर 2013 से अप्रैल 2014 तक थी।

निष्पादित कार्य की स्थिति **परिशिष्ट 2.4** में विस्तृत है। अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि मेसर्स ए०२जे०इ० इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का अनुबंध कार्य की खराब प्रगति के कारण नवम्बर 2016 में समाप्त कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया कार्य भी निर्धारित तिथि से पाँच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया जा सका था।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि :

**2.15.1** बी०पी०एस०आई०पी० परियोजनाओं के लिए संवेदक द्वारा समर्पित ₹ 4.90 करोड़ राशि की निष्पादन बैंक गारंटी 16 अप्रैल 2015 तक वैध थी। संवेदक द्वारा कार्य का निष्पादन धीमा था तथा इस मुद्दे को नियमित रूप से एस०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा एजेंसी को बताया जा रहा था। इसलिए, अनुबंध की समाप्ति से पहले बैंक गारंटी की वैधता अवधि और उसके विस्तार/जब्ती पर कड़ी नजर रखे जाने की आवश्यकता थी। लेकिन कार्य के खराब प्रगति के बावजूद न तो बैंक गारंटी का नकदीकरण किया गया और न ही इसकी अवधि बढ़वाई गयी। आखिरकार, नवम्बर 2016 को अर्थात् कार्य समाप्ति की निर्धारित तिथि के दो वर्ष से अधिक अवधि के बाद कार्य की खराब प्रगति के कारण अनुबंध को रद्द कर दिया गया था। इस प्रकार, संवेदक के संदिग्ध आचरण के बावजूद, वैधता अवधि के भीतर बैंक गारंटी को भुनाने में विफलता, अपने वित्तीय हितों की रक्षा में कम्पनी के खराब अनुश्रवण को दर्शाता है।

विभाग ने उत्तर में कहा (सितम्बर 2020) कि बैंक गारंटी की वैधता अवधि से एक वर्ष आगे तक वैधता बढ़ाने के लिए बैंक को एक पत्र (अप्रैल 2015), बैंक गारंटी की वैधता समाप्त होने से पहले जारी किया गया था और पत्र में, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि “यदि अवधि का विस्तार स्वीकृत नहीं किया जाता है तो बैंक

<sup>25</sup> मेसर्स ए०२जे०इ० इन्फ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड।

<sup>26</sup> मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड।

गारंटी राशि को बैंक ड्राफ्ट में परिवर्तित कर एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के पक्ष में दावे के निपटान के रूप में भेजा जा सकता है। इस पत्र को ₹ 4.90 करोड़ की प्रतिपूर्ति हेतु बैंक के उपर औपचारिक दावा दर्ज कराना समझा जा सकता है। विभाग ने आगे कहा कि अंततोगत्वा, इस मामले को बैंक के मुख्यालय, बैंकिंग लोकपाल तथा आर0बी0आई0 के साथ उठाया गया है और सी0पी0बी0जी0 के दावे को निपटाने के लिए आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक लिमिटेड को एक कानूनी नोटिस भी दी गई है। बैंक गारंटी की वैधता के पांच वर्ष बीत जाने और लेखापरीक्षा आपत्ति के बाद ही जुलाई 2020 में एस0बी0पी0डी0सी0एल0 द्वारा कानूनी नोटिस जारी किया गया। विभाग और कम्पनी को और भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए था। अंततः तथ्य यही है कि कम्पनी की अक्रियाशीलता के कारण बैंक गारंटी को अभी तक भुनाया नहीं जा सका था।

**2.15.2** मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया कार्य भी अब तक पूरा नहीं किया गया था, यद्यपि निर्धारित कार्य समाप्ति तिथि से पाँच वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। कार्य पूर्ण न होने/खराब प्रदर्शन के लिए संवेदक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

विभाग ने कहा (सितम्बर 2020) कि ₹ 38.17 करोड़ की कुल लागत में से मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड ₹ 33.24 करोड़ की लागत का कार्य पूरा कर चुकी है। इसके विरुद्ध ₹ 28.22 करोड़ का भुगतान जारी किया गया है और परियोजना के कार्यान्वयन में देरी के लिए दंड/प्रतिधारण/अन्य के लिए ₹ 5.02 करोड़ की राशि को रोक कर रखी गई है। परियोजना के बंद होने के अंतिम समय के दौरान, रोक कर रखी गयी राशि यदि आवश्यक हो, तो जब्त कर ली जायेगी।

जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण, परियोजनाओं का लाभ नहीं लिया जा सका था। इसके अलावा, मेसर्स श्यामा पावर इंडिया लिमिटेड के खिलाफ अनुबंध समाप्ति की कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जैसा कि मेसर्स ए02जेड0 के मामले में किया गया था।

#### अनुशंसा:

डिस्कॉम्स को वर्तमान अनुसूचित दरों (एस0ओ0आर0) के आधार पर परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0) तैयार करना चाहिए और कार्य आवंटन से पहले दरों की तर्कशीलता/प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना चाहिए।

### 2.16 वित्तीय प्रबंधन

#### वित्तीय प्रदर्शन एवं कार्य परिणाम

**2.16.1** डिस्कॉम्स के पिछले पाँच वर्षों का वित्तीय प्रदर्शन एवं कार्य परिणाम को नीचे तालिका 2.3 में दर्शाया गया है :

**तालिका 2.3 : डिस्कॉम्स का वित्तीय प्रदर्शन**

(₹ करोड़ में)

	एस0बी0पी0डी0सी0एल0				
	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
<b>राजस्व</b>					
अ. परिचालन से प्राप्त राजस्व	2,674.44	3,238.71	4,031.83	5,863.66	7,419.35
ब. अन्य आय	342.78	203.40	402.60	368.78	533.94
स. राजस्व सब्सिडी और अनुदान	1,674.65	2,811.16	2,320.64	--	--
सब्सिडी को छोड़कर कुल आय	3,017.22	3,497.99	4,434.13	--	--
कुल आय (अ+ब+स)	4,691.87	6,309.15	6,754.77	6,232.44	7,953.29
<b>व्यय</b>					
विद्युत क्रय व्यय	4,707.48	5,611.89	5,798.54	6,839.70	7,905.10
कर्मचारियों के हित में व्यय	258.11	277.27	477.52	403.86	433.77
वित्तीय लागत	163.21	267.30	268.32	177.43	218.22
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	124.17	142.42	180.84	235.94	325.39
<b>अन्य व्यय</b>	<b>99.53</b>	<b>688.55</b>	<b>991.26</b>	<b>862.80</b>	<b>883.90</b>
पूर्व अवधि के सामग्री (कुल)	86.92	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल व्यय</b>	<b>5,439.42</b>	<b>6,987.43</b>	<b>7,716.48</b>	<b>8,519.73</b>	<b>9,766.38</b>
लाभ / (–) हानि	-747.54	-734.17	-962.01	-2,287.28	-1,813.09
खर्च किए गए प्रति रूपये पर आय हुई	0.86	0.90	0.88	0.73	0.81
बिना सब्सिडी के खर्च किए गए प्रति रूपये पर आय	0.55	0.50	0.57	--	--
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-0.34	-0.20	-0.33	-0.71	-0.47
	एन0बी0पी0डी0सी0एल0				
	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
<b>राजस्व</b>					
अ. परिचालन से प्राप्त राजस्व	2,164.67	2,717.93	2,967.67	4,931.55	6,417.09
ब. अन्य आय	177.85	177.98	159.79	626.85	1,043.85
स. राजस्व सब्सिडी और अनुदान	1,217.22	1,579.2	1,513.66	--	--
सब्सिडी को छोड़कर कुल आय	2,342.52	2,895.91	3,127.46	--	--
कुल आय (अ+ब+स)	3,559.74	4,475.11	4,641.12	5,558.40	7,460.94
<b>व्यय</b>					
विद्युत क्रय व्यय	3,195.82	3,908.64	4,203.92	5,163.61	6,301.26
कर्मचारियों के हित में खर्च	171.86	188.00	265.60	258.52	261.19
वित्तीय लागत	228.51	184.00	158.31	91.70	197.00
मूल्यहास एवं परिशोधन व्यय	80.77	86.78	89.76	213.60	375.47
<b>अन्य व्यय</b>	<b>123.66</b>	<b>447.11</b>	<b>218.49</b>	<b>193.19</b>	<b>921.65</b>
पूर्व अवधि के सामग्री (कुल)	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>कुल व्यय</b>	<b>3,856.55</b>	<b>4,814.53</b>	<b>4,936.08</b>	<b>5,920.62</b>	<b>8,056.57</b>
लाभ / (–) हानि	-296.81	-339.42	-294.96	-362.22	-595.63
खर्च किए गए प्रति रूपये पर आय हुई	0.92	0.93	0.94	0.94	0.93
बिना सब्सिडी के खर्च किए गए प्रति रूपये पर आय	0.61	0.60	0.63	--	--
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	-0.04	-0.03	-0.08	-0.06	-0.07

(स्रोत: आंकड़े 2018–19 को छोड़कर अनुगामी वित्तीय विवरणों से लिये गये हैं।)

ऊपर के आंकड़ों से स्पष्ट है कि डिस्कॉम्स आपूर्ति लागत को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न करने में विफल रहे। इसके अलावा, डिस्कॉम्स इस तथ्य के बावजूद कि वे अपने सभी पूँजीगत व्यय के लिए सरकार के अनुदान पर पूरी तरह से निर्भर थे और बिजली खरीद के लिए राजस्व अनुदान भी प्राप्त कर रहे थे, तब भी नियोजित पूँजी पर नकारात्मक प्रतिफल दे रहे थे। इस अवधि के दौरान राज्य सरकार ने ₹ 17,892.44 करोड़ (एन०बी०पी०डी०सी०एल० में ₹ 7,371.85 करोड़ और एस०बी०पी०डी०सी०एल० में ₹ 10,520.59 करोड़) की शेयर पूँजी के अलावा पूँजी अनुदान (₹ 8,264.58 करोड़) और सब्सिडी (₹ 17,259.98 करोड़) प्रदान किया था। इसके अलावा, डिस्कॉम्स को उदय योजना के तहत वित्तीय पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार से ₹ 2,331.78 करोड़ (₹ 961.89 करोड़ एन०बी०पी०डी०सी०एल० और ₹ 1,369.89 करोड़ एस०बी०पी०डी०सी०एल०) भी प्राप्त हुए थे, लेकिन कम्पनी की वित्तीय स्थिति अभी भी दयनीय है और 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए पिछले पाँच वर्षों के दौरान डिस्कॉम्स ने ₹ 8,433.14 करोड़ (₹ 1,889.03 करोड़ एन०बी०पी०डी०सी०एल० और ₹ 6,544.09 करोड़ एस०बी०पी०डी०सी०एल०) का नुकसान उठाया था।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितम्बर 2020) कि निम्न श्रेणी वाले उपभोक्ता के आधार में वृद्धि और निम्न टैरिफ श्रेणी के खपत में वृद्धि के कारण डिस्कॉम्स प्रक्षेपवक्र को प्राप्त नहीं कर सका था। हालाँकि, बिना सब्सिडी के प्रति रूपये खर्च की तुलना में अर्जित आय में वृद्धि हुई है और ए०टी० एण्ड सी० हानियों में कमी आई थी।

विभाग का जवाब संतोषप्रद नहीं था क्योंकि बी०ई०आर०सी० विभिन्न श्रणियों के उपभोक्ता आधार को ध्यान में रखते हुए टैरिफ निर्धारित करता है। यद्यपि, डिस्कॉम्स को अलग अलग योजनाओं के तहत अंश पूँजी, अंश अनुदान, सब्सिडी, और वित्तीय सहायता के रूप में भारी निवेश प्राप्त हुआ था, लेकिन डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति अभी भी दयनीय बनी हुई है। यद्यपि ए०टी० एण्ड सी० घाटे में कमी आई है, लेकिन घाटे का मुख्य कारण लगातार डिस्कॉम्स के ए०टी० एण्ड सी० हानि का निर्धारित लक्ष्य से अधिक होना था, जिसे बी०ई०आर०सी० द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था जैसा कि आगे की कंडिकाओं में वर्णित है।

#### वितरण हानि लक्ष्य प्राप्त न करने के कारण निरुत्साहन

**2.16.2** वितरण हानि एक प्रमुख घटक है जिस पर बिजली का खुदरा दर निर्भर करता है। वितरण कम्पनियों की वास्तविक वितरण हानि, स्वीकृत वितरण हानि तथा बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) द्वारा जारी टैरिफ आदेश में अस्वीकृत की गई अतिरिक्त क्रय की गई बिजली की लागत नीचे दी गयी तालिका में देखा जा सकता है।

#### तालिका 2.4: वितरण हानि तथा अस्वीकृत की गई अतिरिक्त बिजली क्रय की लागत

डिस्कॉम्स	विवरण	वितरण हानि तथा अस्वीकृत अतिरिक्त बिजली क्रय की लागत				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एस०बी०पी०डी०सी०एल०	स्वीकृत	21.40 %	20 %	19.25 %	30 %	22 %
	वास्तविक	49.73 %	48.52 %	39.48 %	37.21 %	32.29 %
	अंतर	28.33 %	28.52 %	20.23 %	7.21 %	10.29 %
अस्वीकृत अतिरिक्त बिजली क्रय की लागत	एम०य००	2,790.63	4,515.15	3,340.36	1,696.25	2,625.25
	लागत (₹ करोड़ में)	1,463.98	1,797.03	1,313.39	717.37	1,307.20

डिस्कॉम्स	विवरण	वितरण हानि तथा अस्वीकृत अतिरिक्त बिजली क्रय की लागत				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एन०बी०पी०डी०सी०एल०	स्वीकृत	21.40 %	20 %	19.25 %	24 %	20 %
	वास्तविक	37.89 %	34.57 %	31.43 %	25.22 %	26.83 %
	अंतर	16.49 %	14.57 %	12.18 %	1.22 %	6.83%
अस्वीकृत अतिरिक्त बिजली क्रय की लागत	एम०य००	1,284.14	1,503.79	1,396.96	240.70	1,266.28
	लागत (₹ करोड़ में)	518.54	598.51	550.02	127.15	637.44

स्रोत : बी०ई०आर०सी० द्वारा प्रदत्त टैरिफ आदेश

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि डिस्कॉम्स, बी०ई०आर०सी० द्वारा टैरिफ आदेशों में स्वीकृत वितरण हानि के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके थे। चूंकि वितरण हानि एक नियंत्रणीय कारक था, अतएव इस हानि को कम करना डिस्कॉम्स की जिम्मेदारी थी। परिणामस्वरूप, 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान, बी०ई०आर०सी० ने 20,659.51 मिलियन यूनिट (एम०य००), जिसकी कीमत ₹ 9,030.63 करोड़ थी उसे 'वितरण हानि' लक्ष्य को प्राप्त न करने के कारण निरुत्साहन स्वरूप अस्वीकृत कर दिया था, जिसे बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई थी। अग्रेतर 2017–18 और 2018–19 में, बिहार सरकार ने आयोग द्वारा अनुमोदित वितरण हानि और वास्तविक वितरण हानि के अंतर को पूरा करने के लिए अंश पूँजी में निवेश के रूप में ₹ 1,476 करोड़ और ₹ 968.88 करोड़ प्रदान किया था। चूंकि बी०ई०आर०सी० वितरण हानि को नियंत्रणीय कारक मानता है, इसलिए डिस्कॉम्स को नुकसान वाले क्षेत्रों की पहचान कर वितरण ट्रॉसफार्मर मीटर से आँकड़े को प्राप्त कर और विपत्रीकरण दक्षता में सुधार कर वितरण हानि को रोकना चाहिए। इस प्रकार, वितरण घाटे के लक्ष्यों को प्राप्त करने में डिस्कॉम्स की विफलता जो की उपर के कंडिका में दर्शाया गया है, के कारण राजकोष पर परिहार्य अनावश्यक भार पड़ा।

विभाग ने अपने जवाब में कहा (सितंबर 2020) कि वितरण हानि लक्ष्य प्राप्ति में विफलता इस कारण थी कि बी०ई०आर०सी० द्वारा निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त करने योग्य नहीं था क्योंकि यह किसी तर्कसंगत/सुधार कार्यक्रम के आधार पर तय नहीं किया गया था। इसके अलावा, विनियामक आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि डिस्कॉम्स के लिए तय की गई कम ए०टी० एण्ड सी० हानि प्रक्षेपवक्र का लक्ष्य प्राप्त होने योग्य नहीं था और बाद के वर्षों में इसे बदला गया था, जो कि तालिका से स्पष्ट है, जिसमें 2017–18 और 2018–19 के लिए 30 प्रतिशत और 22 प्रतिशत के लक्ष्य की मंजूरी दी गई है थी जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक था।

विभाग का उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं है क्योंकि वितरण हानि के लक्ष्य को उदय योजना के कार्यान्वयन के कारण संशोधित किया गया था। उदय योजना के समझौता ज्ञापन के अनुसार, डिस्कॉम्स को वित्त वर्ष 2018–19 तक ए०टी० एंड सी० हानि को 15 प्रतिशत के स्तर तक कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करना था लेकिन एस०बी०पी०डी०सी०एल० और एन०बी०पी०डी०सी०एल० की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन डिस्कॉम्स के लिए इसे वित्त वर्ष 2019–20 तक के लिए निर्धारित किया गया था।

### निधियों की प्राप्ति एवं उनका उपयोग

2.16.3 आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० परियोजना के तहत 31 मार्च 2019 के लिए दोनों डिस्कॉम्स के निधि का विवरण नीचे दी गई तालिका में विस्तृत है।

### तालिका 2.5 : आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० के निधि का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	आर०ए०पी०डी०आर०पी०		आई०पी०डी०एस०	
	एन०बी०पी०डी०सी०एल०	एस०बी०पी०डी०सी०एल०	एन०बी०पी०डी०सी०एल०	एस०बी०पी०डी०सी०एल०
प्राप्त अनुदान	-	-	188.45	185.20
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	60.20	259.43	-	-
बिहार सरकार / डिस्कॉम्स का योगदान	132.11	315.99	132.25	167.15
प्राप्त ऋण	67.68	349.26	99.98	100.00
<b>कुल प्राप्त निधि</b>	<b>259.99</b>	<b>924.68</b>	<b>420.68</b>	<b>452.35</b>
<b>कुल भुगतान / निधि का उपयोग</b>	<b>310.44</b>	<b>850.99</b>	<b>456.40</b>	<b>643.59</b>

स्रोत : डिस्कॉम द्वारा प्रदत्त आँकड़े

इस तालिका से देखा जा सकता है कि :

(i) आई०पी०डी०एस० परियोजना के तहत एन०बी०पी०डी०सी०एल० द्वारा प्राप्त निधि ₹ 420.68 करोड़ थी, जबकि इसके विरुद्ध व्यय ₹ 456.40 करोड़ हुआ था। इसी तरह, एस०बी०पी०डी०सी०एल० में प्राप्त निधि केवल ₹ 452.35 करोड़ थी, जबकि व्यय ₹ 643.59 करोड़ था। खर्च की अधिकता को बी०आर०जी०एफ० से विचलन कर पूरा किया गया था।

(ii) 31 मार्च 2019 तक आर०ए०पी०डी०आर०पी० के तहत शेष ऋण राशि ₹ 73.69 करोड़ (₹ 924.68 करोड़ (कुल प्राप्त निधि) – ₹ 850.99 करोड़ (कुल खर्च) एस०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए) करोड़ थी, जिसमें आर०ई०सी० से लिए गए ऋण की शेष राशि ₹ 59.87 करोड़ शामिल थी जो एस०बी०पी०डी०सी०एल० के पास मई 2016 से अब तक (31 मार्च 2019) निष्क्रिय पड़ी हुई थी। इस निधि पर ₹ 18.40 करोड़ की ब्याज देयता भी अर्जित हो गई थी।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, विभाग ने कहा कि निधि का एक हिस्सा आई०पी०डी०एस० की आवश्यकता को पूरा करने के लिए विचलित किया गया था और आई०पी०डी०एस० योजना के तहत निधि प्राप्त होने पर इसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। अग्रेतर, यह भी कहा गया कि पटना शहर की परियोजना में देरी के कारण एस०बी०पी०डी०सी०एल० के पास पड़े हुए ऋण राशि के बेहतर उपयोग के लिए, एन०बी०पी०डी०सी०एल० और एस०बी०पी०डी०सी०एल० के प्रबंधन ने संयुक्त परामर्श से यह निर्णय लिया की कर्ज के एक हिस्से को एन०बी०पी०डी०सी०एल० को दे दिया जाए, जिससे एन०बी०पी०डी०सी०एल० में निधि की आवश्यकता और ब्याज दोनों मुद्दों का निराकरण डिस्कॉम्स के सर्वोत्तम हित में हो सके।

तथ्य यह है कि शेष निधि अभी भी एस०बी०पी०डी०सी०एल० के पास अप्रयुक्त पड़ी हुई है। इसके अलावा, एन०बी०पी०डी०सी०एल० ने केवल मूल राशि वापस की है और ब्याज का पुनर्भुगतान अभी शुरू नहीं हुआ है।

#### वित्तीय प्रबंधन के अन्य बिन्दु

##### योजना के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण ब्याज की हानि

2.16.4 आई०पी०डी०एस० दिशा-निर्देश के अनुसार डिस्कॉम को इंटरनेट-बैंकिंग सुविधा वाले किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में कॉर्पोरेट लिविंग टर्म डिपॉजिट सुविधा (सी०एल०टी०डी०) के साथ चालू खाता खोलना था। इस संबंध में एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने पंजाब नेशनल बैंक में सी०एल०टी०डी० सुविधाओं के साथ चालू बैंक खाता खोला। बाद में, एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने आई०सी०आई०सी०आई० बैंक में सी०एल०टी०डी०

सुविधा के साथ चालू बैंक खाता के बजाय केवल चालू बैंक खाता खोला (मार्च 2018) और एन०बी०पी०डी०सी०एल० ने योजना के दिशा—निर्देशों के उल्लंघन में सी०एल०टी०डी० सुविधाओं के साथ चालू बैंक खाते के बजाय बचत बैंक खाता खोला।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि सी०एल०टी०डी० सुविधा के साथ खाता खोलने के संबंध में आई०पी०डी०एस० दिशा—निर्देशों का पालन न करने के कारण एस०बी०पी०डी०सी०एल० को ₹ 1.62 करोड़ की ब्याज के राशि का नुकसान उठाना पड़ा था।

विभाग ने अपने उत्तर में (सितंबर 2020) कहा कि पी०एफ०सी० द्वारा अग्रेत्तर दिये गये निर्देशों (अक्टूबर 2019) के आलोक में एन०बी०पी०डी०सी०एल० के लिए दिशा—निर्देशों का पालन न करने का मुद्दा समाप्त हो गया है। विभाग ने आगे कहा कि, एस०बी०पी०डी०सी०एल० ने सी०एल०टी०डी० सुविधा के साथ एक चालू बैंक खाता खोला था। हालांकि, आई०सी०आई०सी०आई० बैंक ने अभी तक बैंक खाते में ब्याज की राशि जमा नहीं की है। बैंक खाते में ब्याज नहीं जमा करने का मामला आई०सी०आई०सी०आई० बैंक के साथ उठाया गया है।

विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एन०बी०पी०डी०सी०एल० ने जनवरी 2018 में सी०एल०टी०डी० खातों के बजाय एक बचत बैंक खाता खोला था जबकि पी०एफ०सी० द्वारा बचत बैंक खाते (सी०एल०टी०डी० के बिना) खोलने का निर्देश अक्टूबर 2019 में दिया गया था। इसके अलावा, एस०बी०पी०डी०सी०एल० के संबंध में, बैंक विवरण से यह स्पष्ट है कि खोला गया खाता केवल चालू खाता था और बैंक खाता खोलने के बाद से चालू खाता को सी०एल०टी०डी० खाते में परिवर्तित करने के लिए अब तक (मार्च 2019) बैंक के साथ कोई प्रयास नहीं किया गया था।

**अनुशंसाएँ:**

**डिस्कॉम्स को :**

1. बी०ई०आर०सी० द्वारा निर्धारित वितरण हानियों को कम करने के लक्ष्य का अनुपालन करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे राजकोष पर इस कारण पड़ने वाले बोझ को टाला जा सके।
2. उदय के समझौता ज्ञापन में दिए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।

### **निगरानी प्रक्रिया**

निगरानी, सूचनाएँ एकत्र करने, विश्लेषण करने और प्राप्त सूचनाओं का उपयोग उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं की प्रगति पर नजर रखने तथा प्रबंधन के निर्णयों का मार्गदर्शन करने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। डिस्कॉम्स की निगरानी प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ पाई गई :-

### **परियोजना की निगरानी**

**2.17** आर०ए०पी०डी०आर०पी०/आई०पी०डी०एस० दिशानिर्देश के अनुसार, बिहार सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक वितरण सुधार समिति (डी०आर०सी०) का गठन करना था। समिति को, परियोजना के डी०पी०आर० की सिफारिश करना और प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण की निगरानी करना और स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विषयों जैसे सब-स्टेशनों के लिए भूमि का आवंटन, रास्ते का अधिकार, वन कटाई हेतु मंजूरी, संरक्षा मंजूरी आदि को हल करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आर०ए०पी०डी०आर०पी० परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए नवम्बर 2009 से जुलाई 2011 तक डी०आर०सी० की केवल ४ बैठकें आयोजित की

गई थी और जून 2015 और नवम्बर 2017 में दो बैठकें आई0टी0 और ई0आर0पी के कार्यान्वयन के लिए आई0पी0डी0एस0 के डी0पी0आर0 के अनुमोदन हेतु आयोजित की गई थी।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि उपरोक्त बैठकों के अलावा, जिसके लिए उचित कार्यवृत्त तैयार किया गया था, वितरण कंपनियों के पूरे काम काज की मासिक निगरानी मुख्य सचिव स्तर पर ऊर्जा सचिव और अन्य संबंधित सचिवों, जिलाधिकारी तथा कंपनी के स्थानीय कर्मचारियों के साथ नियमित रूप से की जाती थी जो कि 2012 की तीसरी तिमाही से शुरू होकर चार से पाँच साल तक चली थी।

तथ्य यही है कि प्रगति, गुणवत्ता नियंत्रण आदि की निगरानी के लिए डी0आर0सी की बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

### लाभार्थी सर्वेक्षण और संयुक्त निरीक्षण के दौरान पायी गई विसंगतियां

**2.18** शहरी क्षेत्र की विद्युत बुनियादी अवसंरचनाओं के सुदृढ़ीकरण योजनाओं के कार्यान्वयन की दक्षता और प्रभावशीलता को जांचने के उद्देश्य से संयुक्त निरीक्षण—सह—लाभार्थी सर्वेक्षण का आयोजन लेखापरीक्षा दल और डिस्कॉम्स के अधिकारियों द्वारा सात अंचलों के नौ शहरों में यादृच्छिक नमूने आधार पर चुने गए 225 लाभार्थियों पर किया (नवम्बर—दिसम्बर 2019) गया था। संयुक्त निरीक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने इन शहरों में विभिन्न कमियों का अवलोकन किया, जिन्हें संक्षेप में नीचे प्रस्तुत किया गया है।

- सफियाबाद पी0एस0एस0 से जमालपुर जुबली बेल क्षेत्र के भारत माता चौक (लगभग 4.302 किमी) तक 11 के0वी0 एरियल बंच केबुल लगाने का काम संवेदक (मेसर्स एस0पी0एम0एल0) द्वारा आर0ए0पी0डी0आर0पी योजना के तहत किया गया था। स्थापित किये जाने वाले फीडर के समूचे तारों (ट्रैंच) को अधिष्ठापन के बाद ऊर्जान्वित किया गया, परन्तु खराबी के कारण फीडर विद्युत धारा प्रवाहित करने में असफल रहा। उपरोक्त फीडर को खराबी की घटना से दो वर्ष की अवधि तक बिना ऊर्जान्वित किए ही छोड़ दिया गया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि लाइन को चार्ज करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं और इन केबुलों के सुधार का काम सितंबर 2020 के मध्य तक पूरा कर लिये जाने की उम्मीद है। विभाग का उत्तर त्रुटियों की स्वयं पुष्टि करता है।

- आर0ए0पी0डी0आर0पी0 के तहत बड़हिया में कृष्णा चौक से शुरू होकर जगदंबा स्थान तक जाने वाला 11 के0 वी0 टाउन फीडर का निर्माण एरियल बंच केबुल के माध्यम से किया गया था। निर्माण के ढाई महीने बाद केबुल पंक्चर हो गया था। केबुल की मरम्मत नहीं की गई और उसे पोल से लटका हुआ निष्क्रिय ही छोड़ दिया गया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि यह एक उपयोगी खंड नहीं था इसलिए टी0के0सी0 ने लाइन को ऊर्जान्वित नहीं किया था। इसके अलावा यह भाग अंतिम कार्य समापन मात्रा का हिस्सा नहीं है और इससे संबंधित कोई भुगतान नहीं किया गया है।

तथ्य यही है कि ये क्षेत्र योजना के लाभ से वंचित है।

- मयूर चौक, मुंगेर में केबुल लगाने के एक साल बाद भी उसे ऊर्जान्वित नहीं किया गया था तथा उपभोक्ताओं को मौजूदा नंगे तारों से विद्युत प्रदान की जा रही थी जिससे बिजली चोरी होने का खतरा था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि आई०पी०डी०एस० योजना के तहत वर्तमान में एल०टी० ए०बी० केबुल को ऊर्जान्वित कर दिया गया है और एस०एम०डी०बी० बॉक्स की स्थापना और सेवा संबंध के स्थानांतरण का कार्य प्रगति पर है। जवाब त्रुटियों की स्वयं पुष्टि करता है।

- दाउदनगर में अधिकांश उपभोक्ताओं को “फ्यूज कॉल सेंटर/उपभोक्ता सेवा केन्द्र” के बारे में पता नहीं था। ज्यादातर उपभोक्ताओं ने फ्यूज कॉल सेंटर में शिकायत करने के बजाय लाईनमैन से शिकायत की। 28 उपभोक्ताओं में से, 13 उपभोक्ताओं ने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए आर०ए०पी०डी०आर०पी० और आई०पी०डी०एस० योजना के कार्यान्वयन के बावजूद नियमित रूप से चार से 12 घंटे तक बिजली बाधित रहती है।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि दाउदनगर शहर में फ्यूज कॉल सेंटर अब 24x7 स्तर पर काम कर रहा है और फ्यूज कॉल सेंटर के बारे में जनता को जानकारी दे दी गई है।

यथपि तथ्य यही है कि उपभोक्ताओं को फ्यूज कॉल सेंटर के बारे में पता नहीं है।

- दाउदनगर में 28 में से 13 उपभोक्ताओं ने कहा कि गर्मियों में लगातार कम वोल्टेज की समस्या थी।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि आई०पी०डी०एस० योजना के तहत दाउदनगर शहर में कम वोल्टेज और भार वृद्धि के मुद्दे को दूर करने के लिए अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाये गये हैं और ट्रांसफॉर्मर की क्षमतावृद्धि की गयी है। जवाब त्रुटियों की स्वयं पुष्टि करता है।

- यूको बैंक, बड़हिया के पास कालिका सिंह गली में स्थापित वितरण ट्रांसफॉर्मर, बिना किसी एलटी लाइन के था, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। पूरे गली में ट्रांसफॉर्मर के बस बार से सीधे सर्विस लाइन खींची गई थी, जिससे करंट लगने का खतरा था और यह मानव जीवन के लिए भी खतरनाक था।



विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि संकरी गलियों में पोल लगाना एक कठिन कार्य है। इस ट्रांसफॉर्मर से एल०टी० लाइन व्यवस्थित करने की कई बार कोशिश की गई, जो की असफल रही थी। जवाब त्रुटियों की स्वयं पुष्टि करता है।

- बड़हिया शहर के रामचंद्र टोला, मिश्रवा टोला के नंगे तारों को ए०बी० केबुल में नहीं बदला गया था।

विभाग ने कहा (सितंबर 2020) कि बड़हिया शहर के मिश्रवा टोला में काम प्रगति पर है और यह सितंबर, 2020 के मध्य तक पूरा हो जाएगा। जवाब त्रुटियों की स्वयं पुष्टि करता है।

### निष्कर्ष

ए०टी०ए०डसी० हानियों में कमी, आई०टी० सक्षम ऊर्जा लेखांकन की स्थापना, विपत्रीकरण और लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना के समग्र उद्देश्य को आंशिक रूप से प्राप्त किया जा सका था। डिस्कॉम्स के 67 शहरों में से केवल दो शहर 2018–19 तक 15 प्रतिशत से नीचे की वांछित ए० टी० ए०ड सी० हानि को प्राप्त कर सके थे। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत शहरी विद्युत अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के बावजूद आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहरों में से कुछ ने ए० टी० ए०ड सी० हानि में वृद्धि दर्ज की थी। विभिन्न शहरों की विपत्रीकरण दक्षता संतोषजनक नहीं थी क्योंकि केवल एक आर०ए०पी०डी०आर०पी० शहर में 90 प्रतिशत से अधिक की विपत्रीकरण की दक्षता प्राप्त की गयी थी। आई०टी० सक्षम ऊर्जा लेखांकन/लेखापरीक्षा प्रणाली की स्थापना में खामियाँ थीं क्योंकि फीडरों और डी०टी० मीटर द्वारा आँकड़ों का संचार बहुत खराब था। आई०पी०डी०एस० परियोजना के तहत इ०आर०पी० और आई०टी० एप्लिकेशन का क्रियान्वयन अभी तक नहीं किया गया था।

शहरी विद्युत अवसंरचना की क्षमता वृद्धि के योजना निर्माण में खामियाँ थीं जो कि न्यूनभारित/अतिभारित विद्युत अवसंरचना के निर्माण में परिणत हुई थी। वास्तविक क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर डी०पी०आर० तैयार नहीं किए गए थे जिसके फलस्वरूप मात्राओं का निर्धारण कई बार किया गया था। योजना निर्माण का अभाव, खराब अनुबंध प्रबंधन, निगरानी की कमी के कारण परिहार्य विलंब हुआ, परिणामस्वरूप विद्युत अवसंरचना एवं प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण में निरंतर अंतर बना रहा।

राज्य सरकार/डिस्कॉम्स के स्तर पर नियंत्रण तंत्र की कमी थी क्योंकि परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए डी०आर०सी० की बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं।

डी०टी० मीटरों के द्वारा डी०टी० की निगरानी बहुत खराब थी क्योंकि उनसे आँकड़ों का संचार बहुत कम था। डी०टी० से उपभोक्ताओं की टैगिंग नहीं की गई थी जो कि हानियों/बाहुल्य चोरी वाले क्षेत्रों की पहचान में एक अवरोध थी।

लम्बे समय में, डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता भी जोखिम पूर्ण है क्योंकि डिस्कॉम्स को पिछले पाँच वर्षों के दौरान लगातार भारी घाटा/नुकसान हुआ है। बी०ई०आर०सी० द्वारा अनुमोदित वितरण हानि को नियंत्रित करने में डिस्कॉम्स की विफलता के कारण राजकोष पर अपरिहार्य बोझ पड़ा था क्योंकि राज्य सरकार को डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराना पड़ा था।



## **अध्याय-III**

**ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित  
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण**



## अध्याय—III

### 3. अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य सम्पादन की नमूना जाँच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

#### साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

##### 3.1 भार वृद्धि में विलम्ब

भार वृद्धि में विलम्ब के कारण कम्पनी ₹ 2.10 करोड़ की आय प्राप्त करने में असफल रही।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग (आयोग) (वितरण अनुज्ञापिधारी के मानक प्रचालन प्रक्रिया) विनियमन 2007 की कंडिका 17(क) के अनुसार यदि वितरण नेटवर्क में विस्तार और परिवर्तन की आवश्यकता न हो तो संविदा भार में वृद्धि हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन की प्राप्ति की तिथि से सात दिनों के अंदर अनुज्ञापिधारी द्वारा परिसर का निरीक्षण किया जाएगा तथा बीस दिनों के अंदर भार वृद्धि हेतु अनुमति दिया जाएगा।

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता (संहिता) 2007 यह प्रावधान करती है कि यदि म्यूटेशन (नाम परिवर्तन) अनुमत्य न हो तो हस्तान्तरी विद्युत संबंध पुराने नाम से रखने हेतु सहमत हो सकता है {कंडिका 7.9(ई)}। कंडिका 7.11(3) यह व्यवस्था करती है कि किसी न्यायालय या आयोग या आयोग द्वारा नियुक्त प्राधिकार द्वारा यदि उपभोक्ता के ऊपर बकाये की राशि के भुगतान पर रोक लगाया गया हो तो भी संविदा भार वृद्धि के आवेदन स्वीकार किए जायेंगे।

अग्रेतर, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 18(1) के अनुसार कोई कम्पनी अन्य वर्ग की कम्पनी के रूप में स्वयं को समपरिवर्तित कर सकती है। धारा 18(3) अग्रेतर यह प्रावधानित करती है कि इस धारा के अधीन किसी कम्पनी के पंजीकरण का, सम्परिवर्तन के पूर्व कम्पनी द्वारा या उसकी ओर से उपगत किन्हीं ऋणों, दायित्वों, बाध्यताओं या की गई संविदाओं पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे ऋणों, दायित्वों, बाध्यताओं तथा संविदाओं को उसी रीति से प्रवृत्त किया जा सकेगा मानों ऐसा पंजीकरण किया ही नहीं गया हो।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एस०बी०पी०डी०सी०एल०) के उच्च विभव (एच०टी०) उपभोक्ताओं के दस्तावेजों की जाँच में यह उद्घाटित हुआ कि एक उच्च विभव निर्दिष्ट सेवा (एच०टी०एस०एस०) उपभोक्ता द्वारा नाम परिवर्तन हेतु आवेदन (29 अप्रैल 2016) किया गया। उपभोक्ता द्वारा 5000 के०भी०ए० भार वृद्धि हेतु भी आवेदन (13 मई 2016) किया गया। विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल बिहार ने कम्पनी के नाम में परिवर्तन का अनुमोदन उच्च प्राधिकार द्वारा नहीं दिये जाने के आधार पर, भार वृद्धि के आवेदन को अस्वीकृत (16 मई 2016) कर दिया।

तत्पश्चात्, उपभोक्ता द्वारा नाम परिवर्तन तथा पुराने नाम पर भार वृद्धि को वापस लेने हेतु आवेदन दिया (30 मई 2016) गया। इस आवेदन को भी नाम परिवर्तन संबंधित आवेदन को उच्च प्राधिकार को भेजे जाने तथा उपभोक्ता के पुराने नाम के अस्तित्व में नहीं रहने के आधार पर अस्वीकृत (31 मई 2016) कर दिया गया। तत्पश्चात बकाये ऊर्जा शुल्क के कारण विद्युत अधीक्षण अभियंता द्वारा नाम परिवर्तन के आवेदन को अस्वीकृत (13 जुलाई 2016) कर दिया गया।

इस निर्णय से आहत उपभोक्ता द्वारा पटना उच्च न्यायालय में एक परिवाद (2016 का सी0डब्ल्यू0जे0सी0 13833) दायर किया गया। न्यायालय ने अपने निर्णय (दिसम्बर 2016) द्वारा कम्पनी को निर्देश दिया कि पूर्ववर्ती कम्पनी की पूर्व देनदारियों के भुगतान संबंधी शपथ पत्र प्राप्त कर नाम परिवर्तन तथा भार वृद्धि को एक माह के अन्दर प्रभावी करें जो कि लम्बित न्यायिक वादों के परिणामों के अधीन होगा।

अन्ततः भार वृद्धि, आवेदन प्राप्ति की तिथि के छः महीने विलम्ब से जनवरी 2017 से प्रभावी किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि :

- बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 की कंडिका 7.9(ई) तथा कंडिका 7.11(3) के अनुसार संविदा भार वृद्धि आवेदन स्वीकार की जा सकती थी क्योंकि उपभोक्ता द्वारा इस संबंध में आवेदन दिया गया था और बकाये के भुगतान पर न्यायालय द्वारा पहले से ही रोक लगाया जा चुका था।
- पुनः संविदा भार वृद्धि का आवेदन, कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 18(3) के तहत एस0बी0पी0डी0सी0एल0 का वित्तीय हित संरक्षित रहने के कारण भी स्वीकार योग्य था।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा उपर्युक्त उपबंधों का पालन नहीं किये जाने के कारण भार वृद्धि में छः महीने का विलम्ब हुआ जिससे एस0बी0पी0डी0सी0एल0 ₹ 2.10<sup>1</sup> करोड़ की आय प्राप्त करने में असफल रही।

प्रबंधन ने जवाब (अगस्त 2020) दिया कि उच्च विभव एकरारनामा में दर्ज नाम से इतर उपभोक्ता द्वारा नये नाम से आवेदन प्राप्त होने के कारण भार वृद्धि का आवेदन अस्वीकृत किया गया तथा कानूनी रूप से नाम परिवर्तित हुए बिना आवेदक के नाम को कम्पनी के उपभोक्ता के रूप में नहीं कहा जा सकता था। प्रबंधन द्वारा यह भी कहा गया कि उपभोक्ता के उपर बड़ी राशि बकाया थी जिसके वसूली का मामला माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष लम्बित था। कम्पनी के राजस्व को संरक्षित करने के उद्देश्य से उपभोक्ता को बकाया राशि जमा करने को कहा गया।

प्रबंधन का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 की कंडिका 7.9(ई) तथा कंडिका 7.11(3) के अनुसार न सिर्फ भार वृद्धि की स्वीकृति दी जा सकती थी बल्कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 18(3) के अंतर्गत कम्पनी का वित्तीय हित भी संरक्षित था। माननीय उच्च न्यायालय ने भी इन्हीं उपबंधों को ध्यान में रखकर अपना निर्णय लिया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2020), जवाब प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

### नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड

#### 3.2 संविदा माँग में अनियमित कमी

संविदा माँग के अल्प-निर्धारण के कारण कम्पनी को मई 2016 से दिसम्बर 2019 की अवधि में ₹ 1.02 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 की कंडिका 6.39 में यह प्रावधानित है कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के अलावा अन्य सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं का संबद्ध भार,

1 माँग प्रभार (5,000 के0भी0ए0 × ₹ 700 × 6 महीने)।

उपभोक्ता के परिसर के सभी ऊर्जा खपत उपकरणों, जिसका उपयोग एक साथ किया जा सके, पर निर्माता की रेटिंग प्लेटों के कुल योग के बराबर होगा।

अग्रेतर, बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 7.12 (8)(i) के अनुसार किसी भी उपकरण को हटाने या नए उपकरण द्वारा किसी पुराने उपकरण को बदलने के मामलों को छोड़कर, आर्क / प्रेरण भट्टियाँ, रोलिंग तथा री-रोलिंग मिल और मिनी स्टील प्लांट का भार परिसर में स्थापित मशीनों और भट्टियों की कुल निर्धारित (रेटिंग) भार से कम करने की अनुमति नहीं होगी।

अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि (जून 2019) कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (एन०बी०पी०डी०सी०एल०) के तहत एक उच्च विभव निर्दिष्ट सेवा (एच०टी०एस०एस०) उपभोक्ता ने, जिसका संविदा माँग 4,800 के०भी०ए० था, संविदा माँग को घटाकर 2,400 के०भी०ए० करने हेतु आवेदन (जनवरी 2013) दिया। इस एच०टी०एस०एस० उपभोक्ता के भार का तीन बार (अप्रैल 2013, सितम्बर 2015 और मार्च 2016) निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन (मार्च 2016) में दो भट्टियों और अन्य सहायक उपकरणों का भार 3,885 के०भी०ए० पाया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि वितरण ट्रांसफॉर्मर की क्षमता 2,590 के०भी०ए० थी, अतः भट्टियों की दोनों इकाइयों को एक साथ चलाना संभव नहीं था। विद्युत आपूर्ति अंचल, समस्तीपुर ने संविदा माँग घटाकर 2,400 के०भी०ए० करने हेतु स्वीकृति (मार्च 2016) दी। अंततः, अप्रैल 2016 में घटे हुए संविदा माँग पर समझौता किया गया।

इस मामले में लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि :

- बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता के प्रावधान के अनुसार किसी भी उपकरण को हटाने या नए उपकरण द्वारा किसी भी पुराने उपकरण को बदलने के मामले को छोड़कर, परिसर में स्थापित मशीनों और भट्टियों की कुल निर्धारित भार से संविदा माँग को कम नहीं किया जा सकता है। अतः, तीन भट्टियों के लिए 1,800 के०भी०ए० अर्थात् 600 के०भी०ए० प्रति मीट्रिक टन की दर से भट्टी के भार की गणना उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में किया गया क्योंकि उपभोक्ता द्वारा किसी भी पुराने उपकरण को हटाया या नए उपकरण से बदला नहीं गया था।
- अधिष्ठापन प्रतिवेदन / निर्माणकर्ता के विनिर्देशों के अनुसार भट्टी का भार 2,446 के०भी०ए० तथा निरीक्षण प्रतिवेदन (मार्च 2016) के अनुसार सहायक भार 285 के०भी०ए० था। अतः वास्तविक भार के अनुसार संविदा माँग भार 2,400 के०भी०ए० के स्थान पर 2,731 के०भी०ए० तय किया जाना चाहिए था।

इस प्रकार, संविदा माँग के अल्प निर्धारण के कारण कम्पनी को मई 2016 से दिसम्बर 2019 तक की अवधि के लिए ₹ 1.02<sup>2</sup> करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने जवाब (अगस्त 2020) में कहा कि कंडिका 7.12 (8)(i) के अनुसार भार में कमी हेतु सहायक भार को शामिल नहीं किया जाना है। प्रबंधन ने आगे कहा कि लेखापरीक्षा द्वारा बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ को ध्यान में नहीं रखा गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मौजूदा प्रेरण भट्टी की संविदा माँग को निर्धारित करने हेतु प्रेरण भट्टी की क्षमता 600 के०भी०ए० प्रति मीट्रिक टन होगी।

<sup>2</sup> 331 के०भी०ए० × ₹ 700 × 44 महीने।

कम्पनी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 7.12 (8)(i) प्रेरण भट्टी के बदलने/प्रतिस्थापन के कारण भार में कमी से संबंधित है न कि परिसर के भार को निर्धारित करने से। टैरिफ आदेश में उल्लिखित प्रेरण भट्टी की 600 के<sup>0भी0</sup> प्रति मीट्रिक टन के रूप में संविदा मँग के निर्धारण के बारे में दिया गया जवाब भी सही नहीं है क्योंकि यह वहाँ प्रभावी होगा जहाँ निर्माता का रेटिंग प्लेट उपलब्ध न हो। अतः निर्मार्णकर्ता के तकनीकी विनिर्देशों के अनुसार निर्धारित कुल क्षमता के अनुसार संविदा मँग का निर्धारण किया जाना चाहिए था क्योंकि टैरिफ आदेश में यह निहित है कि मतभेद होने की स्थिति में बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता की कंडिका 6.39 और 6.40 लागू होगी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (फरवरी 2020), जवाब प्रतीक्षित है (अगस्त 2020)।

## **भाग-II**

### **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम**

#### **( ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त )**



## **अध्याय-IV**

### **राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप**



## अध्याय IV

### राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के क्रियाकलाप

#### परिचय

**4.1** 31 मार्च 2019 को 70 राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सा०क्षे०उ०) थे, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से संबंधित थे। ये राज्य सा०क्षे०उ० 1953–54 एवं 2018–19 के मध्य निगमित हुए थे एवं इनमें 67 सरकारी कम्पनियाँ तथा तीन सांविधिक निगमें अर्थात् बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार राज्य भण्डारण निगम तथा बिहार राज्य वित्तीय निगम सम्मिलित थे। 2018–19<sup>1</sup> तक चार सरकारी कम्पनियों ने वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रारंभ नहीं किया था। अग्रेतर इन सरकारी कम्पनियों में 42<sup>2</sup> अकार्यशील कम्पनियाँ तथा अन्य सरकारी कम्पनियों के स्वामित्व वाली 23 अनुषंगी कम्पनियाँ<sup>3</sup> सम्मिलित हैं। वर्ष 2018–19 के दौरान दो<sup>4</sup> कम्पनियाँ शामिल हुईं।

ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सा०क्षे०उ० की प्रकृति तालिका 4.1 में दर्शाई गई है:

**तालिका 4.1 : बिहार में सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) की प्रकृति**

सा०क्षे०उ० की प्रकृति	कुल संख्या	प्रतिवेदन में सम्मिलित सा०क्षे०उ० की संख्या			कुल	सा०क्षे०उ० की संख्या जिन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किया गया		
		2018–19 तक के लेखे	लेखे					
			2017–18 तक	2016–17 तक				
सरकारी कम्पनियाँ	63	0	8	2	10	53		
सांविधिक निगमें	3	0	1	0	1	2		
कुल कम्पनियाँ/निगमें	66	0	9	2	11	55		
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कम्पनियाँ	4	-	1	-	1	3		
<b>कुल</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>12</b>	<b>58</b>		

स्रोत : सा०क्षे०उ० के वार्षिक लेखाओं तथा सा०क्षे०उ० द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित।

इस प्रतिवेदन में 12 सा०क्षे०उ० के वित्तीय प्रदर्शन को शामिल किया गया है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। इसमें 58 सा०क्षे०उ० शामिल नहीं हैं, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक से बकाया में थे या मृतप्राय/परिसमाप्त के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या देय नहीं थे जैसा कि **परिशिष्ट 4.2** में वर्णित है।

<sup>1</sup> स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी; स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद; स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियां तथा स्काडा एग्रो फारेस्ट्री कम्पनी लिमिटेड, खगौल।

<sup>2</sup> स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगौल तथा स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, आरा, 27 जून 2018 को बंद/समाप्त कर दिए गए थे।

<sup>3</sup> **परिशिष्ट 4.2** के क्र० सं० ब 7, ब 8, ब 9, ब 10, ब 11, ब 17, ब 18, ब 19, ब 20, ब 21, ब 23, ब 25, ब 26, ब 29, ब 30, ब 31, ब 32, ब 33, ब 34, ब 35, ब 36, सी 1 तथा सी 2.

<sup>4</sup> बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड तथा पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन।

राज्य सरकार, राज्य सांख्योडो को समय—समय पर अंश पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सम्बिंदी के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। राज्य सरकार ने 23 कम्पनियाँ जो उपरोक्त राज्य सांख्योडो की सहायक कम्पनियाँ हैं, में कुछ भी निवेश नहीं किया था। इन 23 सहायक कम्पनियों में अंश पूँजी इनकी संबंधित साझीदार/होल्डिंग कम्पनियों द्वारा निवेश किया गया था।

### राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

**4.2** इस प्रतिवेदन में शामिल 12 सांख्योडो के टर्नओवर से सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सांख्योडो की गतिविधियों की मात्रा को दर्शाता है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले चार वर्षों की अवधि के लिए राज्य सांख्योडो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं बिहार राज्य के जी०एस०डी०पी० का विवरण नीचे दिए गए तालिका में दिया गया है:

**तालिका 4.2 : राज्य सांख्योडो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर एवं बिहार के जी०एस०डी०पी० का विवरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर	5,763.49	1,971.69 <sup>5</sup>	1,533.69	1,533.69
टर्नओवर में पिछले वर्ष के टर्नओवर की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	-65.79	-22.21	0.00
बिहार राज्य का जी०एस०डी०पी०	3,69,469.00	4,25,888.00	4,87,628.00	5,15,634.00
जी०एस०डी०पी० में पिछले वर्ष के जी०एस०डी०पी० की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	-	15.27	14.50	5.74
टर्नओवर का बिहार के जी०एस०डी०पी० से प्रतिशतता	1.56	0.46	0.31	0.30

**स्रोत :** बिहार सरकार के 2018–19 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार जी०एस०डी०पी० आंकड़ों तथा सांख्योडो (ऊर्जा के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़ों के आधार पर संकलित।

इन 12 सांख्योडो का टर्नओवर 2015–16 के ₹ 5,763.49 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 1,533.69 करोड़ हो गया। 2016–17 से 2018–19 की अवधि में टर्नओवर की वृद्धि दर (–) 65.79 प्रतिशत से (–) 22.21 प्रतिशत के मध्य रही, जबकि इसी अवधि में राज्य की जी०एस०डी०पी० की वृद्धि दर 5.74 प्रतिशत से 15.27 प्रतिशत के मध्य रही। पिछले तीन वर्षों के दौरान जी०एस०डी०पी० की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर<sup>6</sup> 11.75 प्रतिशत रही। चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर विभिन्न समय अवधि के दौरान वृद्धि दर को मापने की उपयोगी पद्धति है। जी०एस०डी०पी० के 11.75 प्रतिशत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सांख्योडो ने –35.68 प्रतिशत का चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर का टर्नओवर दर्ज किया। इसके परिणामस्वरूप जी०एस०डी०पी० में इन सांख्योडो के टर्नओवर की हिस्सेदारी आंशिक रूप से 2015–16 के 1.56 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 0.30 प्रतिशत हो गई।

### राज्य सांख्योडो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

**4.3** 31 मार्च 2019 का इस प्रतिवेदन में शामिल 12 सांख्योडो<sup>7</sup> के अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों में निवेश के विवरण की स्थिति परिशिष्ट 4.3 में विस्तृत है।

<sup>5</sup> बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड का टर्नओवर 2015–16 के ₹ 3,795.39 करोड़ से घटकर 2016–17 में ₹ 2.86 करोड़ होने के कारण टर्नओवर में कमी हुई (वर्ष 2019 में प्रस्तुत लेखे के अनुसार)।

<sup>6</sup> चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर =  $\{(2018-19 \text{ का मूल्य} / 2015-16 \text{ का मूल्य})^{(1/3 \text{ वर्ष})} - 1\} \times 100$ .

<sup>7</sup> कुल 70 सांख्योडो – 58 सांख्योडो जिनके लेखे तीन वर्षों या अधिक से बकाया में थे या मृतप्राय/परिसमाप्त के अधीन थे या प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुए थे या बकाया नहीं थे।

इस प्रतिवेदन में शामिल सा०क्षे०उ० निम्न तीन श्रेणियों में आते हैं:-

1. सा०क्षे०उ० जो खुली बाजार प्रतिस्पर्धा में नहीं हैं (एकाधिकार/ अल्पाधिकार सा०क्षे०उ०): बिहार में, 12 सा०क्षे०उ० में से तीन सा०क्षे०उ० इस श्रेणी में आते हैं, क्योंकि इनके संचालन करने की प्रकृति एकाधिकार/ अल्पाधिकार की थी अर्थात् उनके संचालन में किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं है या बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है।
2. सुनिश्चित आय वाले सा०क्षे०उ० : इस श्रेणी में वैसे सा०क्षे०उ० आते हैं जिनके आय का मुख्य हिस्सा सुनिश्चित स्रोतों यथा सरकारी अनुदानों/ सब्सिडियां, सेंट्रेज, कमीशन, बैंक जमा पर ब्याज इत्यादि से आते हैं। इस श्रेणी में छः सा०क्षे०उ० आते हैं।
3. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में सा०क्षे०उ०: इस श्रेणी में तीन सा०क्षे०उ० आते हैं, जो बाजार प्रतिस्पर्धा में हैं।

**4.4** 31 मार्च 2019 को इन राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश गया है:

#### तालिका 4.3 : राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में क्षेत्रवार निवेश

(₹ करोड़ में)

क्षेत्र	सा०क्षे०उ० की संख्या	निवेश								
		अंश पूँजी			कुल	दीर्घावधि ऋण			कुल	कुल योग
		बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य <sup>8</sup>		बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य		
एकाधिकार क्षेत्र के सा०क्षे०उ०	3	30.34	0.00	0.00	30.34	0.00	0.00	0.00	0.00	30.34
सुनिश्चित आय वाले सा०क्षे०उ०	6	53.55	0.00	0.05	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सा०क्षे०उ०	3	48.52	0.00	37.89	86.41	259.96	0.00	0.00	259.96	346.37
इस प्रतिवेदन में शामिल कुल सा०क्षे०उ०	12	132.41	0.00	37.94	170.35	259.96	0.00	0.00	259.96	430.31
कुल सा०क्षे०उ० जो इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं	58	477.71	31.98	37.51	547.20	3,237.88	0.70	233.42	3,472.00	4,019.20
<b>कुल</b>	<b>70</b>	<b>610.12</b>	<b>31.98</b>	<b>75.45</b>	<b>717.55</b>	<b>3,497.84</b>	<b>0.70</b>	<b>233.42</b>	<b>3,731.96</b>	<b>4,449.51</b>

स्रोत : सा०क्षे०उ० के वार्षिक लेखाओं तथा सा०क्षे०उ० द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2019 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल 12 सा०क्षे०उ० के कुल निवेश (अंश पूँजी तथा दीर्घावधि ऋण) का अंकित मूल्य<sup>9</sup> ₹ 430.31 करोड़ था। कुल निवेश का 39.59 प्रतिशत अंश पूँजी के रूप में तथा 60.41 प्रतिशत दीर्घावधि ऋणों के रूप में था। कुल दीर्घावधि ऋणों का शत प्रतिशत (₹ 259.96 करोड़) राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये थे।

**राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण**

**4.5** 2018–19 के दौरान, राज्य सरकार द्वारा राज्य सा०क्षे०उ० में कोई भी विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण नहीं किया गया था।

<sup>8</sup> इसमें होल्डिंग कम्पनियों, वित्तीय संस्थानों, बैंकों द्वारा निवेश सम्मिलित है।

<sup>9</sup> अभिदाताओं द्वारा चुकाया गया अंश पूँजी/ ऋण की मूल लागत।

### राज्य सांख्योड़ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

**4.6** बिहार सरकार द्वारा वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में राज्य सांख्योड़ को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी राज्य सांख्योड़ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को अंश पूँजी, ऋण, अनुदान/सब्सिडी, अपलिखित ऋण एवं अंश पूँजी में परिवर्तित ऋणों से संबंधित बजटीय बहिर्गमन का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:-

#### तालिका 4.4 : वर्षों के दौरान राज्य सांख्योड़ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दिए गए बजटीय सहायता का विवरण


(₹ करोड़ में)

विवरण <sup>10</sup>	2016-17		2017-18		2018-19	
	सांख्योड़ की संख्या	राशि	सांख्योड़ की संख्या	राशि	सांख्योड़ की संख्या	राशि
अंश पूँजी का बहिर्गमन (i)	2	1.11	5	29.65	4	120.95
दिए गए ऋण (ii)	1	1.34	-	-	3	497.05
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	6	1,018.67	4	789.79	4	1,794.29
<b>कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)</b>	<b>7</b>	<b>1,021.12</b>	<b>9</b>	<b>819.44</b>	<b>10</b>	<b>2,412.29</b>
अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	-	-	-	-	1	873.37
ऋणों का अंश पूँजी में परिवर्तन	1	19.34	-	-	-	-
बकाया गारंटीयां	3	86.15	4	1,018.24	4	1,629.77
<b>गारंटी प्रतिबद्धता</b>	<b>3</b>	<b>2,055.00</b>	<b>4</b>	<b>4,633.00</b>	<b>4</b>	<b>2,733.00</b>

स्रोत : सांख्योड़ से प्राप्त जानकारी तथा सांख्योड़ के वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

मार्च 2019 को समाप्त होने वाले पिछले तीन वर्षों के लिए अंश पूँजी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी स्वरूप बजटीय निर्गमन का विवरण नीचे आरेख में दिया गया है:

#### आरेख 4.1 : पूँजी, ऋण एवं अनुदान/सब्सिडी स्वरूप बजटीय निर्गमन



2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान इन सांख्योड़ को प्राप्त बजटीय सहायता ₹ 819.44 करोड़ से ₹ 2,412.29 करोड़ के मध्य रही। सांख्योड़ को बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी देती है, जिसके लिए गारंटी शुल्क भारित की जाती है। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 7498 दिनांक 05 जुलाई 1974 के अनुसार, अगर गारंटी की रकम ₹ 10 लाख से ज्यादा हो तो सांख्योड़ को गारंटी राशि का 1/8 प्रतिशत वार्षिक

<sup>10</sup> राशि राज्य बजट से केवल निर्गमन दर्शाती है।

गारंटी शुल्क के रूप में देना होता है। 31 मार्च 2019 तक चार कार्यरत साठेहोड़ो थे, जिनके विरुद्ध संग्रहित/बकाया गारंटी ₹ 1,629.77 करोड़ थी। तथापि साठेहोड़ो द्वारा 2018–19 के दौरान गारंटी शुल्क का भुगतान नहीं किया गया था।

### बिहार सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

**4.7** अंश पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियों के संबंध में सारे राज्य साठेहोड़ो के अभिलेखों के आंकड़े बिहार सरकार के वित्त लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों से मेल खाने चाहिए। आंकड़ों का मेल नहीं होने की स्थिति में संबंधित साठेहोड़ो तथा वित्त विभाग को अंतर का मिलान करना चाहिए। इस संबंध में 31 मार्च 2019 तक की स्थिति नीचे दी गई है:

**तालिका 4.5 : बिहार सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य साठेहोड़ो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार अंश पूँजी, ऋण एवं बकाया गारंटियां**

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	साठेहोड़ो के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
अंश पूँजी	876.91	610.12	266.79
ऋण	1,877.42	3,497.84	-1,620.42
गारंटियां	1,316.42	1,629.77	-313.35

स्रोत : साठेहोड़ो एवं वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 70 राज्य साठेहोड़ो में से 48 साठेहोड़ो में इस तरह का अंतर था, जिसे **परिशिष्ट 4.4** में दर्शाया गया है। आंकड़ों में अंतर गत कई वर्षों से जारी है। अंतर के समाशोधन हेतु इस मुद्दे को साठेहोड़ो एवं विभागों के समक्ष समय-समय पर उठाया गया है। मुख्य रूप से शेषों में अंतर बिहार राज्य वित्तीय निगम में पाया गया है। अतः, लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि राज्य सरकार एवं संबंधित साठेहोड़ो को अंतर का समयबद्ध तरीके से समाशोधन कर लेना चाहिए।

### राज्य साठेहोड़ो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

**4.8** 31 मार्च 2019 को सी०ए०जी० के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत कुल 70 राज्य साठेहोड़ो में से 28 कार्यशील साठेहोड़ो थे अर्थात् 25 सरकारी कम्पनियां तथा तीन सांविधिक निगमों और 42 अकार्यशील साठेहोड़ो थी। राज्य के कार्यशील साठेहोड़ो द्वारा लेखाओं को तैयार करने में निर्धारित समय अवधि के पालन की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

#### राज्य साठेहोड़ो द्वारा लेखाओं की तैयारी में समयबद्धता

**4.8.1** वर्ष 2018–19 के लिए सभी साठेहोड़ो द्वारा 30 सितम्बर 2019 तक लेखे अंतिमीकरण किए जाने थे। यद्यपि, 67 सरकारी कम्पनियों (25 कार्यशील कम्पनियां तथा 42 अकार्यशील कम्पनियां) में से किसी भी सरकारी कम्पनी द्वारा 31 दिसम्बर 2019 तक वर्ष 2018–19 के लेखे सी०ए०जी० के समक्ष लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किए थे। पुनः, तीन सांविधिक निगमों (सभी कार्यशील) में से किसी भी सांविधिक निगम द्वारा वर्ष 2018–19 के लेखे 31 दिसम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

31 दिसम्बर 2019 तक<sup>11</sup> सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

**तालिका 4.6 : राज्य सा०क्षे०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के प्रस्तुतीकरण करने की स्थिति**

विवरण	सरकारी कम्पनियाँ / सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ / सांविधिक निगमें			
	सरकारी कम्पनियाँ	सरकारी नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ	सांविधिक निगमें	कुल
31.03.2019 को सी०ए०जी० के लेखापरीक्षा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सा०क्षे०उ० की कुल संख्या	63	04	03	70
घटाव : नए सा०क्षे०उ० जिनके लेखे 2018–19 के लिए बकाया नहीं थे	01	-	-	01
सा०क्षे०उ० की संख्या जिनके लेखे 2018–19 के लिए बकाया थे	62	04	03	69
31 दिसम्बर 2019 तक 2018–19 के लेखे सी०ए०जी० को लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत करने वाले सा०क्षे०उ० की संख्या	-	-	-	-
31 दिसम्बर 2019 तक बकाए लेखाओं वाले सा०क्षे०उ० की संख्या	62	04	03	69
बकाया लेखाओं की संख्या	1,276	06	17	1,299
लेखाओं का विश्लेषण	(i) परिसमापन के अंतर्गत	101	-	-
	(ii) अकार्यशील	1,083	-	-
	(iii) प्रथम लेखे प्रस्तुत नहीं किए	02	03	-
	(iv) अन्य	90	03	17
श्रेणी (iii) एवं (iv) के विरुद्ध लेखाओं का अवधि-वार विश्लेषण	एक वर्ष (2018-19)	08	03	01
	दो वर्ष (2017-18 एवं 2018-19)	06	00	-
	तीन वर्ष या अधिक	78	03	16
				97

स्रोत : लेखा एवं डी०पी० अनुभाग द्वारा बनाए गए त्रैमासिक प्रतिवेदन के आधार पर संकलित।

इन सा०क्षे०उ० की गतिविधियों की निगरानी एवं इन सा०क्षे०उ० द्वारा लेखाओं को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिए जाने को सुनिश्चित करने का दायित्व प्रशासी विभागों पर है। संबंधित विभागों को बकाया लेखाओं के संबंध में निरंतर सूचित किया गया था।

बिहार सरकार ने ₹ 7,633.73 करोड़ (अंश पूँजी : ₹ 231.78 करोड़, ऋण : ₹ 3,015.70 करोड़, पूँजी अनुदान : ₹ 471.54 करोड़, सब्सिडी : ₹ 3,914.71 करोड़) का निवेश 30 सा०क्षे०उ० में किया था, जिनके लेखे 31 दिसम्बर 2019 तक बकाया में थे, जबकि शेष 40 सा०क्षे०उ० में जिन अवधियों के लेखे बकाए में थे, कोई निवेश नहीं किया

<sup>11</sup> 31 दिसम्बर 2019 तक वर्ष 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 के प्राप्त लेखे संज्ञान में लिए गए।

गया था। राज्य सरकार द्वारा इन वर्षों के दौरान, जिनके लेखे बकाये में थे, उनमें किये गये निवेश का साझें वार विवरण **परिशिष्ट 4.5** में दिया गया है।

लेखाओं के अंतिमीकरण एवं अनुवर्ती लेखापरीक्षा के अभाव के कारण उपर्युक्त 30 साझें में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश और व्यय सही रूप से लेखांकित किए गए हैं तथा राशि का इस्तेमाल उन्हीं कार्यों के लिए किया गया है, जिनके लिए राशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया गया था।

#### **राज्य साझें (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं के अंतिमीकरण न होने के प्रभाव**

**4.9** लेखाओं के अंतिमीकरण में विलंब के कारण संबंधित कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा धोखाधड़ी और सार्वजनिक धन के रिसाव का खतरा हो सकता है। लेखाओं के बकाया के उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए राज्य जीडीपी 0 में राज्य साझें (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का वास्तविक योगदान तथा वर्ष 2018–19 के दौरान अर्जित लाभ—हानि के वास्तविक योगदान सहित उनकी लाभप्रदता का पता नहीं लगाया जा सका है तथा राजकोष में उनके योगदान के बारे में राज्य विधानमंडल को प्रतिवेदित नहीं किया गया है।

अतः यह अनुशंसा की जाती है कि प्रशासी विभाग निगरानी रखते हुए लेखाओं के बकाये के निपटारे हेतु जरूरी निर्देश जारी करे। सरकार को कम्पनियां द्वारा लेखाओं को तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर भी ध्यान देना चाहिए तथा बकाए लेखाओं की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

#### **अकार्यशील राज्य साझें का समापन**

**4.10** 31 मार्च 2019 तक 42 राज्य साझें अकार्यशील कम्पनियाँ थीं, जिनमें पूँजी (₹ 196.73 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋणों (₹ 576.71 करोड़) के रूप में कुल निवेश ₹ 773.44 करोड़ था, जो मुख्यतः बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ 342.95 करोड़), बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (₹ 87.41 करोड़) और बिहार स्टेट वाटर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (₹ 59.68 करोड़) में थे।

31 मार्च 2019 को समाप्त पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अंत में अकार्यशील साझें की संख्या नीचे दी गई है:—

**तालिका 4.7 : अकार्यशील राज्य साझें**

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
अकार्यशील साझें की संख्या	44	44	42
इनमें से, साझें की संख्या जो समापन की प्रक्रिया में थे	5	5	5

स्रोत : संबंधित वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (साझें), बिहार सरकार तथा **परिशिष्ट-4.2** में वर्णित जानकारी के आधार पर संकलित।

2018–19 में दर्शाये गए सभी 42 साझें पाँच वर्षों से अधिक समय से अकार्यशील थे। अकार्यशील साझें की स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

#### तालिका 4.8 : अकार्यशील सांक्षेतिकी की स्थिति

क्र०सं०	विवरण	सांक्षेतिकी की संख्या
1	परिसमापन की प्रक्रिया में	5
2	नाम हटाने के लिए आरोड़ोसी० को आवेदन	5
3	बिहार एवं झारखण्ड के मध्य संपत्तियों तथा देनदारियों के बंटवारा न होने के कारण राज्य सरकार द्वारा न्यायालय से परिसमापन की याचिका वापस लेने का निर्णय किया गया	12
4	बिहार एवं झारखण्ड के मध्य संपत्तियों तथा देनदारियों के बंटवारा न होने के कारण परिसमापन की प्रक्रिया विचाराधीन	6
5	राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण के साथ प्रक्रिया के अन्तर्गत	2
6	लेखाओं के अंतिमीकरण न होने के कारण	1
7	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई	11
कुल		42

बिहार सरकार 31<sup>12</sup> अकार्यशील सांक्षेतिकी को समाप्त करने का निर्णय ले चुकी है। हालांकि, शेष 11 सांक्षेतिकी के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

अकार्यशील सांक्षेतिकी के लेखे एक<sup>13</sup> वर्ष से 42<sup>14</sup> वर्षों (प्रारंभ से ही) तक बकाया में थे। इसके बावजूद, बिहार सरकार ने बिहार स्टेट शुगर कॉरपोरेशन लिमिटेड को वेतन के भुगतान, मजदूरी इत्यादि में विगत तीन वर्षों में ₹ 197.93 करोड़ का अनुदान दिया जबकि कम्पनी के लेखे 34 वर्षों से बकाया में है (नवीनतम 1984–85 के लेखे 1996–97 में अंतिमीकृत किए गये)। इन अकार्यशील सांक्षेतिकी की व्यवहार्यता भी संदिग्ध है क्योंकि राज्य जी०डी०पी० में इन अकार्यशील सांक्षेतिकी का कोई योगदान नहीं है। अतः, बिहार सरकार द्वारा इन अकार्यशील सांक्षेतिकी में किया गया निवेश निष्फल हो गया है।

सरकार अन्य अकार्यशील सांक्षेतिकी के समापन के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है।

#### सांविधिक निगमों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

4.11 तीन सांविधिक निगमों में से किसी निगम ने 2018–19 के लेखे 31 दिसम्बर 2019 तक अग्रेषित नहीं किए थे।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एस०ए०आर०), सांविधिक निगमों के लेखाओं पर सी०ए०जी० का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन है। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने होते हैं। सांविधिक निगमों की वार्षिक लेखाओं की स्थिति एवं उनके एस०ए०आर० के विधानमंडल के पटल पर रखे जाने की स्थिति नीचे तालिका में वर्णित की जा रही है:

<sup>12</sup> 42 अकार्यशील सांक्षेतिकी में से, 31 अकार्यशील सांक्षेतिकी समापन के विभिन्न चरणों में थी।

<sup>13</sup> बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड।

<sup>14</sup> बिहार स्कूटर्स लिमिटेड।

**तालिका 4.9 : सांविधिक निगमों के पृथक लेखा प्रतिवेदन के पटल पर रखे जाने की स्थिति**

क्र० सं०	निगम का नाम	लेखाओं के वर्ष जब तक के एस0ए0आर0 राज्य विधानमंडल के पटल पर रखे गए	एस0ए0आर0 के पटल पर रखे जाने की तिथि	वर्ष जब तक के एस0ए0आर0 विधानमंडल के पटल पर नहीं रखे गए	
				लेखाओं के वर्ष	सरकार को निर्गत करने की तिथि
1.	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2014-15	29.03.2016	2015-16 2016-17	16 दिसम्बर 2016 31 जुलाई 2018
2.	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2010-11	26.07.2018	2011-12	08 अगस्त 2019
3.	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम <sup>15</sup>	-	-	1974-75 से 2005-06 (32) विवरण निम्नवत् है 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06	26 दिसम्बर 2007 25 जनवरी 2010 20 मई 2014 10 फरवरी 2015 29 सितंबर 2015

स्रोत : बिहार विधानमंडल सचिवालय द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित।


**राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन**

**4.12** इस प्रतिवेदन में शामिल 12 राज्य सा0क्षे0उ0 के 31 दिसम्बर 2019 तक अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं<sup>16</sup> के अनुसार वित्तीय स्थिति एवं कार्य परिणाम परिशिष्ट 4.1 में दिए गए हैं।

सा0क्षे0उ0 को सरकार द्वारा उपक्रमों में किए गए निवेश पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना अपेक्षित है। राज्य सरकार एवं अन्य द्वारा सा0क्षे0उ0 में कुल निवेश ₹ 430.31 करोड़ था, जिसमें अंश पूँजी ₹ 170.35 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण ₹ 259.96 करोड़ शामिल थे। इनमें से, बिहार सरकार का 12 सा0क्षे0उ0 में ₹ 392.37 करोड़ का निवेश था, जिसमें अंश पूँजी के ₹ 132.41 करोड़ तथा दीर्घावधि ऋण के ₹ 259.96 करोड़ शामिल थे। (**परिशिष्ट 4.3**)

इस प्रतिवेदन में शामिल सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में 2016-17 से 2018-19 की अवधि के दौरान बिहार सरकार के निवेश का वर्ष-वार विवरण नीचे दिया गया है:

**आरेख 4.2 : बिहार सरकार का सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में कुल निवेश**



<sup>15</sup> वर्ष 1974-75 से 2005-06 के पृथक लेखा प्रतिवेदन विधानमंडल में उपस्थापित नहीं किए गए हैं।


<sup>16</sup> वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के अद्यतन अंतिमीकृत लेखे।

कम्पनी की लाभदायकता को पारंपरिक रूप से निवेश पर प्रतिफल (आर0ओ0आई0), अंश पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0ई0) तथा नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (आर0ओ0सी0ई0) से मापा जाता है। निवेश पर प्रतिफल एक निश्चित वर्ष में हुई लाभ अथवा हानि से अंश पूँजी एवं दीर्घावधि ऋणों के रूप में निवेश की गई राशि से मापा जाता है एवं कुल निवेश के लाभ के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। अंश पूँजी पर प्रतिफल प्रदर्शन मापने का एक तरीका है, जिसकी गणना कर के पश्चात के लाभ को अंश धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है, जो कि कम्पनी की लाभप्रदता एवं उस दक्षता को मापता है, जिसके साथ उसकी पूँजी का उपयोग किया जाता है एवं इसकी गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के लाभ को नियोजित पूँजी द्वारा विभाजित कर की जाती है।

### निवेश पर प्रतिफल

**4.13** निवेश पर प्रतिफल लाभ अथवा हानि के कुल निवेश का प्रतिशत है। 2016–17 से 2018–19 के दौरान 12 राज्य साठें०उ० द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानियों<sup>17</sup> की समग्र स्थिति को नीचे आरेख में दर्शाया गया है:

**आरेख 4.3 : वर्षों के दौरान साठें०उ० (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित लाभ/वहन की गई हानि**



**4.13.1** 2018–19 में लाभ अर्जित करने वाले साठें०उ० की संख्या आठ थी। लाभ अर्जन 2016–17 के ₹ 180.11 करोड़ से घटकर 2018–19 में ₹ 68.17 करोड़ हो गई थी। सभी 12 साठें०उ०, हानि वहन करने वाले सहित, में पूँजी पर प्रतिफल 2016–17 में 17.00 प्रतिशत थी, जो घटकर 2018–19 में 6.16 प्रतिशत हो गयी थी। 2018–19 के दौरान साठें०उ० के क्षेत्र–वार लाभ का विवरण तालिका 4.10 में संक्षेप में दिया गया है:

**तालिका 4.10 : साठें०उ० की क्षेत्र–वार लाभप्रदायकता**

क्षेत्र	लाभ अर्जित/हानि वहन करने वाले साठें०उ० की संख्या	कर के बाद लाभ (₹ करोड़ में)	कर के बाद लाभ से कुल लाभ की प्रतिशतता
एकाधिकार क्षेत्र में साठें०उ०	3	-8.96	-
सुनिश्चित आय वाले साठें०उ०	6	123.40	181.02
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले साठें०उ०	3	-46.27	-
<b>कुल</b>	<b>12</b>	<b>68.17</b>	<b>-</b>

चोत : साठें०उ० के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

<sup>17</sup> संबंधित वर्षों के अद्यतन अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार आंकड़े।

**परिशिष्ट 4.1** से यह देखा जा सकता है कि 12 सालों में से सुनिश्चित आय क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत पाँच सालों, एकाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत दो सालों तथा प्रतिस्पर्धी माहौल के अंतर्गत कार्यरत एक सालों ने लाभ अर्जित किया (₹ 138.86 करोड़) था। अग्रेतर, 2018–19 के दौरान प्रतिस्पर्धी माहौल के अंतर्गत कार्यरत दो सालों, सुनिश्चित आय वाले एक सालों तथा एकाधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत एक सालों ने ₹ 70.69 करोड़ की हानि वहन की थी। अतः, इन चार सालों की आत्म निर्भरता संदिग्ध है।

### निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश पर वास्तविक प्रतिफल

**4.14** उन 12 सालों जिनमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किया गया, में निवेश के तुलना में आय का विश्लेषण किया गया, ताकि इन सालों की लाभदायकता की गणना की जा सके। प्रतिफल की परम्परागत गणना केवल ऐतिहासिक लागत के आधार पर होने के कारण निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता का सही सूचक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की गणना धन के वर्तमान मूल्य की उपेक्षा करती है। अतः बिहार सरकार द्वारा निवेश पर प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त उन 12 सालों के निवेश पर प्रतिफल की गणना मुद्रा के ऐतिहासिक लागत के अतिरिक्त वर्तमान मूल्य (पी०भी०) को ध्यान में रखकर भी की गई है। राज्य सरकार द्वारा निवेश के पी०भी० की तुलना जहाँ, राज्य सरकार ने 2000–01 से शुरू होकर 31 मार्च 2019 तक अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्ट ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में निवेश किया गया था, से की गई है। 2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान, इन सालों ने वर्ष 2005–06 से 2018–19 के दौरान निवेश पर धनात्मक प्रतिफल दिया था। अतः इन वर्षों के लिए पूँजी पर प्रतिफल की गणना पी०भी० के आधार पर की गई और दर्शाई गई है।

राज्य सरकार द्वारा इन सालों में निवेश पर वर्तमान मूल्य (पी०भी०) की गणना निम्न धारणाओं से की गई है:

- राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण को धन का निवेश माना गया है। हालांकि, सालों द्वारा ऋण के पुर्णभुगतान किए जाने के मामले में ऋण वर्ष के दौरान के घटे हुए शेष पर पी०भी० की गणना की गई। पूँजी अनुदान के अलावा, अनुदान/सब्सिडी के रूप में दिए गए धन को निवेश नहीं माना गया है, क्योंकि ये निवेश मानने की योग्यता को पूरा नहीं करता है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष<sup>18</sup> के लिए राज्य सरकार के धन के वर्तमान मूल्य की गणना हेतु सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर को डिस्काउंट दर के रूप में अपनाया गया है, क्योंकि यह वर्ष के दौरान निवेश किए गए धन पर सरकार द्वारा वहन की गई लागत को दर्शाता है एवं इसे सरकार द्वारा किए गए निवेश की न्यूनतम अपेक्षित दर के रूप में अपनाया जा सकता है।

**4.15** इन 12 राज्य सालों में 2000–01 से 2018–19 तक की अवधि के लिए ऐतिहासिक लागत के आधार पर राज्य सरकार के अंश पूँजी, ब्याज मुक्त/डिफॉल्ट ऋण तथा पूँजी अनुदान के रूप में धन के निवेश की सालों—वार स्थिति **परिशिष्ट 4.6** में दर्शाई गई है। आगे, इन सालों में समान अवधि के लिए राज्य

<sup>18</sup> सरकारी उधार पर ब्याज की औसत दर संबंधित वर्ष के लिए राज्य वित्त (बिहार सरकार) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन से अपनाई गई थी, जिसमें ब्याज भुगतान के लिए औसत दर के लिए गणना = ब्याज भुगतान/[(पिछले वर्ष की राजकोषीय देयताएं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]\*100.

सरकार के निवेश की वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

**तालिका 4.11 : 2000–01 से 2018–19 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि एवं सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य (पी0भी0) का वर्षवार ब्यौरा**

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरंभ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए ब्याज मुक्त/ डिफाल्ट ऋण तथा अनुदान पूँजी	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन के निवेश की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष के लिए कुल अर्जित आय
i	ii	iii	iv	v=iii+iv	vi	vii=ii+v	viii=vii*(1+ vi/100)	ix= vii*vi/100	x
2000-01	0.00	57.74	18.68	76.42	11.41	76.42	85.14	8.72	-7.66
2001-02	85.14	0.00	0.00	0.00	9.00	85.14	92.80	7.66	-82.79
2002-03	92.80	0.00	83.94	83.94	7.20	176.74	189.47	12.73	-49.31
2003-04	189.47	0.00	12.18	12.18	6.14	201.65	214.03	12.38	-15.11
2004-05	214.03	0.00	41.59	41.59	9.59	255.62	280.13	24.51	-8.66
2005-06	280.13	0.00	7.97	7.97	8.20	288.10	311.73	23.62	13.94
2006-07	311.73	5.00	71.00	76.00	7.15	387.73	415.45	27.72	31.00
2007-08	415.45	0.00	0.00	0.00	7.15	415.45	445.15	29.70	79.89
2008-09	445.15	5.00	29.99	34.99	7.93	480.14	518.22	38.08	54.23
2009-10	518.22	25.00	0.00	25.00	6.48	543.22	578.42	35.20	29.80
2010-11	578.42	20.00	0.18	20.18	6.87	598.60	639.72	41.12	149.35
2011-12	639.72	0.00	0.00	0.00	6.35	639.72	680.35	40.62	188.55
2012-13	680.35	0.00	0.00	0.00	5.79	680.35	719.74	39.39	129.98
2013-14	719.74	0.34	0.00	0.34	6.68	720.08	768.18	48.10	134.81
2014-15	768.18	0.00	0.00	0.00	6.59	768.18	818.80	50.62	254.85
2015-16	818.80	0.00	0.37	0.37	6.58	819.17	873.07	53.90	251.42
2016-17	873.07	19.35	-5.76	13.59	6.42	886.66	943.59	56.92	180.11
2017-18	943.59	0.05	0.00	0.05	6.13	943.64	1,001.48	57.85	68.17
2018-19	1,001.48	0.00	0.00	0.00	6.18	1,001.48	1,063.37	61.89	68.17
<b>कुल</b>	<b>1,063.37</b>	<b>132.48</b>	<b>260.14</b>	<b>392.62</b>		<b>9,968.10</b>			

स्रोत : सा०क्षे०उ० के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष के अंत में इन सा०क्षे०उ० में निवेशित धन राशि का अधिशेष 2000–01 में ₹ 76.42 करोड़ से बढ़कर 2018–19 में ₹ 392.62 करोड़ हो गया था, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा 2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान अंश पूँजी (₹ 74.74 करोड़) तथा ऋण/पूँजी अनुदान (₹ 241.46 करोड़) के रूप में अग्रेतर निवेश किया गया था। 31 मार्च 2019 तक राज्य सरकार द्वारा निवेश की गई राशि का पी०भी० ₹ 1,063.37 करोड़ था। 2000–01 से 2004–05 के दौरान, इन कम्पनियों ने निरंतर हानि वहन की थी। हालांकि, 2005–06 के दौरान, इन कम्पनियों ने कुछ लाभ अर्जित किया, परंतु कुल आय इन सा०क्षे०उ० में निवेशित धन राशि की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल से कम रहा। 2006–07 के पश्चात, 2009–10 को छोड़कर इन कम्पनियों ने निवेशित धन राशि की वसूली के लिए अपेक्षित प्रतिफल हेतु पर्याप्त लाभ अर्जित करना शुरू कर दिया था, क्योंकि

इन सांखेतिक में सुनिश्चित आय वाले छः<sup>19</sup> सांखेतिक ने सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडी इत्यादि से इस अवधि के दौरान पर्याप्त लाभ अर्जित किया था। अग्रेतर, बिहार सरकार ने 2018–19 तक शेष 58 ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त सांखेतिक (41 अकार्यशील सांखेतिक सहित) में अंश पूँजी के रूप में ₹ 340.21 करोड़ तथा ऋण/पूँजी अनुदान ₹ 4,221.90 करोड़ का निवेश किया था। इन सांखेतिक में बिहार सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य 31 मार्च 2019 तक ₹ 8,293.40 करोड़ था, जिसके निवेश पर वास्तविक प्रतिफल का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि विगत तीन वर्षों में लेखाओं का अंतिमीकरण नहीं होने के कारण इनके आय (लाभ/हानि) की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

#### **सांखेतिक के अंश पूँजी पर प्रतिफल**

**4.16** अंश पूँजी पर प्रतिफल (आरोओर्ईड)<sup>20</sup> कम्पनियों के वित्तीय दक्षता का मापन है, जिसकी गणना करों के पश्चात के लाभों को अंश धारकों की निधि से विभाजित करके की जाती है। सांखेतिक की क्षेत्र-वार अंश पूँजी पर प्रतिफल तालिका 4.12 में दर्शाई गई है:

**तालिका 4.12 : क्षेत्र-वार अंश पूँजी पर प्रतिफल**

क्र० सं०	क्षेत्र	2016–17 के दौरान अंश पूँजी पर प्रतिफल		2017–18 के दौरान अंश पूँजी पर प्रतिफल		2018–19 के दौरान अंश पूँजी पर प्रतिफल	
		सांखेतिक की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	सांखेतिक की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	सांखेतिक की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
1	एकाधिकार क्षेत्र के सांखेतिक	3	-	3	-	3	-
2	सुनिश्चित आय वाले सांखेतिक	5	14.54	6	8.35	6	8.35
3	प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सांखेतिक	3	3.24	3	7.96	3	7.96
	<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>17.00</b>	<b>12</b>	<b>6.16</b>	<b>12</b>	<b>6.16</b>

स्रोत : सांखेतिक के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के सांखेतिक एवं सुनिश्चित आय वाले सांखेतिक का अंश पूँजी पर प्रतिफल धनात्मक था वहीं, एकाधिकार क्षेत्र वाले सांखेतिक की आय ऋणात्मक थी, साथ ही निवल मूल्य भी 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऋणात्मक थी। चूंकि कर के बाद लाभ तथा अंश धारकों की निधि, एकाधिकार क्षेत्र वाले सांखेतिक के मामले में ऋणात्मक थी, अतः अंश पूँजी पर प्रतिफल का आकलन नहीं किया जा सका।

यह दर्शाता है कि एकाधिकार माहौल में काम कर रहे सांखेतिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं।

एकाधिकार/सुनिश्चित आय बनाम प्रतिस्पर्धी माहौल वाले क्षेत्रों के अंश पूँजी पर प्रतिफल की तुलना तालिका 4.13 में दर्शाई गई है।

**तालिका 4.13 : एकाधिकार/सुनिश्चित आय बनाम प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले सांखेतिक के अंश पूँजी पर प्रतिफल की तुलना**

वर्ष	एकाधिकार/सुनिश्चित सांखेतिक		प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के सांखेतिक	
	सांखेतिक की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)	सांखेतिक की संख्या	अंश पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत)
2016-17	8	12.38	3	3.24
2017-18	9	6.78	3	7.96
2018-19	9	6.78	3	7.96

स्रोत : सांखेतिक के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

<sup>19</sup> बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, बिहार स्टेट बिवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड तथा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड।

<sup>20</sup> अंश पूँजी पर प्रतिफल = (कर तथा अधिमान लाभांश के बाद कुल लाभ/शेयर पूँजी)\*100 जहां अंश पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय।

### नियोजित पूँजी पर प्रतिफल

**4.17** नियोजित पूँजी पर प्रतिफल एक अनुपात है, जो किसी कम्पनी की लाभप्रदता एवं उसकी दक्षता को उसकी नियोजित पूँजी से मापता है। नियोजित पूँजी पर प्रतिफल की गणना एक कम्पनी के ब्याज एवं करों से पूर्व के आय को नियोजित पूँजी<sup>21</sup> द्वारा विभाजित करके की जाती है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान 12 सालों के नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का विवरण तालिका 4.14 में दिया गया है:

**तालिका 4.14 : नियोजित पूँजी पर प्रतिफल**

वर्षवार क्षेत्रवार ब्यौरा	ब्याज एवं करों से पूर्व के आय (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल (प्रतिशत में)
<b>2016-17</b>			
एकाधिकार माहौल वाले सालों	3.53	193.84	1.82
सुनिश्चित आय वाले सालों	275.65	1,443.91	19.09
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सालों	-1.00	-275.28	0.36
<b>कुल</b>	<b>278.18</b>	<b>1,362.47</b>	<b>20.42</b>
<b>2017-18</b>			
एकाधिकार माहौल वाले सालों	4.83	208.98	2.31
सुनिश्चित आय वाले सालों	167.13	1,477.79	11.31
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सालों	-27.97	-321.01	8.71
<b>कुल</b>	<b>143.99</b>	<b>1,365.76</b>	<b>10.54</b>
<b>2018-19</b>			
एकाधिकार माहौल वाले सालों	4.83	208.98	2.31
सुनिश्चित आय वाले सालों	167.13	1,477.79	11.31
प्रतिस्पर्धी माहौल वाले सालों	-27.97	-321.01	8.71
<b>कुल</b>	<b>143.99</b>	<b>1,365.76</b>	<b>10.54</b>

स्रोत : सालों के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

यह देखा गया कि बिहार राज्य वित्तीय निगम के हानि में वृद्धि के कारण नियोजित पूँजी पर प्रतिफल 2016–17 के दौरान 20.42 प्रतिशत से घटकर 2018–19 में 10.54 प्रतिशत हो गया।

### हानियाँ वहन करने वाले सालों

**4.18** वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान चार सालों ने हानियाँ वहन की थी। इन सालों द्वारा वहन की गई हानियों का विवरण तालिका सं 4.15 में दिया गया है:

**तालिका 4.15 : 2016–17 से 2018–19 के दौरान सालों की संख्या जिन्होंने हानियाँ वहन की**

वर्ष	सालों की संख्या जिन्होंने हानियाँ वहन की	वर्ष के दौरान शुद्ध हानियाँ (₹ करोड़ में)	संचित हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य <sup>22</sup> (₹ करोड़ में)
<b>एकाधिकार माहौल में सालों</b>				
2016-17	1	24.10	-	101.41
2017-18	1	24.10	-	101.41
2018-19	1	24.10	-	101.41

<sup>21</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त अंश पूँजी + मुक्त संचय और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण – संचित हानियाँ – स्थगित राजस्व व्यय।

<sup>22</sup> निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त अंश पूँजी तथा मुक्त संचय एवं अधिशेष का कुल योग घटाव संचित हानियाँ तथा स्थगित राजस्व व्यय। मुक्त संचय का अर्थ है लाभ से बनाए गए सभी संचय और अंश प्रीमियम लेखे किंतु इसमें संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन एवं हास के वापस लेकर बनाए गए संचय सम्मिलित नहीं होते हैं।

वर्ष	साठेहोडा की संख्या जिन्होंने हानियाँ वहन की	वर्ष के दौरान शुद्ध हानियाँ (₹ करोड़ में)	संचित हानियाँ (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य <sup>22</sup> (₹ करोड़ में)
<b>सुनिश्चित आय वाले साठेहोडा</b>				
2016-17	-	-	-	-
2017-18	1	0.17	0.17	-0.07
2018-19	1	0.17	0.17	-0.07
<b>प्रतिस्पर्धी माहौल में साठेहोडा</b>				
2016-17	3	17.36	631.69	-535.24
2017-18	2	46.42	500.17	-411.28
2018-19	2	46.42	500.17	-411.28

स्रोत : साठेहोडा के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

उपर के तालिका में यह देखा जा सकता है कि प्रतिस्पर्धी माहौल वाले तीनों साठेहोडा ने 2016-17 के दौरान हानि वहन की तथा 2018-19 के दौरान दो साठेहोडा ने हानि वहन की। इनकी संचित हानियाँ 2016-17 के ₹ 631.69 करोड़ से घटकर 2018-19 में ₹ 500.17 करोड़ हो गई। यह इन साठेहोडा के आत्म निर्भरता पर विपरीत प्रभाव को दर्शाता है।

### साठेहोडा के निवल मूल्य का क्षरण

**4.19** 31 मार्च 2019 तक, चार साठेहोडा की संचित हानियाँ ₹ 677.59 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 में 12 साठेहोडा में से प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के दो साठेहोडा, सुनिश्चित आय के एक साठेहोडा तथा एकाधिकार क्षेत्र के एक साठेहोडा ने ₹ 70.69 करोड़ की हानि वहन की जबकि एकाधिकार क्षेत्र के दो साठेहोडा, सुनिश्चित आय के पाँच साठेहोडा तथा प्रतिस्पर्धी क्षेत्र के एक साठेहोडा ने ₹ 138.86 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। किसी भी साठेहोडा का समापन/परिसमापन/सामरिक विनिवेश नहीं किया गया था।

प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले तीन साठेहोडा<sup>23</sup> के निवल मूल्य का संचित हानियों के कारण पूर्णतया क्षरण हो गया था तथा 31 मार्च 2019 तक इन साठेहोडा के ₹ 86.40 करोड़ के अंश पूँजी निवेश के विरुद्ध निवल मूल्य (-) ₹ 580.97 करोड़ था।

तीन प्रतिस्पर्धी क्षेत्र वाले साठेहोडा जिनके पूँजी का क्षरण हो गया था, में 31 मार्च 2019 तक बकाया सरकारी ऋण की राशि ₹ 259.96 करोड़ थी।

### लाभांश का भुगतान

**4.20** राज्य सरकार ने कोई भी लाभांश नीति तैयार नहीं की थी, जिसके तहत लाभ अर्जित करने वाली साठेहोडा को न्यूनतम प्रतिफल देना आवश्यक हो।

इस प्रतिवेदन में शामिल 12 साठेहोडा, जहां राज्य सरकार द्वारा 2016-17 से 2018-19 के दौरान अंश पूँजी में निवेश किया गया था, के लाभांश भुगतान संबंधी विवरण नीचे तालिका में दर्शाया गया है :

<sup>23</sup> बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, बिहार राज्य वित्तीय निगम तथा बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।

**तालिका 4.16 : 2016–17 से 2018–19 के दौरान 12 साठेंद्रोजो  
(ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का लाभांश भुगतान**

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल साठेंद्रोजो जहां बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी निवेश किया गया		वर्ष के दौरान लाभ अर्जित करने वाले साठेंद्रोजो		वर्ष के दौरान लाभांश देने/घोषणा करने वाले साठेंद्रोजो		लाभांश भुगतान अनुपात (प्रतिशत में)
	साठेंद्रोजो की संख्या	बिहार सरकार द्वारा अंश पूँजी निवेश	साठेंद्रोजो की संख्या	लाभ अर्जित	साठेंद्रोजो की संख्या	साठेंद्रोजो द्वारा लाभांश भुगतान/घोषणा	
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
2016-17	11	132.36	8	251.57	2 <sup>24</sup>	6.05	2.40
2017-18	12	132.41	8	138.86	2	6.05	4.36
2018-19	12	132.41	8	138.86	2	6.05	4.36

स्रोत : साठेंद्रोजो के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान, आठ साठेंद्रोजो ने लाभ अर्जित किया। तथापि, केवल दो साठेंद्रोजो ने इस अवधि में बिहार सरकार को लाभांश का भुगतान/घोषित किया। 2015–16 में लाभांश भुगतान का अनुपात 2.40 प्रतिशत था तथा 2017–18 एवं 2018–19 में 4.36 प्रतिशत था।

**साठेंद्रोजो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण**

**4.21** साठेंद्रोजो जिनमें 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान ऋणों का लाभ उठाया था, के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण साठेंद्रोजो द्वारा सरकार, बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थानों के ऋणों का पुर्णभुगतान करने के लिए कम्पनियों की योग्यता का मूल्यांकन किया गया है। इसका मूल्यांकन ब्याज व्याप्ति अनुपात के माध्यम से किया गया है।

**ब्याज व्याप्ति अनुपात**

**4.22** ब्याज व्याप्ति अनुपात का उपयोग किसी साठेंद्रोजो के बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता का निर्धारण करने के लिए किया जाता है एवं इसकी गणना ब्याज एवं करों से पूर्व के आय को उसी अवधि के ब्याज व्यय से विभाजित करके की जाती है। अनुपात जितना कम होगा, साठेंद्रोजो की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता उतनी ही कम होगी। एक से कम का ब्याज व्याप्ति अनुपात बताता है कि कम्पनी ब्याज पर अपने व्ययों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रही है। 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान इस प्रतिवेदन में शामिल साठेंद्रोजो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का धनात्मक एवं ऋणात्मक ब्याज व्याप्ति अनुपात का विवरण तालिका 4.17 में दिया गया है:

**तालिका 4.17 : राज्य साठेंद्रोजो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनपर ऋण का दायित्व है, का ब्याज व्याप्ति अनुपात**

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज एवं कर से पूर्व के आय (₹ करोड़ में)	साठेंद्रोजो की संख्या जिन पर ऋण का भार है	साठेंद्रोजो की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक है	साठेंद्रोजो की संख्या जिनका ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से कम है
2016-17	16.36	-1.00	3	1	2
2017-18	18.30	-27.97	3	1	2
2018-19	18.30	-27.97	3	1	2

स्रोत : साठेंद्रोजो के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

तीन राज्य साठेंद्रोजो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जिन पर 2018–19 के दौरान ब्याज वाले ऋण का दायित्व था, एक साठेंद्रोजो का ब्याज व्याप्ति अनुपात एक से अधिक

<sup>24</sup> 2016–17 तथा 2017–18 के दौरान बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (₹ पांच करोड़), बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (₹ 1.05 करोड़)।

था, जबकि शेष दो साठेहोड़<sup>25</sup> का ब्याज व्याप्ति अनुपात ऋणात्मक था, क्योंकि उनके ब्याज एवं करों से पूर्व आय ऋणात्मक थी। यह दर्शाता है कि इन साठेहोड़ ने उपरोक्त अवधि के दौरान खुद के खर्चों का वहन करने हेतु पर्याप्त राजस्व अर्जित नहीं किया था।

उक्त दो साठेहोड़ का निवल मूल्य 31 मार्च 2019 को ऋणात्मक था, जो यह दर्शाता है कि इन साठेहोड़ के दिवालिया होने का खतरा बहुत ज्यादा है।

#### **राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार विश्लेषण**

**4.23** 31 मार्च 2019 को बिहार सरकार द्वारा तीन साठेहोड़ को दिए गए दीर्घावधि ऋणों पर ₹ 217.89 करोड़ के ब्याज बकाये थे। बिहार सरकार द्वारा साठेहोड़ को दिए गए ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार ब्यौरा तालिका 4.18 में दर्शाया गया है:

**तालिका 4.18 : राज्य सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	साठेहोड़ का नाम	ऋणों पर बकाया ब्याज	एक वर्ष से कम के बकाया	एक से तीन वर्षों से बकाया	तीन वर्षों से अधिक के बकाया
1	बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एवं फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.57 <sup>26</sup>	-	0.18	0.39
2	बिहार स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (अकार्यशील)	18.92 <sup>27</sup>	-	-	18.92
3	बिहार राज्य वित्तीय निगम	198.40 <sup>28</sup>	-	54.72	143.68
	<b>कुल</b>	<b>217.89</b>	<b>-</b>	<b>54.90</b>	<b>162.99</b>

स्रोत : साठेहोड़ के अद्यतन अंतिमीकृत वार्षिक लेखाओं के आधार पर संकलित।

#### **राज्य साठेहोड़ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियाँ**

**4.24** 1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 की अवधि के दौरान 16 कार्यशील कम्पनियों ने प्रधान महालेखाकार को 49 लेखापरीक्षित लेखे अग्रसारित किए। 14 लेखाओं को पूरक लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं सी०ए०जी० द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा यह इंगित करता है कि लेखाओं के रख-रखाव की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सी०ए०जी० की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है:

**तालिका 4.19 : कार्यशील कम्पनियों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव**

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	25.61	4	26.09	2	37.90
2.	लाभ में वृद्धि	-	-	-	-	1	4.12
3.	हानि में वृद्धि	1	1.82	-	-	-	-

<sup>25</sup> बिहार राज्य वित्तीय निगम तथा बिहार स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एवं फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।

<sup>26</sup> 2016–17 के अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

<sup>27</sup> 2017–18 के अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

<sup>28</sup> 2017–18 के अंतिमीकृत लेखाओं के अनुसार।

क्र0 सं0	विवरण	2016-17		2017-18		2018-19	
		लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि	लेखाओं की संख्या	राशि
4.	हानि में कमी	-	-	-	-	-	-
5.	महत्वपूर्ण तथ्यों का अप्रकटीकरण	4	14.07	1	39.17	2	4,408.46
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियाँ	-	-	4	1,074.10	1	0.28

स्रोत : सरकारी कम्पनियों के संबंध में सांविधिक लेखापरीक्षकों/सी0ए0जी0 की टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

वर्ष 2018—19 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सभी 49 लेखाओं पर मर्यादित प्रमाण पत्र प्रदान किए थे। सा0क्षे0उ0 द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन कमजोर बना रहा, क्योंकि दो लेखाओं में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करने के नौ मासले इंगित किये गये। अग्रेतर, सी0ए0जी0 ने वर्ष 1999—2000 से 2002—03 के लिए बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के चार लेखाओं के संबंध में गंभीर कमियों के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया।

**4.25** राज्य में तीन सांविधिक निगम हैं यथा (i) बिहार राज्य वित्तीय निगम (वित्तीय निगम) (ii) बिहार राज्य भण्डारण निगम (भण्डारण निगम) तथा (iii) बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (पथ परिवहन निगम)। पथ परिवहन निगम के संबंध में सी0ए0जी0 एकमात्र लेखापरीक्षक है।

1 जनवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक तीन सांविधिक निगमों में से बिहार राज्य भण्डारण निगम तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने क्रमशः 2012—13 तथा 2007—08 से 2008—09 हेतु अपने वार्षिक लेखे अग्रसारित किए। बिहार राज्य भण्डारण निगम तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के लेखाओं को लेखापरीक्षा हेतु चयनित किया गया था। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वर्ष 2012—13 हेतु बिहार राज्य भण्डारण निगम के वार्षिक लेखाओं को मर्यादित प्रमाण पत्र जारी किए थे। सी0ए0जी0 ने वर्ष 2012—13 के बिहार राज्य भण्डारण निगम के लेखाओं पर गंभीर कमियों के कारण मंतव्य देने से मना कर दिया था।

#### अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं

**4.26** 31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों) के प्रतिवेदन हेतु, आठ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाएं संबंधित प्रशासी विभागों के प्रधान सचिवों को इस आग्रह के साथ कि इनके उत्तर छः सप्ताह के अंदर दिए जाए; निर्गत किए गए थे। राज्य सरकार से तीन अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर प्राप्त हो गए थे। आठ अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं का कुल वित्तीय प्रभाव ₹ 403.94 करोड़ है।

#### लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्यवाही

##### लम्बित जवाब

**4.27** भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जांच का परिणाम है। अतः यह आवश्यक है कि इनमें कार्यपालिका की उचित एवं ससमय प्रतिक्रिया परिलक्षित हो। बिहार सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को लोक उपक्रम समिति (कोपू) से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किए गए कंडिकाओं/

निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतीकरण से तीन माह की अवधि के अंदर निर्धारित प्रारूप में उत्तर/स्पष्टीकरण टिप्पणियां विभागों द्वारा प्रस्तुत करने का निर्देश जारी (अप्रैल 2015) किया था।

30 सितम्बर 2019 तक 2016–17 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के पांच कंडिकाओं में से तीन का जवाब/व्याख्यात्मक नोट प्राप्त नहीं हुए थे।

#### **कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा**

**4.28** 30 सितंबर 2019 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा0क्षे0उ0) में सम्मिलित सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा कंडिकाओं पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

**तालिका 4.20 : 30 सितम्बर 2019 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं जिन पर चर्चा की गई**

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा की गई कंडिकाएँ	
	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिकाएँ
2015-16	2	3	-	3
2016-17	2	5	-	2

स्रोत : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोपू में की गई चर्चा के आधार पर संकलित।

#### **कोपू के प्रतिवेदनों का अनुपालन**

**4.29** नवम्बर 2017 से नवम्बर 2018 तक राज्य विधानमंडल में कोपू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर कार्यवाही टिप्पणियां (ए0टी0एन0) राज्य सा0क्षे0उ0 (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से अप्राप्त (30 सितम्बर 2019) थे, जिसे नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

**तालिका 4.21 : कोपू प्रतिवेदनों का अनुपालन**

कोपू प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	कोपू प्रतिवेदनों पर सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की कुल संख्या जहां ए0टी0एन0 प्राप्त नहीं हुए
2015-16	1	-	-
2016-17	3	1	1
2017-18	2	1	1
2018-19	8	2	2
2019-20	2	-	-
<b>कुल</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

स्रोत : कोपू के सिफारिशों पर बिहार सरकार के संबंधित विभागों से प्राप्त ए0टी0एन0 के आधार पर संकलित।

कोपू के उपर्युक्त प्रतिवेदनों में वर्ष 2008–09 से 2014–15 तक की भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित बिहार सरकार के शिक्षा, मद्य निषेध एवं उत्पाद तथा सहकारिता विभागों से संबंधित कंडिकाओं पर सिफारिशों सम्मिलित थी।



## अध्याय-V

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों  
( ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त ) से सम्बन्धित  
अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण



## अध्याय V

### 5. राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षण

इस अध्याय में राज्य सरकार की कम्पनियों के कार्य सम्पादन की नमूना जॉच में पाये गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणामों का समावेश किया गया है।

#### सरकारी कम्पनियाँ

#### बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

##### 5.1 पटना में निर्मित किए जा रहे फ्लाईओवर

**5.1.1** बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी), जो कि राज्य सरकार की एक कम्पनी है, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। कम्पनी का मुख्य उद्देश्य पुलों/सड़कों एवं अन्य संरचनाओं का निर्माण तथा उनका संधारण व उन्नयन करना है। कम्पनी मुख्यतः बिहार सरकार द्वारा निक्षेप कार्य के रूप में दिए गए पुलों के निर्माण संबंधी कार्यों को लागत आधिकाय के आधार पर, अर्थात् सूचीबद्ध लागत तथा सेन्टेज को जोड़ कर, करती है। कम्पनी के प्रबंध निदेशक कम्पनी के रोजमरा के कार्यों हेतु उत्तरदायी होते हैं।

पटना में निर्मित किए जा रहे फ्लाईओवर की लेखापरीक्षा तीन फ्लाईओवर, यथा (i) बेली रोड, पटना पर मल्टी जंक्शन इंटरचेंज (लोहिया पथ चक्र), (ii) मीठापुर फ्लाईओवर तथा भिखारी ठाकुर फ्लाईओवर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर (आर-ब्लॉक फ्लाईओवर) तथा (iii) मीठापुर फ्लाईओवर और चिरैयाटांड फ्लाईओवर को जोड़ने वाली फ्लाईओवर (करबिगहिया फ्लाईओवर), जिनकी परियोजना लागत ₹ 588 करोड़ थी, के निर्माणाधीन होने तथा विलम्बित होने के कारण की गई। फ्लाईओवर का सक्षिप्त विवरण नीचे तालिका में दिया गया है :

क्र० सं०	विवरण	फ्लाईओवर का नाम		
		लोहिया पथ चक्र	आर-ब्लॉक	करबिगहिया
1	प्रशासनिक स्वीकृति की तिथि (राशि)	28 फरवरी 2014 ₹ 391.48 करोड़	31 जुलाई 2015 ₹ 166.15 करोड़	29 जुलाई 2015 ₹ 121.86 करोड़
2	नवीनतम तकनीकी स्वीकृति (आंशिक) की तिथि (राशि)	14 मार्च 2019 ₹ 197.61 करोड़	5 मार्च 2020 ₹ 152.52 करोड़	18 जुलाई 2018 ₹ 42.20 करोड़
3	निविदा आमन्त्रण की तिथि	21 फरवरी 2014	22 जून 2015	22 जून 2015
4	अनुबंध की तिथि (राशि)	22 दिसम्बर 2015 ₹ 381.59 करोड़	12 नवम्बर 2015 ₹ 104.21 करोड़	12 नवम्बर 2015 ₹ 101.75 करोड़
5	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	23 दिसम्बर 2017	11 नवम्बर 2018	11 नवम्बर 2018
6	जून 2020 तक भुगतान (अनुबंध राशि का प्रतिशत)	₹ 120.86 करोड़ (32 प्रतिशत)	₹ 105.31 करोड़ (101 प्रतिशत)	₹ 45.10 करोड़ (44 प्रतिशत)
7	भौतिक पूर्णता की स्थिति प्रतिशत में (जून 2020) <sup>1</sup>	आधार : 88 प्रतिशत उप-संरचना : 78 प्रतिशत अधिसंरचना : 59 प्रतिशत	आधार : 89 प्रतिशत उप-संरचना : 78 प्रतिशत अधिसंरचना : 59 प्रतिशत	आधार : 62 प्रतिशत उप-संरचना : 34 प्रतिशत अधिसंरचना : 19 प्रतिशत
8	नियत समय से विलम्ब (जून 2020)	30 महीने	19 महीने	19 महीने

अक्टूबर 2016 से अप्रैल 2019 तक की अवधि के लिए लेखापरीक्षा मई 2019 से जून 2019<sup>2</sup> के दौरान किया गया। लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या नियमों, विनियमों और निर्माण से संबंधित मानकों यथा भारतीय सड़क कॉंग्रेस, बिहार

<sup>1</sup> लोहिया पथ चक्र परियोजना : सात में से तीन स्थानों पर तथा करबिगहिया परियोजना : एक छोर पर।

<sup>2</sup> 10 मई 2019 को प्रवेश सम्मेलन तथा 03 जुलाई 2019 को निकास सम्मेलन।

वित्त नियमावली, बिहार लोकनिर्माण विभाग संहिता, सरकार के निर्देश और मानक बोली / निविदा दस्तावेजों के प्रावधानों का पालन किया गया था तथा फलाईओवर के निर्माण कार्य को कम्पनी द्वारा मितव्ययी एवं प्रभावपूर्ण तरीके से निष्पादित किया गया था।

### लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्ष की परिचर्चा अनुवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

**फलाईओवर की आवश्यकता का विस्तृत मूल्यांकन न करना तथा उचित अनुमोदन और स्वीकृति प्राप्त किए बगैर कार्य की शुरूआत करना**

**5.1.2** भारतीय सङ्क कॉंग्रेस (आई0आर0सी0 : एस0 पी0 : 54–2000) द्वारा प्रकाशित पुल हेतु परियोजना निर्माण नियमावली (फलाईओवर के लिए भी लागू) के प्रावधानों के अनुसार परियोजना निर्माण के व्यवहार्यता स्तर पर प्रारम्भिक सर्वेक्षण, आंकड़ा संग्रहण और जाँच किये जाने की आवश्यकता है। पुल के बुनियादी डिजाइन, मानकों यथा ट्रैफिक लेन की संख्या, पहुँच पथ इत्यादि का निर्धारण उस पुल का प्रयोग करने वाले यातायात के साधन, उनकी तीव्रता और परिमाण के आधार पर किया जाता है।

बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 (बी0एफ0आर0) के नियम 205 और 208 के अनुसार कोई भी कार्य तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक कि – (i) प्रत्येक मामलों में समुचित प्राधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं कर ली गई हो; (ii) सक्षम प्राधिकारी से व्यय करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गई हो; (iii) उचित रूप से विस्तृत रूपांकण (डिजाइन) स्वीकृत न हो गया हो तथा (iv) संधारित दरों की अनुसूची के आधार पर विस्तृत विशिष्टताओं एवं मात्रा के विभिन्न मदों से संधारित प्रावकलन तैयार न कर लिया गया हो।

अभिलेखों की जाँच (जून 2019) में यह पाया गया कि दो परियोजनाओं (आर-ब्लॉक और करबिगहिया) की योजना बनाते समय फलाईओवर की आवश्यकता का आकलन हेतु यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया था। यातायात गणना/आंकड़ों के बिना फलाईओवर डिजाइन की उपयुक्तता तथा व्यय फलाईओवर में प्रयुक्त ट्रैफिक लेन की संख्या और चौड़ाई यातायात की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम थी, को सत्यापित नहीं किया जा सका।

यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व ही सभी तीन फलाईओवर के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गई थी। यह भी देखा गया कि सक्षम प्राधिकार द्वारा परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति का अनुमोदन चरणबद्ध तरीके से छोटे-छोटे टुकड़ों में किया गया था। कार्य प्रारंभ होने के चार वर्ष बाद भी किसी भी परियोजना की पूरी लम्बाई के लिए तकनीकी रूप से स्वीकृत ड्राइंग और डिजाइन को अंतिम रूप (दिसम्बर 2019) नहीं दिया गया था। अग्रेतर, फलाईओवर के पूरे हिस्से के लिए ड्राइंग और डिजाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बगैर अनुबन्ध किया गया तथा फलाईओवर निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। तकनीकी स्वीकृति से पूर्व संवेदकों को ₹ 66.25 करोड़ का भुगतान भी किया गया था।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए न केवल निविदाओं का आमंत्रण तथा फलाईओवर के कार्यों की शुरूआत की गई बल्कि तकनीकी स्वीकृति से पहले संवेदकों को ₹ 66.25 करोड़ का भुगतान भी किया गया।

कम्पनी ने कहा (जून 2020) कि कार्य के हित में और समयावधि को कम करने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं। हालाँकि, प्रशासनिक

स्वीकृति मिलने के बाद ही कार्य आवंटित किया गया तथा एजेंसियों के साथ अनुबंध करने के पश्चात् ही भुगतान किया गया था। तकनीकी स्वीकृति में इस तकनीकी स्वीकृति से पूर्व किए गए कार्यों और भुगतानों को भी समाहित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी की गतिविधियाँ बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के उपर्युक्त प्रावधानों के उल्लंघन में थीं।

### सलाहकारों को अतिरिक्त भुगतान

**5.1.3** बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 का नियम 30(v) यह प्रावधान करता है कि किसी प्रकार का कोई कार्य बिना अनुबंध निष्पादन के शुरू नहीं किया जाना चाहिए। अग्रेतर, भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2006) सलाहकारों के तैनाती की नीतियों तथा प्रक्रियाओं की नियमावली (नियमावली) की कंडिका 5.1 के अनुसार, एकमुश्त परामर्श अनुबंध का भुगतान किये गए कार्य (आउटपुट) से सम्बद्ध होते हैं एवं नियमावली की कंडिका 5.4 के अनुसार प्रतिशत अनुबंध के मामलों में, जो कि आमतौर पर वास्तुकला सेवाओं में उपयोग की जाती है, सलाहकारों का शुल्क भुगतान सीधे अनुमानित या वास्तविक परियोजना निर्माण लागत से संबंधित होती है।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि कम्पनी द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं में मेसर्स फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (एफ0आई0टी0टी0) आई0आई0टी0, दिल्ली के सेवाओं<sup>3</sup> तथा इनपुट्स को प्राप्त करने के लिए कम्पनी तथा मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 के मध्य समझौता ज्ञापन (एम0ओ0यू0) पर हस्ताक्षर (नवम्बर 2013) किया गया। तत्पश्चात् कम्पनी द्वारा लोहिया पथ चक्र फ्लाईओवर की ड्राइंग और डिजाइन प्राप्त करने हेतु मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 के साथ परियोजना निष्पादन अनुबन्ध (अनुबंध) किया गया (सितम्बर 2016)। अनुबन्ध के निर्धारित शर्तों के अनुसार मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 को कुल परियोजना लागत का 2.5 प्रतिशत (₹ 335 करोड़) तथा लागू कर का भुगतान किया जाना था। मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 द्वारा सात स्ट्रेचों में से चार स्ट्रेचों (हड्डताली मोड़, पुनाईचक, बोरिंग कैनाल रोड तथा हाईकोर्ट) का संरचनात्मक डिजाइन प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, कम्पनी द्वारा अनुबन्ध को समाप्त (जून 2018) कर दिया गया। कम्पनी द्वारा मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 को कुल ₹ 6.04 करोड़<sup>4</sup> का भुगतान किया गया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- कम्पनी द्वारा बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के प्रावधान का उल्लंघन कर अनुबंध किये बिना मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 को ₹ 4.08 करोड़ का भुगतान किया गया।
- अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार ₹ 0.46 करोड़ की पहली किस्त का भुगतान अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के बाद मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 को किया जाना था जबकि 30 प्रतिशत की दूसरी किस्त का भुगतान सभी आधारों (फाउंडेशन), हाईकोर्ट स्थित पुल की उप-संरचना (सब-स्ट्रक्चर) तथा ललित भवन जंक्शन स्थित पुल की विस्तृत डिजाइन तथा ड्राइंग प्रस्तुत करने के बाद किया जाना था। परन्तु यह देखा गया है कि बिना अपेक्षित कार्य किये ही ₹ 1.50 करोड़ की दूसरी किस्त का भुगतान मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 को कर दिया गया था।

<sup>3</sup> (i) पूर्ण वास्तुशिल्पीय ड्राइंग, सरेखण ड्राइंग; (ii) यातायात के सुचारू प्रवाह हेतु निकटवर्ती सड़क का उन्नयन; (iii) सड़क के अनुप्रस्थ काट; (iv) संकल्पित सामान्य परिपाठी ड्राइंग; (v) प्रारम्भिक संरचनात्मक डिजाइन; (vi) प्रारूप परिमाण विपत्र (बी0ओ0क्यू0); (vii) सांकेतिक लागत; (viii) विस्तृत संरचनात्मक डिजाइन एवं (ix) सत्यापित ड्राइंग/निर्माण हेतु ड्राइंग।

<sup>4</sup> समझौता ज्ञापन पर आधारित ₹ 4.08 करोड़ तथा अनुबन्ध के उपरान्त ₹ 1.96 करोड़।

कम्पनी द्वारा अनुबन्ध के निष्पादन के बिना भुगतान के मामले पर कोई जवाब नहीं दिया गया। अग्रेतर, कम्पनी द्वारा कहा (जून 2020) गया कि अनुबन्ध के अनुसार विभिन्न उपलब्धियों के आधार पर किये जाने वाले भुगतान के बजाय केवल तीन स्थानों से संबंधित सभी डिजाइनों और ड्राइंग उपलब्ध कराने के लिए भुगतान किया गया था।

जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्पनी द्वारा अनुबन्ध के प्रावधानों का उल्लंघन कर भुगतान किया गया था। अनुबन्ध के अनुसार सभी आधारों (फाउंडेशन) की विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग तथा हाईकोर्ट स्थित पुल की उप-संरचना (सब-स्ट्रक्चर) का विस्तृत डिजाइन और ड्राइंग प्रस्तुत किया जाना था जिसे एफ0आई0टी0टी0 देने में विफल रहा था।

**5.1.4 बिहार वित्त (संशोधन)** नियमावली का नियम 131 जेड0 जी0 यह प्रावधान करता है कि यदि किसी विशेष सलाहकार का चयन आवश्यक हो तथा विभाग के समग्र हित में एकल-स्रोत से चयन का पर्याप्त कारण उपलब्ध हो तो कुछ विशेष परिस्थितियों के तहत सलाहकार का चयन नामांकन के आधार पर किया जा सकता है। एकल-स्रोत चयन के औचित्य को संचिका में दर्ज किया जाना चाहिए तथा ऐसे एकल-स्रोत चयन प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिए। अग्रेतर, भारत सरकार द्वारा जारी (अगस्त 2006) सलाहकारों के तैनाती की नीतियों तथा प्रक्रियाओं की नियमावली (नियमावली) की कांडिका 5.1 के अनुसार एकमुश्त परामर्श अनुबंध के मामलों में भुगतान किए गए कार्य (आउटपुट) से सम्बद्ध होते हैं।

अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि मेसर्स एफ0आई0टी0टी0 (डिजाइन सलाहकार) के प्रस्ताव पर कम्पनी द्वारा मेसर्स प्लानिंग इनोवेशन एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज (पिक्स) को लोहिया पथ चक्र के पर्यवेक्षण सलाहकार के रूप में ₹ 11.89 करोड़<sup>5</sup> (तथा अतिरिक्त लागू कर) की लागत पर नियुक्त किया गया था। कम्पनी, डिजाईन कंसल्टेंट (मेसर्स एफ0आई0टी0टी0) तथा मेसर्स पिक्स के बीच एक त्रिपक्षीय अनुबन्ध (दिसम्बर 2016) किया गया। अनुबन्ध के अनुसार कम्पनी मेसर्स पिक्स को उनके कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर मासिक भुगतान कर रही थी। कम्पनी ने पर्यवेक्षण सलाहकार पर ₹ 10.86 करोड़ का व्यय (जून 2020) किया था।

इस संबंध में लेखापरीक्षा ने पाया कि :

- कम्पनी ने बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन कर एकल-स्रोत से चयन हेतु पूर्ण औचित्य दर्ज किए बिना, जो कि नियमावली के अंतर्गत आवश्यक था, नामांकन के आधार पर मेसर्स पिक्स को नियुक्त किया था।
- उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार पर्यवेक्षण सलाहकार का भुगतान किए गए कार्य (आउटपुट) या वास्तविक परियोजना निर्माण लागत के अनुसार होना चाहिए था। किन्तु मेसर्स पिक्स को डिजाईन सलाहकार के प्रस्ताव के अनुसार मासिक आधार पर भुगतान किया गया। यदि भुगतान किए गए कार्य से संबंधित होता तो जून 2020 तक जहाँ ₹ 10.86 करोड़ का भुगतान किया गया था कम्पनी केवल ₹ 3.45 करोड़<sup>6</sup> के भुगतान करने के लिए ही दायी होती। इसके परिणामस्वरूप कम्पनी द्वारा ₹ 7.41 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

कम्पनी द्वारा जवाब में कहा गया कि यह परियोजना एक विशेष प्रकार की परियोजना थी तथा इसके पेटेंट डिजाईन की संकल्पना एफ0आई0टी0टी0, जो भारत की एक प्रमुख संस्थान है, ने की थी तथा कार्य करने की जानकारी एवं पेटेंट अधिकार मेसर्स

<sup>5</sup> अनुमानित परियोजना लागत अर्थात् ₹ 335 करोड़ का 3.55 प्रतिशत।

<sup>6</sup> ₹ 11.89 करोड़ × मार्च 2019 तक एजेंसी को वास्तविक भुगतान/एजेंसी को कार्य आदेश की राशि = ₹ 11.89 करोड़ × ₹ 110.70 करोड़ / ₹ 382 करोड़ = ₹ 3.45 करोड़।

पिक्स के पास थी। इसलिए एफ0आई0टी0टी0 की सिफारिश पर मेसर्स पिक्स को पर्यवेक्षण सलाहकार नियुक्त किया गया। प्रबंधन द्वारा ₹ 7.41 करोड़ के अतिरिक्त भुगतान संबंधी आपत्ति पर कोई जवाब नहीं दिया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकल-चयन के लिए पूर्ण औचित्य दर्ज किए बिना नामांकन के आधार पर सलाहकार की नियुक्ति किया जाना बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। अग्रेतर, पेटेंट केवल डिजाइन के लिए था और कम्पनी द्वारा डिजाइन के उपयोग हेतु एफ0आई0टी0टी0 को रॉयल्टी शुल्क का भुगतान किया जा रहा था। अतः कम्पनी द्वारा पर्यवेक्षण कार्य के लिए सलाहकार के रूप में मेसर्स पिक्स की नियुक्ति की आवश्कता का विस्तृत औचित्य दर्ज किया जाना चाहिए था।

#### **परियोजना निधि पर ₹ 16.90 करोड़ का अधिक भार**

5.1.5 विभाग द्वारा दी गई परियोजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति में सिविल कार्य घटकों<sup>7</sup>, मूल्य निष्प्रभावीकरण<sup>8</sup> तथा सेंटेज<sup>9</sup> शामिल थे। अतः सेंटेज आय की गणना में संबंधित आधारभूत परियोजनाओं की गैर-सिविल घटक लागत यथा परामर्श शुल्क, पर्यवेक्षण शुल्क, शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

कम्पनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सेंटेज अर्जित करती है। इसलिए, प्रशासनिक स्वीकृति के प्रावधान के अनुसार डिजाइन/पर्यवेक्षण सलाहकार का भुगतान कम्पनी द्वारा अपने सेंटेज आय से वहन किया जाना चाहिए था। किन्तु लेखापरीक्षा द्वारा पाया गया कि कम्पनी इन खर्चों को परियोजना निधि पर भारित करती आ रही थी तथा उस पर सेंटेज भी दर्ज कर रही थी। लोहिया पथ चक्र परियोजना के लिए कम्पनी द्वारा ₹ 16.90 करोड़ (डिजाइन के लिए ₹ 6.04 करोड़ और पर्यवेक्षण सलाहकार के लिए ₹ 10.86 करोड़) परियोजना निधि पर भारित (दिसम्बर 2019) किया गया तथा उस पर ₹ 1.52 करोड़ सेंटेज के रूप में दर्ज किया गया जिसके फलस्वरूप राजकोष पर ₹ 18.42 करोड़ का भार पड़ा।

अवलोकन को स्वीकार करते हुए कम्पनी द्वारा कहा (जून 2020) गया कि पर्यवेक्षण सलाहकार सेवाओं सहित किसी भी अतिरिक्त सेंटेज की राशि को भविष्य में किए जाने वाले व्ययों/अंतिम विपत्रों से समायोजित कर लिया जाएगा।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2020), जवाब प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

#### **निष्कर्ष :**

ड्राइंग और डिजाइन की उपलब्धता सुनिश्चित किए बिना पटना में फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा था। प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व निविदाएँ आमंत्रित की गई थीं तथा तकनीकी स्वीकृति से पूर्व भुगतान किया गया था। इसके अलावा, न तो सलाहकारों के चयन में पारदर्शिता रखी गई थीं तथा न ही भुगतान निष्पादित कार्य/किए गए कार्य के अनुसार किया गया था। परिणामस्वरूप कार्य समाप्ति के नियत समय में वृद्धि हुई तथा सलाहकारों को अनुचित लाभ दिया गया। उपरोक्त कार्य पद्धति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 31 मार्च 2010 को समाप्त हुए वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) (कंडिका सं0 2.11.1 और 2.14.2) तथा 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) (कंडिका सं0 2.1.7, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.21

<sup>7</sup> पुल का कार्य, सड़क का कार्य, जल निकासी और संरक्षण कार्य।

<sup>8</sup> सिविल कार्य घटकों के योग पर आठ प्रतिशत की दर से।

<sup>9</sup> सिविल कार्य घटकों के योग पर नौ प्रतिशत की दर से।

तथा 2.1.28) द्वारा भी सरकार को प्रतिवेदित किया गया था। हालांकि, बिहार सरकार द्वारा इन महत्वपूर्ण मुद्दों, जो कि वित्तीय स्वामित्व एवं विवेक के खिलाफ जाते हैं, को संबंधित करना बाकी है।

### बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड

#### 5.2 आय कर का परिहार्य भुगतान

कम्पनी द्वारा अस्वीकार्य मदों पर सेन्टेज प्रभारित करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 23.97 करोड़ के अतिरिक्त आय कर का भुगतान करना पड़ा बल्कि राजकोष पर कुल ₹ 61.73 करोड़ का भार भी पड़ा।

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार द्वारा सौंपी गई आधारभूत परियोजना का क्रियान्वयन करती है। आधारभूत परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी बिहार सरकार से निर्धारित दर<sup>10</sup> पर एजेन्सी प्रभार/सेन्टेज प्राप्त करती है। बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 126 में कहा गया है कि ऐसी योजना, जिस पर अनुमानित व्यय ₹ 25,000 से अधिक हो, का एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जायेगा और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगा। विस्तृत प्राक्कलन के इस अनुमोदन को ‘तकनीकी स्वीकृति’ कहा जाता है।

परियोजना की तकनीकी स्वीकृति के अनुसार, एजेन्सी शुल्क को असैनिक कार्य लागत घटकों अर्थात् सिविल निर्माण लागत और पर्यवेक्षण शुल्क, के प्रतिशत के रूप में गणना करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, संबंधित परियोजनाओं के गैर-असैनिक लागत घटकों, जैसे भूमि अधिग्रहण लागत, वनों के लिए अनापत्ति और उपयोगिताओं के स्थान बदलाव इत्यादि, जोकि बिहार सरकार द्वारा अलग से प्रदान की जाती है, को एजेन्सी शुल्क की गणना में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

कम्पनी के अभिलेखों की जाँच से पता चला (जून 2019) कि कम्पनी ने तकनीकी स्वीकृति का उल्लंघन करते हुए अपने आठ<sup>11</sup> परियोजनाओं पर 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान कुल ₹ 771.61 करोड़ के लागत के विरुद्ध ₹ 61.73 करोड़ के गलत सेन्टेज आय उन लागत घटकों पर दर्ज की थी जोकि एजेन्सी शुल्क/सेन्टेज की गणना<sup>12</sup> के लिए योग्य नहीं थे (**परिशिष्ट 5.1**)। इसके अलावा, कम्पनी ने 2013–14 से 2017–18 की अवधि के दौरान इस बढ़े हुए आय पर कुल ₹ 23.97<sup>13</sup> करोड़ के आय कर का भी भुगतान किया। गैर-सिविल घटकों पर सेन्टेज के गलत लेखांकन का मामला वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लिए कम्पनी के खातों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के टिप्पणियों में भी शामिल किया गया था।

यदि कम्पनी सेन्टेज का लेखांकन सिर्फ असैनिक निर्माण लागत पर करती, जैसा कि तकनीकी स्वीकृति में बताया गया है, तो न केवल ₹ 23.97 करोड़ के अतिरिक्त

<sup>10</sup> जिन परियोजनाओं की लागत ₹ 250 करोड़ तक हो, एजेन्सी प्रभार आठ प्रतिशत एवं आकस्मिक प्रभार एक प्रतिशत और यदि परियोजना लागत ₹ 250 करोड़ से ज्यादा हो तो एजेन्सी प्रभार सात प्रतिशत एवं आकस्मिक प्रभार एक प्रतिशत भारित होगा।

<sup>11</sup> गंगापथ परियोजना, राज्य उच्चपथ (एस0एच0)–78, एस0एच0–83, एस0एच0–81, एस0एच0–88, एस0एच0–90, पी0पी0पी0 और छ: लेन गंगा सेतु परियोजना।

<sup>12</sup> विज्ञापन, सलाहकारी, निर्माण अवधि के दौरान ब्याज, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण सलाहकार, ऋण आवेदन शुल्क इत्यादि।

<sup>13</sup> परिहार्य भुगतान की गणना 2013–14 से 2017–18 तक पाँच वित्तीय वर्षों के अवधि के दौरान कम्पनी द्वारा कुल ₹ 61.73 करोड़ के एजेन्सी शुल्क की गलत पहचान के कारण बढ़े हुए आय पर आय कर के भुगतान के आधार पर की गई है।

आय कर भुगतान को टाला जा सकता था बल्कि राजकोष पर ₹ 61.73 करोड़ के अतिरिक्त भार को भी टाला जा सकता था।

विभाग ने कहा (अगस्त 2020) कि एजेन्सी चार्ज की गणना कुल परियोजना लागत के आधार पर, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के दिनांक 19 नवम्बर 2009 के संकल्प के अनुसार किया गया था।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पथ निर्माण विभाग का उक्त संकल्प सिर्फ परियोजना लागत पर सेन्टेज प्रभार की दर निर्धारित करता है। यह सेन्टेज प्रभार की गणना के घटकों और प्रक्रिया को परिभाषित नहीं करता है जो कि प्रत्येक परियोजना के लिए तकनीकी स्वीकृति में अलग से किया जाता है। इसके अलावा, उक्त आठ परियोजना के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त की गई तकनीकी प्राक्कलन और स्वीकृति बताती थी कि सेन्टेज आय की गणना केवल परियोजना के सिविल घटक के लागत पर की जानी है। कम्पनी को, परियोजना के सिर्फ असैनिक लागत घटकों पर सेन्टेज प्रभारित किये जाने की आवश्यकता थी न कि गैर-असैनिक लागत घटकों पर।

इस प्रकार कम्पनी द्वारा अस्वीकार्य मदों पर सेन्टेज प्रभारित करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 23.97 करोड़ के अतिरिक्त आय कर का भुगतान किया गया बल्कि राजकोष पर ₹ 61.73 करोड़ का भार भी पड़ा।

### 5.3 ब्याज की हानि

**बचत बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 14.56 करोड़ के ब्याज की हानि।**

कुशल और प्रभावी निधि प्रबंधन, वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के पर्याप्त तरलता के साथ-साथ उचित माध्यमों में अधिशेष कोषों के उचित निवेश द्वारा साधनों के सबसे बेहतर ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करता है। ग्राहकों को दोनों सुविधाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए अधिकांश बैंक अपने बचत बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा प्रदान करते हैं, जिसमें पूर्व निर्धारित एक निश्चित सीमा से ऊपर की शेष राशि अपने आप उच्च ब्याज दर अर्जित करने वाली कई सावधि जमाओं में परिवर्तित हो जाती है। ये सावधि जमा तरल होते हैं और ग्राहकों की आवश्यकतानुसार कोई भी देनदारी वाली लेन-देन होने की स्थिति में अंतिम आना और पहले जाना (लीफो) के आधार पर स्वचालित रूप से विखंडित हो जाते हैं।

कम्पनी के मुख्यालय और इसके दो परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पी0आई0यू0), छ: लेन गंगा सेतु पी0आई0यू0 और बिहारशरीफ पी0आई0यू0, के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया (जून 2009) कि कम्पनी ने अपनी निधियों को वर्ष 2016–17 से 2018–19 की अवधि के दौरान अपने पटना स्थित मुख्यालय कार्यालय के पटना में 12 से 14 बचत बैंक खाते, छ: लेन गंगा सेतु पी0आई0यू0 के एक बचत बैंक खाता और बिहारशरीफ पी0आई0यू0 के पाँच बचत बैंक खातों में रखा था जिन पर प्रति वर्ष 3.5 प्रतिशत से चार प्रतिशत की दर से ब्याज अर्जित हो रही थी। कम्पनी परियोजना निधि तथा उसके स्वयं की निधि की पहचान कर अलग-अलग नहीं रख रही थी तथा इसे कम्पनी के वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18<sup>14</sup> के लिए कम्पनी के लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा में टिप्पणी के रूप में भी इंगित किया गया था।

<sup>14</sup> वित्तीय वर्ष 2016–17 और 2017–18 के लिये कम्पनी के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की क्रमशः टिप्पणी सं0 3.2 एवं 3.3।

बैंक विवरणी के नमूना जाँच के दौरान, यह पाया गया कि उक्त अवधि में मुख्यालय के 10 बैंक खातों, बिहारशरीफ पी0आई0यू0 के चार बैंक खातों तथा छ: लेन गंगा सेतु के एक बैंक खाते में न्यूनतम मासिक शेष राशि ₹ 2.44 लाख से ₹ 202.74 करोड़ निष्क्रिय पड़ी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने अपने मौजूदा बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा को सक्रिय करने के लिए कोई प्रयास या अपने बैंक से कोई पत्राचार नहीं किया था क्योंकि इस संबंध में कोई भी पत्राचार दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं थे। कम्पनी, इन सभी बचत बैंक खातों को ऑटो स्वीप सुविधा के बिना संचालित कर रही थी। यदि कम्पनी ने इन खातों पर ऑटो स्वीप की सुविधा का लाभ लिया होता तो निष्क्रिय पड़े निधि (परियोजना निधि के साथ ही कम्पनी की अपनी निधि) पर 2016–17 से 2018–19<sup>15</sup> की अवधि में ₹ 14.56<sup>16</sup> करोड़ (**परिशिष्ट 5.2**) का अतिरिक्त ब्याज अर्जित किया होता।

इस प्रकार, बचत बैंक खातों में ऑटो स्वीप की सुविधा का लाभ उठाने में विफलता के परिणामस्वरूप सरकार के परियोजना निधियों और अपने स्वयं के निधियों पर ₹ 14.56 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

विभाग ने जवाब दिया (जुलाई 2020) कि प्रत्येक बैंक एक निश्चित परिपक्वता सीमा जैसे कि एक वर्ष के लिये सावधि जमा में ऑटो स्वीप की सुविधा देता है। सावधि जमा के परिपक्वता पूर्व आहरण पर बैंक दंड अधिरोपित करती है जोकि उस अवधि के लिए देय ब्याज दर से 0.50 प्रतिशत से एक प्रतिशत की दर से लगायी जाती है, जो प्रभावी रूप से प्रत्याय को कम करती है। इसके अलावा, ₹ एक करोड़ और उसके अधिक राशि के संस्थागत वृहत जमा के लिये 6.90 प्रतिशत की सावधि जमा ब्याज दर लागू नहीं है। इस लिए समय–समय पर उत्पन्न होने वाले वित्तीय दायित्वों की आवृत्ति एवं अनिश्चित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऑटो स्वीप की सुविधा का लाभ उठाये बिना बचत बैंक खाते में निधियाँ रखी गई हैं।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऑटो स्वीप सावधि जमा बिल्कुल तरल या नकद की तरह है और कार्यशील पूँजी प्रबंधन को प्रभावित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, ब्याज के हानि की गणना निष्क्रिय पड़े न्यूनतम मासिक शेष पर की गई है। इसके अलावा, कम्पनी का अपने बैंकों को ₹ एक करोड़ से कम राशि के गुणकों में ऑटो स्वीप सावधि जमा बनाने के लिये स्थायी निर्देश जारी करने चाहिए थे जिस पर आकर्षक सावधि जमा दर भी प्राप्त होती तथा कम्पनी की शुद्ध प्राप्ति भी कभी–कभार लगने वाले जुर्माने, यदि कोई हो, के बावजूद अधिक होती।

<sup>15</sup> ब्याज की हानि की गणना संबंधित बैंकों की पूर्वनिर्धारित सीमा की कटौती के बाद बचत बैंक खातों में न्यूनतम मासिक शेष पर किया गया है जो एक वर्ष की स्वीप ब्याज दर लगभग 6.90 प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त ब्याज की दर लगभग 3.40 प्रतिशत से 2.90 प्रतिशत (अर्थात 6.90 प्रतिशत – 3.50 / 4 प्रतिशत) पर किया गया है।

<sup>16</sup> यद्यपि, यह बचत बैंक खाता खोलने के बाद से ही जारी था, लेकिन वर्ष 2016–17 से 2018–19 तक की अवधि ही वर्तमान समय की प्रासंगिकता को ध्यान में रखते हुए, ब्याज के हानि की गणना के लिए संज्ञान में ली गई है।

#### 5.4 कम ब्याज दर वाले सावधि जमाओं में निवेश से हानि

**कम मूल्यवर्ग के सावधि जमाओं में निवेश न करने के कारण कम्पनी ने ₹ 1.34 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया।**

अच्छी वित्तीय प्रबंधन के मूल सिद्धांतों में से एक है कि किसी व्यावसायिक इकाई के आधिक्य कोषों को इस तरह से निवेशित किया जाए कि व्यावसायिक इकाई के संसाधनों को अधिकतम किया जा सके। कम्पनियाँ अपने आधिक्य कोषों को बैंकों में सावधि जमा के रूप में संचित करती हैं ताकि संसाधनों को अधिकतम किया जा सके। विभिन्न बैंक सावधि जमाओं पर अलग-अलग समयावधि एवं जमा की अलग-अलग राशियों पर अलग-अलग दर से ब्याज देती है। अतः, कम्पनी को अपने संसाधनों को अधिकतम करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से सावधि जमाओं के लिए सबसे उचित राशि और अवधि का चुनाव करना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच (जुलाई 2019) से पता चला कि बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) के मुख्य महाप्रबंधक (सी0जी0एम0) ने परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पी0आई0यू0) को निर्देश (23 मार्च 2017) जारी किया था कि वे (क) पी0आई0यू0 द्वारा पूर्व में निष्पादित किए गए कार्यों और (ख) पी0आई0यू0 द्वारा किए जा रहे वर्तमान कार्यों के संबंध में कम्पनी द्वारा प्राप्त एजेंसी शुल्क और आकस्मिक प्रभार के बराबर राशि सावधि जमाओं में निवेश करें और कम्पनी के मुख्यालय में उक्त सावधि जमाओं के मूल प्रमाण पत्र जमा करें।

तदनुसार, कम्पनी ने अपने पाँच परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के माध्यम से मार्च 2017 में चार बैंकों के सात सावधि जमाओं में ₹ 103.18 करोड़ की राशि (संचित सेंटेज और आकस्मिक आय की राशि) का निवेश किया। इन सातों सावधि जमाओं पर प्रस्तावित ब्याज दर 4.85 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत तक थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एक ही परिपक्वता अवधि के लिए जमा राशि पर, बैंक द्वारा ₹ एक करोड़ से अधिक की जमा राशि की तुलना में ₹ एक करोड़ से कम की जमा राशि पर प्रस्तावित ब्याज दर ज्यादा थी।

तदनुसार, जैसा कि निम्नांकित तालिका में दिया गया है, कम्पनी ब्याज दर के अन्तर का लाभ उठाकर इन निवेशों पर अधिकतम प्रत्याय प्राप्त करने हेतु अपने निवेशों को कम मूल्य वर्ग के सावधि जमाओं में निवेशित कर सकती थी।

क्र0 सं0	बैंक	निवेश इकाई	निवेश की राशि (₹ करोड़ में)	ब्याज दर (%)	बैंक जमा की सबसे अच्छी ब्याज दर < एक करोड़ (%) / बैंक
1.	आई0सी0आई0सी0आई बैंक	पी0आई0यू0, समस्तीपुर	15.00	61.00	6.90/ आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक
		पी0आई0यू0, गंगा पथ	11.00		
		पी0आई0यू0, दीघा	10.00		
		पी0आई0यू0, छ: लेन गंगा सेतु	25.00		
2.	एच0डी0एफ0सी0 बैंक	पी0आई0यू0, गंगा पथ		35.00	5.00
3.	केनरा बैंक	सी0पी0आई0यू0, पटना		4.00	4.85
4.	एक्सिस बैंक			3.18	6.25
<b>कुल निवेशित राशि</b>			<b>103.18</b>		

हालाँकि, ऐसा नहीं करने से कम्पनी ने ₹ 1.34 करोड़ के अतिरिक्त ब्याज अर्जित करने का अवसर खो दिया (परिशिष्ट 5.3)।

विभाग ने कम्पनी के जवाब का समर्थन करते हुए कहा (फरवरी 2020) कि बिहार में सृजन घोटाले को ध्यान में रखते हुए सभी पी0आई0यू0 के अपने विभिन्न बैंक खातों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। इसके अलावा, मुख्य सचिव, बिहार सरकार ने केवल ऐसे बैंक खातों के संचालन के निर्देश जारी किये थे (अगस्त 2017) जिनमें योजना/परियोजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना/परियोजना से संबंधित निधि संचित किया जाना था। इसलिए, कम्पनी ने उक्त संबंधित बैंकों की सावधि जमाओं में निवेश किया न कि अन्य बैंकों के सावधि जमाओं में जिनपर ब्याज की दर अधिक थी।

विभाग द्वारा दिये गये तर्क वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि ये आदेश एकाधिक बैंक खातों नहीं खोलने के निर्देश का अनुपालन करते हुए कम्पनी को नामित बैंकों में अपने कोषों को बेहतर ब्याज दरों पर निवेश करने और अपने निवेशों को विवेकपूर्ण तरीकों से उपयोग करने को प्रतिबंधित नहीं करता था जिससे कि निष्क्रिय जमाओं पर ब्याज अर्जित करने के अवसर चूक न जाए।

#### बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

##### 5.5 अपने स्रोतों से सेवाकर का परिहार्य भुगतान।

सेवा प्रदान करने के सकल मूल्य पर सेवाकर एकत्र करने में कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 10.09 करोड़ के सेवाकर और उसपर दार्ढिक ब्याज के ₹ 6.41 करोड़ का स्वयं के स्रोतों से परिहार्य भुगतान।

वित्त अधिनियम, 1994 (अधिनियम) के अध्याय V की धारा 67 और 68 के प्रावधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कर योग्य सेवा प्रदान करने वाला, प्रत्येक व्यक्ति सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित की गई सकल राशि के संदर्भ में निर्दिष्ट दर पर सेवाकर का भुगतान करेगा। इसके अलावा, धारा 75 में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 68 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गये नियमों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते में कर या उसके किसी भाग को जमा करने में विफल रहता है, तो वह साधारण ब्याज<sup>17</sup> का भुगतान करने का उत्तरदायी है।

बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी), बिहार सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों और अन्य कार्यालयों को मानवशक्ति भर्ती सेवा, व्यवसायिक सहायक सेवाएँ आदि सहित कई सेवाएँ प्रदान करती है। कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएँ सकल मूल्य पर सेवाकर के भुगतान के उद्देश्य से कर योग्य सेवाओं<sup>18</sup> के दायरे में आती हैं।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया (अक्टूबर 2019) कि अधिनियम में प्रदान की गई सेवा के सकल मूल्य पर सेवा कर लगाने के बजाए सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किए गए (जुलाई 2012) आदेश के अनुसार कम्पनी केवल अपने सेवा शुल्क के आधार पर ही सेवा कर वसूल रही थी। कम्पनी आदेश में त्रुटि (गलती) को उजागर करने में विफल रही, फलस्वरूप, कम्पनी ने अपनी विभिन्न सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं

<sup>17</sup> उस दर पर, जो 10 प्रतिशत से कम और 36 प्रतिशत प्रतिवर्ष से अधिक नहीं हो, जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उसके लिए तय किया गया है, जब तक कि कर या उसके किसी भाग का विलम्ब से भुगतान किया गया हो।

<sup>18</sup> अधिनियम की धारा 67 सेवाकर भारित करने के लिए कर योग्य सेवाओं के मूल्यांकन को निर्धारित करती है।

से कम सेवाकर (जुलाई 2014 तक) वसूल किया था और इसी के अनुसार प्राधिकार को सेवाकर का कम भुगतान किया था। हालाँकि, कम्पनी ने बाद में सुधार किया और अगस्त 2014 में प्रदत्त सेवा के सकल मूल्य पर सेवा कर को शामिल करते हुए मानवशक्ति आपूर्ति के पारिश्रमिक से संबंधित आदेश जारी किया।

सेवाकर अधिकारियों ने कम्पनी के खिलाफ जाँच शुरू की (मार्च 2017)। इस बीच कम्पनी ने अपनी स्वयं की गणना के आधार पर स्वेच्छा से 2013–14 एवं 2014–15 की अवधि के लिए ₹ 13.25 करोड़<sup>19</sup> का सेवा कर के रूप में उत्पाद शुल्क विभाग को भुगतान (फरवरी 2018) किया। इसके बाद, कम्पनी ने बचे हुए बकाए के विरुद्ध अपनी गणना के आधार पर सेवाकर के रूप में ₹ 77.14 लाख का भुगतान भी जून 2018 में कर दिया। उत्पाद शुल्क विभाग ने ₹ 20.19 करोड़ के (अप्रैल 2013 से जून 2017 के दोरान) सेवाकर नहीं भुगतान/कम भुगतान के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी (सितम्बर 2018) किया। हालाँकि, मामला सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के तहत सुलझा (फरवरी 2020) लिया गया था और कर देयता ₹ 10.09 करोड़ अर्थात् ₹ 10.09 करोड़ की कर राहत के साथ तय की गई थी। तदनुसार, देय कर राशि के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए, अदायगी (डिस्चार्ज) प्रमाण पत्र के अनुसार कम्पनी ने शेष राशि ₹ 2.48 करोड़<sup>20</sup> का भुगतान किया (मार्च 2020)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि कम्पनी को केवल अपने सेवा शुल्क पर सेवा कर लगाने के बजाय विभिन्न सेवा प्राप्तकर्ताओं को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के सकल मूल्य पर सेवा कर की राशि का संग्रह एवं भुगतान करना था। फलस्वरूप, कम्पनी ने अपने स्वयं के स्रोतों से सेवाकर के रूप में ₹ 16.50 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से ₹ 10.09 करोड़ सेवा प्राप्तकर्ताओं से वसूल किया जाना चाहिए था। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार यदि कम्पनी प्रदान की गई सेवा के सकल मूल्य पर सेवा कर एकत्र करती तो यह कुल ₹ 16.50 करोड़ के भुगतान, जिसमें कि ब्याज की राशि ₹ 6.41 करोड़ शामिल है, के भुगतान से बच सकती थी।

इस प्रकार, कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवा के सकल मूल्य पर सेवाकर संग्रह करने में विफलता के कारण स्वयं के स्रोतों से ₹ 10.09 करोड़ के सेवाकर और उसपर ₹ 6.41 करोड़ के दाण्डिक ब्याज का भुगतान करना पड़ा।

प्रबंधन ने जवाब दिया (मार्च 2020) कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश के अनुपालन और व्याख्यात्मक मुद्दों के कारण सेवाकर का कम भुगतान हुआ था, गलती का संज्ञान होने पर, अगस्त 2014 से आवश्यक सुधार किया गया और पिछले वर्षों में स्वयं के स्रोतों से किए गए भुगतान का प्रशासनिक विभाग से दावा किया गया है।

कम्पनी को सेवाकर के प्रावधानों की जानकारी होनी चाहिए थी तथा अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा हेतु प्रासंगिक गलत आदेश को सुधारने के लिए तुरन्त अपने प्रशासनिक विभाग का ध्यान आकृष्ट करना चाहिए था। अगर कम्पनी ने इस मामले को पहले ही उठा लिया होता, तो वह अपने स्वयं के स्रोतों से ₹ 10.09 करोड़ के सेवाकर के भुगतान से न केवल बच सकती थी बल्कि उसके दाण्डिक ब्याज के रूप में ₹ 6.41 करोड़ के भुगतान से भी बच सकती थी। आगे, हालाँकि प्रशासनिक

<sup>19</sup> ₹ 6.84 करोड़ और उस पर ब्याज ₹ 6.41 करोड़।

<sup>20</sup> ₹ 10.09 करोड़ – ₹ 7.61 करोड़ (अर्थात् ₹ 6.84 करोड़ + ₹ 0.77 करोड़)।

विभाग से राशि का दावा किया गया है, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति की जानी बाकी है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (जनवरी 2020), जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2020)।

### बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड

#### 5.6 खाद्य सब्सिडी प्राप्त न होना

**वार्षिक लेखों के अंतिमीकरण न होने के कारण, कम्पनी ₹ 212.50 करोड़ की खाद्य सब्सिडी प्राप्त करने में विफल रही।**

बिहार खाद्यान्नों की खरीद के लिए खरीफ विपणन सत्र 2013–14 से एक विकेन्द्रीकृत खरीद<sup>21</sup> (डी०सी०पी०) राज्य है। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (कम्पनी), बिहार सरकार की एजेन्सी है जो भारत सरकार की ओर से धान / कस्टम मिल्ड राईस (सी०एम०आर०) की खरीद, मूल्य समर्थन प्रणाली के तहत करती है। किसानों से प्राप्त धान प्राथमिक कृषि सहकारी साख समिति (पैक्स) के माध्यम से मिलिंग के लिए भेजा जाता है। परिवर्तित सी०एम०आर० को कम्पनी के सी०एम०आर० गोदामों में प्राप्त किया जाता है, जहाँ से वह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी०पी०डी०एस०) के तहत लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आगे वितरण के लिये भेजा जाता है। सम्पूर्ण व्यय का वहन भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति के आधार पर किया जाता है।

सहमति ज्ञापन<sup>22</sup> (दिसम्बर 2013) के अनुसार, सी०एम०आर० की आर्थिक लागत भारत सरकार द्वारा औपबंधिक तौर पर निर्धारित की जानी थी जिसे लेखापरीक्षित वार्षिक खातों को समर्पित करने पर अंतिम रूप से समायोजित किया जाना था। स्वीकार्य दावों के 90 प्रतिशत की दर से अग्रिम तिमाही सब्सिडी उस तिमाही में खाद्यान्नों के वितरण के प्रत्याशित स्तर के आधार पर जारी की जानी थी। अग्रिम की राशि केवल पिछली तिमाही के उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर ही विमुक्त की जानी थी। औपबंधिक सब्सिडी, भारत सरकार द्वारा निर्धारित औपबंधिक आर्थिक लागत और विक्रय प्राप्ति के बीच अंतर राशि के बराबर विमुक्त की जानी थी।

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान और विपत्रीकरण से संबंधित अभिलेखों की जाँच से पता चला (दिसम्बर 2019) कि खरीफ विपणन सत्र 2013–14 से 2018–19 के लिए सी०एम०आर० की खरीद के औपबंधिक दरों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के पत्र में निहित प्रावधान के अनुसार, कम्पनी द्वारा प्रत्येक सत्र के अंत में और किसी भी स्थिति में उस वित्तीय वर्ष, जिसमें सत्र की समाप्ति हुई, के समाप्त होने के 12 महीनों के पहले अपने प्रासंगिक व्ययों का दावा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित खातों के साथ एवं प्रत्येक मद हेतु दस्तावेजी साक्ष्य विस्तृत विवेचन के साथ भेजना आवश्यक है।

<sup>21</sup> विकेन्द्रीकृत खरीद (डी०सी०पी०) योजना, जिसे भारत सरकार ने 1997–98 में आरंभ किया था, के तहत राज्य सरकार खाद्यान्नों की खरीद का कार्य करती है जबकि केन्द्रीकृत खरीद के अंतर्गत भारत सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) खरीद का कार्य करती है। दोनों मामलों में केंद्र सरकार सम्पूर्ण व्यय को वहन करती है।

<sup>22</sup> खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार तथा खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, बिहार सरकार के मध्य।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2003–04 से कम्पनी के लेखापरीक्षित अंतिम खाते बकाया में हैं। जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षित खातों के साथ अंतिम दावा नहीं भेजा जा सका। अतः, लेखापरीक्षित अंतिम खातों को जमा नहीं करने के कारण, भारत सरकार ने ₹ 212.50 करोड़ की खाद्य सब्सिडी की शेष राशि की प्रतिपूर्ति नहीं की है।

इसके अलावा, कम्पनी नकद साख खातों के माध्यम से सी०एम०आर० खरीद की गतिविधि को संपादित करती रही है। अतः, कम्पनी ने 2019–20 तक प्राप्य खाद्य सब्सिडी के संचित शेष पर लगभग ₹ 48.09<sup>23</sup> करोड़ के ब्याज का भी वहन किया।

कम्पनी द्वारा दावा किये गये खाद्य सब्सिडी और डी०सी०पी० ऑपरेशन की शुरुआत, अर्थात् खरीफ विपणन सत्र 2013–14 से 2018–19, तक प्राप्त प्रतिपूर्ति एवं ब्याज भार का विवरण नीचे दिया गया है :

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	कम्पनी द्वारा दावा किया गया सब्सिडी	कम्पनी द्वारा प्राप्त सब्सिडी	शेष बकाया राशि	क्रमिक जोड़	ब्याज दर (प्रतिशत में)	ब्याज भार
2013-14	14.61	14.40	0.21	-	-	-
2014-15	1,808.32	1,781.92	26.40	0.21	10.20	0.02
2015-16	3,621.30	3,566.61	54.69	26.61	9.60	2.55
2016-17	2,801.54	2,758.70	42.84	81.30	8.30	6.75
2017-18	2,940.02	2,896.73	43.29	124.14	8.30	10.30
2018-19	2,046.81	2,001.74	45.07	167.43	8.25	13.81
2019-20	-	-	-	212.50	6.90	14.66
<b>कुल</b>						<b>48.09</b>

इस प्रकार, अपने वार्षिक खातों को अंतिम रूप न देने के कारण, कम्पनी ₹ 212.50 करोड़ की खाद्य सब्सिडी प्राप्त करने में विफल रही। इसके अलावा, ऊपर दिए गए गणना के अनुसार कम्पनी ने प्राप्य खाद्य सब्सिडी के संचित शेष राशि पर लगभग ₹ 48.09 करोड़ की ब्याज की राशि का भी वहन किया।

कम्पनी ने अपने जवाब में अवलोकन को स्वीकार किया और कहा (फरवरी 2020) कि लेखापरीक्षित खातों को जमा नहीं किए जाने के कारण राशि (₹ 212.50 करोड़) रोक ली गयी थी। खातों की सांविधिक लेखापरीक्षा का कार्य प्रगति पर है। तथापि इतनी लंबी अवधि तक लेखाओं के अंतिमीकरण नहीं किए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (फरवरी 2020); जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (मई 2020)।

<sup>23</sup> रुड़िवादी दृष्टिकोण के आधार पर उस विशेष वर्ष में नकद ऋण खातों पर वार्षिक ब्याज की न्यूनतम दर को मानकर।

## बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

### 5.7 संवेदक को अनुचित लाभ

कम्पनी ने एक जल परियोजना के निष्पादन में हुए विलंब के विरुद्ध क्षतिपूर्ति दण्ड की अल्प कटौती कर संवेदक को ₹ 1.96 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

शहरी विकास और आवास विभाग, बिहार सरकार (विभाग) ने फुलवारीशरीफ जलापूर्ति परियोजना का क्रियान्वयन बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को दिया था (दिसम्बर 2009)। कम्पनी ने जल आपूर्ति वितरण प्रणाली के निरूपण, बिछाने, परीक्षण और चालू करने, घरेलू सेवा संबंध, आर0सी0सी0 ओवरहेड टैंक का निर्माण, भूमिगत जलाशय (यू0जी0आर0), पम्प हाउस और स्टाफ क्वार्टर का निर्माण साथ ही पाँच वर्ष की अवधि तक समग्र प्रणाली का संचालन एवं रख-रखाव करना था, के लिए निविदा<sup>24</sup> (जुलाई 2011) आमंत्रित किया, जिसमें निर्माण अवधि 15 महीने निर्धारित की गयी थी। कम्पनी ने फुलवारीशरीफ जलापूर्ति परियोजना को ₹ 27.69 करोड़ की प्राककलित लागत पर संवेदक को टर्न-की अनुबंध के आधार पर आवंटित किया (अक्टूबर 2011)। तदनुसार, कम्पनी ने संवेदक के साथ एक अनुबन्ध किया (दिसम्बर 2011)।

परियोजना के अनुबन्ध में यह निर्धारित था कि यदि संवेदक निर्धारित तिथि के अंदर सम्पूर्ण काम को या किसी भाग को सम्बद्ध समय में, यदि लागू थे, पूरा करने में विफल रहता है, तब संवेदक, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति दण्ड<sup>25</sup> के रूप में अनुबंध की राशि का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से, निर्धारित समाप्ति तिथि के बाद से समाप्ति तिथि तक के लिए भुगतान करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि परियोजना से संबंधित कार्य निर्धारित समय सीमा के अंदर पूर्ण नहीं किया गया था। परियोजना विलम्बित रहने के कारण 31 मार्च 2015 तक के लिए अवधि विस्तार स्वीकृत की गई थी। परियोजना विस्तारित समयावधि में भी पूर्ण नहीं की जा सकी और यह समाप्ति के लिए विस्तारित समयावधि से 725 दिनों के विलम्ब के बाद 25 मार्च 2017 को पूर्ण की गयी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि संवेदक, नियोक्ता को क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में अनुबंध की राशि का 0.10 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था (अनुबंध की राशि के 10 प्रतिशत की उच्चतम सीमा तक, जैसा कि बिहार सरकार द्वारा सभी कार्य विभागों के लिए 2006 में अनुमोदित मानक बोली दस्तावेज में निर्धारित की गयी है।)

इसकी जगह, कम्पनी ने मनमाने ढंग से अनुबंध मूल्य के स्थान पर केवल विपत्र मूल्य के 10 प्रतिशत की ही कटौती की थी (सितम्बर 2015) जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 2.77 करोड़ (अनुबंध मूल्य के 10 प्रतिशत की सीमा तक) की राशि की जगह क्षतिपूर्ति दण्ड के रूप में केवल ₹ 81.10 लाख की राशि की कटौती ही संवेदक के विपत्र से की गई, जिसके परिणामस्वरूप संवेदक से ₹ 1.96 करोड़ की कम कटौती हुई।

<sup>24</sup> पैकेज बुडको/पी0एच0एफ0/डब्ल्यूएस0/12बी (पी0डब्ल्यूएस0)।

<sup>25</sup> भाग-3 (अनुबंध की शर्तों) की धारा-43.1.

प्रबंधन ने अपने जवाब में कहा (जनवरी 2020) कि कार्य सम्पादन में विलम्ब के लिए संवेदक पूरी तरह उत्तरदायी नहीं था इसलिए अधिकतम दंड नहीं लगाया गया और सितम्बर 2015 में जारी कार्यालय आदेश के अनुसार संवेदक पर दंड लगाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 2015 के कार्यालय आदेश के अनुसार विस्तारित पूर्णता तिथि के बाद हुए कार्य पर 10 प्रतिशत की दर से दंड की राशि भारित किया जाना था न कि अनुबंध की राशि का। लेकिन यह दंड उस अनुबंध में लागू था जहाँ कि क्षतिपूर्ति दण्ड धारा का उल्लेख अनुबन्ध में नहीं हो। प्रस्तुत मामले में क्षतिपूर्ति दण्ड धारा अनुबन्ध का एक हिस्सा थी।

इसके अलावा, चूँकि क्षतिपूर्ति दण्ड अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार लगाया गया था, विलम्ब के लिए संवेदक जिम्मेदार था। इसलिये प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है।

क्षतिपूर्ति दण्ड की राशि को नियत तिथि के बाद किये गये कार्यों के 10 प्रतिशत तक सीमित करने का प्रबंधन का निर्णय त्रुटिपूर्ण था क्योंकि यह आदेश फुलवारीशरीफ जलापूर्ति परियोजना पर लागू नहीं था और यह संवेदक को अनुचित लाभ के रूप में परिणत हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जनवरी 2020), जवाब प्रतीक्षित है (मई 2020)।

## 5.8 ब्याज की हानि

**बिना किसी त्वरित आवश्यकता के बैंक ड्राफ्ट बनाकर तथा उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से खर्च मानकर कम्पनी ने वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन किया, जिसके कारण ₹ 1.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।**

बिहार कोषागार संहिता, 2011 का नियम 253 यह प्रावधानित करता है कि सभी प्रकार के आपूर्तियों का भुगतान मापी पुस्तिका में दर्ज मापी के आधार पर किया जाएगा। अग्रिम भुगतान के अलावा कोई भी भुगतान तब तक अधिकृत नहीं किया जा सकता जब तक कि एक उत्तरदायी अधिकारी मात्रा एवं दर, कार्य/आपूर्ति की गुणवत्ता एवं सभी गणनाओं की जाँच कर, उस दावे की यथार्थता को स्वीकृत नहीं करता है। अतः, भुगतान के अनुमोदन के पश्चात ही डिमांड ड्राफ्ट/चेक इत्यादि द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए।

अभिलेखों की जाँच से पता चला (सितम्बर 2019) कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना—शहरी आधारभूत संरचना एवं संचालन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.—यू.आइ.जी.) योजना के शहरी बस एवं यातायात योजना के तहत संस्थीकृत 227 बसों के क्रय के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (कम्पनी) को ₹ 58.19 करोड़ स्वीकृत किया (16 अगस्त 2016)। तदनुसार, 18 अगस्त 2016 को ₹ 58.19 करोड़ की राशि कम्पनी को इस निर्देश के साथ आवंटित किया गया कि बसों का क्रय कर 31 अगस्त 2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित कर दिया जाए।

कम्पनी ने मेसर्स भी.0ई0 कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड (आपूर्तिकर्ता) को ₹ 24.73 लाख प्रति बस की दर से 227 बसों के क्रय के लिए क्रयादेश निर्गत किया (24 अगस्त 2016)। इसके पश्चात कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता को दिसम्बर 2016 तक सभी बसों की

आपूर्ति करने का निर्देश दिया (16 सितम्बर 2016)। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता को अग्रिम के तौर पर ₹ 2.95 करोड़ की राशि का भुगतान किया (18 नवम्बर 2016)। लेखा परीक्षा ने आगे पाया कि कम्पनी ने ₹ 55.24 करोड़, जोकि शेष आवंटित राशि थी, का डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवा लिया (30 नवम्बर 2016) और सारे डिमाण्ड ड्राफ्ट कम्पनी के पास रहने के बावजूद भी नवम्बर 2016 में पूरी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत कर दिया।

इस संबंध में, लेखा परीक्षा ने पाया कि:

- डिमाण्ड ड्राफ्ट आपूर्तिकर्ता से प्राप्त प्रोफार्मा बीजक (30 सितम्बर 2016) के आधार पर बिना बसों की आपूर्ति लिये हुए बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 253 का उल्लंघन कर बनवाये गये थे। बाद में, 215 बसों<sup>26</sup> की आपूर्ति (दिसम्बर 2016 से मार्च 2017) के पश्चात आपूर्तिकर्ता को डिमाण्ड ड्राफ्ट नवीनीकृत करवाकर भुगतान किये गये (अप्रैल 2017 एवं नवम्बर 2017)। इस प्रकार, कम्पनी के पास धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 16 दिनों से 484 दिनों तक निष्क्रिय पड़ी रही। चूंकि धनराशि डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में पड़ी रही, इस कारण इस पर कोई ब्याज भी अर्जित नहीं हो पाया। इसके कारण परियोजना निधि पर ₹ 1.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।
- इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने विभाग को अपने पास उपलब्ध राशि के वास्तविक उपयोग के बिना उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया।

बिना किसी त्वरित आवश्यकता के बैंक ड्राफ्ट बनाकर तथा उन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र के उद्देश्य से खर्च मानकर कम्पनी ने वित्तीय विवेक के सिद्धांतों का उल्लंघन किया जिसके कारण ₹ 1.38 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

प्रबंधन ने कहा (दिसम्बर 2019) कि सभी बस आपूर्तिकर्ता द्वारा 27 दिसम्बर 2016 से 06 फरवरी 2017 तक आपूर्ति कर दिये गये थे। कम्पनी ने आपूर्तिकर्ता द्वारा जमा किये गये प्रोफार्मा बीजक के आधार पर उनके पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाकर, नगर विकास एवं आवास विभाग के माध्यम से भारत सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्र 30 नवम्बर 2016 को समर्पित कर दिया ताकि धनराशि उसी उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सके, जिसके लिए वो स्वीकृत की गयी थी। पूरी प्रक्रिया सद्भाव एवं कार्य हित को ध्यान में रखकर अपनायी गयी थी। संगठन का मुख्य उद्देश्य कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करवाना है न कि ब्याज कमाना।

भुगतान या उसकी प्रक्रिया बसों की आपूर्ति मिलने और बीजक की प्राप्ति के पश्चात ही की जानी चाहिए। वास्तविक क्रय एवं सामान की प्राप्ति के बिना अग्रिम में डिमाण्ड ड्राफ्ट बनवाना नियमित नहीं था। आहरित राशि के आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना, वास्तविक उपयोगिता नहीं दर्शाता था। यह वास्तविक लोक व्यय के अपेक्षित उद्देश्य/योजना पर खर्च के साक्ष्य के रूप में उपयोगिता प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता को नष्ट करता है। इसके कारण राजकोष को ब्याज की हानि भी हुई।

---

<sup>26</sup> करों में वृद्धि के कारण, मात्र 215 बसों की आपूर्ति ली गयी थी।

बिहार सरकार को यह भी परामर्श दी जाती है कि ऐसे स्वीकृति आदेशों, जैसा कि प्रस्तुत मामले में 227 बसों के क्रय के लिए मात्र 13 दिनों का समय दिया गया था, को फिर से देखे/समीक्षा करे, ताकि अनुदान प्राप्तकर्ता एजेंसियों द्वारा उन परिस्थितियों को टाला जा सके जो इस तरह के अविवेकशील वित्तीय व्यवहार का कारण बनती है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित था (दिसम्बर 2019), जवाब अभी भी प्रतीक्षित है (अप्रैल 2020)।

पटना  
दिनांक : 28 जून 2021

(रामावतार शर्मा)  
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक : 01 जुलाई 2021

(गिरीश चंद्र मुमू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट



### परिशिष्ट – 1.1

(कांडिका 1.8 एवं 1.10 में संदर्भित)

फूजा क्षेत्र के उपक्रमों, जिनके लेखे नवीनतम वर्ष के लिए अन्तिमीकृत किये गये हैं, का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

							(₹ करोड़ में)	
क्र0 सं0	फूजा क्षेत्र के उपक्रमों के नाम एवं गतिविधि	लेखाओं की अवधि	ब्याज एवं कर के पूर्व कुल लाभ / हानि	टर्नओवर बाद कुल लाभ / हानि	शोधर आवेदन पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी <sup>1</sup>	निवल मूल्य <sup>2</sup>	संचित लाभ / हानि
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
<b>अ. उत्पादन</b>								
1	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2018-19	-299.12	-299.12	15.76	4,812.96	531.88	-4,281.08 <sup>3</sup>
	<b>उप-कुल (अ)</b>		<b>-299.12</b>	<b>-299.12</b>	<b>15.76</b>	<b>4,812.96</b>	<b>531.88</b>	<b>-4,281.08</b>
<b>ब. संचरण</b>								
2	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2018-19	579.45	147.28	965.88	7,589.23	8,295.32	7,906.85
3	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का संयुक्त उपक्रम)	2018-19	207.52	24.84	275.59	343.37	1,599.93	391.43
	<b>उप-कुल (ब)</b>		<b>786.97</b>	<b>172.12</b>	<b>1,241.47</b>	<b>7,932.6</b>	<b>9,895.25</b>	<b>8,298.28</b>
							<b>365.68</b>	

<sup>1</sup> नियोजित पूँजी = प्रदत्त शेयर पूँजी+मुक्त संचय एवं अधिशेष+दिवार्धित ऋण – संचित हानि – स्थगित राजस्व व्यय। आँकड़े नवीनतम वर्ष के अनुसार हैं जहाँ तक के साझेक्स030 के लेखे अन्तिमीकृत हैं।

<sup>2</sup> निवल मूल्य प्रदत्त पूँजी एवं मुक्त संचय तथा अधिशेष में से संचित हानि तथा स्थगित राजस्व व्यय के घटाव के बाद का योग है।

<sup>3</sup> वर्ष के दौरान ₹ 1,102.06 करोड़ के समायोजन के पश्चात।

क्र0 सं0	फर्जी क्षेत्र के उपक्रम के नाम एवं गतिविधि की अवधि	लेखाओं के पूर्व कुल लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के बाद कुल लाभ/ हानि	टर्नओवर पूँजी सहित प्रदत्त पूँजी	शेयर आवेदन पूँजी	नियोजित मूल्य	संचित लाभ/हानि		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>स. वितरण</b>									
4	नांथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2018-19	-452.69	-595.64	6,417.09	10,398.02	8,453.68	7,034.68	-3,363.34
5	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (क्र0 सं0 6 का अनुषंगी)	2018-19	-1,678.29	-1,813.09	7,419.35	11,014.59	3,830.90	2,724.84	-8,289.75
	<b>उप-कुल (स)</b>		<b>-2,130.98</b>	<b>-2,408.73</b>	<b>13,836.44</b>	<b>21,412.61</b>	<b>12,284.58</b>	<b>9,759.52</b>	<b>-11,653.09</b>
<b>द. अन्य</b>									
6	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	2018-19	0.00	0.00	0.00	35,133.90	35,572.40	35,133.90	0.00
	<b>उप-कुल (द)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>35,133.90</b>	<b>35,572.40</b>	<b>35,133.90</b>	<b>0.00</b>
	<b>कुल योग (अ+ब+स+द)</b>		<b>-1,643.13</b>	<b>-2,535.73</b>	<b>15,093.67</b>	<b>69,292.07<sup>4</sup></b>	<b>24,297.61</b>	<b>19,737.08</b>	<b>-15,568.49</b>

<sup>4</sup> ₹ 69,292.07 करोड़ की प्रदत्त पूँजी में बिहार स्टेट पावर होलिंग कम्पनी लिमिटेड की ₹ 33,986.48 करोड़ (₹ 10,398.02 करोड़ + ₹ 11,014.59 करोड़ + ₹ 4,812.96 करोड़ + ₹ 7,589.23 करोड़ + ₹ 343.37 करोड़ / 2) की राशि सम्मिलित है जो इसने अपनी अनुषंगियों (क्र0सं0 2, 4 एवं 5) तथा संयुक्त उपक्रम कम्पनी (क्र0सं0 3) में पुनर्निवेश किया था। अतः इसे निवेश, निवल मूल्य तथा नियोजित पूँजी की गणना में सम्मिलित नहीं किया गया।

## परिशिष्ट – 1.2

(कांडिका 1.8 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राज्य फर्ज के साथै००३० से सम्बन्धित पूँजी तथा बकाये ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

क्र0 सं०	साथै००३० के नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	वर्ष 2018–19 के अन्त में <sup>५</sup>			वर्ष 2017–18 के अन्त में <sup>५</sup> दीर्घावधि ऋण				
				बिहार सरकार <sup>६</sup>	भारत सरकार <sup>७</sup>	कुल	बिहार सरकार	भारत सरकार	कुल		
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ											
1	बिहार स्टेट पावर (होलिंग) कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	16.04.2012	35,133.90	0.00	0.00	35,133.90	438.50	0.00	0.00	438.50
2	बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	29.06.2012	0.00	0.00	4,812.96	4,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	29.06.2012	0.00	0.00	7,589.23	7,589.23	388.47	0.00	0.00	388.47
4	नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	06.07.2012	0.00	0.00	10,398.02	10,398.02	253.11	0.00	1,165.89	1,419.00
5	साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	29.06.2012	0.00	0.00	11,014.59	11,014.59	43.69	0.00	1,062.37	1,106.06
6	बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड	ऊर्जा विभाग	04.01.2013	0.00	0.00	343.37	343.37	0.00	0.00	1,208.50	1,208.50
	<b>कुल</b>			<b>35,133.90</b>	<b>0.00</b>	<b>34,158.17</b>	<b>69,292.07</b>	<b>1,123.77</b>	<b>0.00</b>	<b>3,436.76</b>	<b>4,560.53</b>

<sup>5</sup> इसमें शेयर आवेदन पूँजी सम्मिलित है।<sup>6</sup> बिहार सरकार।<sup>7</sup> भारत सरकार।

### परिशिष्ट –2.1

(कंडिका 2.1 (अ) में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को आर0एपी0डी0आर0पी0 (भाग–बी) योजना की भौतिक स्थिति को दर्शाती विवरणी

विवरणी	एन0बी0पी0डी0सी0एल0 (28 शहर)			एस0बी0पी0डी0सी0एल0 (32 शहर)		
	डी0पी0आर0 में तय संख्या	वास्तविक निर्माण की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत में डी0पी0आर0 में तय संख्या	डी0पी0आर0 में तय संख्या	वास्तविक निर्माण की संख्या	उपलब्धि प्रतिशत में डी0पी0आर0 में तय संख्या
कार्य आवंटन पत्र (लेटर ऑफ अवाई)	नवम्बर 2013 से दिसंबर 2013	नवम्बर 2013 से दिसंबर 2013	नवम्बर 2013 से दिसंबर 2013	अप्रैल 2015 से मई 2015	जून 2015 से अप्रैल 2016	नवम्बर 2013 से सितम्बर 2014
पूर्ण होने की निर्धारित तिथि (एल0ओ0एल0 की तारीख से 18 महीने)						
पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	मार्च 2016 से मार्च 2017	मार्च 2016 से मार्च 2017	मार्च 2016 से मार्च 2017			जनवरी 2017 से फरवरी 2018
पी0एस0एस0 की संख्या	1.00	1.00	1.00	100.00%	6.00	2.00
33 / 11 के0टी0 पी0टी0आर0 की अतिरिक्त संख्या	1.00	1.00	1.00	100.00%	2.00	1.00
33 / 11 पी0टी0आर0 का विस्तार	11.00	13.00	11.00	118.18%	62.00	67.00
33 के0वी0 नई फीडर/विभाजित (किमी0 में)	2.50	0.00	0.00	0.00%	73.50	41.89
33 के0वी0 फीडर का पुनः संचालन/विस्तार (किमी0 में)	0.00	52.00	52.00	5,200.00%	2.00	62.87
11 के0वी0 लाईन : नई फीडर/फीडर विभाजित (किमी0 में)	382.51	236.24	236.24	61.76%	689.14	74.60
11 के0वी0 लाईन : विस्तार/पुनः संचालन (किमी0 में)	0.00	483.34	483.34	48,334.00%	16.81	145.54
एरियल बंच केबल (किमी0 में)	1,746.50	1,613.79	1,613.79	92.40%	2,420.52	1,495.27
सूरजी0 केवल (किमी0 में)	1.00	0.00	0.00	0.00%	51.81	223.19
नई डी0टी0आर0 की संख्या	653.00	710.00	710.00	152.68%	1,814.00	1,145.00
डी0टी0आर0 की विस्तार (संख्या में)	975.00	997.00	997.00	72.82%	2,542.00	2,594.00
नई एल0टी0 लाईन/विभाजित (किमी0 में)	324.00	322.68	322.68	99.59%	644.36	34.10
नई एल0टी0 लाईन पुनः संचालन/विस्तार (किमी0 में)	24.00	820.32	820.32	3,418.00%	22.00	46.37
उपभोक्ता मीटर (संख्या में)	61,879.00	34,025.00	34,025.00	54.99%	2,56,144.00	1,64,180.00
						64.11%

## परिशिष्ट – 2.2

(कांडिका 2.1 (अ) एवं 2.13.2 में संदर्भित)  
आए०ए०पी०डी०आर०पी० की स्थिति को दर्शाती विवरणी

भाग – अ

डिस्कॉम्स का नाम	पी०ए०फ०सी० द्वारा परियोजना की स्वीकृति की तिथि	एम०ओ०पी० / पी०ए०फ०सी० द्वारा परियोजना के अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	एल०ओ०आई० / एल०ओ०ए० की अनुसार कार्य पूर्ण होने की तिथि	गो लाईव कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	एल०ओ०ए० से पी०ए०फ०सी० द्वारा परियोजना की स्वीकृति की निर्धारित तिथि से विलंब
एन०बी०पी०डी०सी०एल० एवं एस०बी०पी०डी०सी०एल० (पूर्व में बी०ए०स०इ०बी०)	09.12.2009	08.12.2012 (स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष)	03.12.2010	02.05.2012	निर्धारित लक्ष्यों का अनुपालन नहीं करने के कारण 09.01.2013 को समाप्त कर दिया गया।
एन०बी०पी०डी०सी०एल०	09.12.2009	08.12.2012 (स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष)	28.06.2013	27.12.2014	08.06.2015 से पाँच महीने से 14 तक 39 महीने
एस०बी०पी०डी०सी०एल०	09.12.2009	08.12.2012 (स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष)	28.06.2013	27.12.2014	08.06.2015 से पाँच महीने से 17 तक 30 महीने से 42 महीने
स्काडा (एस०बी०पी०डी०सी०एल०)	03.08.2012	02.08.2015 (स्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष)	26.12.2012	25.06.2014	01.01.2018 42 महीने
					29 महीने

भाग – ब

पैकेज का नाम	शहरों की संख्या	परियोजना की स्वीकृति की तिथि	पी०ए०फ०सी० के अनुसार कार्यस्थलों के आधार पर कार्य आवंटन	एल०ओ०ए० के अनुसार समाप्त समय	निर्धारित अनित्मीकृत तिथि	कार्य विलम्ब	एल०ओ०ए० के अनुसार समाप्त समय में विलंब
एम०ई०एस०ए०	2	03.08.2012	मार्च 2013	13.12.2013	28.06.2015	मार्च 2017	8
कें०ई०एस०ए०	10	03.08.2012	मार्च 2013	22.11.2013	07.06.2015	मार्च 2017	7
टी०ई०एस०ए०	16	03.08.2012	मार्च 2013	02.12.2013	17.06.2015	मार्च 2017	8
बी०ई०एस०ए०	11	03.08.2012	मार्च 2013	28.11.2013	13.06.2015	जनवरी 17 से फरवरी 18	7
सी०ई०एस०ए० एवं एम०ई०एस०ए०	20	03.08.2012	मार्च 2013	22.09.2014	05.04.2016	फरवरी 2018	17
पटना (पैकेज अ)	1	18.10.2011	मार्च 2013	23.11.2013	08.06.2015	फरवरी 2018	7
पटना (पैकेज ब एवं स)		18.10.2011	मार्च 2013	28.11.2013	13.06.2015	फरवरी 2018	7
							32 महीना

**परिशिष्ट-2.3**  
**(कांडिका 2.1 (ब) एवं 2.14 में संदर्भित)**  
**31 मार्च 2019 को आई०पी०डी०एस० योजना की भौतिक स्थिति को दर्शाती विवरण।**

कार्य क्षेत्र	एन०बी०पी०डी०सी०एल०			एस०बी०पी०डी०सी०एल०		
	डी०पी०आर० में तय संख्या	प्रदान की गयी संख्या	उपलब्धि	डी०पी०आर० के संबंध में उपलब्धि (प्रतिशत में)	प्रदान की गयी संख्या	उपलब्धि
एल०ओ०ए० की तिथि	जनवरी – 17	जनवरी – 17	दिसम्बर – 18	जनवरी – 17 से मार्च – 17	दिसम्बर – 18 से फरवरी – 19	
पूर्ण होने की निर्धारित तिथि						
पी०एस० की संख्या	35.00	35.00	14.00	40.00%	27.00	10.00
अतिरिक्त पी०टी०आर० की संख्या	21.00	21.00	9.00	42.86%	22.00	18.00
पी०टी०आर० का सवंदर्भन	11.00	11.00	9.00	81.82%	55.00	55.00
33 के०वी० नई फीडर (फिलोमीटर में)	366.00	356.00	177.00	48.32%	497.60	460.49
33 के०वी० फीडर का पुनः संचालन (फिलोमीटर में)	361.00	361.00	151.00	41.76%	321.60	289.58
11 के०वी० नई फीडर (फिलोमीटर में)	956.00	901.00	415.00	43.47%	867.97	718.24
11 के०वी० फीडर का पुनः संचालन (फिलोमीटर में)	343.00	343.00	200.00	58.41%	307.50	306.00
एरियल बंच केबुल (नई)	4,033.00	2,638.00	2,340.00	58.02%	3,369.94	2,469.59
नई डी०टी०आर० की संख्या	2,629.00	2,979.00	1,841.00	70.03%	1,334.00	1,314.00
डी०टी०आर० के सवंदर्भन की संख्या	1,217.00	1,217.00	909.00	74.69%	1,200.00	1,279.00
नई एल०टी० तारे	0.00	0.00	0.00	0.00%	306.00	0.00

कार्य क्षेत्र	एन0बी0पी0डी0सी0एल0			एस0बी0पी0डी0सी0एल0			
	ई0पी0आर0 में तय संख्या	प्रदान की गयी संख्या	उपलब्धि	ई0पी0आर0 के संबंध में उपलब्धि (प्रतिशत में)	ई0पी0आर0 में तय संख्या	प्रदान की गयी संख्या	उपलब्धि
एल0ओ0ए0 की तिथि पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	जनवरी – 17	दिसम्बर – 18	जनवरी – 17	दिसम्बर – 18 से मार्च – 17	दिसम्बर – 18	जनवरी – 17 से मार्च – 17	दिसम्बर – 18 से फरवरी – 19
एल0टी0 तार का पुनः संचालन	0.00	0.00	0.00	0.00%	91.00	0.00	66.00
सौर पैनल (के0डब्ल्यू0पी0)	936.00	936.00	657.00	70.19%	733.00	733.00	692.00
स्मार्ट मीटर	2,918.00	नहीं	0.00	0.00%	2,370.00	नहीं	0.00
उपभोक्ता मीटर	1,09,495.00	नहीं	1,24,736.00	113.92%	1,23,009.00	नहीं	1,18,264.00
बाउट्री मीटर	25.00	नहीं	0.00	0.00%	36.00	नहीं	0.00
डी0टी0 / फीडर मीटर	5,496.00	नहीं	828.00	15.04%	2,428.00	नहीं	865.00
शहरों की संख्या	72.00	नहीं	8.00	11.11%	61.00	नहीं	12.00
							19.67%

नोट : एल0टी0 खुले तारों के कार्य को कम कर दिया गया था / हटा दिया गया था, वर्तमान आईपी0डी0सो0 योजना दिनांक 27.04.2018 के अनुसार एल0टी0 खुले तारों को ७०बी0 केबल से बदला जाना था।

#### परिशिष्ट -2.4

(कंडिका 2.1 (स) एवं 2.15 में संदर्भित)  
31 मार्च 2019 को बी०पी०ए०स०आ०ई०पी० योजना (ए०डी०बी० हारा वित प्रदत्त) की भौतिक स्थिति को दर्शाती विवरणी

कार्य क्षेत्र	एन०बी०पी०डी०सी०एल० (ऐकेज ब एवं स)			एस०बी०पी०डी०सी०एल० (ऐकेज अ एवं द)		
	प्रदान की गयी संख्या	उपलब्धि संख्या में	उपलब्धि प्रतिशत प्रदान की गयी संख्या में	उपलब्धि प्रतिशत में	मार्च 2012	मार्च 2013 से जनवरी 2014
कार्य आवंटन पत्र (एल०ओ०ए०) की तिथि पूर्ण होने की निर्धारित तिथि						
विलम्ब	62 महीना एवं 58 महीना				लगभग 63 महीना	
33 केंवी० नया पी०ए०स०ए०स०	3.00	2.00	66.67	1.00	1.00	100.00
पी०ए०स०ए०स० का आर० एण्ड एम०	11.00	2.00	18.18	7.00	7.00	100.00
33 केंवी० लाईन (नया) (किं०मी० में)	121.60	43.60	35.86	31.50	12.30	39.00
33 केंवी० लाईन (आर० एण्ड एम०) (किं०मी० में)	38.00	6.20	16.32	41.00	5.70	13.90
11 केंवी० लाईन (नया) (किं०मी० में)	132.00	89.00	67.42	40.00	22.96	57.40
11 केंवी० लाईन (आर० एण्ड एम०) (किं०मी० में)	742.00	535.00	72.10	237.00	166.30	70.20
डी०टी० (100 एवं 200 कें०मी०ए०) (संख्या में) नया	311.00	300.00	96.46	283.00	275.00	97.20
डी०टी० का आर० एण्ड एम० (संख्या में)	200.00	197.00	98.50	267.00	163.00	61.00
एल० टी० लाईन (नया) (किं०मी० में)	300.00	286.00	95.33	95.00	85.15	89.60
एल० टी० लाईन (आर० एण्ड एम०) (किं०मी० में)	964.00	750.00	77.80	220.00	137.30	62.40
मीटरिंग (संख्या)	35,397.00	30,000.00	84.75	52,855.00	38,203.00	72.30

नोट : ऐकेज ब, स, एवं द का अनुबंध नवम्बर 2016 में समाप्त कर दिया गया था।

## परिशिष्ट –2.5

(कंडिका 2.11.1 एवं 2.11.2 में संदर्भित)  
एन0बी0पी0डी0सी0एल0 के आर0ए0पी0डी0आर0पी0 शहरों में वर्ष के दौरान ५० टी० एण्ड सी० हानि और विपत्रीकरण दक्षता को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	शहर का नाम	एन0 टी० एण्ड सी० हानि			एन0 टी० एण्ड सी० हानि			एन0 टी० एण्ड सी० हानि (प्रतिशत में)			विपत्रीकरण दक्षता (प्रतिशत में)		
		आधारभूत ५०टी० एण्ड सी० हानि	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	विपत्रीकरण दक्षता (प्रतिशत में)	2016–17	2015–16
1	अरसिया	50.59	28.63	55.26	56.50	59.60	71.37	44.74	43.50	44.50	43.50	44.50	
2	बेरगनिया	46.55	16.96	71.83	50.10	26.00	83.04	28.17	50.00	74.00	50.00	74.00	
3	बरोली	62.15	29.94	51.41	50.60	68.80	70.06	48.59	49.40	37.80	49.40	37.80	
4	बेगूसराय	43.90	25.49	31.09	32.40	34.60	74.51	68.91	67.60	85.70	67.60	85.70	
5	बेतिया	44.40	24.84	45.04	57.60	72.70	76.70	54.96	42.40	41.90	42.40	41.90	
6	बाघा	68.48	31.24	57.55	67.50	64.50	68.76	42.45	32.50	35.50	32.50	35.50	
7	छपरा (झारपी)	58.51	26.60	43.08	48.70	50.00	76.16	56.92	57.20	65.80	57.20	65.80	
8	दरभंगा	27.27	15.33	24.71	29.10	25.20	84.67	75.29	70.90	85.90	70.90	85.90	
9	ढाका	66.68	36.80	69.83	45.40	67.90	63.20	30.17	54.60	57.00	54.60	57.00	
10	फाराबिसगांज	50.50	23.75	35.09	29.80	33.90	76.25	71.77	70.20	73.20	70.20	73.20	
11	गोगरी	44.04	19.64	45.42	57.40	67.10	80.36	54.58	42.60	54.40	42.60	54.40	
12	गोपालगंज	51.41	19.21	36.64	51.40	40.10	80.79	63.36	48.60	71.50	48.60	71.50	
13	हाजीपुर	28.42	19.41	24.22	27.20	24.60	80.59	75.78	72.80	77.50	72.80	77.50	
14	कटिहार	54.63	27.06	34.15	27.80	27.50	72.94	65.85	72.50	82.20	72.50	82.20	
15	खगड़िया (शहरी)	50.45	34.09	53.36	48.50	71.20	65.91	47.21	51.60	34.70	51.60	34.70	
16	किशनगांज	37.91	20.56	46.95	44.00	26.80	79.44	54.02	56.00	76.50	56.00	76.50	
17	मधेपुरा	68.63	31.65	43.94	31.40	63.00	68.35	56.06	72.10	53.40	72.10	53.40	
18	मधुबनी	48.80	21.67	38.23	41.50	54.20	78.33	61.77	58.50	69.70	58.50	69.70	
19	महनार	84.91	36.09	49.27	36.50	52.60	63.91	50.73	63.50	61.90	63.50	61.90	
20	मोतिहारी	61.45	25.59	38.43	51.90	76.80	74.41	61.57	48.10	56.80	48.10	56.80	

क्रम संख्या	शहर का नाम	₹ १० टी० लाख सौ० हाजि (प्रतिशत में)					विप्रीकरण दक्षता (प्रतिशत में)			
		आधारमूल १००% लाख सौ० हाजि	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
21	नरकटियांगज	72.54	50.25	53.84	47.50	60.50	49.75	46.16	52.50	54.20
22	पूर्णियाँ	52.93	18.74	19.22	11.40	49.00	81.26	99.18	95.30	59.20
23	रामनगर	66.37	31.22	43.36	34.20	31.70	68.78	56.64	65.80	89.70
24	रक्षोल	41.16	25.26	23.67	11.60	46.00	74.74	76.33	88.40	59.10
25	सिविलगंज	82.79	37.26	80.38	89.20	57.40	65.62	22.76	23.70	94.60
26	सहरसा	57.39	17.40	31.26	44.00	50.80	82.60	68.74	56.00	59.40
27	समस्तीपुर	31.35	25.45	28.49	27.10	43.50	74.55	71.51	72.90	73.20
28	सिवान	46.91	18.45	23.25	41.60	41.90	81.84	85.89	70.00	79.10
29	सीतामढ़ी	59.16	30.37	40.74	35.20	77.10	69.63	59.26	64.80	37.90
30	सोनपुर	60.88	42.05	61.79	61.60	67.10	57.95	38.21	38.40	40.60
31	सुगौली	47.86	26.08	34.22	36.60	77.40	73.92	65.78	63.40	61.10
32	सुपौल	48.88	26.51	41.01	35.60	55.10	73.49	58.99	64.40	83.60

## परिशिष्ट -2.6

(कड़िका 2.11.1 एवं 2.11.2 में सदर्भीत)  
एस0बी0पी0डी0सी0एल0 के आर0ए0पी0डी0आर0पी0 शहरों में वर्ष के दौरान ५० टी० ए० ली० हनि और विप्रतीकरण दक्षता को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	शहर का नाम	५०टी० ए० ली० हनि (प्रतिशत में)					विप्रतीकरण दक्षता (प्रतिशत में)			
		आधारभूत ५० टी० ए० हनि	२०१८-१९	२०१७-१८	२०१६-१७	२०१५-१६	२०१८-१९	२०१७-१८	२०१६-१७	२०१५-१६
1	आरा	54.90	46.36	56.63	64.39	83.80	53.64	43.37	35.61	48.60
2	ओंसाबाद	51.40	29.73	42.65	66.89	78.20	74.02	57.35	33.11	34.00
3	बहित्यारपुर	55.20	38.64	30.33	51.70	11.50	62.22	70.16	48.30	91.40
4	बैंका	46.30	19.33	33.99	46.76	63.80	80.67	66.01	53.24	36.20
5	बरबीचा	56.60	44.08	72.19	77.09	79.70	55.92	27.81	22.91	22.90
6	बालू	49.60	45.17	57.54	45.44	53.90	54.83	59.07	54.56	56.30
7	बड़हिया	73.90	74.39	80.59	83.44	87.70	25.61	19.41	16.56	16.40
8	भयुआ	70.80	16.95	10.39	49.11	44.90	83.05	89.61	50.89	97.80
9	बिहारशीफ	71.20	55.85	66.06	66.97	64.40	44.15	33.94	33.03	50.00
10	बिक्रमगंज	71.00	52.34	72.73	85.04	88.20	49.88	27.27	15.82	22.30
11	बकसर	51.00	38.01	50.55	55.82	58.30	61.99	49.45	44.18	45.70
12	दाउदनगर	59.10	21.53	66.33	62.09	60.50	78.47	33.67	37.91	39.50
13	डेहरी-ऑन-सोन	29.70	46.63	53.12	60.95	76.30	59.25	46.88	39.05	58.20
14	डुमराव	70.20	29.82	46.06	72.82	55.90	70.18	53.94	27.18	49.10
15	फतुहा	30.60	17.87	43.18	20.30	30.30	92.88	99.72	88.59	78.20

संख्या	शहर का नाम	प्रतीक्षा दक्षता (प्रतिशत में)					विप्रतीक्षा दक्षता (प्रतिशत में)			
		आधारभूत ५० टी० एंड सी० हानि	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16				
16	हिलसा	39.70	41.37	37.60	55.02	48.80	58.63	62.40	44.98	54.60
17	जमालपुर	9.70	33.33	21.25	31.28	68.60	87.78	78.75	68.72	38.10
18	जमुई	50.40	18.35	39.21	41.17	80.40	86.84	60.79	61.03	61.60
19	जहानाबाद	76.70	49.13	67.72	73.99	78.90	50.87	32.28	26.01	34.20
20	झाझा	41.10	13.49	29.17	72.13	76.50	87.04	70.83	34.64	48.60
21	लखीसराय	71.30	29.62	62.76	67.41	74.20	72.17	37.24	32.59	31.00
22	मखदूमपुर	65.30	41.97	46.51	91.66	72.00	60.88	53.49	8.34	30.70
23	मनेर	67.70	29.67	69.72	51.26	78.50	70.33	40.35	55.67	22.60
24	मसौटी	72.90	18.67	61.49	26.76	20.90	84.21	55.09	73.24	83.50
25	मोकामा	72.30	41.53	75.60	60.37	57.20	63.14	29.01	39.63	42.80
26	मुंगेर	16.00	36.55	42.59	58.75	54.70	68.65	57.41	41.25	47.50
27	नवगछिया	54.40	31.70	70.41	65.63	51.80	68.30	29.59	34.37	58.20
28	नवादा	83.70	48.05	83.10	77.25	72.90	54.70	16.90	22.75	43.00
29	पटना	28.48	20.01	18.69	23.72	-	83.79	100.00	76.42	-
30	राजगीर	61.80	38.25	63.79	56.78	51.70	61.75	39.77	43.22	53.00
31	सासाराम	44.60	50.44	58.70	64.86	42.00	49.56	41.30	35.14	58.00
32	शेखपुरा	61.60	39.35	51.35	58.86	65.70	64.20	48.67	41.14	61.40
33	शेरधाटी	63.90	48.40	63.43	81.21	90.40	51.60	36.57	18.79	61.40
34	सुलतानगंज	48.70	34.43	51.27	79.05	70.80	65.57	48.73	20.95	32.80
35	वारसलीगंज	61.50	13.58	47.63	38.66	43.00	86.42	52.37	61.34	77.30

સુલભ - 2.7

(कंडिका 2.12.2 में संदर्भित)

अ. एनवीपीडी०सी०एल० की उच्चतम मांग, भीषणीयोगी की क्षमता एवं क्षमता संवर्धन को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्यू) (एम०भी०ए०)	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 के पी०टी०	अतिरिक्त क्षमता का संबंध को क्षमता की	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	अतिरिक्त क्षमता का संबंध को क्षमता की	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	अतिरिक्त क्षमता का संबंध को क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में पी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में पी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)
1.	अरसिया	3.73	15.00	10.00	41.44	5.00	22.15	उपलब्ध नहीं	-	-	18.72	27.63	1.48
2.	अरेशाज	2.20	20.00	8.50	28.76	11.50	6.10	2.10	116.40	-	40.07	12.22	0.31
3.	बगहा	8.40	30.00	15.00	62.22	15.00	20.30	7.20	129.63	-	45.98	31.11	0.68
4.	बहादुरगंज	2.65	10.00	5.00	58.89	5.00	7.68	4.55	64.78	3.13	38.35	29.44	0.77
5.	बैरगनिया	2.94	15.00	5.00	65.33	10.00	8.32	1.33	246.35	-	39.29	21.78	0.55
6.	बखरी	6.18	20.00	5.00	137.33	-	4.83	1.13	609.83	-	142.28	34.33	0.24
7.	बलिया	4.73	10.00	5.00	105.11	-	5.07	2.67	197.35	-	103.80	52.56	0.51
8.	बनमनखी	4.90	10.00	5.00	108.89	-	15.00	6.90	78.90	8.10	36.30	54.44	1.50
9.	बरोली	1.25	20.00	10.00	13.89	10.00	6.40	0.78	178.52	-	21.69	6.94	0.32
10.	बरोनी	6.18	10.00	10.00	68.67	0.00	7.42	5.54	123.92	-	92.54	68.67	0.74
11.	बोगूसराय	47.35	65.00	50.00	105.22	-	49.67	32.62	161.28	-	105.93	80.94	0.76
12.	बोलसंड	1.11	10.00	5.00	24.67	5.00	2.80	1.30	94.87	-	44.05	12.33	0.28
13.	बोनीपुर	4.50	10.00	5.00	100.00	-	8.60	2.40	208.33	-	58.14	50.00	0.86
14.	बोतिया	19.90	55.00	35.00	63.17	20.00	41.85	21.52	102.74	-	53.17	40.20	0.76
15.	बीहट	9.52	10.00	5.00	211.56	-	3.54	1.91	555.26	-	298.81	105.78	0.35
16.	बीरपुर	2.25	15.00	10.00	25.00	5.00	6.47	1.66	150.60	-	38.64	16.67	0.43
17.	चकिया	3.77	20.00	8.15	51.40	11.85	11.59	3.65	114.92	-	36.13	20.94	0.58

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्यू०)	2020 में पी०टी० (एम०भी०७०)	2014 में पी०टी० (एम०भी००७०)	2014 के संबंध में वर्तमान उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में लौटी० (एम०भी००५०)	2014 में लौटी० (एम०भी००५०)	2014 में लौटी० की तुलना में वर्तमान उच्चतम माँग (%)	2014 में अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०००५०)	2019-20 में लौटी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में पी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में पी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में) अनुपात
18.	चनपटिया	1.24	10.00	5.00	27.56	5.00	6.73	4.65	29.63	2.08	20.48	13.78	0.67
19.	छपरा शहर	25.77	60.00	30.00	95.44	-	56.45	33.67	85.05	-	50.73	47.72	0.94
20.	दलसिंहराय	5.21	10.00	5.00	115.78	-	15.34	4.22	137.28	-	37.73	57.89	1.53
21.	दसंगा	45.79	175.00	90.00	56.53	85.00	103.48	56.07	90.73	-	49.17	29.07	0.59
22.	ढाका	2.20	10.00	10.00	24.44	0.00	14.22	7.31	33.45	6.91	17.19	24.44	1.42
23.	दिघवारा	3.88	10.00	5.00	86.22	-	5.70	2.45	175.82	-	75.63	43.11	0.57
24.	डुमरा	2.90	50.00	30.00	10.74	20.00	13.94	8.34	38.63	5.60	23.11	6.44	0.28
25.	फारबिसगंज	4.31	10.00	5.00	95.78	-	14.83	-	-	-	32.30	47.89	1.48
26.	घोधरडीहा	1.32	5.00	3.15	46.56	1.85	5.00	1.00	146.67	-	29.33	29.33	1.00
27.	गोणरी जमालपुर	9.52	20.00	10.00	105.78	-	13.10	8.00	132.22	-	80.75	52.89	0.66
28.	गोपालगंज	7.10	25.00	15.00	52.59	10.00	28.96	19.65	40.15	9.31	27.24	31.56	1.16
29.	हाजीपुर	22.11	100.00	45.00	54.59	55.00	57.60	33.30	73.77	24.30	42.65	24.57	0.58
30.	जयनगर	2.32	10.00	5.00	51.56	5.00	5.65	2.92	88.28	-	45.62	25.78	0.57
31.	जनकपुर रोड	3.22	25.00	8.15	43.90	16.85	8.36	0.88	406.57	-	42.78	14.31	0.33
32.	झाङ्गारपुर	1.75	10.00	5.00	38.89	5.00	6.30	1.40	138.89	-	30.86	19.44	0.63
33.	जोगबनी	1.03	10.00	5.00	22.89	5.00	7.43	-	-	-	15.41	11.44	0.74
34.	करस्बा	2.80	5.00	5.00	62.22	0.00	6.54	2.7	115.23	-	47.57	62.22	1.31
35.	कटैया	1.20	10.00	6.30	21.16	3.70	6.08	0.39	342.76	-	21.94	13.33	0.61
36.	कटिहार	45.00	90.00	70.00	71.43	20.00	135.00	104.00	48.08	31.00	37.04	55.56	1.50

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्यू)	2020 में पी०टी० (एम०भी०७)	2014 में पी०टी० (एम०भी०७)	2014 के पी०टी० के संबंध में वर्तमान उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में डी०टी० (एम०भी०७)	2014 में डी०टी० (एम०भी०७)	2014 में डी०टी० की तुलना में वर्तमान उच्चतम माँग (%)	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०७)	2019-20 में डी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में पी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)
37.	केसरिया	0.83	10.00	3.15	29.28	6.85	1.86	0.69	133.85	-	49.50	9.22
38.	खगड़िया	17.60	30.00	20.00	97.78	-	11.46	9.19	212.81	-	170.60	65.19
39.	किशनगंज	7.00	35.00	15.00	51.85	20.00	41.13	27.03	28.78	14.10	18.91	22.22
40.	लालगंज	2.40	30.00	10.00	26.67	20.00	7.59	2.64	101.20	-	35.13	8.89
41.	मधेपुरा	7.50	30.00	20.00	41.67	10.00	21.12	12.88	64.70	8.24	39.46	27.78
42.	मधुबन	0.99	20.00	8.15	13.50	11.85	2.45	0.79	139.42	-	44.86	5.50
43.	मधुबनी	12.60	30.00	13.15	106.46	-	32.60	7.90	177.22	-	42.94	46.67
44.	महाराजगंज	0.95	10.00	5.00	21.11	5.00	5.33	1.98	53.36	3.35	19.82	10.56
45.	महनार	3.10	20.00	10.00	34.44	10.00	7.45	2.43	141.75	-	46.27	17.22
46.	मेरां	2.25	10.00	5.00	50.00	5.00	3.58	1.83	136.84	-	69.70	25.00
47.	मढ़ोरा	1.52	10.00	5.00	33.78	5.00	10.86	4.62	36.60	6.25	15.55	16.89
48.	मेहसी	1.06	20.00	5.00	23.56	15.00	4.40	1.19	98.72	-	26.77	5.89
49.	मीरांज	1.33	20.00	5.00	29.56	15.00	12.11	2.89	51.15	9.22	12.20	7.39
50.	मोतिहारी	19.00	90.00	30.00	70.37	60.00	69.82	28.83	73.22	40.99	30.24	23.46
51.	मोतीपुर	1.70	10.00	10.00	18.89	0.00	5.63	1.962	96.27	-	33.58	18.89
52.	मुरलीगंज	1.50	25.00	8.15	20.45	16.85	8.30	3.36	49.60	4.94	20.08	6.67
53.	नरकटियांगंज	5.40	30.00	15.00	40.00	15.00	13.30	3.42	175.70	-	45.11	20.00
54.	निर्मली	2.90	20.00	5.00	64.44	15.00	5.30	0.97	332.19	-	60.80	16.11
55.	पकरीदयाल	0.90	5.00	20.00	0.00	5.59	1.89	52.94	3.70	17.89	20.00	1.12
56.	पूर्णिया	42.15	120.00	75.00	62.44	45.00	134.25	87.00	53.83	47.25	34.89	39.03

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग पी0टी० (एम०डब्ल्यू०)	2020 में पी0टी० (एम०भी०७०) को क्षमता	2014 में पी0टी० (एम०भी०७०) को क्षमता	2014 के पी0टी० के संबंध में वर्तमान क्षमता की उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में डी०टी० (एम०भी०७०) की क्षमता की उच्चतम माँग	2014 में डी०टी० (एम०भी०७०) की क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०७०)	2019–20 में डी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में) (प्रतिशत में) (प्रतिशत में)	
							2020 में उच्चतम माँग पी0टी० (एम०भी०७०)	2014 में डी०टी० (एम०भी०७०)	2014 में डी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में) (प्रतिशत में)	
57.	रघुनाथपुर	0.95	5.00	5.00	21.11	0.00	2.78	1.43	73.82	1.35
58.	रामनगर	2.90	10.00	5.00	64.44	5.00	14.55	7.91	40.75	6.65
59.	रक्षसौल	9.00	20.00	5.00	200.00	-	16.78	7.54	132.64	-
60.	सिविलगंज	1.90	20.00	20.00	10.56	0.00	3.58	1.53	137.98	-
61.	रोसडा	4.19	25.00	10.00	46.56	15.00	10.94	5.36	86.81	-
62.	सहरसा	14.85	60.00	35.00	47.14	25.00	38.03	13.90	118.71	-
63.	साहेबगंज	1.50	10.00	5.00	33.33	5.00	3.80	0.71	233.43	-
64.	समस्तीपुर	13.92	80.00	40.00	38.67	40.00	35.09	28.15	54.95	6.95
65.	शिवहर	1.46	5.00	3.15	51.50	1.85	8.17	3.64	44.51	4.52
66.	सीतामढी	8.40	20.00	10.00	93.33	-	37.86	24.36	38.33	13.51
67.	सीधान	15.50	40.00	25.00	68.89	15.00	32.81	19.20	89.70	-
68.	सोनपुर	3.89	10.00	5.00	86.44	-	5.70	2.45	176.27	-
69.	सुगोली	4.50	10.00	5.00	100.00	-	12.20	6.59	75.92	5.62
70.	सुपौल	6.00	45.00	20.00	33.33	25.00	17.46	5.61	118.84	-
71.	तेघडा	11.32	20.00	10.00	125.78	-	11.44	4.70	268.07	-
72.	ठाकुरगंज	3.15	10.00	5.00	70.00	5.00	5.40	1.76	198.86	-
							कुल	743.15	कुल	267.04

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्यू)	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 के पी०टी० के संबंध में वर्तमान उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में डी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में डी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में डी०टी० (एम०भी०ए०)	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०ए०)	2019-20 में डी०टी० में क्षमता की उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में डी०टी० में क्षमता की उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में डी०टी० में क्षमता की उपयोग (प्रतिशत में)
73.	अमरपुर	1.43	25.00	14.45	11.00	10.55	4.53	2.86	55.57	1.67	24.87	7.39	0.30
74.	आरा	4.52	45.00	25.00	20.09	20.00	18.24	11.96	42.01	6.29	28.91	26.11	0.90
75.	अरवल	0.91	5.00	5.00	20.22	0.00	2.72	0.77	132.52	-	39.25	18.06	0.46
76.	ओरंगाबाद	2.93	30.00	14.45	22.53	15.55	6.05	4.14	78.58	1.91	60.19	52.53	0.87
77.	बिहियाएरु	11.00	80.00	53.15	23.00	26.85	16.20	3.60	339.51	-	67.71	77.78	1.15
78.	बांका	1.33	20.00	6.30	23.46	13.70	5.94	2.35	62.83	3.59	17.49	13.44	0.77
79.	बडहिया	3.45	30.00	15.00	25.56	15.00	5.70	2.20	174.24	-	34.63	37.11	1.07
80.	बरबिगहा	3.11	30.00	13.15	26.28	16.85	13.86	7.38	46.82	6.48	29.45	23.33	0.79
81.	बाढ़	2.92	15.00	10.00	32.44	5.00	6.08	3.38	96.05	-	44.22	44.44	1.01
82.	भमुआ	1.50	10.00	5.00	33.33	5.00	2.80	1.30	128.21	-	43.46	35.93	0.83
83.	भागलपुर	2.96	20.00	9.45	34.80	10.55	8.30	2.94	111.79	-	564.57	60.98	0.11
84.	बिहारशरीफ	2.91	28.15	8.15	39.67	20.00	6.44	3.12	103.63	-	77.07	27.01	0.35
85.	बिहिया	2.20	15.00	6.15	39.75	8.85	3.56	1.36	179.74	-	17.36	33.22	1.91
86.	बिहटा	25.52	105.00	69.45	40.83	35.55	36.79	19.47	145.62	-	7.89	37.24	4.72
87.	बिक्रम	3.00	20.00	8.15	40.90	11.85	4.13	1.78	187.48	-	59.52	16.67	0.28
88.	बिक्रमगंज	22.32	95.00	60.00	41.33	35.00	85.79	66.17	37.48	19.62	49.42	37.04	0.75
89.	बक्सर	3.52	15.00	9.45	41.39	5.55	4.93	2.44	160.23	-	38.97	37.41	0.96
90.	दाऊदनगर	3.75	30.00	10.00	41.64	20.00	8.87	3.60	115.68	-	50.22	11.49	0.23
91.	ठेहरी	3.25	20.00	8.15	44.31	11.85	9.20	3.70	97.78	-	30.95	25.94	0.84

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्य०)	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 के पी०टी० के संबंध में वर्तमान उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०ए०)	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०ए०)	2019-20 में भी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में भी०टी० की क्षमता का उपयोग (प्रतिशत में)
92.	डुमराब	2.07	10.00	5.00	46.00	5.00	7.19	3.07	75.04	4.13	75.45	15.28
93.	फतुहा	2.10	5.00	5.00	46.67	0.00	5.45	1.85	126.13	-	61.87	55.56
94.	हिलसा	4.20	20.00	10.00	46.67	10.00	15.85	5.02	92.96	-	24.93	11.52
95.	हिसुआ	7.69	30.00	18.15	47.08	11.85	22.22	17.93	47.67	4.30	53.80	10.85
96.	इस्लामपुर	2.20	10.00	5.00	48.89	5.00	3.43	2.03	120.65	-	39.63	16.44
97.	जगदीशपुर	2.27	5.00	5.00	50.44	0.00	3.83	1.21	208.45	-	42.81	46.67
98.	जमलपुर	3.77	20.00	8.15	51.40	11.85	7.97	1.09	384.65	-	38.45	28.48
99.	जमुई	20.20	60.00	43.15	52.01	16.85	57.60	27.40	81.91	-	44.44	24.44
100.	जहानाबाद	2.42	20.00	5.00	53.78	15.00	15.38	2.98	90.29	-	44.21	38.27
101.	झाझा	9.70	30.00	20.00	53.89	10.00	24.80	18.25	59.06	6.55	45.35	22.22
102.	कहलांच	5.00	15.00	10.00	55.56	5.00	11.24	8.24	67.41	3.00	77.62	11.72
103.	खडगपुर	17.85	50.00	35.00	56.67	15.00	61.75	30.90	64.19	30.85	31.99	23.00
104.	खुसरापुर	15.50	45.00	30.00	57.41	15.00	38.96	22.62	76.13	16.33	43.11	105.56
105.	कोथ	23.32	100.00	45.00	57.58	55.00	51.83	32.64	79.38	19.19	71.35	24.44
106.	कोईलवर	3.30	15.00	6.30	58.20	8.70	6.19	3.20	114.44	-	65.85	50.44
107.	लखीसराय	2.62	10.00	5.00	58.22	5.00	11.00	5.90	49.34	5.10	32.13	41.22
108.	मखदुमपुर	2.99	10.00	5.00	66.44	5.00	19.14	4.17	79.75	14.97	80.79	16.67
109.	मनेर	11.00	50.00	18.15	67.34	31.85	27.50	14.10	86.68	-	78.24	87.11
110.	मसौदी	3.12	10.00	5.00	69.33	5.00	5.60	3.04	114.07	-	37.27	59.26

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्य०)	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 के संबंध में वर्तमान उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०ए०)	2019-20 में पी०टी० में जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की उपयोग (प्रतिशत में)	2019-20 में पी०टी० में जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की उपयोग (प्रतिशत में)
111.	मोकामा	6.25	10.00	10.00	69.44	0.00	15.21	5.20	133.55	-	49.99
112.	मुंगेर	25.00	50.00	40.00	69.44	10.00	44.90	29.53	94.07	-	49.99
113.	नवीनगर	3.34	10.00	5.00	74.22	5.00	10.72	7.85	47.31	2.87	68.66
114.	नासरीगंज	24.18	60.00	35.00	76.76	25.00	44.18	31.69	84.79	-	67.25
115.	नौबतपुर	3.50	10.00	5.00	77.78	5.00	5.90	3.96	98.30	-	53.35
116.	नवगांगिया	14.01	60.00	20.00	77.83	40.00	50.30	14.28	109.03	-	45.66
117.	नवादा	7.20	25.00	10.00	80.00	-	24.31	12.21	65.55	12.11	60.81
118.	नोखा	11.13	30.00	15.00	82.44	-	38.49	22.86	54.10	15.63	65.95
119.	पेसू पर्व <sup>8</sup>	4.00	20.00	5.15	86.30	-	9.80	2.80	158.73	-	63.61
	पेसू पश्चिम <sup>9</sup>	320.00	960.00	408.15	87.11	-	878.00	426.59	83.35	-	40.50
120.	पीरो	8.00	15.00	10.00	88.89	-	23.85	10.72	82.95	-	52.56
121.	रफीगंज	26.00	55.00	30.00	96.30	-	48.00	23.00	125.60	-	46.99
122.	रजौली	9.50	10.00	10.00	105.56	-	24.48	1.34	787.38	-	35.07
123.	राजगीर	5.00	10.00	5.00	111.11	-	11.11	8.34	66.62	2.78	27.53
124.	सासाराम	10.00	25.00	10.00	111.11	-	25.13	11.79	94.23	-	32.12
125.	शाहपुर	5.15	10.00	5.00	114.44	-	10.86	4.21	135.82	-	37.24
126.	शेखपुरा	7.00	10.00	5.00	155.56	-	11.49	7.25	107.34	-	32.90

<sup>8</sup> पटना शहर  
<sup>9</sup> दानापुर निजामत, दानापुर कैन्ट, खगोल एवं कूलवारीशरीक (चार की संख्या में)

क्रम संख्या	शहर का नाम	2020 में उच्चतम माँग (एम०डब्ल्य०)	2020 में पी०टी० (एम०भी०ए०)	2014 में पी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 के पी०टी० के संबंध में वर्तमान उच्चतम माँग	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी	2020 में डी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 में डी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता	2014 में डी०टी० (एम०भी०ए०) की क्षमता का उत्तम माँग (%)	अतिरिक्त क्षमता का जुड़ना जहाँ अतिरिक्त क्षमता की आवश्यकता नहीं थी (एम०भी०ए०)	2019-20 में डी०टी० में पी०टी० में डी०टी० की क्षमता से पी०टी० का अनुपात (प्रतिशत में)
127.	श्रीधारी	387.00	685.00	220.00	195.45	-	676.00	257.00	167.32	-	52.68
128.	सिलाव	71.35	130.00	बी०इ०टी० सी०पी०एल०	-	-	14.04	बी०इ०टी० सी०पी०एल०	-	-	59.24
129.	सुल्तानगञ्ज	8.38	25.00	-	-	-	118.00	-	-	-	24.44
130.	टेकासी	5.80	55.00	बी०इ०टी० सी०पी०एल०	-	-	8.30	बी०इ०टी० सी०पी०एल०	-	-	61.88
131.	वारसलीगञ्ज	3.92	5.00	-	-	-	5.57	-	-	-	34.67
							<b>कुल</b>	<b>603.80</b>		<b>कुल</b>	<b>177.36</b>

नोट : वितरण फ्रेंचाइजी शहरों यथा मुजफ्फरपुर, काटी, गया तथा बोधगया सम्मिलित नहीं हैं।

## परिशिष्ट – 4.1

(कांडिका 4.1 एवं 4.13.1 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित राज्य साठ०शे०उ० (झज्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष के अन्तिमीकृत लेखों का संक्षिप्त वित्तीय परिणाम (₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साठ०शे०उ० का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	लाभांश्, ब्याज एवं कर कर के पहले शुद्ध लाभ / हानि	टनओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>I. एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले साठ०शे०उ०</b>										
अ.	सरकारी कार्यपालिकाएँ									
1	बिहार स्टेट बिवरेजे ज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2019-20	-24.10	-24.10	2.86	5.00	101.41	101.41	96.41
2	बिहार वन गिकास निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	20.77	1.01	21.94	0.34	1.26	1.26	0.92
3	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	29.24	14.13	361.44	25.00	106.31	106.31	81.31
	उप कुल I अ			25.91	-8.96	386.24	30.34	208.98	208.98	178.64
ब.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ-शून्य			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप कुल I ब				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स.	सांविधिक निगमें-शून्य									
उप कुल I स				25.91	-8.96	386.24	30.34	208.98	208.98	178.64
<b>कुल I</b>										

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साठेश्वर0 का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें लेखे अन्तिमीकृत किए गए	लाभांश, व्याज एवं कर कर के पहले शुद्ध लाभ/हानि	टनओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>II. सेन्टर, कमीशन, राजस्व अनुदान/सम्पर्क इत्यादि द्वारा सुनिश्चित आय वाले साठेश्वर0</b>										
अ.	सरकारी कम्पनियाँ									
1	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	78.83	37.99	82.99	3.50	595.74	595.74	592.24
2	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	31.69	14.95	40.93	5.00	76.91	76.91	71.91
3	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2019-20	73.33	48.95	783.20	20.00	518.14	518.14	498.14
4	बिहार शहरी आधारस्थूल संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	13.80	8.94	209.17	5.00	49.78	49.78	44.78
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारस्थूल संरचना विकास निगम लिमिटेड	2017-18	2019-20	12.74	12.74	28.88	20.00	237.29	237.29	217.29
<b>उप कुल II अ</b>				<b>210.39</b>	<b>123.57</b>	<b>1,145.17</b>	<b>53.50</b>	<b>1,477.86</b>	<b>1,477.86</b>	<b>1,424.36</b>
ब.	सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ-शून्य									
1	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.17	-0.17	0.00	0.10	-0.07	-0.07	-0.17
	<b>उप कुल II ब</b>			<b>-0.17</b>	<b>-0.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.10</b>	<b>-0.07</b>	<b>-0.07</b>	<b>-0.17</b>
स.	सांविधिक निगम-शून्य									
	<b>उप कुल II स</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>कुल II</b>			<b>210.22</b>	<b>123.40</b>	<b>1,145.17</b>	<b>53.60</b>	<b>1,477.79</b>	<b>1,477.79</b>	<b>1,424.19</b>

क्र० सं	प्रक्षेत्र एवं साझेदार का नाम	लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें लेखे अन्तिमीकृत किए गए	लाभांश, व्याज एवं कर कर के पहले शुद्ध लाभ / हानि	टर्नओवर	प्रदत पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ / हानि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>III. प्रतिस्पर्धा क्षेत्र में काम करने वाले साझेदारों</b>										
<b>अ. सरकारी कार्यपालियाँ</b>										
1	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2019-20	-0.37	-0.43	0.20	1.00	-0.83	-0.77	-1.77
2	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (अकार्यशील)	2017-18	2019-20	0.15	0.15	0.00	7.57	-138.71	-169.69	-177.25
	उप कुल III अ			-0.22	-0.28	0.20	8.57	-139.54	-170.46	-179.02
<b>ब. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ—शून्य</b>										
	उप कुल III ब			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>स. सांविधिक निगमें</b>										
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	2017-18	2018-19	-27.75	-45.99	2.09	77.84	-182.03	-410.51	-498.40
	उप कुल III स			-27.75	-45.99	2.09	77.84	-182.03	-410.51	-498.40
	कुल III			-27.97	-46.27	2.29	86.41	-321.57	-580.97	-677.42
	कुल योग (I+II+III)			208.16	68.17	1,533.70	170.35	1,365.20	1,105.80	925.41

#### परिशिष्ट – 4.2

(कंडिका 4.1 एवं 4.9 में संदर्भित)

राज्य साझेदाता (झर्ना क्षेत्र के अतिरिक्त) जो इस प्रतिवेदन में समिलित नहीं है, का विवरण

क्र0	प्रक्षेत्र एवं साझेदाता का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ /हानि	टनओवर	प्रदत्त पूँजी	(₹ करोड़ में)
सं0		3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	अ. कार्यशील साझेदाता जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया में थे /प्रथम लेखे अप्राप्त थे / बकाया नहीं थे						
1.	सरकारी कम्पनियाँ	2004-05	2019-20	-3.36	0.26	3.71	
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2014-15	2019-20	0.22	0.00	15.12	
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	1997-98	2006-07	-0.29	0.64	3.62	
3	बिहार राज्य पिछला वर्ग वित्त एवं विकास निगम	2013-14	2018-19	2.16	8.31	33.89	
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2014-15	2019-20	3.18	25.33	0.10	
5	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17	3.54	11.63	5.00	
6	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2002-03	2019-20	6.85	476.43	5.27	
7	बिहार राज्य खाद्य एवं असौनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2019-20	3.24	20.22	0.05	
8	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्कारस्ट क्यार कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2010-11	2019-20	34.65	166.6	0.48	
9	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	-	-	0.00	0.00	0.00	
10	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड*	-	-	0.00	0.00	0.00	
11	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड*	-	-	0.00	0.00	0.00	
12	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड*	-	-	0.00	0.00	0.00	
13	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड *	-	-	0.00	0.00	0.00	
14	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड *	-	-	0.00	0.00	0.00	
15	पटना ऐट्रो रेल कारपोरेशन**	-	-	0.00	0.00	0.00	
	उप कुल			50.19	709.42	67.24	

क्र० प्रक्षेत्र एवं सांकेतिक का नाम सं०	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ / हानि	टन्डोवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6
<b>II सांचिक निवारे</b>					
16 बिहार राज्य पश्च परिवहन निगम	2008-09	2019-20	-68.29	25.70	101.27
17 बिहार राज्य भण्डारण निगम	2012-13	2018-19	2.22	74.70	6.42
उप कुल			<b>-66.07</b>	<b>100.40</b>	<b>107.69</b>
<b>कुल अ (I+II)</b>			<b>-15.88</b>	<b>809.82</b>	<b>174.93</b>
<b>ब. अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ</b>					
1 बिहार राज्य मर्त्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1996-97	-0.22	0.00	1.75
2 रकाड़ा एग्रो बिजनेस कम्पनी लिमिटेड	2014-15	2016-17	0.02	0.00	0.05
3 बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1997-98	2.17	0.00	5.00
4 बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	1997-98	2014-15	0.00	0.00	6.72
5 बिहार हिल एरिया लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	-0.26	0.01	5.60
6 बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	1.47	0.00	1.91
7 बिहार कीटनाशक लिमिटेड (क्र०स० ब 26 की अनुंगी)	1986-87	1991-92	-1.03	0.00	0.57
8 रकाड़ा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगोल*	(क्र०स० ब 2 की अनुंगी)	-	-	0.00	0.00
9 रकाड़ा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद*	(क्र०स० ब 2 की अनुंगी)	-	-	0.00	0.00
10 रकाड़ा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनियाँ*	(क्र०स० ब 2 की अनुंगी)	-	-	0.00	0.00
11 रकाड़ा एग्रो वन कम्पनी लिमिटेड, खगोल*	(क्र०स० ब 2 की अनुंगी)	-	-	0.00	0.00
12 बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	1984-85	1991-92	-0.01	0.00	1.44
13 बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1996-97	-0.10	0.00	6.28
14 बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2017-18	-7.63	0.16	14.04
15 बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2017-18	-3.52	23.34	7.00
16 बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2004-05	9.29	31.55	9.97

क्र० सं०	प्रक्षेत्र एवं सांकेतिक का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अपाधि	वर्ष जिनमें अस्तिमीकृत किए गए	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ /हानि	टन्डोवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
17	बिहार सोलगंड एवं कोणिकल्स लिमिटेड (क्र०सं० ब 30 की अनुषंगी)	1986-87	1995-96	-0.32	0.00	0.66
18	मगध मिनरल लिमिटेड (क्र०सं० ब 26 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
19	बोलदौन विडियो सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं० 36 की अनुषंगी)	1989-90	2016-17	-0.34	0.44	3.06
20	बोलदौन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड (क्र०सं० 36 की अनुषंगी)	1990-91	2017-18	0.14	0.41	1.32
21	बोलदौन इनफॉर्मेटिक्स लिमिटेड * (क्र०सं० 36 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
22	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1996-97	-9.20	0.00	9.97
23	बिहार राज्य सीमेंट निगम लिमिटेड * (क्र०सं० ब16 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
24	बिहार राज्य औषधि एवं स्वास्थ्य विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1992-93	-0.17	0.00	3.62
25	बिहार मेज फ्रोडवट्स लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	-0.03	0.00	0.67
26	बिहार डैग्स एवं कोणिकल्स लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	-0.03	0.00	0.94
27	बिहार राज्य वर्त्त निगम लिमिटेड	1987-88	1995-96	-0.09	0.00	4.98
28	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2005-06	0.28	22.81	2.29
29	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड (क्र०सं० ब16 की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	-0.06	0.00	1.56
30	बिहार राज्य गोलेज टाईल्स एवं सोशमिक्स लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1985-86	1997-98	-0.08	0.00	0.16
31	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1984-85	1988-89	-0.01	0.00	0.40
32	झंजायरुप पेपर उद्योग लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1985-86	1991-92	-0.01	0.00	0.42
33	बिहार राज्य टेलीन एक्सट्रैक लिमिटेड (क्र०सं० ब30 की अनुषंगी)	1988-89	1993-94	-0.32	0.00	1.03
34	सिन्धेटिक रेजिन्स (इस्टन) लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1983-84	1987-88	-0.02	0.00	0.09
35	भवानी ऐचिटच कार्बन लिमिटेड (क्र०सं० ब26 की अनुषंगी)	1985-86	1989-90	-0.01	0.00	0.02
36	बिहार स्कूटर्स लिमिटेड * (क्र०सं० ब16 की अनुषंगी)	-	-	0.00	0.00	0.00
	उप कुल ब			-10.09	78.72	91.52

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं साठें०उ० का नाम	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं की अपवधि	वर्ष जिनमें अन्तिमीकृत किए गए	ब्याज के बाद शुद्ध लाभ /हाजि	टनओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
स. समापन प्रक्रिया के अधीन सरकारी कम्पनियाँ						
1	ठुमारुड़ी मेटल कारिस्टिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड (क्र०स० ब16 की अनुंयंगी)	1994-95	1995-96	-2.39	10.89	2.17
2	बिहार राज्य फिनिस्ड लेवर्स निगम लिमिटेड (क्र०स० स3 की अनुंयंगी)	1983-84	1986-87	-1.49	0.00	1.47
3	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	2004-05	-0.37	1.16	5.14
4	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1999-00	0.10	4.94	2.00
5	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	2005-06	-1.42	15.22	7.18
	उप कुल			-5.57	32.21	17.96
	सभी प्रक्षेत्र का कुल			-31.54	920.75	284.41

\* साठें०उ० जिन्होंने आपने पहले लेखों का अन्तिमीकरण / जमा नहीं किया है।

\*\* साठें०उ० जिनके लेखे देय नहीं हैं।

### परिशिष्ट – 4.3

(कंडिकाई 4.3 एवं 4.12 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राज्य साठेश०उ० (झज्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋणों की स्थिति को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र० सं	प्रक्षेत्र एवं साठेश०उ० का नाम	विभाग का नाम	निगमित होने की माह एवं वर्ष	वर्ष 2018–19 के अन्त में पूँजी सरकार <sup>10</sup>	भारत सरकार <sup>11</sup>	अन्य	कुल	वर्ष 2018–19 के अन्त में बकाया दीर्घावधि ऋण सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
<b>I एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले साठेश०उ०</b>											
<b>अ सारकारी कम्पनियाँ</b>											
1	बिहार स्टेट बिवरेजेज निबंधन, उत्त्याद कॉरपोरेशन लिमिटेड	निबंधन, उत्त्याद एवं मध्य निषेध	25.05.2006	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	बिहार वन विकास निगम	वन एवं पर्यावरण	11.10.2013	0.34	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
3	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रावेशिकी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचना प्रावेशिकी	21.02.1978	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>प्रक्षेत्र I अ का उप कुल</b>			<b>30.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ब सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ–शून्य</b>											
<b>स सांविधिक निगम</b>											
	<b>कुल I</b>			<b>30.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<sup>10</sup> बिहार सरकार  
<sup>11</sup> भारत सरकार

क्र० सं०	प्रक्षेत्र एवं साठेऽउ	विभाग का नाम	नियमित होने की माह एवं वर्ष	वर्ष 2018–19 के अन्त में पैंची			वर्ष 2018–19 के अन्त में बकाया दीघावधि ऋण				
				बिहार सरकार <sup>10</sup>	भारत सरकार <sup>11</sup>	अन्य	कुल	बिहार सरकार	भारत सरकार		
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
<b>II सेन्टेज़, कमीशन, राजस्व अनुदान/सब्सिडियॉ इत्यादि द्वारा सुनिश्चित आय वाले साठेऽउ</b>											
<b>अ सरकारी कम्पनियाँ</b>											
1	बिहार राज्य पुल निर्माण	पथ निर्माण	11.06.1975	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	
2	बिहार राज्य भवन निर्माण	भवन निर्माण	20.03.2008	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
3	बिहार रस्ट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	पथ निर्माण	20.04.2009	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
4	बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास एवं संरचना विकास निगम लिमिटेड	नगर विकास एवं आवास	16.06.2009	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	
5	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	शिक्षा	16.07.2010	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>प्रक्षेत्र II अ का उप कुल</b>			<b>53.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>53.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>ब सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ</b>											
1	पटना स्मार्ट स्टी	नगर विकास एवं आवास	09.11.2017	0.05	0.00	0.05	0.10	0.00	0.00	0.00	
	<b>लिमिटेड</b>			<b>0.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>0.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>उप कुल</b>			<b>53.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>53.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>स सांविधिक निगम—शून्य</b>											
	<b>कुल II</b>			<b>53.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.05</b>	<b>53.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
	<b>III प्रतिस्पद्ध क्षेत्र में काम करने वाले साठेऽउ</b>										

क्र0 सं0	प्रक्षेत्र एवं सारक्षेत्र0	विभाग का नाम	नियमित होने की माह एवं वर्ष	वर्ष 2018-19 के अन्त में पैद़ी			वर्ष 2018-19 के अन्त में बकाया दीघावधि ऋण				
				बिहार सरकार <sup>10</sup>	भारत सरकार <sup>11</sup>	कुल	बिहार सरकार	भारत सरकार	अन्य	कुल	
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
<b>अ सरकारी कम्पनियाँ</b>											
1	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	कला, संस्कृति एवं युवा	06.03.1983	1.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	कृषि	28.04.1966	7.57	0.00	0.00	7.57	30.98	0.00	0.00	30.98
	उप कुल			8.57	0.00	0.00	8.57	31.48	0.00	0.00	31.48
<b>ब सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ—शून्य</b>											
<b>स सांविधिक निगमें</b>											
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	औद्योगिक	02.11.1954	39.95	0.00	37.89	77.84	228.48	0.00	0.00	228.48
	उप कुल III स			39.95	0.00	37.89	77.84	228.48	0.00	0.00	228.48
	प्रक्षेत्र III का कुल			48.52	0.00	37.89	86.41	259.96	0.00	0.00	259.96
	कुल योग (I+II+III)			132.41	0.00	37.94	170.35	259.96	0.00	0.00	259.96

## परिशिष्ट – 4.4

(कंडिका 4.7 में संदर्भित)

31 मार्च 2019 को राज्य साझेदाता (फुर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों के संबंध में पूँजी, ऋण तथा गारंटियों के अधिशेष तथा बिहार सरकार के वित्त लेखों में अन्तर को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	साझेदाता का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखों के				राज्य साझेदाता के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर			
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>अ. कार्यशील सरकारी कम्पनियाँ</b>										
1	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2.28	2.03	0.00	2.28	31.90	0.00	0.00	-29.87	0.00
2	बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम लिमिटेड	17.14	26.80	0.00	15.12	20.47	0.00	2.02	6.33	0.00
3	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम	21.48	0.00	15.39	23.36	0.00	15.39	-1.88	0.00	0.00
4	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	436.95	5.60	0.00	148.00	5.60	1.13	288.95	0.00	-1.13
5	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	1.00	0.48	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00	-0.02	0.00
6	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	10.15	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00
7	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00
9	बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	बिहार शहरी आधारस्त संरचना विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	साठेड० का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखों के				राज्य साठेड० के अभिलेखों के	अन्तर अनुसार		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई गारंटी	बकाया ऋण	दी गई गारंटी
11	बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.64	6.24	0.00	25.00	0.00	0.00	-19.36	6.24
13	बिहार स्टेट बिवरेजे ज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-5.00	0.00
14	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	4.16	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	-0.84	0.00
15	बिहार राज्य खाद्य एवं असेन्टिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	0.02	1,440.77	1,008.27	5.27	2,180.48	1,435.25	-5.25	-739.71
16	बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इफ्कास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	50.00	0.00	0.00	6.74	0.00	0.00	43.26	0.00
17	बिहार वानिकी विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	-0.34	0.00
18	बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड	0.12	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	-0.24	0.00
19	पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
20	पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	बिहार स्टेट माइटिंग निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
23	आगलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
24	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	9.50	0.00	0.00	9.50	492.00	0.00	0.00	-492.00

क्र0 सं0	साठेडूज० का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखों के			राज्य साठेडूज० के अभिलेखों के			अन्तर	
		अनुसार		अनुसार	प्रदत्त पूँजी	बकाया	दी गई	प्रदत्त पूँजी	बकाया
		प्रदत्त पूँजी	बकाया	दी गई	प्रदत्त पूँजी	बकाया	दी गई	ऋण	गारंटी
25	बिहारशीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	-0.05	0.00
	<b>कुल अ</b>	<b>624.94</b>	<b>1,481.92</b>	<b>1,023.66</b>	<b>333.67</b>	<b>2,730.95</b>	<b>1,451.77</b>	<b>291.27</b>	<b>-1,249.03</b>
	<b>ब. कार्यशील सांविधिक नियमें</b>								
1	बिहार राज्य वित्तीय निगम	28.09	213.97	127.47	39.95	228.48	0.00	-11.86	-14.51
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	81.74	0.00	0.00	74.76	0.00	0.00	6.98	0.00
3	बिहार राज्य भण्डारण निगम	0.80	0.00	164.04	3.21	0.00	178.00	-2.41	0.00
	<b>कुल ब</b>	<b>110.63</b>	<b>213.97</b>	<b>291.51</b>	<b>117.92</b>	<b>228.48</b>	<b>178.00</b>	<b>-7.29</b>	<b>-14.51</b>
	<b>कुल अ +ब</b>	<b>735.57</b>	<b>1,695.89</b>	<b>1,315.17</b>	<b>451.59</b>	<b>2,959.43</b>	<b>1,629.77</b>	<b>283.98</b>	<b>-1,263.54</b>
	<b>स अकार्यशील सरकारी कम्पनियाँ</b>								
1	बिहार राज्य मत्स्य विकास निगम लिमिटेड	1.75	2.66	0.00	3.70	2.60	0.00	-1.95	0.06
2	स्काडा एग्रो बिजेन्स कम्पनी लिमिटेड	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00
3	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	12.19	14.57	0.00	10.00	49.68	0.00	2.19	-35.11
4	बिहार राज्य दुध निगम लिमिटेड	0.00	1.95	0.00	6.72	0.00	0.00	-6.72	1.95
5	बिहार हिल एरिया लिपट संचाई निगम लिमिटेड	9.94	3.50	0.00	10.82	8.55	0.00	-0.88	-5.05
6	बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	4.94	7.90	0.00	7.57	30.98	0.00	-2.63	-23.08
7	बिहार राज्य फल एवं सब्जी विकास निगम लिमिटेड	1.64	23.12	0.00	1.61	0.42	0.00	0.03	22.70
8	बिहार कीटनाशक लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	साठेऽउठो का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखों के			राज्य साठेऽउठो के अभिलेखों के अनुसार	अन्तर
		प्रदत्त पूँजी ऋण	बकाया ऋण	दी गई गारंटी		
9	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, खगोल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, डेहरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, औरंगाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	स्काडा एग्रो बिजनेस लिमिटेड, मोहनिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	बिहार पंचायती राज वित्त निगम लिमिटेड	0.98	0.07	0.00	2.01	-1.03
14	बिहार राज्य हस्तकरण एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	11.42	1.31	0.00	10.00	1.16
15	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	0.63	4.41	0.00	7.18	10.40
16	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	8.18	86.30	0.00	14.04	71.54
17	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	4.90	3.30	0.00	7.00	3.38
18	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	23.72		0.00	9.97	0.00
19	बिहार सोलवेट एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.20	0.01	0.00	0.20	0.00
20	मगध मिनरल लिमिटेड		0.00	0.00	0.00	0.00
21	कुमारधुबी मेटल कार्सिंग एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	बेलट्रॉन विडियो सिस्टम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र० सं०	साठेऽउ० वा० का नाम	बिहार सरकार के विता लेखों के अनुसार			राज्य साठेऽउ० वा० के अभिलेखों के अनुसार			अन्तर
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	दी गई गारंटी	
23	बेलटॉन माइनिंग सिस्टम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	बेलटॉन इनफॉरमेटिक्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	20.00	0.00	0.00	20.00	322.95	0.00	-322.95
26	बिहार राज्य चीमेंट निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	-0.03
27	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	9.57	12.35	0.00	15.78	4.25	0.00	-6.21
28	बिहार मेज प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	बिहार झूस एवं केमिकल्स लिमिटेड	0.00	0.00	1.25	0.00	1.28	0.00	-1.28
30	बिहार राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड	15.81	2.45	0.00	10.78	2.27	0.00	5.03
31	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	2.27	0.94	0.00	2.00	1.22	0.00	0.27
32	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2.19	3.41	0.00	1.75	0.00	0.00	0.44
33	बिहार पेपर मिल्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	बिहार राज्य ग्लोब्ड टाईल्स एवं सरामिक्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	विश्वामित्र पेपर उद्योग लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	जंजारपुर पेपर उद्योग लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	बिहार राज्य टैनीन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
38	बिहार राज्य फिनिन्स लोदर्स निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	-9.18
39	सिथोटिक रेजिन्स (इस्टर्न) लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	भवानी ऐविट्व कार्बन लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र0 सं0	सार्वजनिक का नाम	बिहार सरकार के वित्त लेखों के			राज्य सार्वजनिक के अभिलेखों के	अन्तर अनुसार
		प्रदत्त पूँजी अनुसार	बकाया ऋण	दी गई गारंटी	प्रदत्त पूँजी बकाया ऋण	दी गई गारंटी
41	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	10.43	13.27	0.00	17.40	12.43
42	बिहार स्फुटर्स लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	6.09	0.00
	कुल स	141.34	181.53	1.25	158.53	538.41
	कुल अ+ब+स	876.91	1,877.42	1,316.42	610.12	3,497.84
					1,629.77	266.79
					-1,620.42	-313.35

### परिशिष्ट – 4.5

(कंडिका 4.8.1 में संदर्भित)

राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के अतिरिक्त) जिनके लेखे बकाये की अवधि में राज्य सरकार द्वारा किए गये निवेश को दर्शाती विवरणी  
(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	सार्वजनिक क्षेत्र का नाम	अवधि जहाँ तक के अतिरिक्त लेखे बकाये की अवधि अतिरिक्त है	लेखाओं के अवधि जहाँ तक के लेखे बकाये की अवधि अतिरिक्त है	अद्यतन अन्तिमीकृत लेखाओं के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निवेश जहाँ लेखे बकाये में थे	कुल			
						पूँजी	ऋण	अनुदान	समिती
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>अ कार्यशील सार्वजनिक</b>									
I.	एक वर्ष तक बकाये								
1	बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम लिमिटेड	-	2018-19	0.00	9.50	492.00	8.00	0.00	509.50
2	बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	2018-19	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
	<b>उप कुल</b>			<b>0.00</b>	<b>9.55</b>	<b>492.00</b>	<b>8.00</b>	<b>0.00</b>	<b>509.55</b>
II.	दो से पाँच वर्षों तक बकाये								
3	बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	1.00	0.00	0.00	2.45	0.00	2.45
4	मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	2017-18	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
5	बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	5.00	0.00	0.00	5.23	0.00	5.23
6	बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड	2013-14	2014-15	33.89	114.11	7.00	165.00	0.00	286.11
7	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.10	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90
8	बिहार स्टेट माइनिंग निगम लिमिटेड	-	2017-18	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
9	भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	-	2017-18	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
	<b>उप कुल</b>			<b>144.11</b>	<b>7.00</b>	<b>172.68</b>	<b>0.00</b>	<b>323.79</b>	
III.	पाँच वर्षों से अधिक बकाये								
10	बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड	2004-05	2005-06	3.71	0.00	2.28	105.39	8.66	116.33

क्र0 सं0	साठेडूडो का नाम	अवधि जहाँ तक के तोखे अन्तिमीकृत हैं	लेखाओं के बकाये की अवधि	आदान के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान निवेश जहाँ लेखे बकाये में थे				
					पूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	सालिसडी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित एवं विकास निगम	1997-98	1998-99	3.62	20.74	7.49	0.00	0.00	28.23
12	बिहार राज्य खाद्य एवं असेंटिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2002-03	2003-04	5.27	0.00	1,114.81	0.00	2,766.87	3,881.68
	उप कुल				20.74	1,124.58	105.39	2,775.53	4,026.24
	कुल (अ)				174.40	1,623.58	286.07	2,775.53	4,859.58
	ब अकार्यशील कम्पनियाँ								
I.	एक वर्ष तक बकाये - शून्य								
II.	दो से पाँच वर्षों तक बकाये - शून्य								
III.	पाँच वर्षों से अधिक बकाये								
1	बिहार राज्य भण्डारण निगम	2012-13	2013-14	6.42	0.00	0.00	31.17	0.00	31.17
2	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम	2008-09	2009-10	101.28	0.00	775.01	143.04	882.81	1,800.86
	कुल (ब)				0.00	775.01	174.21	882.81	1,832.03
	कुल (अ+ब)				174.40	2,398.59	460.28	3,658.34	6,691.61
	स अकार्यशील कम्पनियाँ								
IV.	एक वर्ष तक बकाये - शून्य								
V.	दो से पाँच वर्षों तक बकाये - शून्य								
IV.	पाँच वर्षों से अधिक बकाये								
1	बिहार राज्य मर्त्य विकास निगम लिमिटेड	1992-93	1993-94	1.75	1.25	5.63	0.26	0.00	7.14
2	बिहार राज्य निर्माण निगम लिमिटेड	2002-03	2003-04	7.00	0.00	2.28	0.00	0.00	2.28
3	बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड	1984-85	1985-86	9.97	11.21	365.32	0.00	197.93	574.46

क्र० सं	साझेदार का नाम	अवधि जहाँ तक के लेखाओं अन्तीमीकृत हैं	लेखाओं के बकाये की अवधि	आदान प्रदाता लेखाओं के अनुसार प्रदाता लेखों	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दोपान निवेश जहाँ लेखे बकाये में थे				
					पूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	सालिकी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	बिहार राज्य फल एवं सब्ली विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	2.11	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
5	बिहार राज्य मिनरल विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2001-02	9.97	0.00	0.00	11.00	0.00	11.00
6	बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2008-09	2009-10	14.04	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
7	बिहार राज्य वर्स्ट्र निगम लिमिटेड	1987-88	1988-89	4.98	5.80	2.74	0.00	0.00	8.54
8	बिहार हिल एरिया लिपट सिचाई निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	5.60	5.22	18.78	0.00	55.41	79.41
9	बिहार राज्य जल विकास निगम लिमिटेड	1978-79	1979-80	5.00	5.00	154.33	0.00	0.00	159.33
10	बिहार राज्य हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प निगम लिमिटेड	1983-84	1984-85	6.28	3.72	0.25	0.00	0.48	4.45
11	बिहार राज्य औषधि एवं रसायन विकास निगम लिमिटेड	1985-86	1986-87	3.62	12.92	6.30	0.00	0.00	19.22
12	बिहार राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2000-01	2001-02	2.29	0.00	2.34	0.00	0.00	2.34
13	बिहार राज्य लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1990-91	1991-92	7.18	0.00	1.66	0.00	2.47	4.13
14	बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1982-83	1983-84	6.04	12.26	43.18	0.00	0.00	55.44
15	बिहार राज्य निर्यात निगम लिमिटेड	1991-92	1992-93	2.00	0.00	2.21	0.00	0.08	2.29
16	बिहार स्टूटर्स लिमिटेड	-	1977-78	1.63	0.00	6.09	0.00	0.00	6.09
कुल (₹)					57.38	617.11	11.26	256.37	942.12
कुल (अ+ब+स)					231.78	3,015.70	471.54	3,914.71	7,633.73

**परिशिष्ट – 4.6**

**(कंडिका 4.15 में संदर्भित)**

2000–01 से 2018–19 की अवधि के दौरान राज्य साठेंशेठ (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य सरकार के निवेश को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

<b>I. एकाधिकार क्षेत्र में काम करने वाले साठेंशेठ</b>				
अ सरकारी कम्पनियाँ				
वर्ष	1. बिहार स्टेट विवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	5.00	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष	2. बिहार वन विकास निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	0.34	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष	३. बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01 (तक)	5.65	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	19.35	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

## ब. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ

शून्य

## स. सांविधिक निगमे

शून्य

II. सेन्टेज, कमीशन, राजस्व अनुदान / सब्सिडियाँ इत्यादि द्वारा सुनिश्चित आय वाले सा०क्षे०उ०				
अ सरकारी कम्पनियाँ				
वर्ष	1. बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	20.00	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष	2. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	5.00	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष	3. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01 (तक)	3.50	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष	4. बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	5.64	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

वर्ष	5. बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	20.00	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

ब. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ
शून्य

वर्ष	6. पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01	-	-	-	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	0.05	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

स. सांविधिक निगमे
शून्य

III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साठेहोडा				
अ सरकारी कम्पनियां				
वर्ष	1. बिहार राज्य फ़िल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01 (तक)	1.00	-	0.15	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	-	-
2004-05	-	-	-	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	0.35	0.02
2016-17	-	-	-	0.17
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

ब. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साठेहोडा				
2. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड				
वर्ष	2. बिहार राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01 (तक)	7.64	0.00	12.60	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	5.24	-
2004-05	-	-	4.99	-
2005-06	-	-	7.97	-
2006-07	-	-	-	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	-	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	0.18	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में काम करने वाले साठेहोडा				
वर्ष	3. बिहार राज्य वित्तीय निगम			
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण जिनपर ब्याज भुगतान नहीं किया गया	पूँजी अनुदान
2000-01 (तक)	39.95	-	83.94	-
2001-02	-	-	-	-
2002-03	-	-	-	-
2003-04	-	-	6.94	-
2004-05	-	-	36.60	-
2005-06	-	-	-	-
2006-07	-	-	71.00	-
2007-08	-	-	-	-
2008-09	-	-	29.99	-
2009-10	-	-	-	-
2010-11	-	-	-	-
2011-12	-	-	-	-
2012-13	-	-	-	-
2013-14	-	-	-	-
2014-15	-	-	-	-
2015-16	-	-	-	-
2016-17	-	-	-	-
2017-18	-	-	-	-
2018-19	-	-	-	-

ब. सरकार के नियंत्रण वाली अन्य कम्पनियाँ
शून्य

स. सांविधिक निगमें
शून्य

## परिशिष्ट—5.1

(कंडिका 5.2 में संदर्भित)

2013–14 से 2017–18 के दौरान उन लागत घटकों पर सेंटेज आय की गणना, जो सेंटेज की गणना योग्य नहीं थे, को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

परियोजना लागत घटक	गंगापथ	एस0एच0— 78	एस0एच0— 83	एस0एच0— 81	एस0एच0— 88	एस0एच0— 90	पी0पी0पी0 <sup>12</sup>	छ: लेन	कुल
विज्ञापन	0.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.75
सलाहकारी	16.51	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16.51
निर्माण अवधि के दौरान ब्याज	30.17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	30.17
भूमि अधिग्रहण	104.78	368.68	0.75	10.00	22.53	15.19	34.49	166.43	722.85
भूमि अधिग्रहण परामर्शदाता	0.15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.15
ऋण आवेदन शुल्क	1.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1.18
<b>कुल</b>	<b>153.54</b>	<b>368.68</b>	<b>0.75</b>	<b>10.00</b>	<b>22.53</b>	<b>15.19</b>	<b>34.49</b>	<b>166.43</b>	<b>771.61</b>
सेंटेज आठ प्रतिशत की दर से									<b>61.73</b>

<sup>12</sup> बख्तियारपुर—ताजपुर

### परिशिष्ट-5.2

#### (कंडिका 5.3 में संदर्भित)

बचत बैंक खातों में ऑटो स्वीप सुविधा का लाभ न ले पाने के कारण हुए ब्याज की हानि को दर्शाती विवरणी

क्रम सं०	बैंक का नाम	खाता संख्या	ब्याज से वंचित (₹ में)
<b>बी०एस०आर०डी०सी०एल० मुख्यालय</b>			
1.	कारपोरेशन बैंक	055000101014963	21,69,448
2.	भारतीय स्टेट बैंक	31959577216	42,01,174
3.	केनरा बैंक	258101005873	2,10,81,352
4.	आई०सी०आई०सी०आई बैंक	040401010290	44,62,759
5.	बैंक ऑफ बडौदा	00030100017095	1,08,00,017
6.	यूनियन बैंक	300202010920685	52,97,690
7.	बैंक ऑफ इंडिया	441310110004000	1,20,44,231
8.	एक्सेस बैंक	913010045357514	12,31,961
9.	एक्सेस बैंक	913010055580814	32,77,718
10.	एक्सेस बैंक	910010034224837	1,39,08,175
कुल			<b>7,84,74,525</b>
<b>पी०आई०यू० छ: लेन</b>			
11.	आई०सी०आई०सी०आई बैंक	040401010318	5,69,88,835
कुल			<b>5,69,88,835</b>
<b>पी०आई०यू० बिहारशरीफ</b>			
12.	केनरा बैंक	01401123180	7,68,887
13.	एक्सेस बैंक	911010034145825	11,34,552
14.	आई०सी०आई०सी०आई बैंक	194301000870	77,73,249
15.	एक्सेस बैंक	911010017159049	4,26,456
कुल			<b>1,01,03,144</b>

समग्र कुल: ₹ 7,84,74,525 + ₹ 5,69,88,835 + ₹ 1,01,03,144 = ₹ 14,55,66,504 अर्थात् ₹ 14.56 करोड़

**परिशिष्ट-5.3**  
**(कंडिका 5.4 में संदर्भित)**  
**व्याज की हानि को दर्शाती विवरणी**

क्रम सं	पैमानम् नाम	बैंक का नाम	सावधि जमा की राशि	आरोग्योआई (%)	चुरू होने की तिथि	परिपक्वता की राशि	परिपक्वता की राशि के लिए उसी बैंक में लागू व्याज दर	परिपक्वता की राशि	अंतर	(₹ करोड़ में)
1	पौ0आई0यू० पटना	एविसस बैंक, पटना	3,18,00,000	6.25	28.03.2017	28.03.2018	3,38,34,569	7.00	3,40,85,117	2,50,548
2	पौ0पी0आई0यू० पटना	केनरा बैंक, पटना	4,00,00,000	4.85	28.03.2017	28.03.2018	4,19,75,571	6.90	4,28,32,240	8,56,669
3	पौ0आई0यू० समस्तीपुर	आई0सी0आई0सी0आई बैंक, समस्तीपुर	15,00,00,000	6.10	27.03.2017	21.04.2018	16,00,27,268	6.90	16,13,48,358	13,21,090
4	पौ0आई0यू० दीधा	आई0सी0आई0सी0आई बैंक, पटना	10,00,00,000	6.10	30.03.2017	30.03.2018	10,62,40,962	6.90	10,70,80,600	8,39,638
5	पौ0आई0यू० गंगापथ	आई0सी0आई0सी0आई बैंक, पटना	11,00,00,000	6.10	30.03.2017	30.03.2018	11,68,65,058	6.90	11,77,88,659	9,23,601
6	पौ0आई0यू० गंगापथ	एच0डी0एफ0सी0 बैंक, पटना	35,00,00,000	5.00	28.03.2017	28.03.2018	36,78,30,859	6.95	37,49,66,345	71,35,486
7	पौ0आई0यू० छलेन गंगापुर	आई0सी0आई0सी0आई बैंक, पटना	25,00,00,000	6.10	27.03.2017	27.03.2018	26,56,02,404	6.90	26,77,01,499	20,99,095
	सावधि जमा की कुल राशि		1,03,18,00,000						व्याज की कुल हानि	1,34,26,127





© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

प्रतिवेदन डाउनलोड करने हेतु क्यूआर कोड स्कैन करें



[www.ag.bih.nic.in](http://www.ag.bih.nic.in)